शुक्रवार, 18 जुलाई 1980

27 आषाढ़ 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 30, शुक्रवार, 18 जुलाई, 1980/27 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 592 से 594 और 596 से 599	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	18—151
*तारांकित प्रश्न संख्या : 595 और 600 से 612 अतारांकित प्रश्न संख्या : 4690 से 4710, 4712 से 4738, 4740 से 4761, 4765 से 4815, 4817 से 4826 और 4828 से 4862	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	152 153
नियम 377 के अधीन मामले	154—156
(एक) उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत अधिकारियों की संभावित वरिष्ठता निर्धारित करना श्री राजेश कुमार सिंह	154
(दो) पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिला के रैंचक मछली पत्तन में स्थानीय किसानों को रोजगार देने की आवश्यकता श्री मुकुन्द मंडल	154
(तीन) नहवा सेवा पत्तन परियोजना पर तुरन्त कार्य करने की आवश्यकता श्री आर० के० महालगी	155

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(चार) तमिलनाडु के मदुरै जिला में कोडाईकनाल, पचाई-कुमाची और केरल के इदक्की जिला को पर्वतीय क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

श्री कुमबुम एम० नटराजन 156

(पांच) उत्तर प्रदेश में सीमेंट की कमी का समाचार

श्री जैनुल बशर 156

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81 157—167
रक्षा मंत्रालय

श्री आर० एस० स्पैरो 157

प्रो० के० के० तिवारी 163

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 168—182

पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में हाल में हुई वार्ता का निष्कर्ष

श्री कमला मिश्र मधुकर 168

श्री पी. वी. नरसिंह राव 169

डा. फारुक अब्दुल्ला 173

श्री रामावतार शास्त्री 174

श्री अर्जुन सेठी 176

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 179

एस. एल. वी.—3 को अंतरिक्ष में छोड़ने के बारे में वक्तव्य 183—205

श्रीमती इन्दिरा गांधी 183

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी 184

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 188

डा. कर्ण सिंह 191

श्री सी. पी. एन. सिंह 196

प्रो. नारायण चन्द पराशर 205

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
पाँचवां प्रतिवेदन 206

पूर्वोत्तर भारत में गंभीर स्थिति के बारे में संकल्प 206—242

श्री जी. एम. बनातवाला 206

श्री जी. एस. रेड्डी 207

श्री बापूसाहिब पारुलेकर 210

श्री मूलचन्द डागा 216

श्री राम विलास पासवान 218

श्री मलिक एम. एम. ए. खां 223

श्री सी. पलानी-अप्पन 225

श्री रामस्वरूप राम 227

श्री चन्द्रजीत यादव 229

श्री एम. सत्यनारायण राव 232

श्री भोगेन्द्र झा 234

श्री तारिक अनवर 237

श्री चित्त बसु 240

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी 242

लोक-सभा

शुक्रवार, 18 जुलाई 1980/27 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फैरो-मैंगनीज (लौह-मैंगनीज) के लिए अमेरिका की मांग में वृद्धि

*592. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका ने हाल में अपनी फैरो-मैंगनीज की मांग बढ़ा दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का फैरो-मैंगनीज के निर्यातकों को कोई छूट देने का विचार है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ख) और (ग) फैरो-मैंगनीज का निर्यात स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) की मार्फत किया जाता है। सेल को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अमरीका ने फ़ैरो-मैंगनीज की मांग में वृद्धि की है। लेकिन बिजली की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण उत्पादन में हुई कमी को देखते हुए अक्टूबर, 1979 से फैरो-मैंगनीज के निर्यात पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि अक्टूबर, 1979 के बाद एक्सपोर्ट बन्द किया है। रिपोर्ट में है : "प्रतिवर्ष घोषित नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 में मैंगनीज निर्यात का 7 लाख टन के लक्ष्य के लिए पूरी तरह से करार दिये गए थे। 1979-80 के दौरान 6.72 लाख टन जहाजों से भेजा गया जिसका मूल्य लगभग 14 करोड़ रुपये है।" यह तो आपने रिपोर्ट में बताया है। मेरे ख्याल में मैंगनीज ओर के लिए अमरीका में बहुत बड़ी डिमाण्ड है। आज दुनिया में हमारा छठा नम्बर है, जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके हिसाब से।

हम मैंगनीज ओर का ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फारेन एक्सचेंज, जिसकी एक कठिन अवस्था है, उसके लिए मदद हो सकती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हम अपने देश में मैंगनीज ओर की कुल कितनी टोटल क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से कितना इण्डस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और उसके बाद हमारे पास कितना सरप्लस रहता है जिसको हम कौन-कौन सी कन्ट्रीज में, खासकर अमरीका जहां पर इसकी ज्यादा मांग है, भेजकर फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, लौह-मैंगनीज और फैरो-मैंगनीज में काफी अन्तर है। लौह-मैंगनीज का परिष्कृत रूप ही फैरो-मैंगनीज है। यह अन्तिम उत्पाद है। माननीय सदस्य ने लौह-मैंगनीज के बारे में कहा है और मैंने फैरो-मैंगनीज के बारे में कहा है। फैरो-मैंगनीज परिष्करण विद्युत प्रधान प्रक्रिया से होता है अतः उत्पादन गिर रहा है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है फैरो-मैंगनीज एक कीमती धातु है, क्योंकि इस्पात के उत्पादन में यह एक मूल धातु है। एक टन इस्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक 16 किलोग्राम में 60 प्रतिशत फैरो-मैंगनीज होता है। हम अपने इस्पात प्रतिष्ठानों की आवश्यकता पूरी कर सकेंगे। अतः नीति यह है कि जहां तक सम्भव हो सके फैरो-मैंगनीज के निर्यात को निरुत्साहित करना है। हमारे पास लौह-मैंगनीज एक सीमित मात्रा में है। उत्पादन क्षेत्र भी एक विनियमित क्षेत्र है और हमारी आवश्यकता भी बहुत ही कीमती है। अतः 1972 के बाद लौह-मैंगनीज का निर्यात विनियमित किया गया। ऊंची श्रेणी के लौह-मैंगनीज की निर्यात करने की अनुमति नहीं है। मध्यम श्रेणी का 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक का मैंगनीज निर्यात करने की अनुमति दी गई। जहां तक अन्य श्रेणियों का सम्बन्ध है एक उनके निर्यात की अनुमति है। यह स्थिति है। जहां तक फैरो-मैंगनीज का सम्बन्ध है और जहां तक लौह मैंगनीज का सम्बन्ध है, हमारे भंडार सीमित हैं और हम अपनी सीमित मात्रा से उदार नहीं बन सकते।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि पावर कट होने की वजह से फैरो-मैंगनीज का हमारा प्रोडक्शन कम हो गया है। उसके साथ ही साथ प्रासेसिंग करने के लिए जिस प्लाट की जरुरत है। वह भी हमारे पास लेटेस्ट नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन में कुछ कटौती हुई है। तीसरे यह कि 1974 में कामर्स मिनिस्टर ने कहा था कि निर्यात में कटौती करने की वजह से प्रोडक्शन पर उसका असर हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आज हमारे देश में जो फारेन एक्सचेंज की परिस्थिति है उसको देखते हुए क्या सरकार ने फैरो-मैंगनीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स लिए हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह कहने का कि हम कठिन स्थिति में हैं अर्थ यह नहीं है कि हम अपने लौह-मैंगनीज के सीमित साधनों का दुरुपयोग करें। फैरो-मैंगनीज का उत्पादन अत्यधिक विद्युत प्रधान है। एक टन फैरो-मैंगनीज के उत्पादन के लिए 2800 से 3450 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती है। इतनी अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। जहां तक फैरो-मैंगनीज के उत्पादकों का सम्बन्ध है, इनकी कोई कमी नहीं है। ऐसी बहुत सी फर्में हैं जो फैरो-मैंगनीज का उत्पादन करती हैं। लाइसेंस की क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन नहीं हुआ है। 1979 में

उत्पादन 188.7 हजार टन हैं। अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए, जैसा मैंने कहा है मुख्य बाधा बिजली की उपलब्धता है, क्योंकि फैरो-मैंगनीज अत्यधिक विद्युत प्रधान है। साथ ही हमें स्वयं अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करनी है। अतः इसका विनियमन किया जाना है। मैं यह नहीं कर रहा हूं इस मद पर प्रतिबन्ध है किन्तु स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करनी होगी और समीक्षा की जा रही है। अगले कुछ महीनों में दूसरी समीक्षा की जाएगी।

श्री जगदीश टाईटलर : फैरो-मैंगनीज के लिए प्रतिवर्ष विदेशों से मांग बढ़ती जा रही है। महोदय मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिससे वह निर्यातकों को रियायतें दे रही है, हम आसानी से इसका निर्यात कर सकते हैं और विदेशों में भी इसकी माँग है। निर्यातकों को रियायतें क्यों दी जा रही हैं? जबकि सभी देशों से इसकी मांग है? निर्यात के लिए रियायत क्यों दी जानी चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इस सम्बन्ध में होने वाली बाधाओं के बारे में विस्तार से बताया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। किसी रियायत का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न में यह सुझाव है कि कुछ रियायत दी जा रही है। उसके लिए मेरा उत्तर नकारात्मक है। विद्युत की कमी को देखते हुए सरकार की वर्तमान नीति विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के बावजूद इसके निर्यात को निरुत्साहित करने की है। 1977 में कुछ परिवर्तन हुआ जब इसके निर्यात के लिए एक अमरीकी पार्टी के सहयोग से एक औद्योगिक लाइसेन्स दिया गया। वह फर्म अब निर्यात करने की अनुमति की मांग कर रही है और इस पर गम्भीरता से विचार हो रहा है। निर्यात को नियंत्रण करने की पूर्व नीति में यही परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन जनता सरकार के शासन काल में हुआ।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं इस निम्न श्रेणी के लौह-मैंगनीज का उपयोग करने का कोई प्रयास किया जा रहा है? वह कहते हैं और यह तथ्य है कि लौह-मैंगनीज की सप्लाई कम है। इस संदर्भ में मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि निम्न श्रेणी के लौह-खनिज का सदुपयोग करने के लिए ऐसा कोई प्रयत्न किया गया है ताकि इसका अधिक उत्पादन हो तथा इसे फैरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरी जानकारी यह है कि प्रयत्न किया जा रहा है।

दिवाड़ी उदयपुर में जस्ता प्रद्रावक संयंत्र के कारण स्वास्थ्य को संकट

*593 **श्री मोहन लाल सुखाडिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि राजस्थान के उदयपुर जिले दिवाड़ी में लगे जस्ता प्रद्रावक संयंत्र के अवशिष्ट के परिणामस्वरूप आस-पास के गांवों के लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुंच रही है;

(ख) क्या यह सच है कि कुओं का पीने का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि झील से निकलने वाली धारा का पानी भी प्रदूषित हो गया है और पशुओं के पीने योग्य नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है या क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जस्ता प्रद्रावक संयंत्र के हानिकारक प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ङ) यद्यपि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने निःस्रत मल के निस्तारण-पूर्व शोधन का पूरा वन्दोवस्त किया है और निस्तारित मल की किस्म की लगातार निगरानी भी की जा रही है, फिर भी हाल में यह देखने में आया है कि परिणाम पूरी तरह संतोषजनक नहीं हैं। कम्पनी ने 65 लाख रुपया की लागत से निःस्रत मल शोधन संयंत्र के निर्माण का काम शुरु किया है। ये संयंत्र इस साल के अन्त तक चालू हो जाएगा। इस क्षेत्र में रहने वाले कम्पनी कर्मचारियों की समय-समय पर की गई स्वास्थ्य-परीक्षा से यद्यपि किसी स्वास्थ्य-खतरे के संकेत नहीं मिले हैं; फिर भी चूंकि सरकार प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम को अत्यधिक महत्व देती हैं, इसलिए सरकार का प्रस्ताव वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित उपायों की यथेष्टता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त करने का है ताकि इस मामले में किसी को भी किसी प्रकार का संदेह नहीं रहे।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञों का दल आस-पास के क्षेत्रों में गांवों के लोगों के विचारों का पता लगायेगा ?

श्री सी० एम० स्टीफन : विशेषज्ञ दल यह निश्चित रूप से करेगा। गांव वालों का अनुभव एक महत्वपूर्ण बात है जिसपर विशेषज्ञ दल स्थिति का मूल्यांकन करने में विचार करेगा। वास्तव में, गांव वालों की सलाह ली जा रही है और उनके विचार, कृषकों तथा दूसरे लोगों के विचारों को मालूम किया जा रहा है। यह विशेषज्ञ दल राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहयोजित करेगा तथा गांव वालों की भी सलाह ली जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में महिलाओं को नौकरियां

*594 **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम नौकरियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कुल 18.70 लाख कामगारों में से महिला कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 47,000 है।

(ख) ऐसा इसलिए है, क्योंकि कुछ गिने-चुने उद्योगों को छोड़कर, ये नौकरियाँ अधिकांशतः ऐसे कारखानों में है, जहां मुख्यतः अकुशल एवं कुशल कामगार कार्य करते हैं तथा जहां ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारणों से महिलायें काम नहीं करना चाहतीं। यह स्थिति विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण नियोजन क्षेत्र में बनी हुई है।

(ग) सरकार लिंग के आधार पर बिना किसी भेद-भाव के रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए वचनवद्ध है। सरकारी उद्यमों को भी सरकार को इस नीति का अनुसरण करने तथा शिशुगृह आदि जैसी सुविधाएं स्थापित करने की सलाह दी गई है, ताकि इन उद्यमों में महिलायें रोजगार पा सकें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में मंत्री महोदय ने केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में महिला कर्मचारियों की अनुमानित संख्या दी है और यह संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 2½ प्रतिशत बैठती है। उन्होंने इसका यह कारण बताया है कि रोजगार अधिकांशत: कारखानों में है जहां अकुशल और कुशल काम अधिक है और जहां ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से महिलाएं रोजगार आदि के लिए नहीं आती हैं। यह एक तथ्य है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं के रोजगार का अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अध्ययन के लिए छ: उद्योग, अर्थात् कोयला खनन, सूती वस्त्र, फार्मेस्यूटिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, भारी उद्योग तथा घड़ी निर्माण लिए और पाया कि कुल कर्मचारियों की संख्या का महिलाओं की संख्या का प्रतिशत गिरा है। 1951 और 1971 के बीच इन कारखानों के समूह में महिलाओं के रोजगार का हिस्सा 11.43 प्रतिशत से गिरकर 9.11 प्रतिशत रह गया अर्थात् 20.30 प्रतिशत की गिरावट आई। यह भी तथ्य है कि उस अध्ययन में एक कारण यह भी बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र महिलाओं को रोजगार देने के विरुद्ध हैं और उन्हें रोजगार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वे महिलाओं को प्रसूति लाभ देने, रात का काम न देने की परेशानी नहीं उठाना चाहते हैं जो जैसा मंत्री महोदय जानते हैं, कि यह हमारे संविधान के अनुरूप सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंग के रूप में हैं।

क्या परम श्रद्धेय एवं अति कुशल मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन कारणों को किसी भी प्रकार ऐतिहासिक और सामाजिक माना जा सकता है ? क्या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रवन्धकों का महिलाओं के विरुद्ध पक्ष-पात विशेषरूप से इस दृष्टि से कि इसी महान सभा में पहले महिलाओं की रक्षा के लिए एक कानून पास किया गया था, एक ऐतिहासिक या सामाजिक कारण है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं माननीय सदस्य का इस सराहना के लिए आभारी हूं.....

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : आप उसे वापस क्यों नहीं करते ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उसी वात को तत्काल करने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं इसे यथा समय करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : चक्रवृद्धि व्याज सहित।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपकी सलाह मानता हूं। जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, इन 18.7 लाख कर्मचारियों में से 6 लाख कर्मचारी खानों में काम करते हैं और 2 लाख इस्पात कारखानों में। अत: इन दो क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करना बड़ा कठिन है। कानून महिलाओं को भूमि के नीचे कार्य करने की अनुमति नहीं देता। इसी प्रकार इस्पात के कुछ क्षेत्रों

में महिलाओं को रोजगार देने पर प्रतिबन्ध है। अत: मैंने जो कुछ कहा है, अर्थात् विभिन्न कारणों से विभिन्न स्थितियों में वे इन क्षेत्रों में रोजगार की तलाश नहीं करती हैं।

माननीय महिला सदस्या ने कहा है कि सम्पूर्ण रोजगार में कमी आई है। मेरे पास रोजगार में वृद्धि दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं। मैं आंकड़े दूंगा, क्योंकि मुझे यह ज्ञात नहीं है कि यह गैर सरकारी प्रतिवेदन किन तथ्यों पर आधारित है। मैं सरकारी आंकड़े देता हूं। इस दशक के दौरान सम्पूर्ण रोजगार में 4.1% की वृद्धि हुई है और महिलाओं के रोजगार में 5·5% की वृद्धि हुई। अत: यह आरोप सही नहीं है।

मैं यहां अधिक आंकड़े दूंगा। प्रश्न एक सीमित ढंग से पूछा गया है। वास्तव में प्रश्न केवल सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित है जिसका सामान्यत: अर्थ औद्योगिक उपक्रमों में रोजगार की स्थिति है।

मेरे पास सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित आंकड़े हैं जिनमें विभागीय उपक्रम बैंकिंग उद्यम, राज्य सरकार के उद्यम और अन्य सरकारी निकाय जैसे कि पत्तन न्यास आदि भी सम्मिलित हैं।

इस क्षेत्र में यदि आप कुल आंकड़ों को लें तो आप देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र में महिला रोजगार 10·1% है।

माननीय महिला सदस्या जानती हैं कि कतिपय क्षेत्रों में उदाहरण के तौर पर वस्त्र उद्योग में सम्पूर्ण "रीलिंग सैक्शन" का प्रबन्ध महिलाओं के हाथ में है। इसका प्रबन्ध महिलाएं करती हैं। (व्यवधान)...

बैंकिंग क्षेत्र में भी महिलाएं पर्याप्त संख्या में नौकरी में हैं और इनका अनुपात बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु काफी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्य का अगला प्रश्न यह है कि क्या सरकारी क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई पूर्वाग्रह है। मैं उन्हें, सरकारी उद्यम ब्यूरो में आने वाले सरकारी प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष के नाते यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। और यह स्वाभाविक है कि मेरे अधीन जो विभाग है उसे भी ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक गारंटी, अर्थात् लिंग के आधार पर रोजगार देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, पूर्णतया क्रियान्वित हो। यह सच है कि महिलाओं को रोजगार देने में अधिक लागत पड़ती है अर्थात् उन्हें प्रसूति लाभ आदि देने पड़ते हैं इसलिए। परन्तु मैं कहता हूं कि यह बात महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बनती है।

एक माननीय सदस्य : प्रसूति के सम्बन्ध में पिता को छुट्टी देने के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। पश्चिमी देशों में लिंग के आधार पर समानता लागू करने की बात चल पड़ी है अर्थात् पुरुषों द्वारा

महिलाओं के समान अधिकार प्राप्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। मैं माननीय महिला सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे जहां पूर्ण विश्वाश है कि स्वयं मंत्री महोदय को कोई पूर्वाग्रह नहीं है वहीं मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे सरकारी क्षेत्र के पूर्वाग्रह को गम्भीरता से लें। क्या उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किए गए उस परिपत्र की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि सेवा निवृत्त हो रही महिलाएं अपने स्थानों पर केवल पुरुष रिश्तेदार को ही नामित कर सकती है और महिला रिश्तेदार को भी ? क्या यह पूर्वाग्रह नहीं है ? यदि ऐसा है तो इस वात पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इसे गम्भीरता से लेता हूं और इसकी जांच करूंगा। यदि इस प्रकार का कोई परिपत्र है तो मैं उसे वापस ले लूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यगों में केवल 10% तक महिलाएं नियुक्त की गई है। क्या इनकी नियुक्ति कार्यालयों या कारखानों या अन्य स्थानों पर की गई है ? उन्होंने कहा है कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के संबंध में संवैधानिक गारंटी का ध्यान रखा जायेगा। क्या वह इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई परिपत्र जारी करेंगे जिसमें यह कहा जाएगा कि कम से कम कार्यालयों में महिलाओं को रोजगार देने के लिए कुछ प्रतिशत नोकरियां आरक्षित कर दी जाएं ? जनगणना के आँकड़ों के अनुसार महिलाएं 50% या 51% हैं। अतः क्या वह सरकारी उाक्रमों को एक परिपत्र जारी करेंगे कि 50% कार्यालय कर्मचारियों की भर्ती 50% या 51% महिलाओं में से की जाए ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप इस सुझाव को मानेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : संवैधानिक गारंटी यह है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संवैधानिक गारंटी यह नहीं है कि हम रोजगार जनसंख्या के अनुपात में दें। रोजगार सापेक्ष योग्यता के आधार पर दिया जाएगा परन्तु महिला होना रोजगार के लिए कोई अयोग्यता नही माना जाएगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह सच है कि संवैधानिक गारंटी भेदभाव के विरुद्ध है। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि सरकारी उपक्रमों में भी बहुत भेदभाव किया जाता है। यहां तक कि प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ भी भेदभाव बरता जाता है। हाल ही में "फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर" में तीन साल तक प्रशिक्षित रसायन स्नातकों में से 3 महिला प्रशिक्षार्थियों को छोड़ कर सभी पुरुष प्रशिक्षार्थियों को नियमित सेवा में ले लिया गया। केवल 3 महिला प्रशिक्षार्थियों को नहीं लिया गया। में मंत्री महोदय से मिला और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। परन्तु अव तक कुछ नहीं किया गया है। इस आधार पर कि रात को कार्य करने की उन्हें अनुमति नहीं है, उनकी पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। जब महिलाओं को नौकरी में लिया जाता है तो यह तर्क दिया जाता है कि पुरुष अधिक रात का कार्य करेंगे। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षात्मक कानून बनाया जाता है, क्योंकि वे समाज में एक विशिष्ट कर्त्तव्य निभा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु हमने कतिपय सुरक्षात्मक कानून बनाये हैं परन्तु उसी कानून के कारण

अब हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यह ऐसा होने लगा हैं। इसे पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है ? हमें सब जगह से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि सरकारी उपक्रमों में महिलाओं की उपेक्षा की जा रही है और उन्हें कारखानों से बाहर किया जा रहा है। यह भेद-भाव प्रशिक्षण सुविधाओं से संबंधित व्यवस्था में भी किया जाता है। जहां तक प्रशिक्षण सुविधाओं का संबंध है, भारतीय वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद ने यह कहा था कि प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में ये विभिन्न संस्थान उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं—उन्हें कोई भी नौकरी नहीं दी जाएगी। अतः महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बहुत कम हैं। इन प्रशिक्षण सुविधाओं की समस्या को दूर करने के क्या उपाय हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अब पक्षपात करना पड़ेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : महिलाओं के लिए रात्रि कार्य की मनाही है और इसलिए यदि कुछ क्षेत्रों में वे कहते हैं कि महिलाओं को रात्रि कार्य हेतु नौकरियां नहीं दी जा सकती तो इस प्रकार यह पूर्वाग्रह का मामला नहीं है। यह देश के कानून के पालन करने का मामला है। कुछ क्षेत्रों में इसकी मनाही है। (व्यवधान)···

बिल्कुल नहीं; आपने मेरे शब्द नहीं सुने। मैंने 'कुछ क्षेत्रों में' कहा है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि कुछ क्षेत्रों में रात्रि काम की मनाही है और मैंने कहा है कि उन मामलों में यह सम्भव नहीं है। केवल यही कहना कि चूंकि रात्रि कार्य की मनाही है, इसलिए पूर्वाग्रह है, मैंने कहा है, ऐसी बात नहीं है। कतिपय मामलों में इसकी अनुमति नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। एक अन्य प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है वह प्रशिक्षण सुविधाओं के संबंध में है। समाज कल्याण मंत्री द्वारा वर्ष 1977 में प्रस्तुत की गई कार्यवाही योजना यह है कि महिलाओं के लिए वृहत प्रशिक्षण सुविधाएं होनी चाहिए। पिछले दो-तीन वर्षों में इसका पालन नहीं हो रहा है। हम इसे पुनः ले रहे हैं और इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्थात अधिक प्रशिक्षण सुविधाएं देने जा रहे हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अब वह यह बहाना बना रहे हैं। यदि ऐसी बातें आपके ध्यान में नहीं लाई जायेंगी तो इसका क्या उपचार होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

गोआ में पर्यटन का विकास

*596. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए प्राकृतिक क्षेत्रों के विकास हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इसके लिए कितनी धन-राशि के आबंटन का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) आगामी पांच वर्षों में होने वाली दुगुनी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तदनुकूल

सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से पर्यटन योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) यात्रा परिपथों का पता लगाना तथा उनका विकास करना ; और

(2) इन यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर पर्याप्त रूप से आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

इस प्रयोजन के लिए राज्य के पर्यटन अधिकारियों से बातचीत की गई थी, और पर्यटन विभाग, गोआ दमन और दीव सरकार, द्वारा ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

श्रीमती संयोगिता राणे : पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। इसका विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। गत वर्ष अनुमान है कि 23 करोड़ लोग विदेशों में यात्रा पर गए। यह राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। यह रोजगार का भी साधन है। पर्यटन एक प्रकार का नियति व्यापार है। इससे देश की अर्थ व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ता है।

प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से गोआ बहुत ही समृद्ध है। इसलिए उसे दक्षिण का नंदनवन कहते हैं। वहां सैकड़ों ऐसे स्थल विद्यमान हैं जिन्हें देखने के लिए देश विदेश के कोने-कोने से असंख्य लोग आते हैं। वहां का प्राकृतिक सौन्दर्य बारहों महीने हरा भरा रहता है। समृद्ध समुद्र तट, पानी में झीलें, स्वास्थ्य-समृद्ध जलवायु, जाने कहां-कहां से लोगों को खींच कर लाती हैं। ऐसा सौन्दर्य समृद्ध गोआ है।

पर्यटन की प्रथम आवश्यकता है रहने के वास्ते आरामदेह स्थान। मैं जानना चाहती हूं कि भारत सरकार ने गोआ में होटल सेवाओं में सुधार करने, उनकी क्षमता बनाने, नए होटलों की स्थापना करने, युवक होस्टल, यात्री निवास, पर्यटक काटेजिज़ आदि के बारे में क्या किया है, क्या कोई नई योजना बनाई है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : गोआ में अधिक संख्या में टूरिस्ट्स को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार से कई चीजों के बारे में विचार विनिमय हुआ है। पहले राज्य सरकार को सुझाव दिया गया था कि इसके इंटेग्रेटिड डिवेलेपमेंट के लिए कोई स्टेचटरी टूरिज्म डिवेलेपमेंट आथोरिटी बनाई जाए। काफी समय तक विचार करने के बाद यह निर्णय दिया कि स्टैचटरी आथोरिटी न बना करके टूरिस्ट डिवेलेपमेंट कारपोरेशन बनाई जाए, लेकिन बाद में यह भी इन लोगों ने छोड़ दिया। अब सरकार ने टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग की गोआ दमन और दीव के लिए व्यवस्था की है। उसके अन्तर्गत इंटेग्रेटिड डिवेलेपमेंट के लिए कार्य किया जा रहा है। अभी पिछले महीने हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने राज्य के टूरिस्ट विभाग के अधिकारियों से सलाह मश्विरा दिया था। और उनसे कहा कि वे उन क्षेत्रों को, जहां वह डैवलप करने के लिये अधिक उचित स्थान समझते हैं, उनको बतायें और उन स्थानों पर जब उनकी रिपोर्ट आ जायेगी तब विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन मैं फिलहाल इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आई० टी० डी० सी० ने एक थ्री-स्टार होटल बीच पर बनाने का निर्णय किया है, जिसके लिये 10 लाख रुपये भी सैंक्शन हो चुके हैं, वैसे भी एक यूथ होस्टल बना हुआ है।

श्रीमती संयोगिता राणे : गोआ में पर्यटन के लिये परिवहन सुविधा व अन्य रियायतें देने, विदेशों में प्रचार करने, व मनोरंजन आदि के सम्बन्ध में सरकार क्या योजनाएं बना रही है? गोआ के जीवन और संस्कृति की झलक का प्रसार करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? विमान सेवा को सुधारने और हवाई अड्डे को अच्छा करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाये गये है? वर्तमान वर्ष में इसके लिये कितना धन निर्धारित किया गया है? छटी योजना में गोआ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : छठी योजना में जो जोड़ने की बात है, सो अभी तक इस तरह से हरेक स्टेट का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उनके स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट से जो प्रपोज़ल आयेगा, उसमें यह पूछा गया है कि किन स्थानों का विकास करना चाहते हैं, कितना उस पर व्यय होगा और किन क्षेत्रों को वह तत्काल लाना चाहते हैं किसको प्राथमिकता देना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी हैं। ज्योंही जानकारी आयेगी, यहां टूरिस्ट डिपार्टमेंट से विचार-विनिमय कर के यह तय किया जायेगा। जहां तक टूरिस्टों के अधिक संख्या में वहां जाने का सवाल है, वहां गोआ को एयर-बस से जोड़ने का निर्णय लिया जा चुका है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह सर्वमान्य है कि गोआ देश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और फिर भी यह अत्यन्त अपेक्षित स्थानों में से एक है। हमारे पास परिवहन सुविधाए नहीं हैं। हमारे पास रेल सुविधाएं नहीं हैं। वहां जाने के लिए भी हमारे पास केवल एक उड़ान है। वहां पर अब तक एक भी भारतीय पर्यटन विकास निगम का होटल नहीं है। सरकार ने हाल ही में पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर विकसित किए जाने वाले 8 सुनहरी त्रिकोणों का निर्धारण किया है। ये हैं—कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर, जोधपुर, बीकानेर आदि-आदि। क्या माननीय मंत्री महोदय, गोआ को भी, जो कि दुर्भाग्य से उपेक्षित स्थान है, हमारी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में प्राथमिकता के आधार पर विकसित किए जाने वाले 8 सुनहरी त्रिकोणों में शामिल करेंगे और इस उपेक्षित परन्तु पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं और होटल सुविधाओं में सुधार लाया जाएगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकार : गोआ एक दर्शनीय स्थल है, वहां भारत के भी और विदेशों के भी काफी यात्री जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां आने-जाने के साधनों की जो सुविधाए कम है, इसीलिये गोआ को एअर-बस से जोड़ने का निर्णय लिया जा चुका है और यह काम जल्दी प्रारम्भ हो जायेगा।

दूसरी बात यह है, माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां कोई होटल नहीं है, वहां थ्री-स्टार होटल बनाने का निर्णय आई०टी०डी०सी० द्वारा लिया जा चुका है और इसके लिये 10 लाख रुपये की व्यवस्था भी कर दी गई है।

जहां तक गोल्डन ट्राइएंगिल में गोआ को जोड़ने की बात है, मुझे विश्वास है कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस दर्शनीय स्थल के बारे में भी प्रस्ताव आयेगा और भारत सरकार का टूरिस्ट डिपार्टमेंट इस पर विचार करेगा। इस तरह जो भी सुझाव होगा उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं दो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक गोआ के महत्वपूर्ण प्रश्न मांडवी नदी पर उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ने के सम्बन्ध में है। इसके ऊपर एक पुल बनाने की आवश्यकता है। इससे पर्यटन विकास में सहायता मिलेगी। इसका कार्यान्वयन कब होगा ? दूसरा प्रश्न यह है कि विभिन्न अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में पत्तन के विकास हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की मांग की गई और कितनी धनराशि का आवंटन कर दिया गया है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकार : कितनी रकम एलाट हुई है, यह तो मुझे मालूम नहीं है। इसकी निश्चित जानकारी देने के लिए मुझे नोटिस चाहिए। गोआ में पर्यटन के विकास के लिए न केवल आई टी०डी०सी० द्वारा होटल खोलने का निर्णय किया गया है, बल्कि वहां चार या पांच प्राईवेट होटल खोले जा रहे हैं। इसके लिए आई०एफ़०सी०आई० से काफ़ी रकम देने का निर्णय किया गया है। वहां से अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है। गोआ के जो नागरिक विदेशों में रहते हैं, उन्होंने इस संबंध में काफ़ी दिलचस्पी ली है। हम उनकी भी सहायता करने का इरादा रखते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस सदन में अलग-अलग स्थानों को टूरिज्म के लिए डेवेलप करने के लिए कई बार अलग-अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि दुनिया के बहुत से देश टूरिज्म को एक इंडस्ट्री की तरह डेवेलप कर रहे हैं और भारत एक ऐसा देश है, जिसमें बाहरी देशों से टूरिज्म की सम्भावनायें बहुत ज्यादा हैं, इस देश में भी टूरिज्म को एक इंडस्ट्री की तरफ डेवेलप किया जा सकता है, बशर्ते कि सरकार पूरे देश के टूरिस्ट स्थानों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय योजना बनाये। चूंकि इस समय छटी पंच-वर्षीय योजना पर विचार हो रहा है, क्या सरकार उसमें इस बात को ध्यान में रखेगी ? मंत्री महोदय ने कहा है कि कहने के बावजूद राज्य की ओर से प्रस्ताव नहीं आता है। अगर राज्य सरकारों में यह कमजोरी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय पैमाने पर एक सुव्यवस्थित टूरिज्म योजना बनाई जाये और टूरिज्म को एक उद्योग की तरह विकसित किया जाये, क्या सरकार एक ऐसी टीम बनायेगी जो देश के तमाम ऐसे स्थानों को ध्यान में रखकर एक योजना तैयार करे, जहां टूरिज्म की सम्भावनायें हैं, और उसके बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करे ? क्या इस योजना को बनाते समय केवल विदेशी यात्रियों का ही ध्यान नहीं रखा जायेगा, बल्कि हमारे देश के लोग भी अपने देश के दूसरे हिस्सों को देख सकें और हमारे देश का भी पर्यटन बढ़ सके, क्या इसके लिए थ्री-स्टार या फ़ाइव-स्टार होटल ही नहीं, बल्कि सस्ते टूरिस्ट लाज बनाये जायेंगे, जिनमें हमारे मध्यम वर्ग के लोग, गरीब, मजदूर और नौजवान रह सकें ? दूसरे देशों में इस बात को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है कि कारखानों में काम करने वाले मजदूर, नौजवान और बच्चे अपने देश के दूसरे भागों को देख सकें और इसके लिए सस्ते निवास-स्थान तथा दूसरी सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्रकार : माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह एक अच्छा सुझाव है। जहां तक हमारे देश में टूरिज्म का सम्बन्ध है, भारतवर्ष एक बहुत ही प्राचीन देश है, जिसमे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में, सब तरफ दर्शनीय स्थल हैं। पहले जमाने में टूरिस्ट्स के लिए धर्म-शालायें और सरायें बनाई जाती थीं। अब उनके स्थान पर थ्री-स्टार, फोर-स्टार, या फाइव-स्टार

होटल बनाये जा रहे हैं। अपने देश के लोगों के लिए, जो अधिक पैसा नहीं दे सकते हैं, छोटे होटल, निजी होटल और सस्ते काटेज बनाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अधिक से अधिक लोग अपने देश को देख सकें और हिन्दुस्तान के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी भी जा सकें। इस लिए जगह-जगह टूरिस्ट सैंटर, टूरिस्ट होम और वर्कर्ज लाज बनाये जा रहे हैं। जहां तक पूरे देश के लिए योजना बनाने का सम्बन्ध है, पूरे देश के लिए एक दस-वर्षीय योजना के बारे में विचार किया जा रहा है। 1979 में हिन्दुस्तान में 7·64 लाख यात्री आये थे। हम इस संख्या को पांच साल में, 1985 तक दुगना कर देना चाहते हैं। और इसी लिए हम टूरिस्ट स्थानों को डेवेलप करने के लिए एक टूरिस्ट पालिसी और योजना बना रहे हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का कार्यकरण

*597. **श्री पी० एम० सईद :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का उत्पादन प्रति मास कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मई और जून में अब तक के उत्पादन की तुलना में सबसे कम उत्पादन हुआ था;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके कारण बहुत से उद्योगों पर जो इस्पात पर निर्भर हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं होगा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का उत्पादन प्रति मास कम होता जा रहा है अथवा मई और जून में अब तक के उत्पादन की तुलना में सबसे कम उत्पादन हुआ है। लेकिन यह सच है कि हाल के महीनों में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति तथा कोकर कोयले की किस्म और मात्रा दोनों की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण कारखाने के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अप्रैल, मई और जून, 1980 मीकी अवधि के दौरान इस्पात पिण्डों तथा विक्रेय इस्पात का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े टनों में हैं)

महीना	इस्पात पिण्ड		विक्रेय इस्पात	
	निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
अप्रैल, 1980	89,000	57,000	70,200	31,400
मई, 1980	93,000	58,700	74,200	30,200
जून, 1980	82,000	55,700	72,100	45,100

(ग) केवल विशिष्ट मदों जैसे रेलवे के लिए पहियों की जोडियां, जिनका उत्पादन सरकारी क्षेत्र के अन्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में नहीं होता है, के उत्पादन में खाली कमी को छोड़कर, अन्य इस्पात कारखानों में उत्पादित इस्पात की मदों की कमी के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि अकेले दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) दुर्गापुर इस्पात कारखाने अपने विद्युत सयंत्र से अधिकाधिक बिजली पैदा की गई है। इस्पात कारखाने में अतिरिक्त तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने का भी निर्णय लिया गया है जिसमें 60 मेगावाट के दो सेट लगाए जाएंगे। इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और पहले सेट के वर्ष 1982-83 में चालू हो जाने की सम्भावना है और दूसरा सेट इसके 6 महीने बाद चालू होगा।

इस्पात कारखाने को बिजली और अच्छे कोककर कोयले की अधिकाधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों तथा रेलवे के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है। कोयला और बिजली तथा अन्य आदानों की वास्तविक आपूर्ति की स्थिति पर विभिन्न स्तरों पर दैनिक आधार पर निगरानी रखी जा रही है।

श्री पी० एम० सईद : कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उत्पादन विशिष्ट रूप से किसी इस्पात संयन्त्र में होता है। उदाहरण के रूप में पहियों की जोड़ियां एक ऐसी विशिष्ट मद है जिसका उत्पादन दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र में होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मार्च, अप्रैल, मई और जून महीनों के लिए पहियों की जोड़ियों के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था और वास्तविक उत्पादन कितना रहा ?

श्री सी० एम० स्टीफन : आंकड़े इस प्रकार हैं :

महीना	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
अप्रैल	1583	644
मई	1583	782
जून	1583	1310

अतः यह उत्पादन एकदम गिर जाने का मामला नहीं बल्कि यह उत्पादन घटते-बढ़ते रहने का मामला है।

श्री पी० एम० सईद : मैं योग्य मंत्री से तर्क नहीं कर सकता हूं। परन्तु कृपया मेरे प्रश्न के भाग (ग) को देखें। इसमें पूछा गया है "यदि हां, तो क्या इसके कारण बहुत से उद्योगों पर जो इस्पात पर निर्भर हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ? इसका उत्तर आपने यह दिया है :

"केवल विशिष्ट मदों जैसे रेलवे के लिए पहियों की जोड़ियां, जिनका उत्पादन सरकारी क्षेत्र के अन्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में नहीं होता है, के उत्पादन में कमी को

छोड़कर, अन्य इस्पात कारखानों में उत्पादित इस्पात की मदों की कमी के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अकेले दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।"

अध्यक्ष महोदय : उन्हें दुर्गापुर से विशेष स्नेह है।

श्री पी० एम० सईद : यह सूचना दी गई है कि दुर्गापुर में विशिष्ट रूप से उत्पादित पहियों की जोड़ियों के उत्पादन में गिरावट के कारण वैगनों का निर्माण करने वाले उद्योगों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यहां तक कि कुछ युनिट बन्द भी हो गए हैं।

इसे दृष्टि में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, मेरा उत्तर औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में था। मैंने यह कहा है कि किसी विशेष वर्ग में विशिष्ट गिरावट को औद्योगिक उत्पादन में कमी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मेरे कहने का यही अर्थ था। इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि यह बहुत ही कम है। जहां तक अन्य औद्योगिक क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का संबंध है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चूंकि दुर्गापुर पहियों की जोड़ियों का उत्पादन करने वाला एक मात्र प्रतिष्ठान है इसलिए पहियों की जोड़ियों के उत्पादन में गिरावट का अवश्य ही रेलवे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अन्य किन उद्योगों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसका जहां तक सम्बन्ध है, हम जिस सीमा तक उन्हें सप्लाई नहीं कर सके हैं, उस सीमा तक उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रेलवे को सूचित कर दिया गया है कि पहियों की जोड़ियों के उत्पादन में गिरावट आई है और यह भी कह दिया गया है कि वे इस गिरावट की पूर्ति कहीं और से कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि उत्पादन में कमी आई है। यह प्रवृति 1977 और उसके बाद प्रारम्भ हुई थी। वर्ष 1976-77 में इस्पात पिंड का कुल उत्पादन 1,091,400 टन और रोलिंग मिल का उत्पादन 901,300 टन था। वर्ष 1977 में उत्पादन इतना ही कायम रहा। वर्ष 1978-79 से एकदम गिरावट आरम्भ हुई। इस्पात पिंड का उत्पादन 945,500 टन और विक्रेय इस्पात का 775,800 टन था। वर्ष 1979-80 में यह घटकर पुनः 882,513 टन हो गया। जहां तक रोलिंग मिल सैक्शन का सम्बन्ध है इसका उत्पादन 72 प्रतिशत से घटकर 48 प्रतिशत रह गया। जहां तक पिण्ड अनुभाग का सम्बन्ध है, यह 68 प्रतिशत से गिरकर 55 प्रतिशत हो गया। यहां से मार्च का महीना आरम्भ होता है। अतः अब तक हम उस चल रही प्रवृत्ति को रोकने में समर्थ नहीं रहे हैं। यहां से उत्पादन में गिरावट का प्रश्न आरम्भ नहीं होता है। दूसरी ओर जून मास में इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई और उत्पादन 45,100 टन हुआ। प्रश्न यह था कि क्या न्यूनतम है। यह बात नहीं है, क्योंकि मार्च में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 33,900 टन रहा और, जून में यह 45,123 टन था। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोयला और विद्युत उपलब्ध होने की दशा में भी उत्पादन में वृद्धि कायम रखी जा सकती है। विद्युत और कोयले की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। मैं इसके कारणों का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। जब विद्युत की स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पिण्ड अनुभाग पर नहीं बल्कि रोलिंग मिल अनुभाग पर पड़ता है क्योंकि

रोलिंग मिल अनुभाग को विद्युत की अधिक आवश्यकता होती है। परन्तु जब कोयले की कम सप्लाई रहती है तो पिण्ड अनुभाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाली ये दो दुख भरी गाथाएं हैं। अब उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। हम दामोदर घाटी निगम से निरन्तर बातचीत कर रहे हैं। हम अब अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्युत के उत्पादन के लिए एक प्रतिबद्ध संयन्त्र की स्थापना कर रहे हैं। इसकी लागत लगभग 80 करोड़ रुपए आएगी। योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। यह क्रियान्वित किए जाने की स्थिति में है। यह बात नहीं है कि कि हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। मानवीय रूप से जो कुछ संभव है, हम वर्ष 1977-78 से चली आ रही प्रवृति को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, दो कारण दिए गए हैं। (व्यवधान)···

एक तो भूतपूर्व मंत्री हैं और दूसरे प्रतिनिधि मंत्री है।

अध्यक्ष महोदय : आप इन दोनों के बीच हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादन में कमी के जिन कारणों का पता लगाया गया है वे हैं सप्लाई की अपर्याप्त पूर्ति और कोकिंग कोयले की अच्छी किस्म और मात्रा की अनुपलब्धता। क्या मैं जान सकता हूं कि दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र की बिजली सप्लाई करने वाला प्रमुख स्रोत कौन सा है? और यदि यह दामोदर घाटी निगम है तो दुर्गापुर इस्पात परियोजना को उन्हें कितनी मात्रा में बिजली सप्लाई करनी है और इस वर्ष जनवरी से जून 1980 तक कम से कम कितने प्रतिशत बिजली दी गई? जहां तक कोयले का संबंध है कोयले की अच्छी किस्म और अधिक मात्रा प्राप्त करने में क्या कठिनाईयां अनुभव की जा रहीं हैं जबकि यह लगभग कोयला क्षेत्र में पड़ता है और कोयला उद्योग पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के अधीन है? चूंकि दुर्गापुर देश की एक सम्मानित परियोजना है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव है, इसलिए हम ये सब जानना चाहते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं एक मंत्रालय को दूसरे के विरुद्ध करने के प्रयास की सराहना तो कर सकता हूं परन्तु मुझे ऐसा करने के लिए न कहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चूंकि माननीय मंत्री महोदय के पास कोई उत्तर नहीं है इसलिए वे विषय से हटने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है मेरी सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां मैं यह कहता हूं कि मुझे जो कुछ चाहिए नहीं मिल रहा है। शेष विषय किसी अन्य मंत्रालय का है। मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि क्या कठिनाईयां अनुभव की जा रही हैं।

जहां तक बिजली का संबंध है, दामोदर घाटी निगम हमें बिजली सप्लाई करने वाला प्रमुख या एक मात्र स्रोत है। हमारी कुल मांग 62 मैगावाट की है और दामोदर घाटी निगम ने 50 मैगावाट देने का वायदा किया है। परन्तु वह भी नहीं मिल रही है। इसका परिणाम यह रहा कि हमें मार्च में 19 दिन अप्रैल, 1980 में 23 दिन और मई 1980 में 30 दिन के लिए रोलिंग मिल अनुभाग बन्द रखना पड़ा। यह रोलिंग मिल के सबंध में है।

पिण्ड मिल के विषय में जहां तक कोयले का संबंध है यही कठिनाई महसूस की जा रही है। कोयले की किस्म में गिरावट आई है। आप, तत्काल कहेंगे कि मैं पुनः पिछली सरकार पर जा रहा हूं। मैं इस प्रकार की कोई बात नहीं कहना चाहता। (व्यवधान)...

मैं उन्हें उत्तेजित नहीं करना चाहता। मैं केवल उनकी उपस्थिति को नोट कर रहा हूं।

हमारा जहां तक संबंध है ये कठिनाईयां अनुभव की जा रही हैं। जहां तक मुझे जानकारी है विद्युत और कोयला क्षेत्र दोनों में इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए और सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप निश्चय ही स्थिति में सुधार आएगा।

राजकोट हवाई अड्डे के बारे में निर्णय

*598. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना के बारे में बहुत पहले निर्णय ले लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और गत 5 वर्षों के दौरान उक्त परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितना व्यय हुआ है;

(घ) उक्त विस्तार के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और व्यय का क्या अनुमान है;

(ङ) विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) क्या राजकोट का धावन-पथ बोइंग विमानों के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि बोइंग विमान राजकोट हवाई अड्डे पर उतर सकें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) हवाई अड्डे को बोइंग विमानों के उतरने के उपयुक्त बनाने के लिए उसमें सुधार और परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया गया है। आवश्यक मंजूरी जारी कर दी गयी है।

(ग) से (ङ) चरण I के लिए 129.33 लाख रुपए के प्रोजेक्ट अनुमान की तुलना में अब तक रन-वे तथा पेवमैंट्स को मजबूत करने पर 17.92 लाख रुपए का तथा टर्मीनल भवनों में सुधार एवं विस्तार करने पर 39.95 लाख रुपए का व्यय हो चुका है। निर्माण-कार्य के प्रथम चरण को 1982 के मध्य तक पूरा किया जाना है।

(च) और (छ) जैसे ही रन-वे मजबूत व बोइंग विमानों के उतरने के योग्य हो जाएगा, नियमित बोइंग 737 सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। परन्तु, सीमित बोइंग सेवाएं और जल्दी आरम्भ कर देने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री रामजीभाई मावाणि : अध्यक्ष मोहदय, राजकोट मेरी कान्स्टीचूयेंसी है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह काम सन् 1982 से पहले पूरा हो सकेगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक काम को पूरा करने का सवाल है, वह हम बहुत जल्दी ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बोइंग सर्विस बम्बई से रोजकोट हम एक दो महीने में ही शुरू कर सकेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे विचार में सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजकोट बम्बई क्षेत्र में शत-प्रतिशत सेवा का उपयोग हो रहा है जोकि इंडियन एयर लाइन्स के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। अत: चूंकि हवाई पट्टी का निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए बोइंग की पूर्ण क्षमता का शायद उपयोग न हो सके। मुझे आशा है कि नए बोइंग विमानों के चलने के साथ ही बोइंग सेवा आरम्भ हो जायेगी। दूसरे, क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण और नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके परिणाम-स्वरूप हवाई पट्टी तक जाने वाली सड़कों पर गैर-कानूनी निर्माण हो गए हैं जोकि रन-वे के सुदृढ़ीकरण नुकसान पहुंचाएंगे ? राजकोट विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जहां तक उनकी आन्तरिक समस्या का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु माननीय सस्दय द्वारा उठायी गई समस्या सच हो सकती है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि राजकोट और बम्बई के बीच अत्यधिक ट्रैफिक है। इसे दृष्टि में रखते हुए हमने इस पर विचार किया है और हम शीघ्र ही यह सेवा आरम्भ करने जा रहे हैं। हम इसे एक या दो महीनों में अगस्त या सितम्बर में आरंभ कर देंगे। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए अन्य सुझावों का जहां तक संबंध है, हमने इन्हें नोट कर लिया है।

कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की योजना

*599 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कंट्रोल के कप ड़े का मूल्य कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) कन्ट्रोल के कपड़े की योजना के विभिन्न पहलुओं पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(ग) कन्ट्रोल के कपड़े की उपभोक्ता कीमतें (1974 से स्थिर) पहले ही उत्पादन लागतों से कम हैं इसलिए कन्ट्रोल के कपड़े की उपभोक्ता कीमतों को और कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, पता नहीं मन्त्री जी ने किस आधार पर यह कह दिया कि 1974 के बाद कन्ट्रोल के कपड़े की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप कहीं भी जा

कर पता लगा सकते हैं, कीमतें बढ़ी है और दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे गरीबों के लिये कन्ट्रोल के कपड़े की कितनी जरूरत है, इसका हम सबको अहसास है और इसी लिये आप ने यह योजना चलाई थी ! इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या आप यह बतला सकेंगे कि योजना के विभिन्न पहलुओं पर सरकार जो अध्ययन कर रही है, इस अध्ययन का काम कितने दिनों में समाप्त होगा और किन मुख्य बातों के बारे में अध्ययन कार्य चल रहा है ?

श्री जियाउर रहमान अंसारी : जैसा मैंने अर्ज किया है, 1974 के बाद कन्ट्रोल के कपड़े की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। शास्त्री जी अगर कन्ट्रोल के कपड़े के अलावा दूसरे कपड़ों की बाबत कह रहे हों.....

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कन्ट्रोल के कपड़े के बारे में कह रहा हूं।

श्री जियाउर रहमान अंसारी : कन्ट्रोल के कपड़े की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। 1974 में जो प्राईसेज थीं, वही आज भी चली आ रही हैं, जिनको हम मिलों से खरीद कर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिये उपभोक्ताओं को देते हैं।

अब जहां तक यह सवाल है कि हम किन पहलुओं पर गौर कर रहे हैं और कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें बहुत मुखतलिफ़ पहलू हैं। एक पहलू यह भी है कि कन्ट्रोल का जो कपड़ा बनता है, उसमें हम कुछ सब्सीडी देते हैं और वह सब्सीडी जो हम देते हैं वह कास्ट आफ़ प्रोडक्शन और मार्केट में जिस भाव पर हम उसको बेचना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफ्रेन्स है, उसको ध्यान में रख कर देते हैं ताकि कन्ट्रोल्ड क्लाथ प्रोड्यूस करने में जो मिलों को घाटा होता है, उसको पूरा किया जा सके और चीपर रेट्स पर कपड़ा बेचा जा सके। अभी जो प्राइस एस्केलेशन होता है और इनपुट्स की कास्ट बढ़ने से जो कास्ट आफ़ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वह एक मसला है। इसकी वजह से हम पूरे तौर पर री-इम्बर्स नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण कुछ डिफीकल्टीज हमारे सामने आ रही हैं। इसी तरह से कुछ और भी मसले हैं और मैं शास्त्री जी को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम जल्दी किसी नतीजे पर पहुचेंगे और हमारी यह ख्वाहिश है कि हम कन्ट्रोल्ड क्लाथ कम कीमत पर दे कर और खास तौर से वीकर सेक्शन आफ़ दि सोसाइटी को कन्ट्रोल्ड क्लाथ और चीपर क्लाथ उपलब्ध करा कर उनकी खिदमत कर सकें। यह हमारी ख्वाहिश है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सोवियत रूस के खरीदारों द्वारा कलकत्ता में चाय की नीलामी का बहिष्कार

*595. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस के खरीदारों ने कलकत्ता में चाय की नीलामी का बहिष्कार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या इस बहिष्कार से चाय व्यापार को हानि होगी और यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) सोवियत खरीदारों ने केवल 16 तथा 17 जून, 1980 की हुई बिक्री संख्या 25 की कलकत्ता नीलामी में भाग नहीं लिया।

(ख) सोवियत संघ को निर्यात के लिए लगभग 8.6 करोड़ रु० मूल्य की एक लाख से भी अधिक चाय की पेटियां कलकत्ता चाय कर्मचारी बोर्ड के सदस्यों द्वारा आन्दोलन/धरना दिए जाने की वजह से निर्यातकों के गोदातों में पड़ी रहीं। कर्मचारियों का आन्दोलन 12 मई, 1980 से आरम्भ हुआ और 23 जून, 1980 को अन्तिम रूप से समाप्त हुआ। कर्मचारियों के आन्दोलन/धरने ने सोवियत संघ को चाय के पोत लदान में बाधा डाली और जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ ने 16 तथा 17 जून, 1980 को कलकत्ता नीलामियों से बाहर रहने का निश्चय किया।

(ग) सोवियत खरीदारों के न होने से उत्पादकों को कुछ हानियाँ हुईं क्योंकि जो चाय आम तौर से सोवियत संघ द्वारा खरीदी जाती उसे मुख्यतः बिक्री संख्या 25 से हटा लिया गया था और जो चाय बेची गई उसे, प्रतियोगिता न होने की वजह से निम्न कीमतें मिलीं। तथापि, यह स्थिति 23-24 जून, 1980 को हुई बिक्री संख्या 26 से सामान्य हो गई, जब सोवियत खरीदारों ने कलकत्ता नीलामियों से चाय खरीदनी पुनः शुरू कर दी।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के मुख्यालय का स्थानान्तरण

*600. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है ; और

(ख) क्या इसे विशाखापत्तनम स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की एक इकाई है, जिसका निगम-कार्लालय (कारपोरेट आफिस) दिल्ली में है। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के महाप्रवन्धक का कार्यालय सितम्बर, 1975 में विशाखापत्तनम स्थानान्तरित कर दिया गया था। तव से परियोजना का कार्यालय विशाखापत्तनम में कार्य कर रहा है।

बोकारो स्टील लिमिटेड के इर्द गिर्द विस्थापित व्यक्ति

*601. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बोकारो इस्पात संयंत्र के इर्द-गिर्द कालोनियां और कारखाने बनाने की प्रक्रिया में विस्थापित हुए व्यक्तियों के आन्दोलन की जानकारी है जिसके कारण इस माह कई व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) स्थापित व्यक्तियों की क्या मागें हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) बोकारो इस्पात कारखाने से प्राप्त हुई जानकारी से यह पता चलता है कि सेक्टर-4 से सेक्टर-8 को जाने वाली सड़क पर निर्माण कार्यों में बाधा डालने के आरोप में 84 व्यक्तियों को 21 जून से 23 जून, 1980 के बीच स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इन सभी व्यक्तियों को अब जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब स्थिति शान्तिपूर्ण बताई जाती है। यह मालूम नहीं है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति विस्थापित व्यक्ति थे या नहीं। यद्यपि कारखाने के प्रबन्धकों को कोई मांगें प्रस्तुत नही की गई हैं तथापि ऐसा लगता है कि निम्नलिखित मुख्य शिकायतों को दूर करवाने के लिए उपर्युक्त तारीखों का आन्दोलन शुरू किया गया था :—

(क) एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर देने की वर्तमान नीति का जिन विस्थापित परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, उन सभी परिवारों को कम्पनी में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए।

(ख) दूसरे चरण में जो गाँव पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे, उनके विस्थापित परिवारों को अतिरिक्त रोजगार दिया जाए तथा विस्थापित लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में वर्तमान नीति में उचित संशोधन किया जाए।

(ग) उनका दावा है कि पहले उन्हें यह पता चला था कि उनकी रिहायशी भूमि अर्जित नहीं की जाएगी और यद्यपि बाद में उनकी रिहायशी भूमि अर्जित कर ली गई परन्तु उनकी आपत्तियाँ उपयुक्त प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं लाई गई। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अब जब उनकी भूमि खाली की जा रही है, यह कार्यवाही भूमि अर्जन करने की नई प्रक्रियाओं के अनुसार की जानी चाहिए तथा उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिएं।

विस्थापित परिवारों की शिकायतों के सम्बन्ध में और ब्यौरे प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा जो भी कार्यवाही उचित समझी जाएगी, की जाएगी।

नगर प्रतिपूर्ति भत्ते में वृद्धि करना तथा उसे कर मुक्त बनाना

*602. **श्री चिन्तामणी जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दर लगभग एक दशाब्दी से भी पूर्व निर्धारित की गई थी और वह अब भी अपरिवर्तित है तथा 75 रुपए प्रति माह उसकी अधिकतम सीमा है ; और

(ख) महानगरों में जीवन यापन के खर्च में हुई अधिकाधिक वृद्धि को देखते हुए, क्या सरकार का इसमें वृद्धि करने का तथा साथ ही इसे कर मुक्त करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के देय प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता की विद्यमान दरें, जो कि क श्रेणी नगरों में अधिकतम 75 रुपए हैं, तीसरे वेतन आयोग के शिफारिशों पर आधारित हैं और ये 1-11-1973 से लागू की गई हैं। भत्ता की दरों में उर्ध्वमुखी संशोधन के लिए राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) में कर्मचारी पक्ष द्वारा की गई माँग परिषद की समिति को भेज दी गई थी जिसकी औपचारिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। परन्तु भत्ते को कर-मुक्त करने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केरल में कोको-उत्पादक

*603. श्री के० कुन्हम्बू
श्री पी० जे० कुरियन } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोको का बड़े पैमाने पर आयात होने के कारण केरल में कोको-उत्पादन के सामने एक संकट खड़ा हो गया है ;

(ख) देश में कोको की कुल मांग कितनी है और देश में इसका कितना उत्पादन होता है ; और

(ग) उक्त संकट को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि केरल में कोको उत्पादक अपने उत्पाद को बेचने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और कोको की फलियों का आयात रोक देना चाहिए। सरकार ने इस स्थिति पर सावधानी पूर्वक विचार किया है। देश में कोको की कुल मांग स्वदेशी उत्पादन से अधिक है इस लिए इस मद का आयात रोकना संभव नहीं है। क्षमता उपयोग के विद्यमान स्तर पर संगठित क्षेत्र की आवश्यकता का अनुमान लगभग 1600 मैं० टन लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, लघु क्षेत्र स्थित एककों द्वारा 300 से 400 मैं० टन कोका अपेक्षित होता है। इस प्रकार, कुल घरेलू मांग 2000 मैं० टन प्रतिवर्ष है। इसकी तुलना में, स्वदेशी उत्पादन का विद्यमान स्तर का अनुमान लगभग 1000 मैं० टन है। कुल मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तराल को अन्य देशों से आयातों द्वारा पूरा करना पड़ता है।

2. तथापि, सरकार ने घरेलू उत्पादन तथा मांग को ध्यान में रखते हुए आयातों को विनियमित करने का विनिश्चय किया है। इसलिए, कोको की फलियों तथा कोको चूर्ण का आयात 16 जुलाई, 1980 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध कर दिया गया है। इसलिए, यह संभव होगा कि आयातों को इस प्रकार से विनियमित किया जाए जिससे घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा हो सके।

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में पोस्त की भूसी पर आधारित संयंत्र की स्थापना

*604 **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में पोस्त की भूसी पर आधारित जो संयंत्र स्थापित किया जाना था वह वहीं लगाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संयंत्र की स्थापना स्थगित किए जाने के क्या कारण है ;

(ग) मंदसौर और रतलाम के उन स्थानों के नाम क्या है जहां से इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और मंदसौर, नीमच और जाओरा से प्राप्त अभ्यावेदनों पर यह निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं कि वहां पर संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं है ; और

(घ) क्या इस संयंत्र को स्थापित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) सरकार ने, पोस्त के चीरा लगे डोडों से अल्कालायड निकालने के लिए, विदेशी तकनीकी सहयोग से एक संयंत्र लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। लेकिन बाद में विदेशी सहयोगियों ने स्वीकृत शर्तों पर, तकनीकी जानकारी उपलब्ध करने से इंकार कर दिया। इसलिए अब किन्हीं अन्य विदेशी निर्माताओं से उपयुक्त तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) मध्यप्रदेश सरकार ने संयंत्र लगाने के लिए निम्नलिखित स्थान प्रस्तावित किए थे :—

(1) मंदसौर	(2) नीमच	(3) रतलाम
(4) जावरा	(5) शामगढ़	(6) सुवासरा

इस संयंत्र को इन्हीं स्थानों में से किसी एक अथवा दूसरे स्थान पर लगाये जाने के बारे में अनेक दरख्वास्तें भी प्राप्त हुई थीं। सुवासरा और शामगढ़ इस परियोजना के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त पाये गये थे क्योंकि इन स्थानों पर उक्त परियोजना के लिए अपेक्षित जल उपलब्ध नहीं है। जावरा में भी कोई उपयोगी बुनियादि सुविधाएं अथवा औद्योगिक आधार-व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी और इसलिए इसे भी उक्त परियोजना के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया। इसलिये, मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने, जो इस परियोजना के लिये हमारे परामर्शदाता हैं, कच्ची सामग्री, रसायनों, भूमि, आधार-व्यवस्था की उपलब्धता, अपशिष्ट के निपटान और चीरा लगे डोडों को कारखाने तक ले जाने में आने वाली लागत की दृष्टि से इस परियोजना के लिये मध्यप्रदेश-स्थित रतलाम, मंदसौर और नीमच और राजस्थान स्थित कोटा में स्थानों की जांच की और विस्तृत अध्ययन के बाद, संयंत्र की स्थापना के लिए रतलाम और कोटा की सिफारिश की। परन्तु उन्होंने यह राय जाहिर की कि रतलाम के मुकाबले कोटा में उत्पादन की वार्षिक लागत पांच लाख रुपये अधिक होने का अनुमान है। विस्तारपूर्वक सोच-विचार के बाद सरकार ने संयंत्र रतलाम में लगाने का निर्णय किया।

अनुपयुक्त ऐव्रो द्वारा माल को मध्य एशिया ले जाया जाना

*605 **श्री एच०एन० नन्जे गौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुष्पक ऐविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ने इंडियन एयरलाइन्स तथा कुछ अन्य कंपनियों से अनुपयुक्त ठहराये गये (कनडेम्ड) ऐवरो तथा कुछ अन्य विमान खरीदे हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनी इन विमानों का प्रयोग मध्य एशिया तथा अन्य देशों को सामान ले जाने के लिए करती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी ने अब इन अनुपयुक्त ठहराये गये विमानों से दूसरे देशों को यात्रियों को ले जाने के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। पुष्पक एवियेशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ने 1979 में इंडियन एयर लाइंस से एक कैरावल विमान खरीदा था। विमान के पास एक वैध उड़न-योग्यता प्रमाण पत्र है।

(ख) कंपनी को उपर्युक्त विमान में बम्बई से शारजाह तक माल ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

(ग) कम्पनी को बम्बई और शारजाह के बीच डेक यात्री ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। उन्होंने बम्बई और कोलम्बो के बीच यात्रियों के वहन के लिए भी आवेदन किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

विशाखापत्तनम और परादीप के इस्पात संयंत्रों में अन्तर

*606 **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परादीप में पत्तन-आधारित प्रस्तावित समेकित इस्पात संयंत्र और विशाखापत्तनम स्थित पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र में क्या अन्तर है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : देश में इस्पात बनाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए समग्र विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में सरकार बन्दरगाह पर इस्पात का एक नया कारखाना लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इसकी वार्षिक क्षमता 30 लाख टन होगी। इस बारे में जिन संभाव्य स्थानों पर विचार किया जा रहा है उनमें परादीप भी एक है। इस बारे में पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों की कुछ पार्टियों ने तकनीकी तथा आर्थिक सहायता की पेशकशें की हैं। इन प्रस्तावों का जिनमें स्थान के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय करना भी शामिल है तथा अन्य शर्तों का इस समय विभिन्न स्तरों पर तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व संबंधित पार्टियों से आगे और बातचीत करनी होगी। अतः विशाखापत्तनम में लगाए जाने वाले इस्पात कारखाने तथा प्रस्तावित नए इस्पात कारखाने की इस समय तुलना करना समय-पूर्व होगा।

पश्चिमी जर्मनी से सहायता

*607. **श्री मनफुल सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को पश्चिमी जर्मनी सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान उसके आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रस्तावित सहायता का उपयोग किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) पश्चिम जर्मनी की सरकार चालू वर्ष में हमारे विकास के संबंध में वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	[दस लाख (मिलियन) ड्यूश मार्क]
(1) वस्तु सहायता	40
(2) परियोजना प्रधान वस्तु सहायता	20
(3) पूंजीगत वस्तुएं	44
(4) वित्तीय संस्थाओं को ऋण	40
(5) कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम को ऋण	38
(6) परियोजना सहायता	178
जोड़	360

इस सहायता का उपयोग पावर, खनन ग्रामीण जल पूर्ति, कृषि विकास के क्षेत्रों में तथा फालतू, पुर्जों, संघटकों, कच्चे माल और अन्य वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में निष्क्रिय खाते

*608 **श्री बी०वी० देशाई : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में निष्क्रिय खातों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में निष्क्रिय खातों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) इन निष्क्रिय खातों में कुल राशि कितनी है;

(घ) इन खातों के वास्तविक स्वामियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या बैंकों द्वारा इस राशि को उपयोग में नहीं लाया जाता है; और

(च) निष्क्रिय खातों की संख्या में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, इस संबंध में स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :—

(क), (ख) तथा (ग) जी हां। दिसम्बर 1976, 1977 तथा 1978 के अंत तक भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (हाल ही में राष्ट्रीयकृत छः बैंकों सहित) में उन निष्क्रिय जमा खातों की संख्या जो कि पिछले दस वर्ष या इससे अधिक अवधि तक बन्द पड़े रहे हैं तथा उनमें जमा राशियां नीचे लिखे अनुसार हैं :—

के अंत तक	खातों की संख्या (लाखों में)	राशि (करोड़ रुपतों में)
31-12-76	10·87	11·81
31-12-77	11·96	13·21
31-12-78	13·64	14·73

(ङ) ये जमायें बैंकों की राशियों का एक भाग हैं तथा अन्य जमा राशियों की तरह ही बैंकों द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जाता है।

(घ) तथा (च) निष्क्रिय खातों की संख्या में वृद्धि होने के कोई निश्चित कारण नहीं हैं। अलबत्ता निम्नलिखित कुछ संभावित कारण हो सकते हैं :—

1. कुछ खाते खुलवाने का मुख्य उद्देश्य केवल रेखित प्रपत्र (क्रास्ड इन्सटूमेंटस) या क्रास्ड चैक आदि को भुनवाना होता है तथा उसके बाद वे खाते निष्क्रिय हो जाते हैं ;
2. कभी-कभी बैंक अधिकारी ग्राहकों से कम से कम राशि से खाता खुला रखने के लिए अनुरोध करते हैं;
3. खाता-धारक की ओर से उपेक्षा, जिसके कारण वह खाता चालू नहीं रखना चाहता : और
4. उन खाताधारियों की मृत्यु जो कि अपने संबंधियों या मित्रों को अपने खातों के बारे में कोई सूचना नहीं देते।

बैंक, खाता धारकों या उनके नजदीकी रिश्तेदारों से इन खातों के बारे में पूछताछ अवश्य करते हैं। अलबत्ता, जहां तक वर्ग (1) से (3) तक के खातों का सम्बन्ध है, खातों को चालू रखने या उसमें शेष राशि का दावा करने का पूरा उत्तरदायित्व खाताधारकों पर है। जहां तक मृतक खाताधारकों के खातों में जमा राशियों का संबंध है, लिए उसके कानूनी प्रतिनिधित्व आदि पर जोर दिये बिना पर्याप्त क्षतिपूर्ति वचन तथा स्थानीय जाँच के आधार पर, दावों को निपटाने के सम्बन्ध में "ग्राहक सेवा विषयक कार्यकारी दल" की सिफारिशों के आधार पर, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम में भी संशोधन का प्रस्ताव है ताकि खाताधारकों को नामांकन की सुविधायें प्रदान की जा सकें जिससे कि नामांकित व्यक्तियों को इन शेष राशियों की शीघ्र अदायगी की जा सके।

सूती कपड़े के मूल्य में कमी

*609. **श्री चित्त महाटा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूती कपड़े के मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार ने गत पाँच महीनों के दौरान अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : विगत पाँच महीनों के दौरान सूती कपड़े की कीमतों में मामूली सी वृद्धि हुई है। सूती कपड़े का थोक कीमत सूचकांक इस अवधि के दौरान चार अंक बढ़ा है जबकि सभी तरह के निर्मित वस्त्रों में लगभग बीस अंक की वृद्धि हुई है। अन्य कारणों के साथ-साथ यह वृद्धि अन्तर्निविष्ट लागतों के बढ़ जाने तथा बिजली की कमी की वजह से हुई। कन्ट्रोल के कपड़े की योजना, जिसकी प्रतिपूर्ति हथकरघा कपड़े के अन्तर्गत जनता साड़ी तथा धोती और साथ ही सस्ते कपड़े की योजना (जिसके अन्तर्गत 1000 मिनियन मीटर कपड़ा 6.36 रु० प्रति मीटर से कम खुदरा कीमतों पर बेचने की योजना बनाई गई है) द्वारा की गई है, कुछ ऐसे कदम हैं जो आबादी के गरीब वर्गों पर कीमत वृद्धि का असर कम करने के लिए उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ मिल के उत्पादन का कुछ भाग वितरण लागतों में कमी हो सकने के कारण कम कीमतों पर बेच रहा है।

बहुमूल्य खनिज भण्डारों की उपलब्धता

*610. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपलब्ध बहुमूल्य खनिज-भण्डारों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) उनसे खनिजों को निकाले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) देश में उपलब्ध महत्वपूर्ण कीमती और अर्ध-कीमती खनिजों में हीरा, नीलम, पन्ना, लालमणि (रूबी), रक्तमणि (गारनेट) और स्वर्ण शामिल हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मझगवां में 6 लाख कैरट हीरे और रामखेडिया में लगभग 1.15 लाख कैरट हीरे होने का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी हीरा-युक्त चट्टानों का पता चला है और उनमें भंडारों का आकलन किया जा रहा है। जो अन्य खनिज प्राप्त हुए वे हैं—जम्मू और काश्मीर में नीलम और लालमणि, राजस्थान में पन्ना और रक्तमणि और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में लालमणि आदि। इन खनिजों के स्रोतों की अभी पुष्टि की जानी है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा में अनेक स्वर्ण स्थलों का पता चला है।

(ख) भारतीव भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिज गवेषण नियम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में हीराधारी अयस्क की परीक्षण जाँच के साथ हीरों की खोज का एक वृहत कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के तीन वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है। खनिज गवेषण निगम के सहयोग से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कोलार स्वर्ण पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी भाग में खोज का कार्यक्रम भी जारी है। भारत गोल्ड माइन्स लि० भी दक्षिणी भाग में समन्वेषी खनन कर रहा है, जहां स्वर्ण प्राप्ति की काफी संभावनाएं हैं।

मध्य प्रदेश में पाए गए खनिज

*611. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन-कौन से खनिज पाए गए हैं ; और उनकी अनुमानित मात्रा क्या है एवम् वे किस उपयोग में आ रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्नलिखित खनिजों का पता चला है :—

खनिज	अनुमानित भंडार (मिलियन टनों में)
कोयला	17,787
लौह-अयस्क	2,764
मैंगनीज अयस्क	11.76
चूना-पत्थर	5,964
डोलोमाइट	1,568
तांवा अयस्क	73.58
बाक्साइट	193.24
फास्फोराइट	8.92
चीनी-मिट्टी	8.14
अग्निसह मिट्टी	101.37

उपर्युक्त खनिजों के अलावा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मध्य प्रदेश की चालू खानों में 7.15 लाख कैरट हीरे के भंडारों का अनुमान लगाया है । टिन खनिज, खड़िया/सेल खड़ी/घिया पत्थर, फ्लूराइट के निक्षेपों के अलावा पाइरोफिलाइट, काँचरेत, सिलिमेनाइट, कोरण्डम, ग्रेफाइट और कछारी स्वर्ण (एल्यूवियल गोल्ड) के छिट-पुट भंडारों का भी पता चला है ।

उपयोग—लौह अयस्क, डोलामाइट, चूना-पत्थर का उपयोग इस्पात बनाने में होता है । चूना-पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट निर्माण के लिए भी किया जाता है । बाक्साइट का इस्तेमाल एल्यूमिनियम उत्पादन में होता है । कोयले का उपयोग अन्य कार्यों के अलावा बिजली उत्पादन, भाप-इंजनों और मिश्रण कार्यों के लिए तथा अग्निसह मिट्टी और सिलिमेनाइट का उपयोग रिफ्रेक्टरी उद्योग में किया जाता है ।

ट्रैवल-एजेंटों को पर्यटन पुरस्कार

612. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे ट्रैवल-एजेंटों को पर्यटन पुरस्कार देने की कोई योजना है, जो अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम सेवा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एजेंटों अथवा एजेंसियों के क्या-क्या नाम हैं, जिन्हें वर्ष 1979-80 में पुरस्कार मिला है ?

नौवहन तथा परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद) : (क) और (ख) ऐसे ट्रैवल एजेंटों को पर्यटन पुरस्कार देने की कोई योजना नहीं है, जो अधिक पर्यटन को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम सेवा करते हैं। तथापि, पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित ऐसे ट्रैवल एजेंटों और यात्रा परिचालकों को पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले कैलेण्डर वर्ष में पर्यटन से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की हो। निम्नलिखित ट्रैवल एजेंटों/यात्रा परिचालकों को पर्यटन पुरस्कार 1979 में प्रदान किए गए थे :—

श्रेणी—1

(एजेन्सियां जिन्होंने एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की)

1. मैसर्स सीता वर्ल्ड 'ट्रैवल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. मसर्स ट्रैवल कारपोरेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।
3. मैसर्स ट्रेड विंग्स लिमिटेड, बम्बई।

श्रेणी—2

(एजेन्सियां जिन्होंने एक करोड़ रुपये से कम, परन्तु 25 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की)

1. मैसर्स काक्स एण्ड किंग्ज (एजेन्टस) लिमिटेड, बम्बई।
2. मैसर्स एम्बैसेडर ट्रैवल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. मैसर्स इण्डियाना ट्रैवल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली।

श्रेणी—3

(एजेन्सियां जिन्होंने 25 लाख रुपये और इससे कम, परन्तु 5 लाख से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की)

1. मैसर्स क्रियेटिव ट्रैवल्ज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. मैसर्स काई ट्रैवल्ज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनगर।
3. मैसर्स एवरैट ट्रैवल सर्विस, कलकत्ता।

खनिज और धातु व्यापार निगम के गोदामों में एल्यूमीनियम के भंडार जमा होना

4690. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज और धातु व्यापार निगम के गोदामों में अप्रैल, 1980 तक अस्पष्ट कारणों से लगभग 40 करोड़ रुपये मूल्य का एल्यूमिनियम एकत्रित हो चुका था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे समय में जब कि धातु की अत्यधिक कमी हो रही है, इस स्थिति से एल्यूमिनिम की व्यापक कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलेगा ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं। 1979-80 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा एल्यूमीनियम की 65000 मै० टन की कुल मात्रा में से अक्तूबर, 1979 तथा जनवरी, 1980 के बीच जहाजों के जमाव के कारण फरवरी, 1980 में सीमा शुल्क की मार्फत 28000 मै० टन क्लीयर किया गया था। 1979-80 के दौरान 35000 मै० टन की कुल बिक्री की गई। तथापि, शेष 30,000 मै० टन 31 मार्च, 1980 तक बिक्री नोट जारी करके कवर कर लिया गया था। सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए यह मात्रा मार्च, 1980 के अन्त तक पहले ही बेची जा चुकी थी और केवल आवंटियों द्वारा उठाई जानी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटी बचतों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

4691. **श्री नारायण चन्द पराशर**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में वर्ष 1977-78, 1978-1979 और 1979-80 के दौरान छोटी बचतों को जुटाने में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले जिलों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन विशिष्ट कार्य की प्रशस्ति में इन जिलों में से प्रत्येक जिले को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ;

(ग) क्या दिया गया प्रोत्साहन और वह भी विशेष रूप से तब जब कि निर्धारित लक्ष्य भी पार कर दिया गया हो, उपलब्धियों, के अनुरूप था ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या छोटी बचतों में वृद्धि के लिए सरकार कोई और प्रोत्साहन देगी अथवा वर्तमान प्रोत्साहन में किसी प्रकार की वृद्धि करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अतिरिक्त ऋण सहायता के रूप में प्रोत्साहन देती है। ये प्रोत्साहन राज्यों के अपने क्षेत्रों में निवल संगृहीत रकमों के दो-तिहाई के उनके अपने हिस्से के अतिरिक्त होते हैं जो अखिल भारतीय प्रतिशतता के आधार पर सकल संग्रह की रकमों में से उनको निवल प्रतिशतता में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि होने पर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत संगठन के जिला बचत अधिकारियों तथा अतिरिक्त विभागीय ग्रांच डाकपालों को उनके द्वारा अधिक संगृहीत रकमों के लिए भी प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे अल्प बचत अभिकर्ताओं को उनके द्वारा संगृहीत की गई रकमों के आधार पर भी प्रोत्साहन देती है और कुछ राज्य सरकारें सबसे अधिक संग्रह वाले जिलों को शील्डें/ट्रोफीज भी इनाम में देती हैं।

थाना जिले में अहमद वूलन मिल्स

4692. **श्री आर०के० महालगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बरनाथ (जिला थाना महाराष्ट्र) स्थित अहमद वूलन मिल निष्क्रांत सम्पत्ति है जिसमें 1000 और इससे अधिक कर्मचारियों की रोजगार क्षमता है;

(ख) क्या उपरोक्त मिल चल रही कम्पनी है;

(ग) यदि नहीं, तो यह मिल कब से बन्द है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कम्पनी को चलाने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं और इसका कार्यकरण शुरू करने के लिये निकट भविष्य में क्या विशेष कदम उठाये जाएंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में थाना जिला में अम्बरनाथ में स्थित मैसर्स अहमद वूलन मिल निष्क्रांत सम्पत्ति है। जनवरी, 1979 में इस मिल के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 396 श्रमिक कार्य कर रहे थे। विकट वित्तीय संकट के कारण मिल जनवरी, 1979 से बन्द पड़ी है।

(घ) इस मिल को पुनः खोलने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने वर्तमान प्रबन्ध तथा इसके बैंकरों के बीच बातचीत के अनेक दौर आयोजित किये हैं।

महिला यात्रियों की गरिमा की रक्षा के लिये किये गये उपाय

4693. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1-15 जून, 1980 के "आनलुकर" बम्बई में "इन्वेस्टीगेशन नन्स रेप आरडियल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और क्या इस कुत्सित घटना के बारे में कोई विभागीय जांच कराई गई थी जिससे एयर इण्डिया की बदनामी हुई है; यदि हां तो इसका क्या परिणाम रहा;

(ग) इसमें सम्बद्ध कर्मचारियों के खिलाफ एयर इन्डिया द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) एयर इण्डिया द्वारा यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की गरिमा की रक्षा और ऐसी स्थितियों में, जब वे विमान से उतर कर अपने गन्तव्य स्थल की ओर जायें और पारगमन (ट्रांजिट) होटल में ठहरी हों, महिला कर्मचारियों के जरिए उनकी सहायता करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं : 17 मई, 1978 को एयर इंडिया की उड़ान सं०ए० आई-102 (रोम/बम्बई) द्वारा यात्रा कर रही एक कुमारी मेरी जोसफ किडांग्यिल ने बम्बई पहुंचने पर पाया कि उसका आगे का बम्बई/मद्रास का टिकट खो गया था। उसे उपर्युक्त सैक्टर पर यात्रा करने के लिए एक नये टिकट के लिए इन्डियन एयरलाइन्स से सम्पर्क स्थापित करना था और एयर इन्डिया के ग्राउंड स्टाफ ने इस मामले में उसकी सहायता की। वह होटल ट्रांजिट में ठहरी। यह आरोप लगाया गया कि उसकी सहायता करने वाले ग्राउंड स्टाफ ने 17 मई, 1978 की रात्रि को उनके साथ बलात्कार किया। होटल प्राधिकारियों ने अगली सुबह मामले की रिपोर्ट एयर इंडिया को कर दी। सांताक्रूज स्थित एयर इंडिया के प्रबन्धक ने होटल प्राधिकारियों को परामर्श दिया कि वे इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को भी दे दें जिन्होंने बाद में एयर इण्डिया के ग्राउंड

स्टाफ के एक श्री वाणसोड़े तथा शिकायतकर्ता से पूछताछ की । श्री वाणसोड़े को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया तथा कुमारी किडांग्यिल को उद्धार-गृह में भेज दिया गया । सांताक्रूज स्थित एयर इंडिया के प्रबंधक ने मदुरै स्थित कान्वेंट से सम्पर्क स्थापित किया जो कि कुमारी किडांग्यिल का अंतिम गंतव्य-स्थल था । मदुरै कॉन्वेंट की सिस्टर नेओमी 21 मई, 1978 को एयर इण्डिया की उड़ान से बम्बई पहुंची और विलेपार्ले पुलिस स्टेशन तथा उद्धार-गृह दोनों ही में गयीं । ग्राउंड स्टाफ तथा कुमारी किडांग्यिल दोनों ही को मंगलवार, दिनांक 23 मई, 1978 को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जहां कुमारी किडांग्यिल को रिहा कर दिया गया और वह उसी दिन सिस्टर नेओमी के साथ मद्रास के लिए रवाना हो गयी । श्री वाणसोड़े को अगले दिन जमानत पर छोड़ा गया ।

वृहत् बम्बई के सैशन कोर्ट ने 1979 के अपने केस नं० 68 (राज्य बनाम सुभाष परशुराम वाणसोड़े, ग्राउंड स्टाफ) में अपने 5 मई, 1980 के फैसले में श्री वाणसोड़े को दोष-मुक्त कर रिहा कर दिया ।

श्री वाणसोड़े की सेवाओं को, जिसे 24 अक्टूबर, 1977 को एक यातायात सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो कथित घटना के समय परिवीक्षाधीन था, एयर इण्डिया कर्मचारी सेवा विनियमों के नियमों के अन्तर्गत तत्काल समाप्त कर दिया गया । इन नियमों के अन्तर्गत एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवाओं को सात दिन का नोटिस दे कर अथवा नोटिस के एवज में वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है ।

(घ) यह अपने किस्म की एकमात्र घटना है । कारपोरेशन की यह परिपाटी है कि पुरुष तथा महिला दोनों ही कर्मचारी उड़ानों के आगमन एवं प्रस्थान के समय महिलाओं सहित सभी यात्रियों की सहायता करते हैं । यद्यपि अकेले नाबालिग यात्रियों लिए "एस्कार्ट" व्यवस्था करने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं, व्यस्क महिला यात्रियों के लिए ऐसी "एस्कार्ट" व्यवस्था करना व्यवहार्य नही हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सम्पर्क अधिकारियों के पास अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित परिपत्रों की प्रतियां

4694. **श्री थाभाई एम० करुणानिधि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक विभाग में असुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्त किए गए सम्पर्क अधिकारियों को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी परिपत्रों, पदोन्नति, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण आदि आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो सभी विभागाध्यक्षों को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या आयकर आयुक्त, तमिलनाडु ने ऐसे आदेशों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सम्पर्क अधिकारी को देने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संपर्क अधिकारी का यह अनुरोध कि आयकर विभाग, तमिलनाडु चार्ज द्वारा रखे गए रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण किया जाये, ठुकरा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो आरक्षण आदेशों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं जिनके अन्तर्गत प्रशासन के लिये यह अनिवार्य हो कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी पदोन्नति, नियुक्ति और स्थानांतरण के आदेशों की प्रतियां सम्पर्क अधिकारी को भेजें। तथापि, महत्वपूर्ण परिपत्रों का विभाग के सभी अधिकारियों में परिचालन करने से सम्बन्धित सामान्य अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(ग) आयकर आयुक्त, तमिलनाडु अधिकार-क्षेत्र के सम्पर्क अधिकारी ने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया है।

(घ) आयकर आयुक्त, तमिलनाडु अधिकार-क्षेत्र के सम्पर्क अधिकारी ने दस रोस्टरों की जांच की और उन पर जुलाई, अगस्त और सितम्बर 1978 में हस्ताक्षर किये। बाद में, अप्रैल, 1980 में सम्पर्क अधिकारी ने आवेदन किया कि रोस्टर उनके कार्यालय को भेजे जांय। क्योंकि यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मूल रिकार्ड है, अतः इस प्रकार के रिकार्ड का आयुक्त के कार्यालय में ही निरीक्षण करने की परिपाटी है। आयकर अधिकारी (प्रधान कार्यालय) ने सम्पर्क अधिकारी से मौखिक निवेदन किया था कि वे आयुक्त के कार्यालय में आकर रिकार्ड की जांच करलें। सम्पर्क अधिकारी ने अभी तक आयुक्त के कार्यालय में रोस्टरों का निरीक्षण नहीं किया है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु औद्योगिक और पूंजीनिवेश निगम के प्रबन्धक निदेशक का मनोनयन

4695. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिर्जव बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक गत पांच और इससे अधिक वर्षों से तमिलनाडु औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में एक ही व्यक्ति को मनोनित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) एक नये व्यक्ति को मनोनीत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या इसी प्रकार के मनोनयन तमिलनाडु के अन्य वित्तीय संस्थानों में किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) तामिलनाडु सरकार के अनुरोध पर भारतीय रिर्जव बैंक ने अपने सहायक मुख्य अधिकारी श्री एम० एन० गोविन्दराज की सेवाएं राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी थीं ताकि वह 17 जून, 1976 से दो वर्षों की अवधि के लिए उन्हें तमिलनाडु औद्योगिक और निवेश

निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सके। तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर भारतीय रिर्जव बैंक ने उनकी प्रतिनियुक्ति को दो बार, जून 1978 और जून 1979 में, एक-एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। दूसरी बार जून, 1979 से अवधि बढ़ाने के समय राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 10 (च) के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ परामर्श किया गया था। श्री गोविन्दराज 16 जून, 1980 तक अर्थात कुल मिलाकर चार वर्षों तक तमिलनाडु औद्योगिक और निवेश निगम के प्रबन्ध निदेशक रहे। तमिलनाडु सरकार ने 17 जून, 1980 से श्री टी० लक्ष्मीनारायणन को प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा भारतीय रिर्जव बैंक ने इस प्रकार का कोई नामांकन नहीं किया है। राज्य वित्त निगमों (तमिलनाडु औद्योगिक और निवेश निगम सहित) के केवल प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्कि के लिए ही नियुक्ति से पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करना जरूरी है।

बीजापुर के लिए विमान सेवाएं तथा हवाई पट्टी

4696. **श्री बापू साहिब परूलेकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले तथा शहर में चालुक्य तथा आदिलशाही शासनों के दौरान के कुछ बहुत ही पुराने तथा बहुमूल्य स्मारक हैं जो भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि बीजापुर जिला न तो सीधी विमान सेवा से और न रेल सेवा से ही जुड़ा हुआ है और इस प्रकार पर्यटक इन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों को देखने नहीं जा पाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का वहां पर छोटे विमानों को उतारने के लिए एक छोटी हवाई पट्टी के निर्माण करवाने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कराने का विचार है जिससे कि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिलहाल बीजापुर में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि न तो शैड्यूल्ड और न ही नॉन-शैड्यूल्ड एयरलाइन्स से बीजापुर तक हवाई सेवा प्रारम्भ करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, पर्यटक बेलगाम तक, जो बीजापुर से 192 किलोमीटर दूर है, हवाई यात्रा कर सकते हैं। बीजापुर पहले से ही दक्षिण मध्य रेलवे के गडग-होटगी मीटर-गेज सैक्शन पर अवस्थित है। बीजापुर की सीधी रेल यात्रा मीटर-गेज अथवा ब्राड-गेज/मीटर-गेज रूट द्वारा की जा सकती है। वहां पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एक यात्री गृह है। पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का 10 बैड वाले आवास में 15 कमरों की वृद्धि करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसके

अतिरिक्त, बीजापुर में अन्य सस्ता आवास भी उपलब्ध है। बड़ी संख्या में विदेशी और स्वदेशी पर्यटक बीजापुर की यात्रा करते हैं।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बीजापुर जिले में बदामी, पट्टादकल और एहोली की महायोजना (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार की हैं। इन केन्द्रों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने संबंधी कार्य पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान राज्य सरकार से परामर्श करके प्रारम्भ किया जाएगा।

राजस्थान में चूना-पत्थर

4697. **श्री वी०आर० नहाटा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, पारसोली और चितौड़गढ़ क्षेत्र में कितनी मात्रा में चूना-पत्थर पाया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : राजस्थान के बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में सीमेंट ग्रेड चूना-पत्थर के क्रमशः 857·16 मिलियन टन और 624·35 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान है। कोटा और पारसोली क्षेत्रों में चूना-पत्थर के किसी भंडार का आकलन नहीं किया गया है।

सर्प विष का निर्यात

4698. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में सर्प विष का निर्यात किया है तथा कितनी मात्रा अनुसन्धान तथा दूसरे कार्यों पर प्रयुक्त की है; और

(ख) इस निर्यात से यदि कोई विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है, तो वह कितनी है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में विष अथवा सर्प विष को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। इस लिए कोई निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुसंधान और अन्य प्रयोजनों के लिये सरकार द्वारा विष के उपयोग किये जाने के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान में कार्यरत चिटफंड कम्पनियां

4699. **आचार्य भगवान देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1979 को राजस्थान में कितनी तथा कौन-कौन सी चिटफंड कम्पनियां कार्य कर रही थीं;

(ख) उनमें में कितनी कम्पनियों के विरुद्ध सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन की शिकायतें मिली हैं;

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके पुरस्कार चिट तथा मुद्रा परिचालन योजनायें (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के अधीन इन कंपनियों पर अंकुश रखने के लिये नियम बनाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत): (क) और (ख) 30 नवम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में 95 कम्पनियां पंजीकृत थीं जो कि इनामी चिट का कारोबार कर रही थीं। इनमें से 14 कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें कि राशियों के दुर्विनियोजन, जमा राशियों की अदायगी न करना आदि जैसे आरोप लगाये गये हैं।

(ग) 12 दिसम्बर, 1978 को इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के लागू होने से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी सात चिट फंड कम्पनियों पर और जमायें स्वीकार करने पर पाबन्दी लगा दी थी तथा कंपनियों की जमा राशियां स्वीकार करने की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय-III ख के अन्तर्गत, रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की अवहेलना करने के लिए चार कंपनियों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये थे। पाबन्दी अधिनियम के लागू हो जाने के बाद उन उपबन्धों का उल्लंघन करने पर किसी प्रकार की कार्यवाई करने का अधिकार, राज्य सरकारों में निहित है।

(घ) जी, हां। राजस्थान सरकार ने, रिजर्व बैंक के परामर्श से, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी), अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत नियम बना लिये हैं।

बम्बई और राजकोट के बीच
बोइंग विमान सेवा

4700. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और राजकोट के बीच अक्तूबर, 1980 से बोइंग विमान सेवा आरम्भ करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजकोट धावन-पथ का विस्तार करना पड़ेगा; और

(ग) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निदेशालय धावन-पथ तक पहुंचने वाले मार्गों पर बनाये गये गैरकानूनी निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) और (ख) जी, हां। इण्डियन एयरलाइन्स की बम्बई-राजकोट सैक्टर पर जल्दी ही बोइंग सेवा चालू करने की योजनाएं हैं तथा राजकोट धावन-पथ का बी-737 विमान द्वारा नियमित परिचालन करने के लिए विस्तार किया जाना है।

(ग) धावन-पथ का विस्तार करने के लिए, विमान क्षेत्र की परिसीमा के अन्दर ही भूमि उपलब्ध है।

बम्बई क्षेत्र में निर्माताओं को उत्पाद
शुल्क में राहत

4701. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री बम्बई क्षेत्र में निर्माताओं को उत्पाद शुल्क में राहत के बारे में 27 जून, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2217 के उत्तर के बारे

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह एक समान ढंग से उत्पादों के निर्धारण के लिये सरकार द्वारा जारी किए गए कथित नीति सिद्धान्तों की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अब तक भी बम्बई क्षेत्र में इस उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) मिश्रित/पिसे हुए मसालों और सुवासक सत्वों/सांद्रों तथा खाद्य रंगों जैसी कतिपय मदों के शुल्क-निर्धारण के संबंध में भिन्न-भिन्न पद्धतियों का विगत में पता चला था। यह स्थिति, दिनांक 1 मार्च, 1975 की यथा-संशोधित अधिसूचना सं० 55/75-के० उ० शु० में विहित "खाद्य-उत्पादों और खाद्य-विनितियों की मदें" पदावली के अलग-अलग अर्थ निरुपणों की वजह से पैदा हुई थी। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड ने इस मामले की जांच, विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके, की थी और यह महसूस किया गया कि कोई उत्पाद-विशेष खाद्य-उत्पाद अथवा खाद्य निर्मित की मद है अथवा नहीं, इस बात का फैसला करने के लिए जो कसौटी लागू की जाती होगी वह यह है कि क्या उक्त उत्पाद किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे भूख लगी हो अथवा किसी ऐसे मेहमान को दिया जा सकता है जिसका सत्कार किया जाता हो। इस कसौटी के आधार पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड ने कतिपय उत्पादों के, जिनमें सुवासक सत्व/सांद्र और खाद्य रंग भी शामिल हैं, वर्गीकरण के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये थे। ऊपर जो कुछ पहले कहा जा चुका है, उसे देखते हुए, मार्गदर्शक सिद्धान्तों की प्रति सदन पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) और (घ) यह रिपोर्ट मिली है कि बम्बई क्षेत्र में खाद्य सुवासों तथा रंग निर्मितियों पर या तो शुल्क प्रभारित किया जा रहा है अथवा जिस किसी मामले में इन मदों पर शुल्क उद्-ग्रहणीय तो है किन्तु उसकी अदायगी नहीं की गई है, उसमें शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह बोर्ड द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप है।

मुजफ्फरपुर से दरभंगा होकर इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानें

4702. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर के लिए इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानें फिर से आरम्भ करने और उन्हें दरभंगा होकर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) और (ख) मुजफ्फरपुर के लिए एक विमान सेवा का प्रस्ताव इण्डियन एयरलाइन्स के विचाराधीन है परन्तु उसका इस सेवा को बढ़ा कर दरभंगा के मार्ग से परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) फिलहाल इण्डियन एयरलान्इस अपने विमान-बेड़े में उपलब्ध टर्बो प्राप विमानों की तंगी के कारण अपने वर्तमान मार्ग-तंत्र में नये स्टेशनों को जोड़ने पर विचार करने की स्थिति में नहीं है।

4703. **श्री चन्द्रपाल शैनानी**
श्री बाबू लाल सोलंकी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिल्लै समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्या नीति निर्देश दिये गये हैं;

(ख) पिल्लै समिति की सिफारिशों में सरकार द्वारा क्या परिवर्तन/रूपभेद किये गये हैं;

(ग) क्या निर्धारित तिथि से पूर्व भर्ती किए गए परन्तु उक्त तिथि के पश्चात् पुराने वेतनमानों में सेवा में प्रवेश करने वालों के साथ वेतनमानों में उनको स्थान देते समय भेदभाव किया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या उक्त अधिकारियों को पुराने वेतनमानों में रहने का विकल्प दिया गया है;

(ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) पिल्लै समिति की सिफारिशों में बैंकरों के उस दल द्वारा दिये गये सुझावों जिसने उन सिपारिशों की जांच की थी और भारतीय बैंक संघ द्वारा अधिकारियों के सघ के साथ हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया था। सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित पिल्लै समिति योजना को लागू करने के लिए, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निर्देशक मण्डलों ने नये अधिकारी सेवा विनियमों को अपनाया है। इन विनियमों में यह व्यवस्था की गयी है कि सरकार समय-समय पर कुछ विशिष्ट मामलों पर समुचित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती रहेगी। इनमें पदों के वर्गीकरण के लिए अपनाये गये मानदण्ड, शाखाओं के वर्गीकरण के सिद्धान्त, संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित करने के सिद्धान्त, महगाई भत्तानीति, पदोन्नति नीति, सेवा निवृति की आयु, यात्रा भत्ते, मोटर कारों, स्कूटरों और मोटर साइकिलों की खरीद के लिए ऋण और आवास ऋण आदि शामिल हैं। तद्नुसार सरकार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में इन मामलों में एक समान और मानकीकृत प्रणालियां सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती रही है।

(ग) से (ङ) नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण (पिटमेंट) के मामले में अथवा अन्य किसी मामले में अधिकारियों के किसी भी वर्ग के साथ किसी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता। निर्धारित तारीख अर्थात् 1 जुलाई, 1979 को बैंक की सेवा में कार्यरत सभी अधिकारियों को उन्हीं वेतनमानों को लेते रहने का विकल्प दिया गया है जिनमें वे निर्धारित तारीख से पहले कार्यरत थे। अलवत्ता, ऐसा विकल्प केवल उसी समय तक जारी रहेगा जब तक कि वह

अधिकारी अगले ग्रेड में पदोन्नत नहीं हो जाता। उन अधिकारियों को जो निर्धारित तारीख के बाद सेवा में आये हैं ऐसा विकल्प देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे सब नये वेतनमानों द्वारा शामिल होते हैं।

संरक्षण और क्षतिपूर्ति-क्लब

4704. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लब स्थापित करने के प्रस्ताव पर पुनः विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम भारत में एक संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लब की स्थापना करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। भारतीय साधारण बीमा निगम ने जहाज मालिकों से इस संबंध में आवश्यक ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया है और ऐसा समझा जाता है कि इण्डियन नेशनल शिप-ओनर्स ऐसोसिएशन प्रचालन की कुशलता तथा जहाज मालिकों की बचत को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार कर रही है।

फेरो वेनाडियम प्रोजेक्ट

4705. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मयूरभंग जिले में रविरथ्पपुर की फेरो वेनाडियम प्रोजेक्ट के क्रियान्वित न होने तथा उसके आशयपत्र की तारीख 29 दिसम्बर, 1980 तक बढ़ा देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने परियोजना में 50 : 50 के आधार पर वित्तीय भागदारी के लिये केन्द्र सरकार को कहा है और क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा निर्णय देने में विलम्ब किये जाने के कारण उक्त परियोजना क्रियान्वित नहीं हो रही है; और

(ग) क्या उक्त परियोजना के सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार का विचार इस परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने पर ध्यात देने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) फेरो-वेनेडियम तथा फास्फोरस की कम मात्रा वाले कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए मेसर्स इपिकोल (IPICOL) को दिए गए दिनांक 39-12-1978 के आशय-पत्र की वैधता की अवधि फर्म के अनुरोध तथा राज्य सरकार की सिफारिश पर सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। यह सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से परियोजना में 50 : 50 के आधार पर वित्तीय भागीदारी के लिए अनुरोध किया है। सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया है कि उनके अनुरोध पर निर्णय लिए जाने तक फर्म ने यह निर्णय लिया है कि वे चालू वित्त-वर्ष में अपने ही संसाधनों से परियोजना का कार्य चालू कर देंगे।

बोकारो, दुगपुर और "इस्को" की क्षमता का उपयोग

4706. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री के० मालन्ना) : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो, दुर्गापुर और "इस्को" में इस समय क्षमता का उपयोग 43, 49 और 54 प्रतिशत है जबकि भिलाई और राउरकेला में यह 87 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो पहले तीन संयंत्रों में क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक एकक में क्षमता का कितना-कितना उपयोग किया गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) वर्ष 1979-80 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अधीन पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में क्षमता का उपयोग नीचे दिखाया गया है :—

कारखाना	विक्रेय इस्पात
भिलाई इस्पात कारखाना	86.8
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	48.7
राउरकेला इस्पात कारखाना	85.3
बोकारो इस्पात कारखाना	42.5
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	53.8
जोड़	63.5

बोकारो, दुर्गापुर और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के इस्पात कारखानों में क्षमता का कम उपयोग मुख्यत: किस्म और मात्रा दोनों की दृष्टि से कोककर कोयले की सप्लाई में कठिनाई तथा बिजली की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण हुआ है ।

पश्चिम बंगाल में छोटी आय वाले करदाताओं के मामले की छानबीन

4707. **श्री डुमर लाल बैठा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्तों के गत सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया था कि एक लाख रुपये तक के आय के विवरणों के बिना करदाताओं को बुलाये और बिना गहन छानबीन के स्वीकार कर लिया जायेगा;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल क्षेत्र में छोटी-छोटी आय वाले लोगों के मामलों के सभी गहन छानबीन के लिए रखा जाता है हालांकि फाइलों के आधार पर उनके विरुद्ध कोई जानकारी नहीं होती है, और ऐसा करने से न केवल करदाता को परेशानी होती है बल्कि ऐसा करना योजना की भावना के अनुरूप भी नहीं है; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उनका विचार वहां पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के किन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का है जो वहां ऐसे मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच करेंगे, जो एक लाख रुपये से कम के विवरणों पर आधारित है और जो गहन छानबीन के लिए रख लिये गये है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) आयकर आयुक्तों के पिछले सम्मेलन में कर-निर्धारणों की जांच के लिए मापदंड निर्धारित करने के निमित्त जिन सुझावों पर विचार किया गया था उनमें से एक सुझाव गैर-कम्पनी मामलों के सम्बन्ध में विवरणी स्वीकार करने की 75,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का था। इस सुझाव पर विचार किया गया और इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके परिणामतः, ऐसे सभी गैर-कम्पनी मामले ही जिनमें भागीदारों के वे मामले भी शामिल है जिनमें पिछले तीन कर-निर्धारण वर्षों अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में से किसी एक वर्ष में विवरणी में दिखाई गई अथवा निर्धारित की गई आय एक लाख रुपये अथवा इससे अधिक रही हो, ऐसे मामले माने जाएंगे जिनमें जांच की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु, यदि एक लाख रुपये से कम की आय का मामला जाँच के लिए निर्धारित किसी अन्य मापदंड के अन्तर्गत आता है तो उस मामले को बिना जांच किए स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न के उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को दिए गए ऋण

4708. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बैंकों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों में से किसानों को दिए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार के किसानों को, वहां की सूखे की स्थिति को देखते हुए, गत वर्षों की तुलना में और कितनी अतिरिक्त ऋण की राशि देने का विचार है; और

(ग) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए किसानों को बैंकों से शीघ्र और आसानी से ऋण मिल जाए, क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें मार्च 1978 और मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार (बिल्कुल हाल के उपलब्ध आंकड़े) कृषि को दिए गए ऋणों और बकाया राशियों का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) सूखे की स्थिति में सरकारी क्षेत्र का कोई भी बैंक, राज्य सरकार की एजेन्सियों के परामर्श से ऋणों के पुनः क्रम-निर्धारण/रूपान्तरण, दंडात्मक ब्याज दर को लागू न करना, पहले की देय रकमों की वापसी में व्यतिक्रम के बावजूद नये ऋण की मंजूरी आदि के रूप में किसानों को राहत देता है। देवी विपत्तियों के परिणामस्वरूप फ़सलों की पैदावार न होने की स्थिति में सहकारी

बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि में से राज्य सहकारी बैंकों को मध्यावधिक ऋण मंजूर करता है। उपर्युक्त सुविधा का उपयोग, सहकारी ऋण समितियों के सदस्य के नाम बकाया अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में रूपान्तरित करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार किसान अगले मौसम में कृषि कार्य के लिए नयावित प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। इस निधि में से रिजर्व बैंक ने वर्ष 1978-79 में बिहार राज्य सहकारी बैंक को 43.5 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। वर्ष 1979 के ऋणों के रूपान्तरण के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को 97.55 लाख रुपये की सीमा मंजूर की गयी थी।

(ग) कृषि को ऋण देने के लिए बैंकों में ऋण-प्रदान की कार्य-प्रणालियों को सरल बनाने के उद्देश्य से जिन कुछ महत्वपूर्ण उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है वे नीचे दिए गए हैं :—

1. सामान्य सरलीकृत आवेदन-पत्रों के फार्मों को अपनाया जाना।
2. एक हजार रुपये तक के ऋणों का मांग बचन पत्र/ऋण करार के अन्तर्गत दिया जाना।
3. 1001 रुपये से 5000 रुपये तक के ऋणों का फसलों के दृष्टिबन्धन करके दिया जाना।
4. 5000 रुपये से अधिक के ऋणों का फ़सलों के दृष्टिबंधन करके तथा जमीन को गिरवी रखकर अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी लेकर दिया जाना (परन्तु जमीन को गिरवी रखना स्वैच्छिक है)।
5. चल परिसम्पत्ति के लिए 5000 रुपये तक के ऋणों का इस प्रकार की परिसम्पत्ति को दृष्टिबंधन करके दिया जाना।

विवरण

मार्च 1978 तथा मार्च 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए अग्रिमों की (बकाया) राशियाँ :

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(करोड़ रुपये) मार्च, 1978	मार्च, 1979
1	2	3	4
1.	हरियाणा	6921.71	10143.52
2.	हिमाचल प्रदेश	501.61	745.16
3.	जम्मू और कश्मीर	295.36	610.34
4.	पंजाब	10830.46	15314.13
5.	राजस्थान	6333.51	9079.67
6.	चंडीगढ़	2265.16	1832.37

1	2	3	4
7.	दिल्ली	4182.57	2870.18
8.	असम	824.12	1499.87
9.	मणिपुर	58.18	84.24
10.	मेघालय	57.21	71.39
11.	नागालैंड	19.98	21.31
12.	सिक्किम	—	—
13.	त्रिपुरा	139.90	199.26
14.	अरुणाचल प्रदेश	0.74	0.71
15.	मिजोराम	0.73	1.45
16.	बिहार	8041.39	11687.74
17.	उड़ीसा	2766.80	4453.94
18.	पश्चिम बंगाल	6604.96	10921.15
19.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7.61	37.60
20.	मध्य प्रदेश	8310.13	10251.01
21.	उत्तर प्रदेश	19563.55	26802.55
22.	गुजरात	9359.99	12554.07
23.	महाराष्ट्र	23596.73	30734.63
24.	दादरा और नगर हवेली	3.03	3.23
25.	गोवा, दमन और दीव	460.43	733.98
26.	आंध्र प्रदेश	22657.12	29488.75
27.	कर्नाटक	16028.93	20636.92
28.	केरल	6633.62	9003.21
29.	तमिलनाडु	16943.49	20317.16
30.	लक्षदीप	0.79	0.65
31.	पांडीचेरी	579.59	683.07
	अखिल भारतीय	173989.40	230783.26

पटसन का उत्पादन

4709. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पटसन के अनुमानित उत्पादन सहित गत पांच वर्षों में वर्षवार, पटसन का उत्पादन क्या था;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान, वर्षवार, भारतीय पटसन निगम द्वारा उत्पादकों से कितने परिणत पटसन खरीदा गया; और

(ग) इस वर्ष पटसन उत्पादकों से निगम द्वारा कितना पटसन खरीदे जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जानकारी नीचे† दी गई है :

वर्ष (जुलाई-जून)	उत्पादन लाख गाठें	प्राथमिक बाजारों में भारतीय पटसन निगम द्वारा वसूली का प्रतिशत
1975-76	59.14	12 प्रतिशत
1976-77	70.99	15 प्रतिशत
1977-78	71.54	उपलब्ध नहीं
1978-79	83.33	26 प्रतिशत
1979-80	80.29	39 प्रतिशत
1980-81	80.00 (अनुमानित)	—

†नोट : पटसन में मेस्टा सम्मिलित है ।

(ग) निगम यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदारियां करेगा कि उपजकर्ता को उसकी उपज के लिये कम से कम सांविधिक न्युनतम कीमतें मिलें ।

आयातित खाद्य तेलों का मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त बन जाना

4710. **श्री एन० ई० हीरो** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे भी मामले हुए हैं कि आयातित खाद्य तेल दोषपूर्ण भंडारण के कारण गत तीन वर्षों में मानवीय उपभोग के उपयुक्त न रह गया हो; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे खाद्य तेल की मात्रा एवं मूल्य के बारे में ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का आयात निजी व्यापारियों और सरकार की ओर से राज्य व्यापार निगम, दोनों ही द्वारा किया गया है । इस बात की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि निजी व्यापारियों द्वारा इस प्रकार आयातित कोई भी खाद्य तेल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया हो । जहां तक राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए खाद्य तेलों का सम्बन्ध है, उसने उस अवधि के दौरान दोषपूर्ण भंडारण के परिणामस्वरूप आयातित खाद्य तेलों के मानवीय उपभोग के उपयुक्त न रहने का कोई मामला सूचित नहीं किया है ।

आदिवासी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग के विकास में परिवर्तन

4712. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के आदिवासी क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के विकास के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार बुनकरों को हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए खादी के साथ टैरीन स्टेपल मिलाने की अनुमति दे रही है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी): (क) भारत सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। आदिवासी क्षेत्रों में हथकरघों का केन्द्रीयकरण करने वाली राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि आदिवासी बुनकरों को ऐसी विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे।

(ख) (1) प्राइमरी हथकरघा सहकारी समितियों को अंशदान पूंजी सहायता;

(2) हथकरघा बुनकर शीर्षस्थ निकाय के लिए अंशदान पूंजी सहायता;

(3) करघा पूर्व तथा करघा पश्चात् प्रोसैसिंग सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता;

(4) करघों के आधुनिकीकरण तथा सुधार के लिए हथकरघा बुनकरों को ऋण तथा सहायता देना;

(5) सहकारी क्षेत्र में न आने वाले बुनकरों के लाभ के लिए गहन तथा निर्यात हथकरघा विकास परियोजनाएं।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने हथकरघा क्षेत्र में पालिस्टर फाइबर इस्तेमाल करके हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। बुनकर सेवा केन्द्र तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान ने बुनकरों को पालिस्टर ब्लैंड्स से बुनाई करने तथा ऐसे प्रयोजनार्थ एक विशेष करघे का डिजाइन बनाने का एक कार्यक्रम शुरू किया है।

बंगला देश में स्पंज-लोहा परियोजना

4713. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगला देश में एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्पंज-लोहा परियोजना का निर्माण करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारतीय व्यापार-अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत सरकार और बंगला देश की सरकार के बीच हुए एक करार के अनुसार बंगला देश में स्पंज आयरन का एक कारखाना लगाने के लिए मेटलर्जीकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लि० ने एक शक्यता रिपोर्ट तैयार की थी और दिसम्बर, 1974 में प्रस्तुत कर दी थी। फरवरी, 1979 तक बंगलादेश की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ। इसके बाद बंगलादेश के प्राधिकारियों ने कुछ अभिरुचि दिखाई है। विलम्ब हो जाने के कारण शक्यता-रिपोर्ट को अद्यतन करने तथा इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इस समय सरकार इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई परियोजना-निर्यात

4714. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और 1980 (जनवरी-जून) में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई परियोजना-निर्यात क्या है ;

(ख) परियोजना-निर्यात के कौन-कौन से देश हैं और प्रत्येक योजना के लिए मंजूर की गई राशि क्या है और प्रायोजित फर्म कौन-कौन सी हैं ;

(ग) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक परियोजना-निर्यात में भारी विलम्ब प्रक्रिया संबंधी अड़चनें, दीर्घावधि और आसान शर्तों पर ऋण सुविधाओं और बातचीत की सुविधा न होने की आलोचना की है ; और

(घ) सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक परियोजना-निर्यात को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए विलम्ब दूर करने और प्रक्रिया संबंधी शक्तियों को कम करने के लिए भारतीय दूतावासों, कम्पनी कार्य विभाग और उद्योग विभाग का सहयोग किस प्रकार लेने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक परियोजनाओं के निर्यात मंजूर नहीं करता बल्कि इस प्रकार के निर्यातों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1979 में तथा 1980 के पूर्वार्द्ध (1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक) के दौरान परियोजना-निर्यातों को दी गई सहायता के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) और (घ) परियोजना-निर्यात के प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता को उदार बनाने तथा उनको स्वीकृति की प्रक्रिया में समरूपता लाने के संबंध में सरकार को विभिन्न व्यापार और उद्योग संगठनों के समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। परियोजना-निर्यातों को वित्तीय तथा अन्य सहायता मंजूर करने की प्रक्रियाओं को समरूपता प्रदान कर दी गई है और इस प्रकार के प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का कार्य कार्यकारी दल के एक तंत्र द्वारा संभव बना दिया गया है जिसके केन्द्र बिन्दु के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होता है और जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम लिमिटेड और सम्बद्ध वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि शामिल

होते हैं। यह कार्यकारी दल प्रत्येक परियोजना के लिए समग्र (पैकेज) वित्तीय स्वीकृति पर विचार करता है और उसका अनुमोदन करता है। इंजीनियरी सामान और परियोजनाओं के निर्यातों को शासित करने वाले व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्तों को हाल ही में और उदार बना दिया गया है। इनमें वे शामिल हैं; आस्थगित ऋण की अवधि के बारे में कुछ बड़ी रियायतें, विदेशी मुद्रा के बाहिर्गमन (आउटगो) का सिद्धांत आस्थगित प्राप्तव्य राशियों पर ब्याज, विदेशी मुद्रा में पूरक वित्त (ब्रिजिंग फाइनैंस) का प्रबन्ध आदि। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सरकार और विश्व स्थित भारतीय दूतावासों से घनिष्ठ सम्पर्क रखता है। सरकार ने एक विदेश परियोजना विकास समिति भी स्थापित की है जो भारतीय पार्टियों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की देख-रेख और निगरानी का कार्य करती है।

खेतड़ी में तांबा उद्योग में कार्यरत कर्मचारी

4715. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेतड़ी के तांबा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हैं और वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए उनके मजूरी-बिलों की अलग-अलग राशि कितनी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : खेतड़ी के तांबा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 31-3-1979 को 7966 तथा 31-3-1980 को 8311 थी। इस उद्योग के 1978-79 और 1979-80 के मजदूरी बिलों की राशि क्रमशः 697.81 लाख रुपये और 783.85 लाख रुपये थी।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्रा

4716. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने 1 जनवरी, 1980 से आज तक किन-किन विभिन्न देशों के दौरे किए, प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं, उनका नेतृत्व किस-किस ने किया है तथा प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) प्रतिनिधिमंडलों की उपलब्धि क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) 1 जनवरी 1980 से 18 जुलाई, 1980 की अवधि के संबंध में अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नवाबगंज शूगर मिल्स, गोंडा (उ० प्र०) की ओर करों की बकाया राशि

4717. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवाबगंज शूगर मिल्स, नवाबगंज, गोंडा, उत्तरप्रदेश की ओर आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

महालेखा नियंत्रक दुबारा कर्मचारियों की नियुक्ति

4718. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि महालेखा नियंत्रक द्वारा वर्ष 1979 में आयोजित कनिष्ट लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा, में सफल घोषित किए गए कर्मचारी नियुक्ति के लिए उपलब्ध थे, ऐसे बहुत से कर्मचारियों की मनमर्जी से नियुक्ति की गई, जिन्होंने वस्तुतः उक्त परीक्षा पास नहीं की है या अकुशल हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1979 में दिल्ली में आयोजित उक्त परीक्षा में कुल कितने कर्मचारी सफल घोषित किए गए थे और उनमें से तथा साथ ही पूर्ति विभाग के कितने कर्मचारियों का सफल कर्मचारियों को नए पदों पर नियुक्त किया गया ; और

(ग) यदि उत्तीर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ग) चूंकि मंत्रालयों/विभागों के कनिष्ठ लेखा अधिकारी सवर्ग में रिक्तियां अनिवार्यतः उन्हीं स्थानों पर नहीं होती जहां पर ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने कनिष्ठ लेखा-अधिकारी (सिविल) परीक्षा पास कर ली हो, तैनात होते हैं इसलिए कभी-कभी अनर्हक व्यक्तियों (अर्थात् जिन्होंने कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा पास न की हो) को तैनात करके तदर्थ आधार पर व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अर्हता प्राप्त व्यक्ति अपने वर्तमान तैनाती के स्थान से बाहर जाने के लिए इच्छुक नहीं होते । इसके अलावा, लेखाओं के विभागीकरण के पश्चात् प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के विभाजन के सम्बन्ध में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के साथ की गई व्यवस्था के परिणाम-स्वरूप कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के कुछ पद उन व्यक्तियों को स्थान देने के लिए खाली रखने पड़ते हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन होने अथवा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से स्थानान्तरित किए जाने की संभावता होती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुंए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पदों के स्थान पर कुछ तदर्थ पदोन्नति करनी पड़ी थी । अनर्हक व्यक्तियों की नियुक्ति में न तो कोई स्वेच्छता थी और न ही किसी अकुशल व्यक्ति की पदोन्नति की गई ।

(ख) 1979 में हुई परीक्षा से दिल्ली से सफल घोषित किए गए कर्मचारियों की कुल सख्या 87 थी जिसमें से 70 व्यक्तियों को अब तक नियमित आधार पर कनिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है । ऐसे व्यक्तियों की तदनुरूपी संख्या, जिन्होंने अर्हता प्राप्त की और जिनको दिल्ली में पूर्ति विभाग में पदोन्नत किया गया; क्रमशः 21 और 16 थी । 17 सफल व्यक्तियों (पूर्ति विभाग के 5 व्यक्तियों सहित) में से भी 12 को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है, इस प्रकार 5 शेष बचते हैं (पूर्ति विभाग के 3 व्यक्तियों सहित) 9 जून, 1980 में ये आदेश भी जारी किए गए थे कि भविष्य में अत्यावधि अथवा तदर्थ रिक्तियों के लिए भी पदोन्नति के मामले में अनर्हक व्यक्तियों से पहले अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में छोटी यूनिटों के लिए रिलीज की गई धनराशि

4719. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य में जनवरी, 1980 से लघु एककों के विकास केलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी धनराशि रिलीज की गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : जून 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार उपलब्ध विल्कुल हाल के आंकड़े के मुताविक मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के 29632 एककों को दिए गए अग्रिमों की वकाया राशि 61.87 करोड़ रुपये थी। जनवरी, 1980 से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के एककों के विकास के लिए दी गई रकमों के सम्वन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर अर्जित छुट्टी के बदले ली गई धनराशि पर आयकर

4720. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद**
श्री के० लकप्पा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति पर अर्जित छुट्टी के बदले में ली ज़ाने वाली धनराशि आयकर के निर्माण के अन्तर्गत आती है;

(ख) क्या आयकर न्यायाधिकरण मद्रास ने निर्णय दिया है जिसमें कहा गया है कि उक्त धनराशि को आयकर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हां। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, मद्रास की 'ए' पीठ ने श्री एन० बी० तेन्दुलकर से सम्वन्धित आई० टी० ए० 348/एम० ए० ठी०/78-79 के मामले में 31 मार्च, 1980 को निर्णय दिया है कि सरकारी क्षेत्र के एक निगम से सेवा-निवृत होने पर श्री तेन्दुलकर ने अपने जमा अर्जित अवकाश के बदले में जो नकद रकम प्राप्त की वह कराधेय नहीं है क्योंकि यह एक पूंजीगत प्राप्ति थी। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 है।

(ग) और (घ) यह मामला विचाराधीन है।

सुखाई गई मछलियों और बम्बई की बत्तखों का निर्यात

4721. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नीति के अनुसार सीमित मात्रा सिलिंग के अधीन खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सुखाई गई मछलियों और बम्बई की बत्तखों के निर्यात की अनुमति मिली हुई है;

(ख) क्या चालू वर्ष के लिए अधिकतम मात्रा की अभी तक घोषणा नहीं की गई है; और यदि हां, तो उस विलम्ब के क्या कारण हैं, जिससे व्यापार को बहुत असुविधा हो रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान अधिकतम मात्रा पूरी नहीं हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का अनावश्यक और कष्टप्रद अधिकतम मात्रा को हटाने का विचार है, और यदि नहीं, तो सिलिंग को बनाए रखने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) सुखाई गई मछलियों (नमक लगी तथा बिना नमक लगी) के निर्यात की ओ. जी. एल. 3 के अन्तर्गत बिना किसी मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अनुमति है। बम्बई की बत्तखों के सीमित सीमा के भीतर निर्यात की अनुमति है।

(ख) चालू वर्ष के लिए मात्रा सम्बन्धी सीमा पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

(ग) जी हां।

(घ) बम्बई की बत्तख के सम्बन्ध में विद्यमान निर्यात नीति में इस वजह से कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है कि बम्बई की बत्तखें भारी खपत की मद है।

मछुओं के लिए बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

4722. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मछुओं के लिए एक बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने के लिए कृषि वित्त निगम से कोई सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार त्रिवेन्द्रम, अल्लेप्पी और कालीकट के तीन जिलों का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन करने और तत्पश्चात मछली उद्योग के विकास के लिए परियोजना तैयार करने के उदेद्श्य से कृषि वित्त निगम के साथ बातचीत कर रही है।

फटे-पुराने करन्सी नोटों को बदलना

4723. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फटे पुराने करन्सी नोटों को बदलने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के काउंटरों पर अपनाये जा रहे भ्रष्ट तरीकों के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा सरकार जनता को असुविधा तथा धन के नुकसान से बचने के लिए दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटरो-क्लर्कों तथा प्राइवेट एजेन्टों में चल रही सांठ-गांठ को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अथवा इस मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात का आयात

4724 **श्री नवीन रवाणी**
श्री छीतभाई गांमित } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत अविद्यमान एकक अपने कोटे को मुनाफा लेकर देच देते हैं और कालाबाजारी करते हैं ;

(ख) इस्पात वितरण नीति के नये पहलू क्या हैं जिनसे इस्पात की कालावाजारी को रोका जा सके तथा अविद्यमान एककों का पता लगाया जा सके ; और

(ग) यदि अव तक किसी अविद्यमान एकक का पता लगा है तो वह कौन-सा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात की सभी श्रेणियों के बारे में लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश की धारा 7 पुनः लागू की जा चुकी है । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो लोहे और इस्पात का उपयोग, जिस कार्य के लिए उसे लिया गया है अथवा आवंटित किया गया है; से भिन्न कार्य के लिए करते हैं, लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कार्यवाई की जा सकती है। लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और जब कभी दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में आता है तो आवश्यक कार्यवाई की जाती है ।

(ग) ऐसी जिन इकाईयों का पता चला है उनकी संख्या के बारे में पता लगाया जा रहा है और विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

विदेशी बैंकों द्वारा भेजी गई रकमें

4725. **श्री निरेन घोष** : क्या **वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 से 1978 तक वर्ष-वार प्रत्येक विदेशी वैंक के प्रत्येक शीर्ष के अधीन कुल जमा, अग्रिम, सकल लाभ और भेजी गई रकमें क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रत्येक विदेशी बैंक की कुल जमा राशियों, अग्रिमों, सकल लाभों और प्रेषणाओं का वर्ष 1970 से 1978 तक का वर्षवार ब्यौरा दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1108/80) ।

करों की अदायगी के लिये बैंक गारन्टी

4726. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अनुमति से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई 'बैंक गारंटी योजना' के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों को किसी व्यक्ति द्वारा अदा किये जाने वाले राजस्व या करों के लिए बैंक गारंटी देने की अनुमति है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ अनुसूचित बैंकों ने व्यापारियों द्वारा देय करोड़ों रुपयों की राजस्व और करों की राशि के लिये बैंक गारंटियां जारी की हुई है जबकि उक्त व्यापारी इस संघ-शासित क्षेत्र के अपने ग्राहकों से उत्पादन शुल्क और बिक्री कर वसूल कर चुके हैं; और

(ग) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार का विचार वैंकों को ऐसी गारंटियां जारी करने से रोकने के लिये क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा धनराशि

4727. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिये आवश्यक धन राशि का अधिकांश भाग विश्व बैंक देगा;

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य परियोजनायें कौन सी हैं जिनके लिये धन देना विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है; और

(ग) विश्व बैंक भारत को कुल कितनी धन-राशि देगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने 3 और 4 जुलाई, 1980 को पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में चालू वर्ष के लिए 2 अरब डालर की सहातता देने का वचन दिया है । विश्व बैंक समूह आमतौर से परियोजनाओं का वित्तपोषण किसी परियोजना की लागत की लगभग 50 प्रतिशत राशि के लिए ऋण अथवा उधार देकर करता है ।

2. इस समय विश्व बैंक के साथ कई परियोजनाओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श चल रहा है । इनमें ये परियोजनाएं शामिल हैं :—राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम की कोरबा और रामगुण्डम स्थित तापीय बिजली परियोजनाओं का दूसरा चरण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बाम्बे हाई विकास और पाइपलाइन परियोजना, कतिपय राज्यों की सिंचाई परियोजनाएं, बिहार की ग्रामीण सड़क परियोजना । हाजिरा उर्वरक परियोजना, दूर संचार परियोजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की बहूराज्यीय भंडारण परियोजना, भारतीय सीमेंट निगम की सीमेंट परियोजना आदि ।

द कन्ट्रोलर आफ रिसीवर, जनेवा के पास पड़ी जयपुर की गोलचा परिवार की वस्तुएं

4728. क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या जयपुर के गोलचा परिवार द्वारा 25 लाख डालर के मूल्य की वस्तुएं चोरी छिपे बाहर ले जाई गई थीं;

(ख) क्या ये वस्तुएं अब रिसीवर जनेवा के नियन्त्रणाधीन पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) इस तस्करी में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों और कम्पनियों के नाम, विवरण तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ङ) तस्करी की वस्तुओं का निपटान किस प्रकार करने का प्रस्ताव है;

(च) उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन पर तस्करी का आरोप है, यदि कोर्ट कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (च) मामले की जांच-पड़ताल की रही है । अभी इस सम्बन्ध में ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा ।

अभ्रक व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

4729. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक व्यापार निगम के कितने अधिकारियों ने 1977 से 1980 तक की अवधि के दौरान विदेशों के दौरे किये तथा उन्होंने किन-किन देशों के दौर किए और उन पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) अभ्रक व्यापार निगम के ये अधिकारी कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किन-किन देशों से आर्डर लाए तथा किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) 1977-1980 (जुलाई तक) तक की अवधि के दौरान अभ्रक व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा विदेशों में किए गए दौरों से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :

अधिकारियों की संख्या	देश, जिनका दौरा किया	व्यय
1	2	3
8 (आठ)	1. फ्रांस 2. पश्चिम जर्मनी 3. इटली 4. ब्रिटेन 5. बेल्जियम 6. नार्वे 7. संयुक्त अरब एमिरात 8. मिस्र 9. यूनान 10. ईरान 11. सोवियत संघ 12. जर्मन जनवादी गणराज्य	7,34,481 रु०

1	2	3
	13. चैकोस्लोवाकिया	
	14. सं० राष्ट्र अमरीका	
	15. जापान	
	16. हांगकांग	
	17. पोलैंड	
	18. हालैंड	
	19. स्विटरजरलैंड	
	20. रुमानिया	
	21. वल्गारिया	

(ख) कमजोर वर्गों के लिए अलग से आर्डर नहीं प्राप्त किए जाते हैं। निर्यात के लिए अपेक्षित वस्तुओं तथा उनकी उपलब्धता को देखते हुए कमजोर वर्गों से खरीदारियां की हैं। लगभग उन सभी देशों से जिनका दौरा किया गया आर्डर लाये गये हैं। 1977 से 1980 तक विभिन्न देशों को हुए निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (अनुबंध) (**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये** संख्या एल० टी० 1109/80)।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

4730. **श्री रासबिहारी बोहरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1979-80 में उड़ीसा में नई शाखायें खोलने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी नई शाखाएं खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) वर्ष 1979-81 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार के प्रयासों में उन जिलों के बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोली जायें जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध शहरी लोगों के लिए एक शाखा से कम हो। रिजर्व बैंक, सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यक्रम तैयार कर रहा है। जिन बैंकों को लीड दायित्व सौंपा गया हो अथवा सम्बन्धित राज्यों में जिनकी शाखाओं का काफी जाल हो उनको कमी वाले केन्द्र नियत किए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की सिफारिशों पर और/अथवा बैंकों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अब तक उड़ीसा में 380 अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने का प्राधिकार दिया है।

बैंकवार नियतन नीचे दिया गया हैं :—

क्रम सं०	बैंक का नाम	अनुमति प्राप्त केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	76
2.	इलाहाबाद बैंक	1
3.	आन्ध्र बैंक	13
4.	बैंक आफ इंडिया	42
5.	इंडियन ओवरसीज बैंक	24
6.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	59
7.	यूनाइटेड बैंक आफ़ इंडिया	29
8.	बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक	36
9.	बालासोर ग्राम्य बैंक	1
10.	कटक ग्राम्य बैंक	60
11.	कालाहाँडी आंचलिक ग्राम्य बैंक	3
12.	कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक	12
13.	पुरी ग्राम्य बैंक	24
	कुल	380

करंसी नोटों की छपाई

4731. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 में छापे गये करन्सी नोटों की संख्या तथा मूल्य कितना था;

(ख) जनवरी 1980 से अब तक छापे गये करन्सी नोटों की संख्या तथा मूल्य कितना है; और

(ग) इस सम प्रचलनगत करन्सी नोटों का मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) वर्ष 1979 के दौरान और 1980 में जनवरी से जून तक छापे गए करन्सी नोटों की संख्या और मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	करोड़ों में छापे गये नोटों की संख्या	करोड़ रुपयों में मूल्य
1979	451	7190
1980 (जनवरी से जून)	246	3174

(ग) 4 जुलाई, 1980 को परिचलन में मौजूद करेन्सी नोटों का मूल्य 12693 क रुपये था ।

पर्यटक बंगलों तथा युवक छात्रावासों की संख्या और स्थिति-स्थान

4732. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने पर्यटक बंगले तथा युवक छात्रावास कार्य कर रहे हैं और वे ब कहां स्थित हैं; और

(ख) देश में पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए अगली पंचवर्षीय योजना के दौ कितने पर्यटक बंगलों तथा युवक छात्रावासों के निर्माण की सम्भावना है तथा वे कहां-कहां बन जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (और (ख) चौथी और पांचवी योजना अवधियों के दौरान पर्यटन विभाग ने केन्द्रीय सेक्टर में पर्यटक बंगलों और युवा होस्टलों का निर्माण किया है । उनकी अवस्थिति, बैड संख्या, आदि ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । धन-राशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए छठी यो अवधि 1980-85 में और अधिक युवा होस्टलों निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किए गए युवा होस्टलों और पर्यटक बंगलों की सूची

क्रम संख्या	यूनिट का नाम	अवस्थिति/राज्य का नाम	उपलब्ध आवास कमरों/बैडों की सं०	पूरा होने/चालू की तारीख
1	2	3	4	5
(क)	युवा होस्टल			
1.	अमृतसर	पंजाब	46 बैड	20-7-75
2.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	49 बैड	18-1-76
3.	भोपाल	मध्यप्रदेश	46 बैड	20-6-75
4.	डलहौजी	हिलाचल प्रदेश	44 बैड	20-5-75
5.	दार्जिलिंग	पश्चिमी बंगाल	44 बैड	2-11-75
6.	जयपुर	राजस्थान	46 बैड	0-9-73
7.	मद्रास	तमिलनाडु	46 बैड	1-7-75
8.	पंचकुला	हरयाणा	46 बैड	15-3-75
9.	पटनीटाप	जम्मू और कश्मीर	44 बैड	1-4-76
10.	पणजी	गोआ दमन और दीव	46 बैड	27-9-75

1	2	3	4	5
11.	पुरी	उड़ीसा	46 बैड	14-11-75
12.	गांधीनगर	गुजरात	46 बैड	21-5-76
13.	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश	46 बैड	8-5-76
14.	नैनीताल	उत्तर प्रदेश	44 बैड	23-5-76
15.	तिवेंद्रम	केरल	46 बैड	3-2-80
16.	मैसूर	कर्नाटक	46 बैड	निर्माणाधीन
17.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	46 बैड	5-11-79
(ख) पर्यटक बंगले				
1.	पोरबंदर	गुजरात	64 बैड	4-3-76
2.	लुधियाना	पंजाब	64 बैड	27-3-76
3.	रामेश्वरम्	तमिलनाडु	64 बैड	21-6-76
4.	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	20 अतिरिक्त कमरे	6-6-75
5.	जैसलमेर	राजस्थान	48 बैड	0-12-74
6.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	64 बैड	28-4-77
7.	मंत्रालयम	आन्ध्र प्रदेश	64 बैड	शीघ्र चालू कर दिए जाएंगे।
8.	वारंगल	आन्ध्र प्रदेश	64 बैड	
9.	सेवाग्राम	महाराष्ट्र	80 बैड	निर्माणाधीन

दिल्ली में इस वर्ष अयोजित किया जाने वाला विश्व मेला

4733. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली में विश्व मेला आयोजित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने समय के लिए होगा और उसमें कौन-कौन से देश भाग लेंगे ; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर लगभग कितना व्यय किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कुद्रेमुख में समयोपरि भत्ते का भुगतान

4734. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि कुद्रेमुख में, यहां निर्माण कार्य लगभग पूरा हो

गया है, समयोपरि भत्तों के रूप में 5,31,634.00 रुपये दिये गए, और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों से जांच कराने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कुद्रेमुख परियोजना में गत चार वर्षों अर्थात् 1976-77 से 1979-80 की अवधि में समयोपरि भत्ते के रूप में कुल 2.14 लाख रुपये का भुगतान किया गया जो उक्त अवधि के लिए दिए गए कुल वेतन का मात्र 0.54 प्रतिशत है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अलोह धातुओं के भण्डारों की खोज

4735. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अलोह धातुओं के नये भण्डारों की खोज की तीव्र करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अलोह धातुओं के वर्तमान भण्डारों को निकालने में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस समय आयात किए जाने वाले अलोह धातुओं की कुल लागत क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था पंचवर्षीय योजनाओं का श्रीगणेश होने के समय से ही अलोह धातु खनिजों की नियमित रूप से खोज करती आ रही है, जिसमें अज्ञात क्षेत्रों की खोज पर बराबर जोर दिया जाता रहा है। खनिज गवेषण निगम लि० उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के बड़े भू-भाग, मध्य प्रदेश में मलंजखंड ताम्र निक्षेप, उड़ीसा में केसरपुर ताम्र निक्षेप का व्यापक गवेषण पूरा कर चुकी है। इस समय यह निगम वफलीमाली और गंधमार्दन (उड़ीसा), मेनपत (मध्य प्रदेश) में बाक्साइट के लिए तथा डिक्चू (सिक्किम) में सीसा-जस्ता-तांवा के लिए व्यापक गवेषण कर रहा है, भारतीय भू-सर्वेक्षण की आगामी पंचवर्षीय योजना में लगभग दो लाख मोटर ड्रिलिंग का प्रावधान है तथा भीलवाड़ा, दिल्ली और राजस्थान के अरावली बेसिनों, आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा बेसिन, उड़ीसा, तमिलनाडु और आध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्रों, पूर्वी भारत के सिंहभूम बेसिन, मध्य भारत के सौसर-सकौली बेसिन दक्षिण भारत की ग्रीनस्टोन पट्टी तथा हिमालय की तलहटी में खोज करने का कार्यक्रम है। अलोह खनिजों की खोज की सहायता के लिए राष्ट्रीय भू-रसायनिक और भूगौलिकी मानचित्र तैयार करने के प्रबंध किए जा रहे हैं। खनिज गवेषण निगम ने सिंहभूम ताम्र पट्टी की व्यापक और गहन खोज के लिए एक व्यापक पंचवर्षीय योजना बनाई है ।

(ग) इस समय अलोह खनिज निक्षेपों का तांवा, सीसा-जस्ता और एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए क्रमश: हिन्दुस्तान कापर लि०, हिन्दुस्तान जिंक लि० और भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बालको) द्वारा विदोहन किया जा रहा है।

(घ) अलोह धातुओं के आयात पर वर्ष 1978-79 में लगभग 24745.97 लाख रुपए खर्च किए गए।

गुजरात में काला धन रखने वालों पर छापे

4736. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान गुजरात में कालाधन रखने वालों के खिलाफ कितने छापे मारे गये और उन व्यक्तियों और कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध छापे मारे गये थे;

(ख) क्या सरकार ने अमीरों के निवास-स्थानों और विलासपूर्ण खर्चों के सम्बन्ध में तलाशियां लिए जाने और छापे मारे जाने के काम को गति देने की योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) आयकर विभाग ने पिछले छः महीनों के दौरान गुजरात में जो तलाशियां ली हैं उनमें 156 कर-निर्धारिती तथा 170 स्थान अन्तर्ग्रस्त हैं। इन तलाशियों के अन्तर्गत आने वाले कर-निर्धारितियों के नामों का ब्योरा देने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी तलाशी विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह प्रस्तुत कर दी जायगी।

(ख) और (ग) काले धन और करापवंचन का पता लगाने के लिए सरकार सदैव ही तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करती रही है। उपयुक्त मामलों में इन शक्तियों का और अधिक व्यापक रूप से प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग

4737. **श्री निहाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मायल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के समूह (क) और (ख) में नियुक्तियाँ उनके लिए आरक्षित कोटे के अनुसार नहीं की गई हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड ग्रुप (ए) और (बी) के पदों की भर्ती के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन कर

रही है । ग्रुप (ए) और (बी) की भर्ती के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

		ग्रुप ए	ग्रुप बी
1.	वर्ष 1977 से 1980 की अवधि में भरे गए पदों की कुल संख्या	39	16
2.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या		
	अनुसूचित जाति :	6	3
	अनुसूचित जनजाति :	4	2
3.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों द्वारा भरे गए पदों की कुल संख्या		
	अनुसूचित जाति :	4	3
	अनुसूचित जनजाति :	1	—
4.	आरक्षण आगे ले जाया गया		
	अनुसूचित जाति :	3	1
	अनुसूचित जनजाति :	3	2

कम्पसी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है कि अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद इन पदों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार भरे जाएं ।

तेल और गैस उपकरणों के आयात के लिए कनाडा से ऋण समझौता

4738. **श्री चिन्ना स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और कनाडा सरकारों ने तेल और गैस उपकरणों के कनाडा से आयात को वित्त प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये (लगभग) के ऋण का करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऋण पर ब्याज की दर क्या है; और

(घ) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें ये उपकरण और सामान मिलना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ । भारत सरकार तथा कनाडा ने तेल और गैस क्षेत्र के लिए 24 जून, 1980 को 1.5 करोड कनाड़ी डालर (लगभग 10.47 करोड़ रुपए) के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए थे ।

(ख) ऋण की राशि का उपयोग तेल तथा गैस की खोज तथा विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित कनाडा से आयात की जाने वाली वस्तुओं, उपस्करों तथा सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। इस ऋण की वापसी अदायगी 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 50 वर्षों में की जानी है।

(ग) यह ऋण ब्याज, बचनबद्धता प्रभार तथा सेवा प्रभारों से मुक्त है।

(घ) इन उपस्करों/मशीनों/सेवाओं आदि का आयात तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज एवं विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

लुधियाना में जाली करेंसी नोटों/न्यायालय टिकटों (कोर्ट स्टाम्पस) का छापा जाना

4740. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लुधियाना (पंजाब) में जाली करेंसी नोटों तथा न्यायालय-शुल्क टिकटों को छापने वाले एक गिरोह का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस प्रकार के दुष्कारियों को रोकने के लिए सरकार का क्या सक्रिय कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ।

(ख) कुछ सूचना प्राप्त होने पर पंजाब की पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापे मारे जिसके परिणामस्वरूप जाली करेंसी नोट छापने की एक मशीन तथा न्यायालय फीस स्टाम्प छापने की एक दूसरी मशीन बरामद की गई। कुछ जाली करेंसी नोट तथा जाली न्यायालय फ्रीस स्टाम्प भी प्राप्त हुए। इस सिलसिले में ब्रस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

इस प्रकार की जाली छपाई से सम्बन्धित अपराधों के लिए कानून में अत्यन्त कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है। राज्य के पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में लगातार सतर्कता बरतते हैं तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा जाली नोट छापने के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर छापा मारते हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आर्थिक अपराध प्रशाखा में, इस प्रकार की जाली छपाई से संबन्धित अपराधों की जांच करने और राज्यों में जाँच संबंधी कार्यों के समन्वय करने के लिए एक 'कक्ष' की भी स्थापना की गई है।

लौह अयस्क का निर्यात

4741. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क का निर्यात तब तक करने का है जब वह प्रारम्भिक परिशोधन और विनिर्माण के पहले दौर से गुजर चुका हो ताकि कमजोर वर्गों को और अधिक रोजगार मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारत में पर्याप्त लौह अयस्क के भंडार हैं। सम लौह अयस्क का निर्यात विदेशी मुद्रा कमाने तथा अपने औद्योगिक आधार को व्यापक बनाने के लिए करते हैं। तथापि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि निर्यात करने से पहले लौह अयस्क की यथासंभव मात्रा पिल्लेट्स तथा कंसेन्ट्रेट्स के रूप में सावित कर ली जाए।

केरल में सरकारी उपक्रम

4742. **श्री ए० ए० रहीम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय सरकार के कितने उपक्रम हैं;

(ख) इन सरकारी उपक्रमों में अब तक कितनी पूंजी लगाई जा जुकी है; और

(ग) चालू योजना की अवधि में राज्य में कौन-सी नई परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रम अपने मुख्यालयों सहित केरल में स्थित हैं। अन्य 20 उद्यमों के एकक/कार्यालय उस राज्य में काम कर रहे हैं।

(ख) 31-3-1979 को केरल में स्थित इन उपक्रमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में लगी पूंजी कुल 382.74 करोड़ रुपये थी।

(ग) 1980-85 की चालू योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः इस अवस्था में यह पहले से नहीं बताया जा सकता है कि किस परियोजना में कितनी पूंजी लगाई जाएगी।

वनस्पति का मूल्य निर्धारण

4743. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछले महीने वतस्पति निर्माताओं की एक बैठक बुलाई थी : और

(ख) यदि हां, तो वनस्पति का मूल्य निर्धारण करने के बारे में क्या निर्णय किए गये ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नही। पर भारतीय वनस्पति उत्पादक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 21 जून, 1980 को नागरिक पूर्ति मंत्री से मिला था। उस भेंट के दौरान संघ पर इस बात के लिए जोर दिया गया कि वे वनस्पति की कीमतों में तुरन्त कमी लाएं। संघ ने आश्वासन दिया था कि वे परस्पर विचार कर अपना निर्णय शासन को सूचित करेंगे। संघ के उत्तर की प्रतीक्षा है।

सेलम इस्पात संयंत्र के सहायक उद्योगों के लिए लाइसेंस

4744. **श्री के० अर्जुनन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मुख्य सेलम इस्पात संयंत्र के सहायक उद्योगों के लिए लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खाद्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। मुख्य संयंत्र अभी तैयार नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आगरा (उत्तर प्रदेश) से चमड़े के तैयार सामान और जूतों का निर्यात

4745. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा से गत एक वर्ष के दौरान देश-वार कितना चमड़े का तैयार सामान और जूतों का निर्यात किया गया; और

(ख) उससे कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1979-80 के दौरान राज्य-व्यापार निगम, आगरा द्वारा किये गये चमड़े तथा शू अपर्स के निर्यातों के देशवार ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

		गन्तव्य स्थान	मात्रा जोड़ों में
1.	शू अपर्स	जर्मन जनवादी गणराज्य	7,66,000
		डेनमार्क	1,71,280
		बल्गारिया	37,000
		नार्वे	18,217
		प० जर्मनी	4,000
		सोवियत संघ	1,000
		हंगरी	62,600
2.	जूते	सोवियत संघ	13,500
		आस्ट्रेलिया	7,524
		प० जर्मनी	1,000
		फ्रांस	2,300
		कनाडा	39,205
		सोमालिया	660
3.	सरणीकरण के अन्तर्गत जूतों का निर्यात	—	14,000

उपरोक्त निर्यातों का कुल मूल्य 8.80 करोड़ रु० के लगभग है।

आगरा के राज्य व्यापार निगम के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा चमड़े के तैयार सामान और शू अपर्स के किए गए निर्यातों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रक्षा लेखा विभाग में शाखा संघों को संबद्ध करने की अनुमति

4746. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा विभाग में उनके क्रमिक मुख्यालयों द्वारा शाखा संघों को सम्बद्ध करने की अनुमति के लिए कोई शर्त है;

(ख) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना संघों की सदस्यता की संख्या क्षमता को ध्यान में रखते हुए दोनों संघों पर कार्यवाही कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सदस्यता की कसौटी पूरी न करने वाले संघ के साथ कार्यवाही रोकने के लिए अनुदेश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। रक्षा लेखा नियंत्रक पटना द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत सदस्यता की जांच करने के पश्चात् कार्यालय में क्रियाशील दोनों संघों के प्रतिनिधियों को कार्यालय परिषद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका को निर्यात किये गये जमाये हुये समुद्री खाद्य पदार्थों की अस्वीकृति

4747. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस बात की पूरी जांच कर ली है कि निर्यात निरीक्षण एजेन्सी द्वारा जमाये हुए समुद्री खाद्य पदार्थों तथा मेंढक की टांगों के विदेश भेजे जाने वाली खेपों को, शुद्धता का प्रमाण-पत्र दिया जाने के बावजूद वह सामान सालमोनेल्ला पाये जाने के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है;

(ख) क्या अमरीका में 1978 और 1979 में बिक्री पर प्रभाव डालने वाले भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों और मेंढक की टांगों में सालमोनेल्ला पाये जाने की ठीक-ठीक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समुद्री पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधिमण्डल को अमरीका भेजा गया था;

(ग) क्या प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी यात्रा तथा अध्ययन की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे और उनमें से प्रत्येक के पास सोलमोनेल्ला के भूल और उसकी उपस्थिति की समस्याओं का पता लगाने के लिए यदि कोई योग्यता थी तो वह क्या थी ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां। इस मामले की जांच की गई थी। भारत में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा पास किए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय मेंढक की टांगों तथा श्रिम्पों को अस्वीकार किए जाने का मुख्य कारण क्वालिटी मानकों तथा निरीक्षण प्रक्रिया में अन्तर होना था। यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीकी खाद्य तथा औषध प्रशासन मेंढक की टांगों तथा श्रिम्पों दोनों का सालमोनेल्ला के लिए पूर्व पोषणता परीक्षण कर रहा है जबकि यह भारत में नहीं किया जा रहा है। मेंढकं की टांगों के मामले में भारत में भी इस बीच निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा पूर्व पोषणता परीक्षण आरम्भ कर दिया गया है। अमरीकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन ने हमारा यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया है कि जो श्रिम्पे साधित करने तथा पकाने के बाद अमरीकी बाजार में

रिलीज की जानी होती हैं, उनकी सालमोनेल्ला के लिए पूर्व पोषणता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। पुनर्मिश्रण के मामले में मानक की दृष्टि से क्वालिटी में सुधार किया गया है ताकि अमरीकी खाद्य तथा औषध प्रशासन के मानकों के साथ एकरूपता लाई जा सके।

(ख) 1978 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का कोई प्रतिनिधिमण्डल अमरीका नहीं भेजा गया था। 1979 में एक प्रतिनिधिमण्डल अमरीका भेजा गया था।

(ग) जी हां।

(घ) प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य ये थे :—

1. श्री एस० गोपालन, अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
2. श्री सी० चेरियन, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन के अध्यक्ष।
3. श्री वयालार रवि, संसद सदस्य तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य।
4. श्री शक्ति कुमार सरकार, संसद सदस्य तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरणके सदस्य

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य होने के नाते प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य श्रिम्पों में सालमोनेल्ला के होने के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में पूरी तरह जागरूक थे क्योंकि इससे पूर्व मेंढक की टांगों के मामले में वे ऐसी ही समस्याओं पर कार्यवाही कर चुके थे।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

4748. **श्री ए० नीललोहितादसन नाडार : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) उनमें से किन-किन सदस्यों के पास समुद्री मात्स्यकी अथवा समुद्री खाद्य पदार्थ के परिष्करण से सम्बन्धित विषयों में तकनीकी अर्हताएं हैं;

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन हैं; यदि उनकी कोई सामान्य या तकनीकी अर्हता है तो वह क्या है; और

(घ) इस समय समुद्री उत्पाद निर्यात-विकास प्राधिकरण के चेयरमैन का वेतन और भत्ते तथा विदेशकों के भत्ते क्या-क्या हैं?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष, निदेशक तथा सदस्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. आर. सी. चौधरी, अध्यक्ष, ससुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
2. श्री एस. एन. राव, निदेशक, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (पदेन)
3. श्री पी. जे. कूरियन, संसद सदस्य (सदस्य)
4. श्री एम. एस. संजीवी राव, संसद सदस्य (सदस्य)

5. श्री पत्तेम राजन, संसद सदस्य (सदस्य)
6. श्रीमती एस. एल. सिंगला, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय (सदस्य)
7. श्री पी. डी. खेमानी, उप सचिव, वित्त प्रभाग, वाणिज्य मन्त्रालय (सदस्य)
8. श्री एस. पी. अग्रवाल, उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (सदस्य)
9. श्री एस. रामास्वामी, विकास अधिकारी, उद्योग मन्त्रालय (सदस्य)
10. श्री एस. एम. ओचेनी, नौवहन के उप-महानिदेशक, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय (सदस्य)
11. श्री सी० चेलप्पन, मतस्य पालन के निदेशक, तमिलनाडु सरकार (सदस्य)
12. श्री ए. के. धोरई, सचिव, प० बंगाल सरकार (सदस्य)
13. श्री वी. श्री निवासन, सचिव, महाराष्ट्र सरकार (सदस्य)
14. श्री एस. बैनर्जी, मतस्य पालन के निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार (सदस्य)
15. श्री पी. बसु, मतस्य पालन के आयुक्त, गुजरात सरकार (सदस्य)
16. श्री एस. कृष्ण कुमार, सचिव, केरल सरकार (सदस्य)
17. श्री एम. जयराज, मतस्य पालन के निदेशक, कर्नाटक सरकार (सदस्य)
18. श्री प्रेमानन्द त्रिपाठी, सचिव, उड़ीसा सरकार (सदस्य)
19. श्री पी. एम. नायर, प्रशासक, केन्द्रीय प्रशासित लक्षद्वीप (सदस्य)
20. श्री आर. डी. पुमालकर, अध्यक्ष, न्यू इंडिया फिशरीज लि०, बम्बई (सदस्य)
21. श्री पी. गंगाधरन पिल्ले, प्रबन्धक सहयोगी, पोइलाक्डा फिशरीज, क्वीलोन (सदस्य)
22. श्री ई. आर. माधव राज, प्रबन्धक निदेशक, कोरोनेट केनिंग कं० मालपे (सदस्य)
23. डा. एफ. वी. अलविन, प्रबन्धक सहयोगी, मेलायिल इंडस्ट्रियल एण्ड कर्मशियल इंटर-प्राइजेज, क्वीलोन (सदस्य)
24. श्री सी. चैरियन, प्रबन्ध निदेशक, चेम्मीन्ज (रजि०), कोचीन (सदस्य)
25. श्री टी. एम. जोसेफ, प्रबन्धक सहयोगी, जार्ज मैंजो एण्ड कं०, मद्रास (सदस्य)
26. श्री वयालार रवि, कांग्रेस हाउस, कोचीन (सदस्य)
27. डा. ई. जी. सिलास, निदेशक, सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोचीन (सदस्य)
28. श्री सुभाल मलिक, प्रबन्ध निदेशक, सी. आई. फूड्ज लि०, कटक (सदस्य)
29. श्री के. जे. हर्ष, कोचीन, केरल (सदस्य)
30. श्री एस. आर. बैनर्जी, एसोसिएटिड इंटरनेशनल कार्पोरेशन कलकत्ता (सदस्य)

(ख) सदस्य भारत सरकार द्वारा उनकी हैसीयत तथा अनुभव के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं ताकि वे समुद्री उत्पादों के विकास तथा निर्यातों के विभिन्न सम्बन्धित हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें। प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने के लिए यह पाया गया है कि इनके पास अपेक्षित अर्हतायें हैं।

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर. सी. चौधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल काडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें समुद्री उत्पाद निर्यात विकास

प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व केरल में विभिन्न महत्वपूर्ण तथा उत्तरदायी पदों पर कार्य करने का व्यापक अनुभव था ।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष-तथा निदेशक का वेतन तथा भत्ते निम्नोक्त प्रकार हैं :—

			रु०
अध्यक्ष :	वेतन	—	2,000
	विशेष वेतन	—	300
	भत्ते	—	850
			3,150

निदेशक :			रु०
	वेतन	—	1,900
	प्रतिनियुक्ति वेतन	—	250
	भत्ते	—	617
			2,767

उड़ीसा में बाक्साइट के निक्षेप

4749. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा एम० ई० सी० के सहयोग के साथ राज्य में बाक्साइट के निक्षेपों का पता लगाने की विशेष योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम में लगी तीन एजेन्सियों ने बाक्साइट के निक्षेपों का पता लगाने के लिए जिन स्थानों पर सर्वेक्षण कर रही हैं उनके क्या नाम हैं ;

(ग) उड़ीसा सरकार भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा एम० ई० सी० द्वारा इस प्रयोजन के लिए 1979-80 और 1980-81 में कितनी धनराशि की व्यवस्था की ;

(घ) जिलावार बाक्साइट के कितने निक्षेपों का पता चला है और वे किस-किस स्थान पर हैं ; और

(ङ) प्रत्येक एजेन्सी द्वारा इस मामले में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी):(क),(ख) और(घ) उड़ीसा राज्य सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम के सहयोग से राज्य में बाक्साइट निक्षेपों का पता लगाने के लिए किसी विशेष योजना की मंजूरी नहीं दी है । परन्तु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम भारत सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा में बाक्साइट भंडारों की खोज कर रहे हैं । खनिज गवेषण निगम ने उड़ीसा में बाक्साइट के महत्वपूर्ण भंडारों

की विस्तृत खोज का फेजवार कार्यक्रम चलाया है। निगम ने पोटंगी, पंचपटमाली, गंधवार्दन और कोंडिगमाली में बाक्साइट भंडारों की खोज पूरी कर ली है। बफलीमाली में खोज कार्यक्रम जारी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के भूतत्व और खनन निदेशालय के सहयोग से 1976-77 में राज्य के पूर्वी घाट बाक्साइट के प्रारम्भिक सर्वेक्षण और क्षेत्रीय मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपनी तरफ से क्षेत्रगत सत्र 1979-80 के दौरान भंडारों के मूल्यांकन हेतु कोरापुट-कालाहांडी जिले में लांजीगढ़ बाक्साइट भंडारों की ड्रिलिंग द्वारा जांच कार्य कर रहा है। बाक्साइट के अनुमानित भंडार और प्राप्ति स्थलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) राज्य सरकार ने 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमशः 6.15 लाख रु० और 2.97 लाख रुपये की व्यवस्था की खनिज गवेषण निगम ने 1979-80 में 185.15 लाख रुपये मूल्य का बाक्साइट खोज कार्य किया है और वर्ष 1980-81 में उड़ीसा में बाक्साइट खोज कार्य के लिए 62.28 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा योजना-वार धनराशि का नियतन नहीं किया जाता है।

(घ) राज्य का खान निदेशालय कोरापुट जिले के सासवहू-पासंगमाली और क्योंझर जिले के ढोलकट क्षेत्र में बाक्साइट भंडारों की पुष्टि कर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मार्च, 1980 में लांजीगढ़ में ड्रिलिंग द्वारा आरम्भ किया गया क्षेत्रीय मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। खनिज गवेषण निगम ने पोटंगी-पंचपटमाली, मध्य खंड और गंधमार्दन की खोज की रिपोर्ट दे दी हैं। पंचपटमाली के अन्य खंडों की रिपोर्ट भी वह शीघ्र दे देगा। कोंडिगमाली में खोज कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बफलीमाली में खोज कार्य नवम्बर, 1980 में पूरा हो जाने की आशा है।

क्रम सं०	सर्वेक्षित स्थान	जिला	अनुमानित भण्डार	टिप्पणी
		विवरण		
1	2	3	4	5
*1.	गंधमार्दन	बोलगीर सामवलपुर	213	कार्य राज्य निदेशालय और खनिज गवेषण निगम द्वारा किया गया है।
*2.	पंचपटमाली	कोरापुट	314	कार्य राज्य निदेशालय, जी० एस० आई० और एम० ई० सी० द्वारा किया गया है।
3.	पोटंग	,,	76	कार्य जी० एस० आई० और एम० ई० सी० द्वारा किया गया।
*4.	सासवहू पासंगमाली	,,	61	कार्य चल रहा है। भंडारों की काफी वृद्धि होने की सम्भावना।
*5.	कूटरुमाली टंगरीडोंगर	,,	40	
*6.	चांदगिरी	,,	7	
*7.	इन्द्रागिरी	,,	एन० ई०	
*8.	लाखीरिसी	,,		
*9.	मंजीमाली	,,	20	भण्डारों की पर्याप्त वृद्धि।
*10.	काठखाल	,,		
*11.	काटीमाली	,,	एन० ई०	
12.	काकिरीमाली	,,		
*13.	गुसरामाली	,,		
14.	मारीगुण्डी	,,	3	
15.	मालीपर्वत	,,	9.8	

1	2	3	4	5
16.	सलोड़ा (पड़वा)	कोरापुर	10	
17.	कोड़िगमाली	"	81.2	एम० ई० सी० लि० द्वारा कार्य किया जा रहा है।
18.	करुणापाडीकीडा	"	20	
19.	सिजमाली, कृष्णमाली थलजहीर, गोरखपुर पहाड़	कोरापुट कालाहांड़ी	86	
20.	वफालीमाली	"	196	एम० ई० सी० लि० द्वारा कार्य किया जा रहा है।
21.	कारलापेट पोलिनगपडार	" कालीहांडी	67	
32.	लांजीगढ़	"	53	जी० एस० आई० द्वारा कार्य किया जा रहा है।
*23.	खैरियर प्लाटशा खोंडमल	"	2	
*24.	एनामीनी पर्वत	फूलवानी	18	
*25.	ढोलक पहाड़ (कूनर)	क्योंझर	एन० ई०	

एन० ई०—आकलन नहीं किया गया है।

* आकलन राज्य खान निदेशालय के कार्य पर आधारित है। अन्य फंडारों के आकलन जी० एस० आई० तथा एम० ई० सी० द्वारा किए गए काम पर आधारित है।

केन्द्र में बिक्री कर प्रशासन

4750. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में इस समय बिक्री कर प्रशासन की व्यवस्था क्या है; और

(ख) बेहतर शीघ्र परिणामों के लिये यदि कोई प्रशासनिक परिवर्तन किये जाने का विचार है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) किसी राज्य के अन्तर्गत होने वाली बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना संविधान की सातवीं अनुसूची 11 की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत राज्य कराधान का विषय है। संसद् द्वारा अधिनियमित, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपवन्धों के अन्तर्गत, माल की अन्तराज्यीय बिक्री पर लगाये केन्द्रीय विक्रय कर से होने वाली आय, संविधान के अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत राज्यों के लिए निर्धारित की गई है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का प्रशासन, कानून के द्वारा राज्यों को सोंपा गया है। बिक्री कर प्रशासन के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार, राज्यों के बीच यथासम्भव, समन्वय स्थापित करती है और इस उद्देश्य के लिए, संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आदेश के अन्तर्गत 4 प्रादेशिक परिषद स्थापित की गई हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री कर के सम्बन्ध में सुझाव देते हैं। केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बिक्री कर-कानूनों के प्रशासन से भी सम्बद्ध है।

(ख) प्रशासन के मामले में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में खनिज संसाधन

4751. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किए गये सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा में अब तक प्रत्येक खनिज के कितने संसाधन पाये गये हैं और प्रत्येक खनिज की मात्रा तथा किस्म क्या-क्या है; और

(ख) हाल ही में उड़ीसा में कितने नए खनिज भंडारों का पता लगाया गया है और कितनों की जांच की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य में जो नए खनिज पाये गये हैं और जिनकी जाँच की जा रही है वे हैं—टिन, स्वर्ण, कीमती पत्थर, बेरिल, ब्रेफाइट, काइनाइट, घिया-पत्थर, फेलस्वार और स्फटिक-पत्थर। इन खनिजों के भंडारों का अभी आकलन होना है। राज्य में चूना-पत्थर, अग्निसह मिट्टी, चीनी-मिट्टी के अतिरिक्त भंडारों का भी पता चला है।

विवरण

उड़ीसा सरकार के अनुसार उड़ीसा में अब तक निम्नलिखित खनिजों के होने का पता चला है :—

खनिज/अयस्क	कुल भंडार (मिलियन टनों में)	किस्म
लौह-अयस्क	3,500	+55% लौह तत्व
मैंगनीज अयस्क	43	+28% मैंगनीज
निकिल अयस्क	107	+0.8% निकिल
क्रोमाइट	86	+38% क्रोमियम आक्साइड
मैंगनेटाइट	14	+0.8% वेनेडियम आक्साइड
चूना-पत्थर	700	सभी किस्में
डोलोमाइट	360	—22% मेगनेशियम आक्साइड
बाक्साइट	1,277	+40% एल्यूमिना
कोयला	30,000 से अधिक	सभी किस्में (अकोककर)
अग्निसह मिट्टी	60	प्राय: नान-प्लैस्टिक के पॉटरी ग्रेड की
चीनी मिट्टी	35	वस्त्र, रबड़ और कागज उद्योग ग्रेड
सीसा अयस्क	6	5.17% सोडियम
तांबा अयस्क	1.6	+0.8% ताम्र इलिमीनाइट
खनिज रेत	50 से ऊपर	सिलमेनाइट/मोनोनाइट आदि से भरपूर।

समुन्द्री अपतृणों का निर्यात

4752. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समुद्री अपतृणों के निर्यात की दिशा में अब तक यदि कोई कार्य किया गया है तो क्या; और

(ख) क्या अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में समुद्री अपतृणों की निर्यात क्षमता के इसके पास ब्यौरे हैं और यदि हां, तो उसके संकेत क्या हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) चूंकि समुद्री अपतृणों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है अत: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समुद्री अपतृणों के लिए कोई निर्यात संवर्धन उपाय नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) भारत में प्रमुख समुद्री अपतृण उपजाने वाले क्षेत्र ये हैं : गुजरात राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र में वेरावल से ओखा समुद्र तक तथा अरब सागर में द्वाराजन्द और तमिलनाडु राज्य

में बंगाल की खाड़ी के मनडप्पम से कन्याकुमारी तक, जहां वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी मात्राओं में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री अपतृण पैदा होते हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त बम्बई, कारवार, कन्नानूर, कोवालम, मद्रास तथा विशाखापत्तनम के समीप तटवर्ती तथा उप-तटवर्ती के चट्टानी क्षेत्र समुद्री अपतृणों से भरे पड़े हैं।

समुद्री अपतृणों के निर्यात पर लगी रोक को देखते हुए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत से समुद्री अपतृणों के निर्यात की संभाव्यताओं के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा खरीदी गई प्रशीतित गाड़ियां

4753. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में कोई प्रशीतित गाड़ियां खरीदी हैं जो समुद्री खाद्य व्यापारियों, परिष्करण करने वालों या निर्यातकर्ताओं को किराये पर दी जायेंगी और यदि हां, तो कितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं और उन पर कुल कितनी लागत आई है; और

(ख) उपर्युक्त गाड़ियों से कुल कितना किराया वसूल हुआ है और उनकी मरम्मत पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां। समुद्री खाद्य व्यापारियों, ससाधकों या निर्यातकों को किराये पर देने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने चार प्रशीतितकृत ट्रक लिए हैं। इन ट्रकों में से दो कोचीन में लगाए गए हैं। बाकी दो ट्रक कलकत्ता में लगाए गए हैं। इन ट्रकों की खरीद पर किया गया कुल खर्च 14,64,379·96 रुपये था।

(ख) कोचीन से इन ट्रकों के किराये के रूप में 33,462 रुपये की राशि एकत्रित की गई है। इन ट्रकों की मरम्मत पर अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

लघु बचत इकट्ठा करने में प्रथम आये जिले

4754. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों के नाम क्या हैं जो 1977-78, 1978-79, तथा 1979-80 के दौरान लघु बचत राशियां इकट्ठा करने में प्रत्येक राज्य/संघ-शासित क्षेत्र में प्रथम आये हैं ;

(ख) सरकार ने वसूली अभियान आरम्भ करने से पहले इन जिलों के लिए लघु बचत राशियों की वसूली के लिए क्या भूल लक्ष्य निर्धारित किए गये ;

(ग) क्या लगातार तीन वर्षों की अवधि में एक से अधिक बार प्रथम आने वाले जिलों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1980-81 के बजट में निवल अल्प बचत संग्रह द्वारा 1100 करोड़ रुपए एकत्र करने की परिकल्पना की गयी है। सामान्यतः राज्य सरकारें समूचे राज्य के लिए तथा अकेले जिले के लिए अल्प बचतों के संग्रह के लक्ष्य स्वयं निर्धारित करती है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा और अधिक संग्रह के लिए बनाई गई प्रोत्साहन स्कीमें केवल राज्य सरकारों, राष्ट्रीय बचत संगठन के अन्तर्गत भर्ती किए गए जिला बचत अधिकारियों तथा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपालों के लिए हैं। कुछ राज्य सरकारें जिलों को शील्ड, ट्राफी आदि के रूप में प्रोत्साहन देती हैं।

जिला लघु बचत अधिकारियों को सुविधायें

4755. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण जनता से लघु बचतों की वसूली में जिला लघु बचत अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं;

(ख) यदि हां, यो केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके फील्ड कार्यों के लिए और उनके कार्यालय के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कोई कर्मचारी, आवास, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो ये सुविधाएं किस प्रकार की होती हैं और इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और ये सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ताकि लघु बचत अभियान को प्रोत्साहित किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जिला बचत अधिकारी, निवेशकों की सेवा करने के अलावा अल्प बचतों के प्रचार में सहायता करते हैं तथा जिला स्तर पर लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(ख) से (घ) जिला बचत अधिकारी वे आवश्यक क्षेत्रीय कर्मचारी हैं जिन्हें जिले के भीतर अक्सर दौरे पर रहना पड़ता है। इस कार्य के लिए, दो या तीन जिला बचत अधिकारियों के समूह के लिए प्रचार वाहन उपलब्ध किए जाते हैं। उन्हें नियत यात्रा भत्ता भी दिया जाता है।

जहां तक संभव होता है इनको क्षेत्रीय निदेशकों/सहायक क्षेत्रीय निदेशकों या जिला कलैक्टरों के कार्यालयों में कार्यालय आवास दिया जाता है और इस दिशा में सुधार के प्रयत्न जारी हैं। जहां तक रिहायशी आवास का सम्बन्ध है जिला बचत अधिकारी, अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह जहां पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध है, पाने के हकदार हैं।

विनिर्दिष्ट मानदण्डों अनुसार जिला बचत अधिकारियों को संग्रहों में वृद्धि करने के लिए 150 रुपए से 500 रुपए तक प्रोत्साहन के रूप में नगद ईनाम भी दिए जाते है।

हिमाचल प्रदेश में लघु बचत कार्यक्रम के निदेशक का रिक्त पद

4756. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में लघु बचत कार्यक्रम के निदेशक का पद पिछले पदधारी के जाने के बाद से खाली है;

(ख) यदि हां, तो नए पदधारी के कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या निदेशक और जिला बचत अधिकारी सहित उनके अन्य फील्ड कर्मचारियों को पर्याप्त कर्मचारी सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध किए जाने का विचार है ताकि उनका काम आगे बढ़ सके; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य किस तारीख तक हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई वारोत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बचत, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय निदेशक का पद 18 अप्रैल, 1980 को खाली हुआ था और इसे भरने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश 23 जून, 1980 को जारी कर दिए गए थे।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय निदेशकों को कर्मचारी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा क्षेत्र कर्मचारियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा लघु-उद्योगपतियों को एल्यूमिनियम-इनगाट की सप्लाई

4757. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगपतियों द्वारा बर्तनों का निर्माण करने हेतु बनी हुई कुल कितनी एल्यूमिनियम शिलिकाओं (इनगाट) को इन इकाइयों को आगे सप्लाई करने के वास्ते भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को आवंटित किए जाने की आशा है ;

(ख) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान स्थिति अत्यधिक खराब है और हरियाणा भारत में एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की सप्लाई, पर आश्रित लघु उद्योगों में उत्पादन मन्द पड़ गया है ;

(ग) क्या छोटी इकाइयों को वितरण के लिए कम सप्लाई के कारणों में आसनसोल के समीप जे० के० की राष्ट्रीयकृत फैक्टरी को बड़ा शेयरदेना एक कारण है ; यदि हां, तो ऐसी छोटी इकाइयों को चालू रखने के लिए जो पूर्ण रूप से भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की सप्लाई पर आश्रित हैं, आयात द्वारा कमी पूरी करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की सूची में पहले विद्यमान इन छोटी इकाइयों को निकट भविष्य में कितनी मात्रा सप्लाई किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वाणिज्य ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण पर कोई कंट्रोल नहीं है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको) अपने द्वारा उत्पादित वाणिज्य ग्रेड एल्यूमिनियम वास्तविक खपतकर्त्ताओं को सामान्यतः पिछली बिक्री के आधार पर वितरित करती है।

(ख) कंपनी के उत्पादन में कमी होने और साथ ही ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के अधिक अनुपात में उत्पादन के कारण (बालको) द्वारा देश भर में अपने ग्राहकों को वाणिज्य ग्रेड एल्यूमिनियम पिंडों की चालू वर्ष में सप्लाई पिछले वर्ष की तुलना में कम रही।

(ग) उत्पादित वाणिज्य ग्रेड एल्यूमिनियम का कुछ अंश (बालको) द्वारा जेकेनगर उपक्रम जो उनके प्रबंध में हैं, में एक्ट्रूजन, रोल्ड उत्पादों पन्नियों (फोइल) के निर्माण में इस्तेमाल कर

लिया जाता है। चूंकि देशी उत्पादन से वाणिज्य ग्रेड एल्यूमिनियम की उपलब्धि मांग से काफी कम है अतः उसके पर्याप्त मात्रा में आयात के लिए खनिज व धातु व्यापार निगम को प्राधिकृत किया गया है।

(घ) बालको से सप्लाई की मात्रा उसके उत्पादन पर निर्भर है और उत्पादन उसके कारखानों को मध्यप्रदेश बिजली बोर्ड से बिजली की उपलब्धि पर निर्भर करता है। (बालको) अपने उत्पादन का काफी अंश अपने निजी गढ़ाई संयंत्रों (यथा एक्सट्रूजन प्रेसों और रोलिंग मिलों), जो शनैः शनैः स्थापित किए जा रहे हैं, में भी इस्तेमाल करेगा। जो इकाइयां बालको से वाणिज्य ग्रेड एल्यूमिनियम लेती रही हैं वे यह धातु अन्य उत्पादकों तथा खनिज व धातु व्यापार निगम से ले सकती हैं।

बंगलादेश के साथ दीर्घावधि समझौता

4758. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज खरीदने के लिए बंगलादेश के साथ कोई दीर्घावधि समझौता करने का विचार है ;

(ख) क्या पहले किए गए किसी ठेके के अधीन बंगलादेश से रेयन यार्न और अवशिष्ट का आयात किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी थी और उसका निपटान किस प्रकार किया गया था और बंगलादेश रेयन यार्न की किस्म कैसी थी और भारतीय किस्म और उसके मूल्य की तुलना में उसकी क्या स्थिति थी ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान बंगलादेश के साथ अन्य कौन से व्यापारिक करार किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) बंगलादेश से भारत द्वारा अखबारी कागज की खरीद के लिए दीर्घावधि करार करने का प्रश्न दोनों सरकारों के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) यद्यपि रेयन फिलामेंट यार्न के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात के लिए अनुमति दी गई है, तथापि रेयन स्पन्न यार्न आयात नीति में रोक लगी सूची में शामिल किया गया है। रेयन वेस्ट को भी रोक लगी सूची में शामिल किया गया है परन्तु कम्बलों तथा अन्य शाडी ऊनी उत्पादों, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक ऊन का वजन हो, के निर्यातों के आधार पर इसके आयात की अनुमति दी गई है। सरकार को मालूम है कि रेयन फिलामेंट यार्न की कुछ मात्रा बंगलादेश से खरीदी गई है। कीमत, क्वालिटी आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारत तथा बंगलादेश के बीच विद्यमान व्यापार करार 27 सितम्बर, 1980 को समाप्त होना है। सरकार पहले ही उस करार के स्वरूप के संबंध में बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है, जो उसके पश्चात लागू होगा।

सार्वजनिक वाहन के मालिक ड्राइवर को दुर्घटना पालिसी के अन्तर्गत लेना

4759. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री सार्वजनिक वाहन के मालिक ड्राइवर को दुर्घटना पालिसी के अन्तर्गत लेने के बारे में 13 जुलाई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या

866 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विचाराधीन इस प्रश्न पर कि क्या मालिक ड्राइवर को दुर्घटना पालिसी के अन्तर्गत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय दिया गया है और इसे कब से लागू कर दिया जाएगा ; और

(ग) यदि निर्णय नहीं लिया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) मोटर बीमा पालिसी के विस्तार के रूप में निर्धारित अतिरिक्त प्रीमियम की अदायगी कर देने पर अब वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों, टैक्सियों/आटो रिक्शाओं के मालिक ड्राइवरों को भी 50,000 रुपये तक पूंजीगत लाभों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना लाभ उपलब्ध है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

काले धन के बारे में अनुमान

4760. **श्री के० प्रधानी**
श्री चित्त बसु } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार परिचालन में काले धन के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या सरकार ने कर अपवंचन के कारण राजस्व को हुई हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन बुराइयों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के काले धन के परिचालन के सम्बन्ध में सरकार ने न तो कोई अनुमान लगाया है और ना ही कर अपवंचन के कारण हुई राजस्व की हानि का कोई मूल्यांकन किया है । तथापि, सरकार, कर कानूनों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की बहुविध कार्यवाही करके और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाकर कर-अपवंचन और काले धन पर रोक लगाना चाहती है ।

महाराष्ट्र की एकाधिकार वाली कपास वसूली योजना को सहायता

4761. **श्री रामकृष्ण सदाशिव मोरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष एकाधिकार वाली कपास वसूली योजना को सहायता देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कितनी राशि स्वीकृत की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष भी केन्द्र सरकार से इसी प्रकार की सहायता देने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार ने क्या विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) वर्ष 1979-80 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ (महाराष्ट्र स्टेट को-अपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) को, जो इस योजना के अन्तर्गत. कपास के अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार का मुख्य एजेंट है, 22.50 करोड़ रुपए तथा 158·10 करोड़ रुपए के दो नकद ऋण दृष्टिबन्धन सीमाएं मंजूर करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को प्राधिकृत किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को 34·86 करोड़ रुपए की एक पुनर्वित्त सीमा भी मंजूर की थी।

(ख) से (घ) चालू वर्ष (1980-81) में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने योजना के वित्तपोषण के लिए स्वीकृतियां प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक से अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया है। जब कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तब भारतीय रिजर्व बैंक उस पर विचार करेगा।

गोआ-कर्नाटक में खोज

4765. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो ने समूचे गोआ-कर्नाटक के खनिज बहुल क्षेत्रों में व्यवस्थित खोज के लिए अध्ययन पूरा कर लिया है ताकि उन खनिजों को लाभप्रदता की दृष्टि से निकाला जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय खान ब्यूरो खनिज भण्डारों की खोज का कार्य नहीं करता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ से बाहर आने वाले यात्रियों को टिकट लेने में होने वाली कठिनाई

4766. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ से बाहर आने वाले यात्रियों को इंडियन एयरलाइन्स से टिकट लेने में अधिक कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोआ-बम्बई के टिकट दिल्ली में जारी किये जाते हैं;

(ग) क्या बुकिंग कर्मचारियों को इन टिकटों को गोआ में जारी करने का कोई प्राधिकार नहीं है; और

(घ) गोआ में इण्डियन एयरलान्स के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी यात्रियों के ग्रुप बम्बई और गोआ के बीच यात्रा करते हैं, और उनके आरक्षण विदेशी यात्रा परिचालकों द्वारा महीनों पहले करा लिए जाते

हैं, इण्डियन एयरलाइन्स का दिल्ली स्थित सैन्ट्रल स्पेस कंट्रोल ऑफिस इन उड़ानों की बुकिंगों का प्रत्येक उड़ान के प्रस्थान से आठ दिन पहले तक नियन्त्रण करता है ।

गोआ के बुकिंग कर्मचारी, प्रत्येक उड़ान के लिए 25 सीटों तक की बिक्री कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें और अधिक सीटें बेच कर उसकी सूचना सैन्ट्रल स्पेस कंट्रोल ऑफिस को दे देने की भी सुविधा है ।

(घ) इस समय इण्डियन एयरलाइन्स गोआ और बम्बई के बीच दो बोइंग उड़ाने परिचालित कर रही है । मानसून खत्म हो जाने पर दोनों बोइंग उड़ानों के स्थान पर एक एयरबस सेवा परिचालित कर दी जायेगी और इस प्रकार अधिक सीटिंग क्षमता उपलब्ध हो सकेगी ।

धनबाद जिला (बिहार में)

हथकरघा उद्योग

4767. **श्री ए०के० राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि बिहार के धनबाद जिले के देहाती इलाके में विशेषत: गोविन्दपुर ब्लाक के पलासी पंचायत क्षेत्र में हथकरघा उद्योगों ने कभी बहुत उन्नति की हुई थी, यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्योग में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिले में इस उद्योग को पुन: जीवित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) ; (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पटना और भागलपुर के बीच विमान सेवा

4768. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पटना और भागलपुर के बीच दैनिक विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो दैनिक सेवा कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार पटना से भागलपुर के बीच दैनिक विमान सेवा आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) और (ग) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु द्वारा केरल के साथ बिजली के बदले एल्यूमिनियम के विनियम समझौते पर प्रतिबंध

4769. **श्री के० ए० राजन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार को केरल और तमिलनाडु के बीच

बिजली के बदले एल्यूमिनियम के विनिमय समझौते पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी निदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) यद्यपि केन्द्रीय सरकार वस्तु-विनिमय सौदों का समर्थन नहीं करती है; तथापि उसने मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा किए गये उस करार का, गुण-दोषों के आधार पर विचार करने के बाद, अनुमोदन कर दिया है जिसके अनुसार वह कम्पनी केरल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त होने वाली 720 लाख यूनिट बिजली के बदले में बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को 3600 टन एल्यूमिनियम देगी।

तमिलनाडु में नये स्टार होटल खोलने के लिए वित्तीय सहायता

4770. **श्री एन० डेनिस** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान तमिलनाडु में नये स्टार होटलों को खोलने के लिये केन्द्रीय सरकारी वित्तीय एजेंसियों द्वारा (ए) वैयक्तिक और (दो) फर्मों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) 31 मार्च, 1980 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० वी० आई०) प्रत्येक ने तमिलनाडु में एक 5 स्टार होटल परियोजना, यथा—मद्रास स्थित ओरिएंटल होटल, को 7.50 लाख रुपये अर्थात् कुल 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की। होटल मैनेजमेंट को उक्त सहायता डबल-बैड वाले 238 वातानुकूलित कमरों की इस नई परियोजना की लागत में हुए अधिक खर्चे को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए स्वीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1980 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अवस्थित नई होटल परियोजनाओं को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, यथा—आई० एफ० सी० आई०, आई० डी० वी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया) द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता के संस्था-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है।

(ख) अन्य राज्यों और संघ क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें दी गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

विवरण

31 मार्च, 1980 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान नई होटल परियोजनाओं को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, यथा—आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता के संस्था-वार ब्यौरे।

(रुपये लाखों में)

संस्था का नाम/परियोजना की अवस्थिति	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत की गई सहायता		
		ऋण	अंडरराइटिंग	जोड़
1975-76 (अप्रैल-मार्च)				
1. डॉलफिन होटल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश	45 00	6.00	51.00
2. गुरुप्रसाद होटल्स (प्रा०) लिमिटेड, बंगलौर	कर्नाटक	4.00	—	4.00
3. जी० एल० होटल्स लिमिटेड, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	9.00	—	9.00
4. एलेल होटल्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई	महाराष्ट्र	20.00	—	20.00
5. ओरिएंटल होटल्स लिमिटेट, मद्रास	तमिलनाडु	15.00	—	15.00
6. होटल पिंक सिटी (प्रा०) लिमिटेड, आगरा	उत्तर प्रदेश	24.50	—	24.50
उप-जोड़ 1975-76 :		117.50	6.00	123.00
1976-77 (अप्रैल-मार्च)				
1. डॉलफिन होटल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश	5.00	—	5.00
2. विहार होटल्स लिमिटेड, पटना	विहार	25.00	—	25.00
3. स्पेन होटल्स (प्रा०) लिमिटेड, कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	5.50	—	5.50
4. ईस्टर्न इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड, बम्बई	महाराष्ट्र	18.00	—	18.00

1	2	3	4	5	6
5.	होटल पिंक सिटी (प्रा०) लिमिटेड, आगरा	उत्तर प्रदेश	7.50	—	7.50
6.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड,		321.00	—	321.00
	(1) आगरा	उत्तर प्रदेश और			
	(2) दिल्ली	दिल्ली			
7.	माबेरेस्ट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, पणजी	गोआ	10.00	—	10.00
	उप-जोड़ 1976-77:		392.00	—	392.00
	1977-78 (अप्रैल-मार्च)				
1.	एस. बी. प्रोपर्टीज एण्ड इन्टरप्राइजेज लिमिटेड, जयपुर	राजस्थान	32.50	16.50	49.00
2.	बनारस होटल्स लिमिटेड, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	76.09	22.00	98.00
3.	इण्डियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली	दिल्ली	69.00	—	69.00
4.	ट्रेड विंग्स लिमिटेड, गोआ	गोआ	120.00	—	120.00
	उप-जोड़ 1977-78:		297.50	38.50	336.00
	1978-79 (अप्रैल-मार्च)				
1.	होटल बंजारा लिमिटेड, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	7.00	—	7.00
2.	डॉलफिन होटल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश	17.50	—	17.50
3.	बिहार होटल्स लिमिटेड, पटना	बिहार	14.00	—	14.00
4.	एलेल होटल्स एण्ड इनवेस्टमैंट्स लिमिटेड, बम्बई	महाराष्ट्र	46.00	—	46.00

1	2	3	4	5	6
5.	त्रिमूर्ति होटल्स लि०, कटक	उड़ीसा	—	3.30	3.30
6.	नार्दर्न इंडिया होटल्स लिमिटेड, आगरा	उत्तर प्रदेश	48.00	—	48.00
7.	जयप्रकाश एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, दिल्ली	दिल्ली	140.00	24.75	164.75
	उप-जोड़ 1978-79		272.50	28.05	300.00
	1679-80 (अप्रैल-मार्च)				
1,	होटल वंजारा लिमिटेड, हैदरावाद	आन्ध्र प्रदेश	10.00	—	10.00
2.	डांलफिन होटल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश	10.00	—	10.00
3,	एलेल होटल्स एण्ड इनवेस्टमैंट्स लिमिटेड, वम्बई	महाराष्ट्र	18.00	—	18.00
4.	ट्रेड विंग्स लिमिटेड, गोआ	गोआ	57.00	—	57.00
	उप-जोड़ 1979-80:		95.00	—	95.00
	कुल जोड़—1975-76 से 1979-80 तक :		1174.50	72.55	1247.05

दिल्ली पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में उड़ान

4771. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वे छः हवाई अड्डे कौन से हैं जहां से यदि कोई विमान द्वारा दिल्ली आना चाहे तो उसे शुरू में विपरीत दिशा में विमान यात्रा करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह कोई संयुक्त क्षेत्र है जो रेल और सड़क परिवहन सेवाओं से भली-भांति जुड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन छः हवाई अड्डों में जो सर्वाधिक मध्यवर्ती और सबसे अधिक महत्व-पूर्ण है उन्हें सीधे दिल्ली से जोड़ने के लिए क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इस प्रश्न का संबंध संभवतः निम्नलिखित छः विमान क्षेत्रों से है :—

1. भावनगर
2. भुज

3. जामनगर
4. पोरवन्दर
5. राजकोट
6. वडोडरा

इन विमान क्षेत्रों से यात्री पहले बम्बई के लिए उड़ान करते हैं और वहां से दिल्ली के लिए संयोजी सेवाएं पकड़ते हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विहार में श्रम सहकारी समितियों को बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण का दिया जाना

4772. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विहार में मधुबनी और दरभंगा जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं श्रम सहकारी समितियों को पुनर्निर्माण आदि हेतु कार्य शुरू करने के लिए ऋण नहीं देती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे ऋण प्राप्त करने वालों की ठीक-ठीक संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, किसी श्रमिक सहकारी समिति ने वित्त प्राप्त करने के लिए दरभंगा और मधुबनी जिलों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध नहीं किया था। बिहार की सहकारी समितियां सामान्यतः सहकारी बैंकों से वित्त प्राप्त करती हैं। परन्तु वाणिज्यिक बैंकों ने सीमित संख्या में उन प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों का वित्त पोषण किया है जिन्हें राज्य सरकार ने इन बैंकों को सौंप दिया है।

ग्लाईडिंग क्लबों को बढ़ावा देने के लिए सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना

4773. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्लाईडिंग क्लबों को बढ़ावा देने हेतु सहायता और प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ख) क्या वहाँ मांग की तुलना में स्थानीय निर्मित और आयातित ग्लाइडर कम संख्या में हैं; और

(ग) क्लबों को ग्लाइडरों के लिए हैंगर रखने के लिए क्या वित्तीय सहायता दी जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सरकार द्वारा दी गई सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) पूंजीगत उपस्कर अर्थात ग्लाइडरों तथा विंचों के लिए ऋण।

(2) हैंगर सुविधाएं, नाममात्र किराए पर कार्यालय स्थान, जहां कहीं उपलब्ध हो, देना।

(3) लांचों के लिए कोई अवतरण प्रभार नहीं लिए जाते।

(4) परिचालन एवं संधारण संबंधी खर्चों की पूर्ति करने के लिए आर्थिक सहायता।

(ख) फिलहाल, जी, हां।

(ग) हैंगर सुविधाएं, जहां कहीं उपलब्ध होती हैं, नाममात्र किराए पर प्रदान की जाती हैं।

राजस्थान में जिप्सम के निक्षेप

4774. **श्री दौलतराम सारण:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिप्सम वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इसके निक्षेपों की कितनी मात्रा का अनुमान लगाया गया है;

(ख) राजस्थान में किन-किन स्थानों में जिप्सम निकाला गया है और इसकी कितती मात्रा निकाली गई है;

(ग) किस प्रयोजन के लिए जिप्सम का उपयोग किया गया है और इसकी कितनी मात्रा राजस्थान से बाहर भेजी गई थी और यह किन-किन स्थानों को भेजी गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि हनुमानगढ़ में जिप्सम पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार ने इसके लिए भूमि और भाखड़ा से 25 मैगावाट पावर आरक्षित की थी जो बाद में डी० सी० एम० कोटा को आबंटित की गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राजस्थान में जिप्सम वाले क्षेत्रों के नाम और उनके निक्षेपों की मात्रा के बारे में एक विवरण संलग्न है (अनुबंध-1)। **(ग्रंथालय में रखा गया, देखिये** संख्या एल० टी०—1110/80)

(ख) वर्ष 1979 में निकाले गए जिप्सम की मात्रा और स्थानों के नामों का विवरण संलग्न है (अनुबंध-2)। **(ग्रंथालय में रखा गया, देखिये** संख्या एल० टी०—1110/80)

(ग) जिप्सम का उपयोग मुख्यत: सीमेंट उद्योग, उर्वरकों में, क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने में तथा प्लास्टर आफ पेरिस आदि में होता है। राजस्थान में प्राप्त जिप्सम मुख्यत: उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि प्रदेशों में विभिन्न स्थानों को सीमेंट कारखानों तथा भूमि को उपजाऊ बनाने और अन्य कार्यों के लिए भेजा जाता है। राजस्थान के बाहर भेजे गए जिप्सम की मात्रा और उन स्थानों के नाम, जहां जिप्सम भेजा गया, संलग्न अनुबंध-3 में दिए गए हैं। **(ग्रंथालय में रखा गया, देखिये** संख्या एल० टी०—1110/80)

(घ) प्रारंभ में, राजस्थान में हनुमानगढ़ में जिप्सम पर आधारित उर्वरक कारखाना लगाने की योजना थी। लेकिन बाद में तकनीकी दृष्टि से विचार करने पर यह राय बनी कि सल्फेट उर्वरक अनावश्यक था। अत: हनुमानगढ़ में उर्वरक कारखाने की योजना रद्द कर दी गई। डी० सी० एम० के कोटा स्थित कैलशियम कारबाइड और पी० वी० सी० कारखाने के लिए भाखड़ा पावर (उत्तरी राजस्थान में) उपयोग का प्रश्न ही नहीं था।

राजस्थान में खनिजों के लिए सर्वेक्षण

4775. **श्री दौलतराम सारण :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जो खनिज निकाले जाते हैं उनके मात्रा-वार नाम क्या हैं तथा उनसे

कितनी वार्षिक आय होती है ;

(ख) उन खनिजों के नाम क्या हैं जो खनिजों पर आधारित उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त हैं तथा किन-किन खनिजों के आधार पर उद्योग विद्यमान हैं ; और

(ग) उनमें से किन-किन खनिजों को खान से निकालने और सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) निकाले गए खनिजों के मात्रा-वार नाम संलग्न विवरण में हैं। इन खनिजों से 1978-79 में रायल्टी से 9.00 करोड़ रुपये की वार्षिक आय हुई। उस वर्ष में राक फास्फेट की बिक्री से 16.10 करोड़ रुपये की आय हुई।

(ख) खनिज-आधारित उद्योगों के लिए उपयुक्त सक्षम खनिज हैं—सीसा, जस्ता, तांबा-अयस्क, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टस, घियापत्थर, जिप्सम, कांच रेत, फ्लूराइट, वैराइट्स, मिट्टी, बैंटोनाइट, मुलतानी मिट्टी आदि। उन खनिजों के नाम, जिन पर इस समय उद्योग चल रहे हैं, निम्नलिखित हैं—मिट्टी, कांच रेत, क्वार्टज और क्वार्टजाइट, चूनापत्थर, वैराइट्स, रॉक फास्फेट, बैंटोनाइट, और मुलतानी मिट्टी, जिप्सम, एस्बेस्टस, घियापत्थर, पाइरोफिल्लाइट, रक्तमणि/गोमेद, आधार धातु, सीसा, जस्ता, तांबा अयस्क, फेलस्पार, अभ्रक, संगमरमर, रक्तमणि स्लेट, चूनापत्थर, कैल्साइट, बोलेस्टोनाइट, फ्लूराइट, डोलोमाइट, सिचिकामय मिट्टी और पाइराइट।

(ग) सरकारी क्षेत्र में पहले से निकाले जा रहे महत्वपूर्ण खनिज हैं—आधार धातुएं (सीसा-जस्ता-तांबा) टंगस्टन, रॉक फास्फेट, फ्लूराइट, वैराइट, ग्रेनाइट, स्लेट, बेन्टोनाइट, (बढ़िया किस्म), पाइराइट आदि। नए निक्षेपों में भी इन खनिजों का खनन सरकारी क्षेत्र में जारी रहेगा। इसके अलावा लिग्नाइट का खनन और उपयोग भी सरकारी क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है।

विवरण

राजस्थान में 1979-80 में खनिज-वार उत्पादन

क्रम संख्या	खनिज	यूनिट	उत्पादन (1979-80)
1	2	3	4
	प्रमुख खनिज		
1.	एस्बेस्टस	हजार टन	27·6
2.	वैराइटस	,,	5·2
3.	वेल्साईट	,,	26·6
4.	चीनी मिट्टी और व्हाइट क्ले	,,	137·1
5.	तांबा अयस्क	,,	1124·4
6.	डोलोमाइट	,,	25·4

1	2	3	4
7. मरकत मणि		कि० ग्रा०	0·75
8. फ्लेसपार		हजार टन	39·1
9. फ्ल्यूराईट		,,	3·5
10. फायरक्ले		,,	28·6
11. रक्त मणि		एवे० टन	15.00
12. जिप्सम		हजार टन	796·2
13. ग्रेफाइट		,,	2·1
14. लौह अयस्क		,,	16·6
15. लैटराइट		,,	16·0
16. चूना-पत्थर		,,	2520·7
17. सीसा जस्ता और चांदी		,,	1118·2
18. माइका (अभ्रक)		टन	0·834
19. मैंगनीज अयस्क		—	—
20. पाइरोफिलाइट		हजार टन	5·9
21. क्वार्टज		,,	27·5
22. राक फास्फेट		,,	515·3
23. लाल और पीला गेरु		,,	29·7
24. घीया पत्थर		,,	274·8
25. स्लेट स्टोन		,,	69·0
26. सिलिका सैंड		,,	114·4
27. सेलेनाइट		,,	10·7
28. वेलेस्टोनाइट		,,	3·8
29. मैंगनेसाइट		,,	1·2
30. जेस्फार		,,	3·3
31. काइनाइट		—	—
32. टंगस्टन		टन	34·0
33. कोरेंडम		—	—
34. सिलिकामय मिट्टी			274·8
35. वाल क्ले		हजार टन	37·7
36. सल्फर		—	4494·3
37. नीलम		कि० ग्रा०	—
38. वर्गीक्यूलाइट		टन	150·0
39. एपिडोट		—	—
40. रेड आक्साइड		—	—

1	2	3	4
41.	गोयेद	—	—
गौण खनिज			
1.	भवन पत्थर	हजार टन	22590·0
2.	चूना पत्थर	,,	1180·0
3.	संगमरमर	,,	225·0
4.	मुल्तानी मिट्टी	,,	14·0
5.	वेंटोनाइट	,,	24·0
6.	इष्टिका भूमि और साधारण मिट्टी	,,	2950·0
7.	साल्टपीटर	,,	1·0
8.	ग्रेनाइट	,,	1·0

वी०एस०एल० के आस-पास के गांवों का विकास

4776. **श्री ए०के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने इस्पात कारखानों के आस-पास के गांवों का विकास करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के लिए वी०एस०एल० के कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में तत्सम्बन्धी का क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अधीन कारखानों ने अपने कार्य-क्षेत्र के इर्द-गिर्द के ग्रासीण क्षेत्रों का विकास करने की अपनी सामाजिक वचनवद्धता को पूरा करने के लिए वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक के लिए एक विकास कार्यक्रम तैयार किया है तथा सेल के निदेशक मंडल ने 72 लाख रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। जहां तक बोकारो इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है, वर्ग 1980-81 के लिए इसकी योजनाएं नीचे दी गई हैं :—

क्र० सं	मद	व्यवस्था
1	2	3
1.	साधारता योजना	1,00,000 रुपए
2.	औषधियां	20,000 रुपए
3.	स्वास्थ्य योजनाएं	20,000 रुपए
4.	पशू पालन योजनाएं	20,000 रुपए
5.	विद्यालय-भवन की छोटी-मोटी मरम्मत/नवीकरण	1,00,000 रुपए
6.	कुओं की मरम्मत	1,000,000 रुपए

1	2	3
7.	हैंड-पम्प लगाना	67,000 रुपए
8.	सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करना	67,000 रुपए
9.	कृषि सम्बन्धी विकास कार्य	66,000 रुपए
10.	सड़कों का विकास	1,00,000 रुपए
		6,60,000 रुपए

उद्योगों में श्रमिक निदेशक की नियुक्ति

4777. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्ध-मंडल में श्रमिकों के भाग लेने के एक प्रयोग के रूप उद्योगों-विशेष कर सरकारी संस्थानों में श्रमिक निदेशकों को नियुक्त करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या ऐसे उद्योग हैं जहां श्रमिक-निदेशक नियुक्त हैं यदि हां, तो कहां-कहां पर ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं और नियुक्त निदेशकों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रयोग के परिणाम आशाप्रद हैं यदि हां, तो क्या सरकार का नए उद्योगों में यह योजना लागू करने का विचार है ; और

(घ) यहि नहीं, तो सरकार उद्योगों में श्रमिकों द्वारा किस अन्य रूप में भाग लिए जाने के बारे में विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के प्रबन्धक मण्डलों में कामगारों के प्रतिनिधियों को निदेशक के रूप में नियुक्त करने की योजना 1971 में कुछ चुने हुए उद्यमों जैसे नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०, पिम्परी, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स, रसायनी में प्रायोगिक आधार पर चालू की गई थी। बाद में इन तीनों उद्यमो में यह योजना समाप्त कर दी गई। समय-समय पर कुछ अन्य उद्यमों ने भी अपने प्रबन्धमंडल में श्रमिक निदेशक रखे है। उन उद्यमों में भी यह योजना किसी न किसी कारण से चालू नहीं रह सकी।

(ग) और (घ) सरकारी उद्यमों के प्रबन्धक मण्डलों में कामगारों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की जो योजना 1971 में चालू की गई थी, वह केवल मामूली सी ही सफल सिद्ध हुई। अतः सरकार ने प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी सम्बन्धी समिति नियुक्त की जिसने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कामगारों की भागीदारी की त्रिस्तरीय प्रणाली अर्थात निगम स्तर पर, कारखाना स्तर पर तथा निर्माणशाला स्तर पर अपनाई जाने वाली प्रणाली की सिफारिश की गई थी। सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय नही किया है। किन्तु, सरकार ने पहले सरकारी क्षेत्र के विनिर्माणकारी और खनन एककों तथा सेवा प्रदायी एवं वाणिज्यिक संगठनों में निर्माणशाला और कारखाना स्तर पर यह योजना लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए थे। सरकारी उद्यम कार्यालय और श्रम मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर इस बात को लेकर समय-समय पर जोर देते रहे हैं कि यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया हो तो वे इस योजना को शीघ्र ही लागू कर दें।

पटसन की एकाधिकार खरीद नीति में परिवर्तन

4778. **श्री मुकंद मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटसन की एकाधिकार खरीद नीति पटसन उत्पादकों के लिए लाभदायक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पटसन की एकाधिकार खरीद नीति का पालन करने/समाप्त करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चूंकि सरकार ने कभी कच्चे पटसन की एकाधिकार खरीद नीति का आश्रय नहीं लिया इसलिए इससे पटसन उत्पादकों के लिए अलाभदायक होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उटते ।

अमरीका को निर्यात की गई श्रिम्प मछली की जाँच

4779. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमरीका ने भारत की श्रिम्प मछली के निर्यातकों को सूचित किया है कि वे सड़ा हुआ माल स्वीकार नहीं करेंगे ;

(ख) क्या सरकार को द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत अमरीका को मानक किस्म की श्रिम्प मछली के निर्यात की जांच करने का कोई कानूनी अधिकार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) खाद्य तथा भेषज प्रशासन, संयुक्त राज्य अमेरीका ने भारतीय श्रिम्पों को बंगला देश, हांगकांग ताइवान, इंडोनेशिया तथा थाइलैंड जैसे अन्य उत्पादक देशों के साथ अक्तूबर, 1978 से ब्लाक सूची में से निकाल दिया गया है ।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में भारतीय निर्यात निरीक्षण अभिकरण है, जिसे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत निर्यात हेतु श्रिम्पों तथा अन्य समुद्री उत्पादों का निरीक्षण करने और निर्धारित क्वालिटी मानकों के साथ उनका अनुपालन सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार है ।

(ग) लागू नहीं होता ।

इस्पात संयंत्रों को कोयले की अपर्याप्त सप्लाई

4780. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक इस्पात संयंत्रों ने शिकायत की है कि उनको संयंत्र चलाने के लिये कोयले की पर्याप्त मात्रा नहीं मिली है;

(ख) क्या उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड को चेतावनी दी है कि यदि कोयले की उन्हें सप्लाई न मिली तो वे अपने संयंत्रों को बन्द कर देंगे; और

(ग) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इन संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की कोककर कोयले की 14.11 मिलियन टन की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले में उन्हें वर्ष 1980-81 की पहली तिमाही में 2.56 मिलियन टन कोककर कोयला प्राप्त हुआ था, जो प्रतिवर्ष 10.24 मिलियन टन बैठता है। कोककर-कोयले की कम सप्लाई के कारण इस्पात कारखानों ने चालू महीने में अपनी ओवन-पुशिंग की दर में 13.5 प्रतिशत की कटौती कर दी है। यदि कोककर कोयले की सप्लाई में और कमी हुई तो कोककर कोयले की वास्तविक प्राप्ति और खपत में तालमेल रखते हुए उन्हें ओवन-पुशिंग की दर में और कटौती करनी पड़ेगी।

(ग) कोयला विभाग ने बताया है कि देश में कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं, जैसे खानों को बिजली तथा अन्य आवश्यक आदानों की सप्लाई में वृद्धि करना, वर्तमान खानों का पुनर्निर्माण करना तथा नई खानें खोलना।

डागली समिति प्रतिवेदन

4781. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रणों तथा राज सहायता विषयक वाडोलाल डागली समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) औद्योगिक लाइसेंस देने, उद्योगों के आरक्षण, सरकारी क्षेत्र के एककों तथा आयात, निर्यात और कैपिटल इशु के बारे में इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन सुझावों पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में डागली समिति ने सुझाव दिया है कि प्रतिबन्धित उद्योगों की सूची समय-समय पर घोषित की जानी चाहिए। अन्य उद्योगों में से कुछ उद्योगों को रोजगार के हित में केवल ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। कुछ अन्य उद्योग केवल उन लघु उद्योगों के लिये खुले होने चाहिए जिनके द्वारा संयंत्र और उपस्करों के लिये 10 लाख रुपये का निवेश किया जाए। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची जारी रखी जानी चाहिये। एक 'खुली' सूची होनी चाहिए जिसमें शामिल उद्योगों के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें बिना किसी प्रतिबन्ध के क्षमता उत्पन्न करने की अनुमति दी जाएगी वशर्ते कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो, उसके लिये अनुमति मिल गई हो। शेष सभी उद्योगों के लिये, चाहे वे मध्यम और बड़े उद्योग हों, लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि आयात/निर्यात नीति तीन वर्षों के लिए विधिमान्य होनी चाहिए ताकि उत्पादन के ढांचे में उपयुक्त फेरबदल किया जा सके। एक आयात/निर्यात नीति बोर्ड को, आयात/निर्यात नीति के निर्धारण और आयोजन का अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहिए तथा खुली, प्रतिबंधित और सीमति मदों की सूचियों की समीक्षा करनी चाहिए। समिति

ने, सम्पूर्ण उत्पादन योजनाओं के अनुरूप निर्यात योजनाएं तैयार करने, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ता की शर्त को हटाने, सरकारी क्षेत्र के माध्यम अभिकरणों के जरिये निर्यात और आयात के लिये निर्धारित वस्तुओं की सूची की समीक्षा करने, टैरिफ तंत्र के जरिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने, नकद सहायता दरों की समीक्षा करने, चुनी हुई मदों के लिये निर्यात सहायता देने आदि की भी सिफारिश की।

जहां तक पूंजी निर्गमों का संबंध है समिति ने यह राय अभिव्यक्त की कि इस प्रणाली को और अधिक सरल बनाया जाना चाहिये जिसके पश्चात् पूंजी निर्गमों पर से नियंत्रण को हटा लिया जाना चाहिये क्योंकि इसकी अब कोई उपयोगिता नहीं रही है।

(ग) समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

खाद्य तेलों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति

4782. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य तेलों के विषय में एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तेलों के लिए बाजार-व्यवस्था, मूल्य-निर्धारण तथा वितरण के विशेष संदर्भ में उक्त नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने पाम तेल तथा रेपसीड जैसे खाद्य तेलों और तिलहनों के आयात पर भी विचार किया है; और

(घ) देश में सोयाबीन की फसल उगाने पर विचार करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) खाद्य तेलों की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखने की दृष्टि से सरकार द्वारा प्रत्येक तेल वर्ष (अर्थात् नवम्बर-अक्तूबर) के अग्रितम में योजना बनाई जाती है। खाद्य तेलों से सम्बन्धित एक योजना तैयार की जाती है, जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले तेल वर्ष में सम्भावित स्थिति क्या होगी। इसमें इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि आलोच्य वर्ष के दौरान देश में तिल-हनों/खाद्य तेलों का कितना उत्पादन होगा, उनकी कितनी मांग होगी और उनके बीच कितना अन्तर रहेगा।

31 अक्तूबर, 1980 को समाप्त होने वाले चालू तेल वर्ष 1979-80 की खाद्य तेल योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :–

1. मांग और देश में उपलब्ध मात्रा के बीच के अन्तर को प्रभावी रूप से पाटने के लिये, राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेलों का आयात करने की वर्तमान नीति को जारी रखा जा रहा है। देश में होने वाले उत्पादन, अधिक होना चाहिए।

(घ) देश में सोयाबीन की खेती करने के लिए निम्नांकित कदम उठाने की योजना बनाई गई है :—

1. सोयाबीन के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 5 राज्यों में एक गहन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ, इस योजना का

उद्देश्य किसानों के खेतों में प्रदर्शन देना, बीज उत्पादन प्रबन्धों को मजबूत करना तथा किसानों व विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना है।

2. इसके अतिरिक्त, राज्य अपनी निधियों में से सोयाबीन के विकास का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।

3. अन्तर्वर्ती तथा अन्तराल फसलों द्वारा सोयाबीन के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना।

4. अनुसन्धान प्रयास तेज करना, और

5. सोयाबीन की फसल के विपणन के लिये मान्य मूल्य समर्थन कार्रवाई जारी रखना।

कृषि वित्त निगम द्वारा गोबर की गैस संयंत्र लगाया जाना

4783. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कृषि वित्त निगम ने देश भर में गोबर गैस संयंत्र (बायो गैस संयंत्र) लगाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार योजना क्या है और 1980-81 और 1982 के लिए कौन-कौन से क्षेत्र चुने गए हैं;

(ग) इनमें से कितने संयंत्र मध्य प्रदेश में विशेषकर राजगढ़, विदिशा और गुना जैसे पिछड़े जिलों में लगाए जायेंगे;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के सफल बनाने के लिये बैंकों, राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी नहीं। परन्तु, कृषि वित्त निगम गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण सुविधायें प्रदान करने का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से अपने सदस्य बैंकों के माध्यम से सहायता देने के लिए राजी हो गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जिला तथा राज्य स्तर पर स्थापित समन्वय समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह की योजनाओं को कार्यान्वित करने में समन्वय स्थापित करेंगी। इन समितियों में संबंधित क्षेत्र में कार्यरत बैंकों तथा संबद्ध राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रतिनिधि होते हैं।

जीवन बीमा निगम की पत्रिका 'योगक्षेम' में कुछ लेखों का प्रकाशित किया जाना

4784. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के एक निदेशक ने जीवन बीमा निगम की पत्रिका "योगक्षेम" में कुछ लेखों को प्रकाशित किए जाने के बारे में आपत्ति की है;

(ख) क्या लेख के लेखक ने इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र अहमदाबाद के कार्यकारी न्यासी (एक्सक्यूटिव ट्रस्टी) श्री मनुभाईशाह ने पालिसीधारकों के साथ धोखाधड़ी (ए फ्राड आन पालिसी होल्डर्स) शीर्षक से एक नोट प्रकाशित

किया था । जीवन बीमा निगम के बोर्ड के सदस्य श्री एन० सी० कृष्णन ने अपने एक लेख में, जो "दि हिन्दू' के दिनांक 6 नवम्बर, 1978 के अंक में छपा था, उक्त नोट में की गई आलोचना के कुछ तथ्यों पर विचार व्यक्त किये थे तथा उनके इस लेख को "योगक्षेम" के दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 के अंक में उद्धृत किया गया था । हालांकि श्री कृष्णन के लेख के जवाब में श्री शाह का उत्तर "दि हिन्दू" के दिनांक 4 दिसम्बर,1978 के अंक में प्रकाशित हो गया था फिर भी वे चाहते थे कि उनके जवाबी लेख को "योगक्षेम" में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए । जीवन बीमा निगम के जन सम्पर्क और प्रचार प्रबन्धक ने "योगक्षेम" में उनके जवाबी लेख को प्रकाशित करवाने में अपनी असमर्थता के लिए खेद व्यक्त कर दिया । इसके पश्चात श्री शाह ने "योगक्षेम" में अपने जवाबी लेख को प्रकाशित करवाने के प्रयोजन से जीवन बीमा निगम को निदेश जारी करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में परमादेश रिट के लिए समावेदन कर दिया । गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि श्री शाह (याची) को आलोचना के उद्देश्य से "योगक्षेम" पत्रिका उपलब्ध करने से इन्कार करना याची के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और न्यायालय ने एक परमादेश रिट जारी कर दी है तथा जीवन बीमा निगम को "योगक्षेम" में जवाबी लेख प्रकाशित करने का आदेश दे दिया है । जीवन बीमा निगम ने सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के सम्बन्ध में पुनर्विचार के लिए विशेष इजाजत अर्जी दायर कर दी और न्यायालय ने 14 जुलाई, 1980 को यह अर्जी ग्रहण कर ली है तथा गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रवर्त्तन के विरुद्ध एकतरफा अन्तः कालीन रोक लगा दी है ।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए परीक्षा का आयोजन

4785. **श्रीमती प्रभिला दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक एसोसिएटस बैंक प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए परीक्षा का आयोजन करता रहा है;

(ख) क्या ऐसी कोई परीक्षा जून, 1980 के महीने में होने वाली थी;

(ग) क्या यह परीक्षा रद्द कर दी गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि यद्यपि वह बैंक अब तक परिवीक्षा (प्रोबेशनरी) अधिकारियों की भर्ती के लिए सम्मिलित लिखित परीक्षा का आयोजन करता रहा है परन्तु चालू वर्ष से सहयोगी बैंकों में प्रोबेशनरी अधिकारियों की भर्ती के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय किया गया है । मूलतः रविवार, पहली जून, 1980 को ली जाने वाली परीक्षा विधान सभा के चुनावों के कारण 15 जून, 1980 तक स्थगित कर दी गई थी । परीक्षा की संशोधित तारीख सभी प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित की गई थी । भारतीय स्टेट बैंक ने यह पुष्टि की है कि यह परीक्षा सभी केन्द्रों में 15 जून, 1980 को आयोजित की गई थी ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमेंट का आयात

4786. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष राज्य व्यापार निगम विदेशों के साथ करार किए गए सीमेंट की पूरी मात्रा का आयात नहीं कर सका था ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी): जून, 1979 से जून, 1980 की अवधि के दौरान जितना सीमेंट आने की योजना थी वह पूरा प्राप्त हो चुका है।

ब्रिटेन से सहायता

4787. **श्री पी. एम. सईद**
श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भारत की वित्तीय सहायता में कटौती करने के बारे में ब्रिटेन सरकार के निर्णय का प्रभाव अनुभव करने लगी है और क्या ब्रिटेन सरकार ने भारत से आयात पर रोक लगाने के बारे में भी निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन ने किस हद तक सहायता में कटौती की है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ब्रिटेन द्वारा क्या सहायता दी गई;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह कितनी कम होगी;

(ङ) क्या इससे उन परियोजनाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा जो पहले ही क्रियान्वित की प्रक्रिया के अन्तर्गत है; और

(च) क्या ब्रिटेन सरकार के इस निर्णय से पैदा होने वाले अन्तराल को भारत पूरा करने में समर्थ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) यूनाइटेड किंगडम से जिस सीमा तक कम सहायता उपलब्ध है, विकास के लिए भी उसी सीमा तक कम साधन उपलब्ध हैं। जहाँ तक भारत से आयात करने का संबंध है युनाइटेड किंगडम की सरकार ने कोई नई पाबंदियां नहीं लगाई हैं।

(ख) से (घ) 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान यूनाइटेड किंगडम की कुल संवितरित सहायता की राशि क्रमशः 1348 लाख पौण्ड स्टर्लिंग (134.8 मिलियन पौण्ड) तथा 1208 लाख पौण्ड स्टर्लिंग (120.8 मिलियन पौण्ड) की थी। आशा है कि चालू वर्ष में भी संवितरण राशि लगभग उतनी ही होगी जितनी कि 1979-80 में थी।

(ङ) जी नहीं।

(च) यूनाइटेड किंगडम की सहायता में हुई कमी को, कमोवेश, भारत के निजी साधनों से पूरा करना होगा।

आयकर के छापे

4788. **श्री पी. एम. सईद**
श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा पूरे देश में जून, 1980 के दौरान बहुत से छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में 19 जून, 1980 को दिल्ली के एक डाक्टर से तत्काल 16 लाख रुपये जब्त किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल कितने छापे मारे गए थे और इन छापों से नकद धनराशि और वस्तुओं के रूप में कितनी वसूली हुई; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार पकड़े गये सभी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ। इस मंत्रालय को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, आयकर विभाग ने जून 1980 में सारे देश में 143 तलाशियां लीं।

(ख) 18 जून 1980 को, दिल्ली में एक चिकित्सक से 15,64,410 रु० की रकम पकड़ी गई है।

(ग) कृपया आंकड़े विवरण में देखें।

(घ) इन सभी मामलों की जांच की जा रही है।

विवरण

जून 1980 के दौरान विभिन्न राज्यों में ली गई तलाशियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	जब्त की गई मदों का मूल्य (रु०)
1.	उत्तर प्रदेश	7	3,72,465
2.	बिहार	18	31,21,352
3.	गुजरात	7	कुछ नहीं
4.	महाराष्ट्र	13	5,43,640
5.	पश्चिम बंगाल	28	1,29,00,000
6.	दिल्ली	23	33,30,838
7.	तमिलनाडु	15	25,18,269
8.	हरियाणा	2	1,04,180
9.	कर्नाटक	25	70,87,672
10.	पंजाब, हिमांचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर	4	5,62,949
11.	केरल	1	कुछ नहीं
		143	3,05,41,365

(अन्य राज्यों के संबंध में या तो सूचना कुछ नहीं है या माह जून 1980 के संबंध में कोई रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं हुई हैं)

'ट्रांसनेशनल' निगमों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक

4789. **श्री पी. एम. सईद**
श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री गुलाल रसूल कोचक } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय किया था कि टी. एन. सी. आई. एस. आचार संहिता बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र पेनल गठित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या 'ट्रांसनेशनल' निगमों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक ट्रांसनेशनल निगमों के लिए आचार संहिता को अन्तिम रूप देने के लिए 23 जून, 1980 को मेक्सिको में हुई थी;

(ग) यदि हां, तो बनाई गई आचार संहिता का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस निर्णय से भारत सरकार को कहां तक सहायता मिलेगी; और

(ङ) क्या भारत सरकार ने बनाई जा रही इस आचार संहिता की पैरवी की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) ट्रांसनेशनल निगमों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग के तत्वाधान में स्थापित एक अन्तः सरकारी कार्यकारी दल को, ट्रांसनेशनल निगमों के लिए आचार संहिता बनाने का काम सौंप दिया गया है।

(ख) ट्रांसनेशनल निगमों संबन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग ने 23 जून से लेकर 4 जुलाई 1980 तक अपना अधिवेशन मैक्सिको में सम्पन्न किया। इस अधिवेशन में, कुछ मुख्य-मुख्य मामलों पर बातचीत हुई।

(ग) ट्रांसनेशनल निगमों सम्बन्धी आचार संहिता के बारे में अभी भी बातचीत चल रही है और इस समय यह बताना व्यवहार्य नहीं है कि इस संदर्भ में किन-किन क्षेत्रों में कितनी सहमति हुई है। किन्तु यह बात जरूर है कि आचार संहिता का आशय विकासशील देशों को हानि व चिन्ता पहुंचाने वाले मामलों के लिए निवारक व्यवस्था करना है ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि ट्रांसनेशनल निगमों के कार्यप्रवर्तने से ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और उसका हानिकारक असर कम से कम हो।

(घ) और (ङ) आचार संहिता, भारत जैसे विकासशील देशों को, ट्राँसनेशनल निगमों की गतिविधियों को विनियमित करने में सहायता पहूंचाएगी। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग तथा अन्तः सरकारी कार्यकारी दल की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है।

हथकरघा बुनकरों की मांगें

4790. **श्री पी. एम. सईद**
श्री गुलाम रसूल कोचक } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असंगठित हथकरघा बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाने की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के लिये उनकी एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सभी राज्यों से हथकरघा बुनकरों को बुलाया था;

(ग) यदि हां, तो उनके साथ किन-किन बातों पर विचार विमर्श किया गया था;

(घ) विचार विमर्श के पश्चात् क्या निर्णय लिया गया था; और

(ङ) क्या उनकी सभी मांगों पर विचार-विमर्श किया गया था और मांगों को स्वीकार कर लिया गया था ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रस्तावित बैठक अभी तक नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात राज्य में राजकोट जिले के गाँव नवज मेंगानी में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र की शाखा खोलना

4791. **श्री रामजीभाई मावीण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला राजकोट (गुजरात) के नवज मेंगानी गांव में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र की कोई शाखा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में ग्रामीण कृषि तथा लघु उद्योगों के विकासार्थ इस गांव में एक बैंक खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण बैंक खोलने का आवश्वासन दे रखा है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त गाँव में ग्रामीण बैंक खोलने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां। किन्तु यह सूचित किया गया है कि इस गांव की बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताएं, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र की लोधिका शाखा द्वारा पूरी की जा रही हैं जो कि इस गांव से केवल चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(ख) से (घ) बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने तथा ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों की भौगोलिक व्याप्ति में सुधार लाने के लिये, रिजर्व बैंक की वर्तामन शाखा लायसैंसिंग नीति के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि 1979-81 की अवधि के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार प्रयासों में मुख्य रूप से कम बैंकिंग सुविधा वाले उन जिलों के बैंक रहित ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी स्थानों में जिनकी व्याप्ति प्रति ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा 20,000 व्यक्तियों से कम है, बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान दिया जाए। अलबत्ता. इसका अर्थ बेहतर बैंकिंग सुविधाओं वाले जिलों में भी सीमित शाखा विस्तार कार्यक्रम को रोकना नहीं है, बशर्ते कि राज्य सरकारें यह महसूस करती हों कि उनकी विकास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए किसी विशिष्ट स्थान पर बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, कम बैंक वाले तथा बेहतर बैंकिंग सुविधाओं से पूर्ण, दोनों प्रकार के जिलों में नई शाखायें खोलने के बारे में अन्तिम निर्णय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजकोट जिला बेहतर बैंकिंग सुविधाओं से युक्त है जहां पर प्रति 15,000 ग्रामीण/अर्ध-शहरी व्यक्तियों के लिये एक शाखा है तथा राज्य सरकार ने इस जिले में कोई अन्य शाखा खोलने का सुझाव नहीं दिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धनबाद जिला, बिहार में दिये गये ऋण

4792. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनवाद जिले में 1 मई, 1980 के दिन कितने व्यक्तियों अथवा कंपनियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से 50,000 रु० से अधिक राशि के ऋण ले रखे थे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त ऋण किन प्रयोजनों के लिये दिये गए थे;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर उक्त ऋणों का उपयोग निर्धारित से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में उस रूप में आंकड़े देने की व्यवस्था नहीं है जिस रूप में वे मांगे गए हैं। दिसम्बर 1977 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बिहार के धनवाद जिले में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की बकाया राशि के व्यवसायवार वर्गीकरण से सम्बन्धित उपलब्ध आँकड़े नीचे दिए गए हैं :—

दिसम्बर 1977 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बिहार के धनबाद जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की बकाया राशि :—

क्षेत्र	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1. कृषि	1151	31.88
2. उद्योग	940	4928.66
3. व्यापार	1234	216.68
जिसमें से :—खुदरा व्यापार	1145	150.00
4. परिवहन चालक	2029	303.06
5. सेवाएं	770	57.49
6. वैयक्तिक ऋण	2612	64.65
7. अन्य सभी	2031	104.32
कुल बैंक ऋण :	10767	5705.94
जिसमें से :—		
छोटे पैमाने के उद्योग	645	494.88

(ग) और (घ) वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं कि ऋणों की राशि उसी प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय जिसके

लिए उसे स्वीकार किया गया है। लेकिन निधियों के परिवर्तन का कोई विशिष्ट मामला जब सरकार/रिजर्व बैंक/बैंकों के ध्यान में लाया जाता है तो उसकी उपयुक्त स्तर पर जांच पड़ताल की जाती है।

बाजार में छोटे सिक्कों का चलन

4793. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री के० मालन्ना : } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में दो नये पैसों और तीन नये पैसों के सिक्के स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) शायद लोगों को यह आशंका है कि ये सिक्के विधिमान्य नहीं हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए समय-समय पर स्पष्ट करता रहा है कि ये सिक्के विधिमान्य हैं तथा जनता से सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, राजकोषों तथा उपराजकोषों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।

पोस्त की भूसी को चोरी-छिपे मध्य प्रदेश से राजस्थान ले जाया जाना

4794. **श्री एच. एन. ननजेगौडा**
श्री के. लकप्पा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश से पोस्त की भूसी की काफी बड़ी मात्रा को चोरी, छिपे राजस्थान ले जाया जा रहा है;

(ख) क्या वहां पोस्त की भूसी को शराब के विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है; और

(ग) इस मामले में क्या निवारक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) मध्य-प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

डाक्टरों, हकीमों और वकीलों की आय पर आय-कर

4795. **श्री एच. एन. नन्जेगौडा**
श्री के. लकप्पा) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने हाल ही में दिल्ली के एक डाक्टर/हकीम के क्लीनिक और निवास-स्थान से भारी धनराशि जब्त की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) बड़े डाक्टरों/हकीमों और वकीलों द्वारा अर्जित की गई राशि छिपाई न जाय इसके लिये उनके मंत्रालय के पास क्या नियंत्रण है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग ने 18 जून, 1980 को बाड़ा हिन्दूराव, दिल्ली के डा० मोहम्मद नईम के निवास तथा क्लीनिक पर छापा मारा था और 15,64,410 रुपये की नकदी पकड़ी थी।

(ग) आयकर विभाग, अपनी सर्वेक्षण-कार्यवाही तथा सतर्कता-तंत्र के जरिये हकीमों, चिकित्सकों तथा अधिवक्ताओं जैसे व्यावसायिकों द्वारा अर्जित आय पर कड़ी निगरानी रखता आ रहा है।

पुनः बेखन योग्य इस्पात वितरण के ढांचे में परिवर्तन

4796. **श्री वी०वी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यहा सच है कि राज्य सरकारों को पुनः बेलन-योग्य इस्पात के वितरण के ढांचे में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) राज्यों को इस्पात के कोटे के वितरण के लिये सरकार द्वारा इस समय क्या कसौटी अपनाई जाती है और राज्यों द्वारा राज्य में स्थित औद्योगिक एककों को अपने कोटे का वितरण किस प्रकार से किया जाता है;

(ग) क्या औद्योगिक एककों ने वितरण प्रणाली में परिवर्तन की मांग की थी क्योंकि इसके कार्यकरण से इस्पात के औद्योगिक एकक सन्तुष्ट नहीं है;

(घ) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनके द्वारा आगे इस्पात एककों को बांटने हेतु इस्पात अथवा पुनः बेलन योग्य इस्पात के वितरण की वर्तसान नीति में कौन से परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ङ) ये परिवर्तन कब तक किये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, अतः राज्यों को इस्पात के कोटे के वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता। इस्पात का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाए तथा घोषित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है।

(ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तबनाते समय ऐसे सभी अभ्यावेदनों पर विधिवत् विचार किया गया था।

(घ) इस समय कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तैयार वस्त्रों के आयात पर फ्रान्स द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध

4797. **श्री वी०वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान श्रेणी 26 के अन्तर्गत आने वाले भारतीय तैयार वस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या इस प्रतिबन्ध के कारण भारत के कई करोड़ रुपये मूल्य के तैयार-वस्त्र फ्रांस के सीमाशुल्क विभाग के पास अनुमति विहीन पड़े हुए हैं;

(ग) क्या लगभग तीन-चार करोड़ रुपये मूल्य के तैयार वस्त्र जहाजों द्वारा भेजे जाने की प्रतीक्षा में निर्यातकों के पास पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारत ने इस मामले में फ्रांसीसी सरकार से बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और भारतीय तैयार वस्त्र निर्यातकों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां, फ्रांस प्राधिकारियों के रिकार्ड के अनुसार, फ्रांसीसी सरकार ने इस आधार पर कि इस वर्ग का उनका 1980 वर्ष कोटा पूरा हो गया है, वर्ग 26 (ड्रैसेज) में अन्तर्गत आने वाले भारतीय परिधानों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) प्रतिबन्ध के परिणाणस्वरूप, ऐसा समाचार मिला था कि फ्रांस के सीमाशुल्क विभाग ने वर्ग 26 के 50,000 से अधिक अददों को रोक लिया था। उसका निश्चित मूल्य उपलब्ध नहीं है इन्हें भारत सरकार के प्रयासों से, अब छुड़ा लिया गया है।

(ग) परिधात निर्यात सम्वर्धन परिषद जो कि भारत में कोटा वितरण प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार, हमारे द्वारा घोषित की गई कोटा नीति की शर्तों के अनुसार लगभग 1·58 लाख अददों का अभी निर्यात होना बाकी है।

(घ) से (च) समस्या मुख्यतः दोनों सरकारों की सम्बन्धित एजेन्सियों के बीच पोतलदान के आंकड़ों के समन्वयन की है। सरकार अपने पेरिस और ब्रुसैल्स (ई. ई. सी. के मिशन) में दूतावासों के अध्ययन से, पहले ही फ्रांस के प्राधिकारियों से मामले पर बातचीत कर रही है। समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के विकास के लिए

बैंकों द्वारा आबंटित धनराशि

4798. **श्री चित महाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1975-79 तक 5 वर्षों की अवधि में पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गए अग्रिमों की बकाया राशियों का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में छोटे पैमानों के उद्योगों को दिये गए अग्रिम

(करोड़ रुपए)

निम्नलिखित महीनों के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	बकाया राशि		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
दिसम्बर, 1975	80·47	9·22	89·69
दिसम्बर, 1976	100·10	11·49	111·59
दिसम्बर, 1977	118·53	14·98	133·51
दिसम्बर, 1978*	152·13	18·66	170·79
जून, 1979*	174·24	22·31	196·55

*आंकड़े अन्तिम हैं।

पश्चिम बंगाल में हवाई अड्डों और पर्यटन केन्द्रों का विकास

4799. **श्री चित महाटा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल और विभिन्न अन्य राज्यों में हवाई अड्डों तथा पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : कलकत्ता विमानक्षेत्र, बागडोगरा, बेहाला तथा पानागढ़ हवाई अड्डों और बाराचम्पा तथा तारकेश्वर स्थित वैमानिक संचार स्टेशनों का वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने तथा सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो जाने की अवस्था में 1980-85 की पंचवर्षीय योजना के दौरान 32·68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकास करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं का सम्बन्ध विमान क्षेत्रों में सुधार, अन्तर्देशीय टर्मीनल कॉम्प्लेक्स चरण-I के निर्माण, रेडियो दिक्चालन उपकरणों के संस्थापन तथा भू-सेवाओं व यात्री हैंडलिंग सुविधाओं की व्यवस्था से है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर राज्यों में इसी प्रयोजन के लिए (दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के अन्तराष्ट्रीय विमान क्षेत्रों सहित) 399·62 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है। अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों में अगले पांच वर्षों के दौरान होने वाली दुगुनी वृद्धि को संभालने के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से पर्यटन योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित उपायों में ये सम्मिलित हैं : (I) ट्रैवल सार्किटों का स्थान निर्धारण तथा विकास और (II) इन ट्रैवल सार्किटों के ही अन्तर्गत आने वाले केन्दों पर पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था। पश्चिम बंगाल सहित सम्बन्धित राज्यों के पर्यटन विभागों के परामर्श से विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में स्वर्ण निक्षेप

4800. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मंत्रालय को सूचित किया है कि राज्य के कुछ भागों में स्वर्ण निक्षेप जमा हैं; जिनका वाणिज्यिक दृष्टि से विदोहन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो स्वर्ण भण्डारों का पता लगाने हेतु किन स्थानों और जिलों में अब तक खोज की गई है और इस बारे में उनके मंत्रालय को सूचित किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य के कुछ जिलों में कुछ बहुमूल्य पत्थर और धातु भी पाए गए बताए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी नहीं ।

(ख) क्योंझर जिले के बहुत से स्थानों, यथा-तेलकोई, गोपुर, सालोइकाना, सिरिम्बाहाल आदि में स्वर्ण खनिजीकरण होने का पता चला है । उड़ीसा का खान और भूतत्व निदेशालय 1970-71 से खोज कार्य कर रहा है । भंडारों की क्षमताओं की पुष्टि के लिए राज्य खान और भूतत्व निदेशालय द्वारा व्यापक खोज शुरू की गई है । राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग देने हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने 1979-80 के फील्ड प्रोग्राम में सालोइकाना में खोज कार्य शुरू किया है । कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खान और भूतत्व निदेशालय ने बोलनगीर जिले के पटनागढ़ तालुका के गोछपाड़ा, अन्तरला और किरिबेजी आरक्षित वन के आस-पास कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के लिए खोज शुरू की है । कालाहांडी और भानकनाल जिलों में भी कहीं-कहीं इनके छिट-पुट भंडार मिले हैं । कोरापुट जिले में किए गए खोज कार्य में मुंडा-गुडा के आस-पास टिन अयस्क होने के संकेत मिले हैं । कालाहांडी और बोलनगीर जिलों के सीमा क्षेत्रों में पेगमेटाइट चट्टानों में कोरडम के साथ कहीं-कही नीलमणि (सेफायर) और पारदर्शी मरकतमणि (बेरिल) होने का हाल ही में पता चला है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1979-80 के फील्ड सीजन से कीमती और अर्धकीमती पत्थरधारी पेगमेटाइट का अध्ययन शुरू किया है । कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है

राष्ट्रीयकृत/गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिए आबंटित धनराशि

4801. **श्री दलीप सिंह भुरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिये पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1975-1979 तक के 5 वर्षों की अवधि में मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गए अग्रिमों की बकाया राशियों का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है ।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में छोटे पैमानों के उद्योगों को दिये गए अग्रिम

(करोड़ रुपए)

निम्नलिखित महीनों के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	बकाया राशि		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
दिसम्बर, 1975	29.20	0.25	29.45
दिसम्बर, 1976	36.65	0.58	37.23
दिसम्बर, 1977	42.46	0.72	43.18
दिसम्बर, 1798*	53.22	1.34	54.56
जून, 1979*	61.87	1.98	63.85

*आंकड़े अन्तिम हैं।

कच्चे काजू का आयात

4802. **श्री पी. जे. कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक सर्व-दलीय प्रतिनिधि-मंडल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कच्चे काजू का आयात करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में सुझाव दिया गया था कि कच्चे काजू की सरणीकरण नीति को बदलने के विनिश्चय को निरस्त कर दिया जाए और भारतीय काजू निगम की मार्फत कच्चे काजू की अधिकतम मात्रा आयात करने का प्रबन्ध किया जाए। कच्चे काजू का आयात भारतीय काजू निगम की मार्फत सरणीबद्ध है और उनके द्वारा अधिकतम आयात किया जाएगा।

इस्पात संयंत्रों में भर्ती नियम

4803. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों में सामान्य स्नातकों की अकाउन्ट्स असिस्टैन्ट्स, प्रोडक्शन असिस्टैन्ट्स, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टैन्ट्स, आडीटर्स, टैक्सेशन असिस्टैन्ट्स, मार्केटिंग असिस्टैन्ट्स केपदों तथा अन्य तकनीकी पदों पर भर्ती की जाती है और टैक्सेशन लॉ में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों को तथा मैनेजमेंट अकाउन्टैन्सी, फाइनेन्सियल मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट की अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया जाता; और

(ख) क्या सरकार इस्पात संयंत्रों में भर्ती नियमों की जांच करेगी और प्रत्येक पद की अर्हताओं की अलग-अलग उल्लेख करेंगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) प्रश्न में उल्लिखित पद नान-एग्जीक्यूटिव ग्रेड के पद हैं और यह पद इस्पात कारखानों द्वारा अनुरोध किए जाने पर स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए प्रत्याशियों में से भरे जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं भी बताई जाती हैं। यदि स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले अथवा डिप्लोमाधारी व्यक्ति संबंधित श्रेणी में अपने आप को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराते हैं और रोजगार कार्यालय उनके नामों की सिफारिश करते हैं तो उनकी नियुक्ति पर भी विचार किया जाता है और वास्तव में उन्हें नियुक्त भी किया जाता है। जब कभी रोजगार कार्यालय अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी भेजने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसे पदों के लिए आवेदन मगाने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं। स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमाधारी व्यक्ति भी इन पदों के लिए आवेदन भेज सकते हैं। नियुक्तियां कारखानों की चयन समितियों द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आधार पर की जाती हैं।

(ख) भर्ती की उपर्युक्त प्रक्रिया उचित और युक्तियुक्त है और इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

चैम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली में लगाये गए एयर इंडिया के भित्ति चित्र

4804. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री चैम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली में एयर इंडिया के विज्ञापनों के बारे में 20 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1524 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा चैम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली में लगाये भित्ति चित्र में एयर इंडिया द्वारा परिवहन उपलब्ध करने सम्बन्धी आश्वासन के परिणामस्वरूप यातायात में हुई वृद्धि के बारे में कोई मूल्यांकन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या;

(ग) विज्ञापन अथवा भित्ति चित्र आदि प्रदर्शित करने के लिए एयर इंडिया द्वारा देश में और बाहर उक्त निःशुल्क परिवहन उपलब्ध करने हेतु अन्य क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(घ) एयर इंडिया कार्यालय संस्थानों अथवा एयर इंडिया द्वारा किराए पर लिये गए निहायशी आवासों के मालिकों जैसे अन्य किसी प्रकार के लोगों को एयर इंडिया को निःशुल्क परिवहन का लाभ प्राप्त होता है ; और

(ङ) एयर इंडिया के रूटों पर आने जाने के निःशुल्क टिकट जारी करने के बारे में यदि कोई नीति सिद्धांत बनाये गए हैं, तो क्या और ऐसे टिकट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) यह एक स्वीकृत मानक विश्व-व्यापी परिपाटी है कि विज्ञापनों, भित्ति चित्रों के प्रदर्शनों आदि जैसे किसी प्रकार के प्रचार से विशिष्ट मूल्य को नही आंका जा सकता। प्रचार की मात्रा का परिमाण-निर्धारण नहीं किया जा सकता। समाचार-पत्र, पत्रिकाओंआदि में प्रकाशित होने वाले अन्य विज्ञापनों की भांति इसका उद्देश्य भी यह सुनिश्चित करना है कि उचित प्रकार के

ग्राहकों में इसका पर्याप्त प्रचार हो । चैम्सफोर्ड क्लब एक प्रमुख क्लब है जिसके सदस्य/दर्शक ऐसी आय-वर्ग के लोग होते हैं जो विमान से यात्रा करते हैं । बहरहाल, इस क्लब के अहाते में भित्ति चित्रों के प्रदर्शन को एयर इंडिया ने अप्रैल, 1979 से बन्द कर दिया है ।

(ग) और (घ) प्राप्त की गई सेवाओं अथवा की गई खरीद के बदले में परिवहन के रूप में भुगतान करना एक मान्यता-प्राप्त एयरलाइन परिपाटी है । एयरलाइनों को दिए गए माल/सेवाओं (पूर्ण अथवा आंशिक रूप में) की सप्लाई करने वालों को परिवहन सेवा प्रदान की जाती है । एयर इंडिया तथा सप्लाईकर्ताओं के बीच परिवहन सेवाओं सम्बन्धी ठेका नकद खर्चे को कम करने के लिए किया जाता है । एयर इंडिया ने मकानों एवं कार्यालयों के स्थान किराए पर लेने के लिए कुछ मकान मालिकों के साथ परिवहन सेवा सम्बन्धी ठेंके किए हैं ।

(ङ) परिवहन सेवा ठेके जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित कर दिए गए हैं । स्टेशनों के प्रधान अपने-अपने क्षेत्राधिकार में परिवहन सेवा सम्बन्धी ठेके सम्पादित एवं लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं । स्टेशन का प्रधान इस उत्तरदायित्व को अपने क्षेत्राधिकार में किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है, परन्तु वह अधिकारी "सेल्स मैनेजर" से निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए । परिवहन सेवा सम्बन्धी ठेकों के अनुसार दी जाने वाली परिवहन सेवा सम्बद्ध परिवहन सेवा सम्बन्धी ठेकों के साथ उसकी जांच कर लेने और स्टेशन के लेखा प्रबन्धक द्वारा यह प्रमाणिकृत कर देने के पश्चात ही प्रदान की जानी चाहिए कि सम्बन्धित परिवहन सेवा सम्बन्धी ठेके में आवश्यक धन-राशि उपलब्ध है । यदि टिकट का मूल्य परिवहन सेवा सम्बन्धी ठेके में उपलब्ध राशि से अधिक है, तो उसकी राशि को नकद ले लिया जाता है ।

समान उत्पादन शुल्क लगने योग्य सामान के वर्गीकरण में परिवर्तन

4805. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर निर्धारण सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के बाद एक ही और समान उत्पादन शुल्क लगने योग्य सामान का वर्गीकरण बार-बार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप व्यापार में होने वाली अनिश्चितता को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उसका उद्योग तथा उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) यह तथ्य नहीं है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ सम्मेलनों में चर्चा के परिणामतः एक ही उत्पादन शुल्क्य वस्तु के वर्गीकरण में बार-बार परिवर्तन कर दिया जाता है । परन्तु कुछेक ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें किन्हीं उत्पादन शुल्क्य वस्तुओं के वर्गीकरण में, व्यापारी वर्ग और उद्योग से प्राप्त दरख्वास्तों अथवा न्यायिक या न्यायिक-कल्प फैसलों जैसे कारणों के आधार पर और आगे विचार करके परवर्ती टैरिफ सम्मेलनों द्वारा परिवर्तन किया गया ।

एल्यूमिनियम के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में छूट

4806 **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिसूचना संख्या 148/69-सी० ई० दिनांक 17 मई, 1969 के अधीन भारत से निर्यात किए जाने वाले एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमीनियम पर उस समय प्रवृत्त उत्पादन शुल्क की दरों के संदर्भ में उत्पादन शुल्क की तदर्थ दरें निर्धारित की गई थीं और वे दरें अभी भी प्रचलित हैं;

(ख) क्या छूट की तदर्थ दरों के बावजूद, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एल्यूमिनियम को शुल्क का भुगतान किये बिना "बांड" पर निर्यात करने दिया जाता है। जिससे उन निर्यातकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो वर्तमान दरों पर शुल्क अदा करने के बाद एल्यूमीनियम का निर्यात करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस समय प्रवृत्त उत्पादन शुल्क के स्तर के संदर्भ में 1969 में निर्धारित की गई छूट की दरों की समीक्षा न करने के क्या कारण हैं और शुल्क का भुगतान किए बिना बांड पर निर्यात करने वालों तथा उस शुल्क का भुगतान करने के बाद शुल्क की छूट की मांग करने वाले निर्यातकर्ताओं के बीच भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। स्थिति यह है कि जिस मामले में एल्यूमीनियम का भारत से बन्धपत्र के अधीन निर्यात किया जाता है उसमें निर्यातकर्ताओं को, निर्यात नहीं किए गए एल्यूमीनियम पर लगने वाले शुल्क की रकम के और निर्यात किये गए एल्यूमीनियम पर दिनांक 17 मई, 1969 की अधिसूचना सं० 148/69-के० ड० शु० के अन्तर्गत निर्धारित तदर्थ दरों के आधार पर रिबेट दिए जाने योग्य शुल्क की रकम के बीच अन्तर के बराबर उत्पादन शुल्क अदा करना होता है। अतः जो निर्यातकर्ता शुल्क की अदायगी पर निकासी के बाद एल्यूमीनियम का निर्यात करते हैं, उनके मामले में स्थिति वही है, जो एल्यूमीनियम का बन्धपत्र के अधीन निर्यात करने वालों के मामले में है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पीतल के तारों पर उत्पादन शुल्क

4807. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत माल का विवरण अनिर्दिष्ट होने के कारण पीतल के तारों जैसी वस्तुओं पर भी उत्पादन शुल्क लगाने का प्रयास किया जाता है जिसके लिए उस टैरिफ के अन्य मदों में इस प्रकार इंदराज किया गया था कि केवल कच्चे माल पर, अर्थात तांबा या कच्चे रूप में या कुछ अन्य निर्दिष्ट रूप में तांबा मिश्रित धातुओं पर ही उत्पादन शुल्क लगाया जाये न कि अन्य वस्तुओं पर जैसे पीतल या उससे बनाये गए तांबे के तारों पर; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि ऐसे तारों पर पिंड आदि की अवस्था में ही जिसमें से ये तार बनाए गए थे, 3000 रु० प्रति मोट्रिक टन उत्पादन-शुल्क लग चुका है, उक्त मद 68 के अन्तर्गत इन्हें उत्पादन शुल्क से छूट देने की जो पीतल की तारों पर 8 प्रतिशत की दर से लगभग 3,400 रु० बैठता है, व्यवहार्यता की जांच की जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) पीतल के तार मद 26-क के अन्तर्गत नहीं आते और वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची की अवशिष्ट मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य हैं।

(ख) सरकार को पीतल के तारों को मद 68 के अन्तर्गत छूट प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करने का अभी हाल ही में कोई अवसर नहीं मिला।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपरि-समय भत्ते का भुगतान

4808. **श्री भूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में कितनी राशि का उपरि-समय भत्ता अदा किया गया; और इसे अदा करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पर उपरि-समय भत्ते के भुगतान को खत्म करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) कलेण्डर वर्ष क्रमश: 1978 और 1979 में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में अदा की गई समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

समयोपरि भत्ते की अदायगी खातों की छमाही तथा वार्षिक लेखे तैयार करने जैसे अचानक बहुत अधिक काम बढ़ जाने तथा कर्मचारियों की कमी के कारण अथवा हड़ताल, आंदोलन, नियमानुसार कार्य, हड़ताल की वजह से अधिक संख्या में कर्मचारियों की ननुपस्थिति के परिणामस्वरूप एकत्रित बकाया काम को निपटाने के लिए की जाती है।

(ख) बैंकिंग उद्योग में जिस तरह का काम होता है उसको ध्यान में रखते हुए तथा बैंकों में समयबद्ध आधार पर हिसाब रखने की कार्य प्रणालियों के कारण समयोपरि भत्ते को अदायगी को बिल्कुल बन्द कर देना शायद संभव नहीं होगा। परन्तु, सरकार समयोपरि भत्ते की अदायगी को सीमित करके कम से कम अदायगी करने की दिशा में उद्योग स्तर पर प्रयास करती रही है।

विवरण

वर्ष 1978 और 1979 में समयोपरि भत्ते की अदायगी

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	1978	1979
1	2	3	4
1	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	130.63	134.61
2	बैंक आफ इण्डिया	220.19	223.41
3	पंजाब नेशनल बैंक	85.79	107.84
4	बैंक आफ बड़ौदा	203.43	203.85
5	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	57.51	104.09
6	केनरा बैंक	26.50	26.63
7	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	84.92	108.21
8	देना बैंक	78.37	80.34
9	सिंडिकेट बैंक	13.25 (78-79)	25.32 (79-80)
10	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	45.56	69.80

1	2	3	4
11	इलाहाबाद बैंक	52.29	56.50
12	इण्डियन बैंक	27.17	50.26
13	बैंक आफ महाराष्ट्र	55.76	63.62
14	इंडियन ओवरसीज बैंक	66.46	85.38
15	भारतीय स्टेट बैंक	653.14	793.24
16	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	16.53	51.47
17	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	24.57	51.49
18	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	28.45	26.67
19	स्टेट बैंक आफ मैसूर	12.41	17.39
20	स्टेट बैंक आफ पटियाला	22.44 (78-79)	30.38 (79-80)
21	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	18.28	40.44
22	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	15.65 (78-79)	23.10 (79-80)
23	आंध्र बैंक	0.26	0.35
24	कारपोरेशन बैंक	4.04	4.54
25	न्यू बैंक आफ इण्डिया	39.40	48.00
26	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	20.96	29.00
27	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	18.24 (लगभग)	29.00 (लगभग)
28	विजया बैंक	0,84	6.50

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

खाड़ी के देशों को चांदी की तस्करी

4809. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों को चांदी की तस्करी के कुछ मामलों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1977, 1978, 1979, और 1980 (जून 1980 तक) के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई चांदी की मात्रा और मूल्य, जिसका भारत से तस्कर-निर्यात किये जाने की कोशिश की जा रही थी, निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1977	110	1.30
1978	942	9.00
1979	5410	122.00
1980 (जून 1980 तक)	21.550 (लगभग)	700.00 (लगभग)

गत तीन वर्षों दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए दिल्ली फ्लाइंग क्लब के ग्लाइडर

4810. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली क्लब के ग्लाइडरों की उड़ान के दौरान विमान दुर्घटना के मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिसमें जांच का आदेश दिया गया था और इस बारे में जाँच समिति द्वारा यदि किन्हीं सुझावों की सिफारिश की गई थी तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) दिल्ली फ्लाइंग क्लब ग्लाइडरों का परिचालन नहीं करती। तथापि 1977, 1978, 1979 तथा 1980 (15 जुलाई तक) के वर्षों में दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब के ग्लाइडर की केवल एक अधिसूचनीय दुर्घटना हुई। उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

टी 21-बी ग्लाइडर वी० टी०-जी० ओ० जी०, 27 अगस्त, 1978 को मनोरंजन उड़ान (joy ride) करता हुआ सफदरजंग हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान भरते समय जब ग्लाइडर लगभग 40-50 फुट की ऊंचाई तक उठ गया था, विमान चालक ने "शक्ति की हानि" होती महसूस की। अत: विमानचालक ने केवल को मुक्त (रिलीज) कर दिया और ग्लाइडर को उतारने की तैयारी की। ग्लाइडर बड़े धमाके के साथ धावन-पथ पर उतरा और बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया। विमान चालक तथा विमान पर सवार यात्री सकुशल बच गए। इस दुर्घटना की वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के अन्तर्गत नियुक्त किए गए एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा जांच की गई। "दुर्घटना निरीक्षक" की राय में, दुर्घटना विमानचालक की गलती के कारण हुई और उसने संबंधित विमानचालक को अतिरिक्त उपचारी प्रशिक्षण दिए जाने की सिफारिश की। उसने यह भी सिफारिश की कि परिचालन क्षेत्र में घास को अधिक नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए और विंचों के केबल-रन का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए कि यह सीधा एवं निर्बाध है। इन सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा, विमान-चालक को भविष्य में और अधिक सावधान रहने की भी चेतावनी दी गई।

ग्रामीण आय और धन (वेल्थ) पर कर

4811. **श्री निरेन घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने राज्यों ने ग्रामीण आय और धन (वेल्थ) पर कर लगाए हैं; और

(ख) सम्बन्धित राज्यों द्वारा ग्रामीण आय और धन पर लगाए गए करों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) कृषि आय पर कराधान राज्यों के राजकोषीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विदेशी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

4812. **श्री निरेन घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से 1978 तक वर्षवार विदेशी बैंकों ने (1) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा पंजीकृत बड़े भारतीय व्यापार गृहों (2) विदेशों कम्पनियों की शाखाओं और अनुषंगी कम्पनियों तथा (3) बड़ी स्वतंत्र कम्पनियों को कुल कितना ऋण दिया;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि विदेशी बैंक छोटी जमाओं को स्वीकार नहीं करते; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सभापटल पर रख दी जाएगी ।

अर्जित राजस्व और राज्यों को किया गया आबंटन

4813. **श्री निरेन घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केन्द्र ने, राज्यवार, कितना राजस्व अर्जित किया; और

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्यवार और वर्षवार, राज्यों को कितना आवंटन किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) राज्य-वार हिस्सा दर्शाने वाले विवरण 1, 2 और 3 सदन-पटल पर रख दिए गए हैं ।

विवरण-I

1979-80 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को अदा किए गए आयकर का राज्य-वार हिस्सा दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

(लाखों रुपयों में)

	1977-78	1978-79	1979-80
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	52,41	54,83	69,39
2. असम	17,16	17,95	21,81
3. बिहार	64,91	67,91	82,51
4. गुजरात	37,49	39,22	51,54
5. हरियाणा	11,95	12,51	15,73
6. हिमाचल प्रदेश	4,05	4,24	5,15
7. जम्मू तथा कश्मीर	5,47	5,72	7,07

1 2	3	4	5
8. कर्नाटक	36,00	37,66	47,07
9. केरल	26,48	27,70	34,16
10. मध्य प्रदेश	49,31	51,58	63,62
11. महाराष्ट्र	74,64	78,08	94,73
12. मणिपुर	1,22	1,27	1,63
13. मेघालय	1,22	1,27	1,54
14. नागालैंड	61	64	74
15. उड़ीसा	25,19	26,36	32,34
16. पंजाब	18,57	19,43	23,47
17. राजस्थान	30,39	31,80	37,74
18. सिक्किम	—	—	—
19. तमिलनाडु	53,63	56,11	69,62
20. त्रिपुरा	1,82	1,91	2,23
21. उत्तर प्रदेश	102,87	107,62	133,44
22. पश्चिम बंगाल	60,05	62,81	69,35
जोड़	675,44	706,62	864,88

विवरण-2

1979-80 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को अदा किए गए सम्पदा शुल्क का राज्यवार हिस्सा दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

(लाखों रुपयों में)

1 2	1977-78	1978-79	1979-80
	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	82	88	79
2. असम	25	27	12
3. बिहार	96	104	22
4. गुजरात	49	50	102
5. हरियाणा	22	24	16
6. हिमाचल प्रदेश	6	6	—
7. जम्मू तथा कश्मीर	8	8	—
8. कर्नाटक	52	57	88

1	2	3	4
9. केरल	44	46	37
10. मध्य प्रदेश	73	77	17
11. महाराष्ट्र	88	100	321
12. मणिपुर	2	2	—
13. मेघालय	2	2	—
14. नागालैंड	1	1	—
15. उड़ीसा	38	42	12
16. पंजाब	37	49	33
17. राजस्थान	44	48	19
18. सिक्किम	—	—	—
19. तमिलनाडु	81	83	121
20. त्रिपुरा	3	3	—
21. उत्तर प्रदेश	156	173	87
22. पश्चिम बंगाल	76	81	128
जोड़	985	10,71	10,94

विवरण-3

मूल उत्पादन शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में राज्य-वार हिस्सा दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

(लाख रुपयों में)

	मूल उत्पादन शुल्क			बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क		
	1977-78	1978-79	1979-80	1977-78	1978-79	1979-80
1 2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	66,24	76,47	167,96	25,31	25,37	26,15
2. असम	22,00	25,40	58,00	7,45	7,47	8,13
3. बिहार	93,11	507,48	275,36	28,24	28,31	24,41
4. गुजरात	37,10	42;83	94,38	17,83	17,87	23,01
5. हरियाणा	12,42	14,34	28,47	5,85	5,87	9,70
6. हिमाचल प्रदेश	5,11	5,90	13,73	1,78	1,78	2,66
7. जम्मू तथा कश्मीर	7,31	8,43	18,37	2,20	2,21	2,67
8. कर्नाटक	44,24	51,05	109,31	16,95	17,00	20,49
9. केरल	31,33	36,17	88,20	10,80	10,83	13,93

1 2	3	4	5	6	7	8
10. मध्य प्रदेश	66,65	76,36	185,70	21,06	21,61	22,23
11. महाराष्ट्र	69,65	80,40	153,77	35,15	35,23	39,89
12. मणिपुर	1,70	1,97	4,46	51	51	61
13. मेघालय	1,54	1,78	4,68	51	51	49
14. नागालैंड	89	1,03	2,08	24	24	32
15. उड़ीसा	32,96	38,05	100,68	10,84	10,86	11,21
16. पंजाब	15,18	17,52	33,21	89,08	8,10	16,34
17. राजस्थान	40,58	46,85	103,74	12,58	12,61	12,55
18. सिक्किम	—	—	—	—	—	10
19. तमिलनाडु	60,31	69,63	166,00	21,93	21,98	26,13
20. त्रिपुरा	2,44	2,81	7,66	75	76	84
21. उत्तर प्रदेश	138,24	159,59	390,38	48,57	48,69	44,44
22. पश्चिम बंगाल	63,23	73,00	175,66	25,05	25,10	31,29
जोड़	811,73	937,09	2179,60	301,68	302,41	350,60

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूल न हो सकने वाले ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाना

4814. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वसूल न हो सकने वाले कितने ऋणों को वर्ष 1977, 1978 और 1979 में वर्षवार बट्टे खाता डाला ;

(ख) इनमें से कितने लेखे 5 लाख से अधिक राशि के ;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण प्रति वेदनों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1977, 1978 और 1979 के दौरान वसूल न हो सकने वाले ऋणों को बट्टे खाते डाले जाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में और क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक अपने साविधिक लेखा परीक्षकों को समाधानप्रद रूप में अपनी वार्षिक आय में से हर वर्ष अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था करते हैं और इस व्यवस्था में से उन ऋणों को बट्टे खाते डाल देते हैं जिन्हें उनके प्रबन्धकों द्वारा अन्तिम रूप से आशोध्य मान लिया जाता है। फिर भी, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित किए गए तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते के फार्मों के अनुसार, जिनका बैंकों को सख्ती से पालन करना पड़ता है, बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के ब्यौरे की मात्रा प्रकट करने के

सम्बन्ध में साविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है जिनके लिए उनके लेखा परीक्षकों को समाधानप्रद रूप में व्यवस्था की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गयी आशोध्य ऋणों की राशि से सम्बन्धित सूचना प्रकट करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज होती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए इन रिपोर्टों की विषय वस्तु को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना निषिद्ध है। अलबता, भारतीय रिजर्व बैंक इन निरीक्षण रिपोर्टों पर अनिवार्य रूप से अनुवर्ती कार्यवाही करता है और सम्बद्ध बैंक के साथ इस मामले और आगे कार्यवाही करता है, जिसमें बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई विभिन्न गलतियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना और उन्हें उचित दण्ड देना भी शामिल है।

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों के हिस्सों के फिर से निर्धारण के लिए राज्यों की मांग

4815. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाजन पूल के राज्यों सहित भारत संघ के किसी राज्य ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों में राज्यों के हिस्सों का पुनः निर्धारण करके अधिक वित्तीय साधनों का आवंटन करने के लिए अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक राज्य ने क्या मांग की है ; और

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषदों ने विकास आयोजन तथा कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को सौंपे जाने वाली अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका को देखते हुए, संविधान के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों तथा केन्द्रों के बीच अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सम्बन्धों की समीक्षा करते के लिए, 13 और 19 मार्च, 1978 को हुई अपनी बैठक में एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया। लगभग सभी राज्य सरकारों ने समिति को ज्ञापन दिए। इन ज्ञापनों में और मुख्य मंत्रियों के भाषणों में विभाजन योग्य केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल को अपेक्षाकृत बड़ा बनाने और इस विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्सों में बढ़ोत्तरी करने के लिए तर्क दिया गया। कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु ने विभाज्य पूल में आयकर पर अधिभार को शामिल करने का समर्थन किया। आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने सुझाव दिया की निगम कर को भी राज्यों के साथ विभाजन योग्य कर दिया जाए। केरल ने यह दलील दी कि केन्द्र द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए गए सभी करों का राज्यों के साथ विभाजन किया जाए। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और नागालैंड ने विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से में वृद्धि करने के लिए एक सामान्य दलील दी तो मध्य प्रदेश ने यह सुझाव दिया कि राज्य का हिस्सा विभाज्य पूल का कम से कम 50% होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशतता, अर्थात 75% का सुझाव दिया। त्रिपुरा ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व का 75% राज्य सरकारों को अंतरित कर दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल ने यह तर्क दिया कि केन्द्र द्वारा जुटाए

गए कुल राजस्व, निवल सार्वजनिक उधार, विदेश से लिए गए निवल उधार के तीन चौथाई के समतुल्य धन, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण और घाटे की वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों का 75% राज्यों को अंतरित किया जाना चाहिए।

(ग) सातवें वित्त आयोग ने सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करते हुए, केन्द्र से राज्यों को संसाधन के अपेक्षाकृत अधिक अंतरण की सिफारिश की। इसकी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों से बाहर जाना उपयुक्त नही समझा गया।

कालेधन की सूचना देने वालों को पुरस्कार

4817. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शासक पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे के मुताबिक काला-बाजारी को खत्म करने में सरकार को कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) काले धन की सूचना देने वालों को किस प्रकार पुरस्कृत किया जाता है और क्या इसके लिए कोई प्रावधान है ;

(ग) आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों के द्वारा एकत्रित किए गए धन के वास्तविक आंकड़े क्या हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के कि फलां-फलां स्थान पर काला धन है, क्या साधन है; और

(ङ) क्या सरकार इन साधनों का लाभ उठाती है ?

वित्त मंत्रालय उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) काले धन और कर-अपवंचन की बुराई से निबटने के लिए सरकार आयकर अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के संगत उपबन्धों को लागू करके, सभी सम्भव उपाय कर रही है। यह कहना सम्भव नहीं है कि सरकार अपने प्रयास में पूर्णरूप से सफल रही है।

(ख) जो लोग आयकर विभाग को सूचना भेजते हैं उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए पुरस्कार सम्बन्धी नियमों के अनुसार पुरस्कार दिए जाते हैं।

(ग) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान ली गई तलाशियां और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों के विवरण नीचे दिए अनुसार है:—

वित्तीय वर्ष	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य
		(लाख रुपयों में)
1977-78	617	353
1978-79	1345	512.31
1779-80	2109	1214.68

(घ) और (ङ) काले धन के निश्चित स्थान पर पता लगाने के सन्बन्ध में सूचना देने वालों से प्राप्त होती है। सूचना की यथातथ्यता की जांच करने के बाद, आयकर विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

निर्यात ऋयादेश पाने वाले अभ्रक निर्यातकों के नाम

4818. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अभ्रक निर्यातकों के नाम क्या हैं जिन्हें 1977 से 1980 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक देश से अभ्रक निर्यात के ऋयादेश प्राप्त हुए थे; और

(ख) क्या अभ्रक व्यापार निगम और निर्यातक 40 : 60 के अनुपात में निर्यात ऋयादेश बांटते हैं और क्या अभ्रक व्यापार निगम ने अपने ऋयादेश के अनुसार अभ्रक का निर्यात किया था ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) पंजीकृत अभ्रक निर्यातकों की एक सूची (**ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 1111/80** संलग्न है। लगभग ऐसे 50 देश हैं जो इन निर्यातकों तथा मिटको की मार्फत अभ्रक का आयात करते हैं।

(ख) मिटको तथा निर्यातक ग्रेड 5 तथा उससे ऊपर के ग्रेड वाले अभ्रक के निर्यात आदेशों को 40 : 60 के अनुपात में बांटते हैं। ग्रेड 5 से कम वाले अभ्रक को उपर्युक्त विभाजन फार्मूले से अलग कर दिया गया है। मिटको ने आदेशों में अपने भाग के अनुसार अभ्रक का निर्यात किया।

टट्टर निस्सारण (वैटल ऐक्ट्रेक्ट) का उत्पादन और उपभोग

4819. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त टट्टर निस्सारण (वैटल ऐक्सट्रेक्टस) की आयात लाइसेंस नीति में परिवर्तन के बारे में 20 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1525 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी एककों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन कुल कितने टट्टर निस्सारण (वैटल ऐक्सट्रक्ट्स) का उत्पादन किया जाता है;

(ख) चमड़ा उद्योग द्वारा औसतन कुल कितने टट्टर निस्सारण (वैटल ऐक्सट्रेक्ट्स) का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या स्वदेशी एककों को अपने उत्पादों को बेचने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है; और

(घ) क्या स्वदेशी एकक देश की टट्टर निस्सारण (वैटल एक्सट्रेक्ट्स) की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1977 से 1979 तक तीन वर्षों के दौरान देशी उत्पादक एकक द्वारा टट्टर निस्सारण का औसात वार्षिक उत्पादन करीब 2645 मे० टन था।

(ख) करीब 20,000 मे० टन प्रति वर्ष।

(ग) देशी एकक ने अभ्यावेदन दिया था कि उसे अपने उत्पाद को बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1977 से 1979 तक वर्षों के

दौरान उसकी औसत बिक्री 2624 मे० टन की रही जबकि उसका औसत उत्पादन 2645 मे० टन का है ।

(घ) देशी एकक के उत्पादन की वर्तमान आंकी गई क्षमता 9,000 मे० टन प्रति वर्ष है । सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि एकक के पास देश की पूरी मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक साधन हैं । तथापि, चालू नीति के अन्तर्गत इस मद के आयात की अनुमति है ।

कालाहांडी, उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

4820. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के कालाहांडी जिले के भीतरी भाग में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शाखाओं को जयपटना ब्लाक में उचाला मंगलपुर; जूनागढ़ ब्लाक में महिचला तारापुर, दसिगांव, सदर ब्लाक में बोर्डा-पस्तीकुदी; लेनीगढ़ ब्लाक में बेनागांव तथा कर्लामुंडा ब्लाक में तेरेसिंह में खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ये शाखायें कब तक खुल जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) वर्ष 1979-81 की तीन वर्ष की अवधि के लिए शाखा लायसेंसिंग नीति के अनुसरण में, रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार के प्रयासों में मुख्य रूप से उन जिलों के बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध-शहरी स्थानों में जिनकी व्याप्ति प्रति ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा 20,000, ग्रामीण/अर्ध-शहरी लोगों से कम है, शाखाएं खोलने पर ध्यान दिया जाये । इन नई शाखाओं के स्थान के बारे में निर्णय, सरकारों तथा बैंकों के परामर्श से किया जाता है । उड़ीसा सरकार ने, इस जिले में शाखा खोलने के लिए, 33 स्थानों के बारे में, रिजर्व बैंक को सुझाव दिया था । इनमें से 26 स्थानों के मामले में प्राधिकरण जारी कर दिया गया है । चूंकि अन्य सात स्थानों पर या तो बैंक कार्यरत हैं या वहां के लिये पहले ही लायसेंस दिया जा चुका है, इसलिए रिजर्व बैंक ने, राज्य सरकार से इन स्थानों के बारे में वैकल्पिक सुझाव देने को कहा है ।

(ख) से (घ) उड़ीसा सरकार ने, वर्ष 1979-81 की अवधि में शाखा खोलने के लिए, इनमें से किसी भी स्थान की सिफारिश नहीं की है ।

चाय का उत्पादन और खपत

4821. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान कुल कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन किया गया है ;

(ख) उक्त अवधि में घरेलू प्रयोग के लिए चाय की कितनी मात्रा की आवश्यकता थी;

(ग) पिछले पांच महीनों के दौरान कुल कितने मूल्य की कितनी चाय का निर्यात किया गया है; और

(घ) निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1979: 546·32 मिलियन किलोग्राम

1980 : 134·37 मिलियन किलोग्राम (अनुमानित)
(जनवरी—
मई)

(ख) 1979-80 : 337·00 मिलियन किलोग्राम (अनुमानित)
1980-81 : 358·00 मिलियन किलोग्राम (अनुमानित)

(ग) और (घ)

मात्रा	मूल्य
(जनवरी 1980 से मई 1980 तक)	
82·33 मिलियन किलोग्राम	149.64 करोड़ रु० (आंकड़े अनन्तिम)

भारत सहायता साथी संघ की बैठक

4822. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सहायता साथी संघ की हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत को अधिक विदेशी सहायता दिए जाने के विषय पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) भारत सहायता संघ की बैठक 3 तथा 4 जुलाई, 1980 को पेरिस में हुई थी जिसमें सहायता संघ के सदस्यों ने अपने-अपने नियमों एवं विनियमों के अधीन अनुमोदन प्राप्त होने पर, वर्ष 1980-81 के लिए 3·4 अरब डालर आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था।

मुद्रा सप्लाई में वृद्धि

4823. **श्री अमर नाथ प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1980 से देश में मुद्रा सप्लाई में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) 28 दिसम्बर, 1979 और 20 जून, 1980 के बीच (सबसे हाल के सप्ताह, जिसके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं) जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 490 करोड़ रुपए या 2.0 प्रतिशत (अनन्तिम) की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान मुद्रा उपलब्धि में 1806 करोड़ रुपए या 8.6 प्रतिशत की काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी।

(ख) मुद्रा उपलब्धि में होने वाली वृद्धि के मुख्य स्रोत है : सरकार तथा वाणिज्यिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधारों में परिवर्तन, बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां और बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रा-भिन्न देनदारियां। आलोच्य अवधि के दौरान सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण में क्रमशः 3786 करोड़ रुपए और 1370 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। किन्तु बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में हुई 705 करोड़ रुपए की कमी और बैंकिंग क्षेत्र की मुद्रा-भिन्न देनदारियों में हुई 3963 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण आलोच्य अवधि के दौरान मौद्रिक विस्तार में कमी हुई।

वन्य जन्तु विहारों को जाने वाले पर्यटकों को सुविधाएं

4824. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जन्तु विहारों को जाने वाले पर्यटकों को कोई सुविधा दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) गिर में शेर देखने के लिए क्या सुविधा दी जाती है;

(घ) क्या सरकार पर्यटन के प्रयोजन से गिर वन का विकास करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) जी, हां।

(ख) वन्य जीव विहार स्थलों पर पर्यटकों को समुचित आवास प्रदान करने के लिए, पर्यटन विभाग ने चौथी योजना अवधि में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत वन गृहों का निर्माण-कार्य शुरू किया था। ये स्कीमें पाँचवी योजना में भी जारी रखी गईं। भरतपुर, काजीरंगा, ससनगीर और जल्दापारा में वन गृहों को पहले ही चालू कर दिया गया है और दंदेली में वन गृह निर्माणाधीन है तथा शीघ्र ही इसके चालू हो जाने की सम्भावना है। कान्हा नेशनल पार्क में 30 डबल बैड रूम वाले एक वन गृह का निर्माण करने के लिए वर्ष 1979-80 में मंजूरी दी गई है। वन्य जीव देखने हेतु परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई चुने हुए वन्य जीव विहार स्थलों पर मिनी-बसों और कुछ चुने हुए वन्य जीव विहार स्थलों पर हाथियों की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त भरतपुर, चिल्का झील और पेरियार शिकार स्थलों पर पक्षियों को देखने के लिए नावों और मोटर-लांचों की व्यवस्था की गई। भरतपुर वन गृह के आस-पास पर्यावरण सम्बन्धी सुधार किये गए।

(ग) से (ङ) ससनगीर शिकार स्थल पर पर्यटकों के लिए लॉजिंग, बोर्डिंग और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। लॉजिंग के लिए, राज्य सरकार का एक पर्यटक बंगला और केन्द्रीय पर्यटन विभाग का एक वन गृह, जिसका प्रबन्ध भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है, उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एयरपोर्ट से ससनगीर आने और वापस जाने के लिए किराए की अदायगी करने पर परिवहन सुविधाएं प्रदान करती है और निर्धारित फीस पर शेर देखने हेतु शो आयोजित करती है। राज्य सरकार अपेक्षाकृत बड़े ग्रुपों के लिए अतिरिक्त आवास, मनोरंजनात्मक और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना बना रही है।

एल्यूमिनियम का आयात

4825. **श्री बृज मोहन महन्ती**
श्री वी० वी० देसाई] : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में विभिन्न किस्म के कितने एल्यूमिनियम का आयात किया गया है; और

(ख) सरकार ने एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1978-79 और 1979-80 में आयातित एल्यूमिनियम की मात्रा नीचे दी गई है :—

	टनों में	
	1978-79	1979-80
सी० जी० पिंड	16,490	25,504
ई० सी० पिंड	4,489	25,183
ई० सी० रॉड	11,995	25,341
जोड़ :	32,974	76,028

(ख) एल्यूमिनियम उत्पादन की स्थापित क्षमता का यदि पूरी तरह उपयोग किया जाए तो यह नाममात्र आयात के साथ धातु की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बिजली की कमी के कारण सितम्बर, 1979 से एल्यूमिनियम के उत्पादन में अत्यधिक कमी आई। अब स्थिति में सुधार होने की आशा है क्योंकि राज्य बिजली बोर्डों ने मानसून के प्रारम्भ से बिजली सप्लाई बढ़ा दी है। इस धातु की दीर्घकालिक मांग को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिए नए कारखाने लगाने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

देश में एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्माण के लिए पहले से उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है। मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि और धातु की बढ़ी हुई उपलब्धि से इस क्षमता का अधिक उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, यथा-आवश्यकता समय-समय पर और निर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लायसेंस दिए जा रहे हैं।

धातुओं के निक्षेपों वाले पुराने तथा नए क्षेत्रों का पता लगाया जाना

4826. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन नए और पुराने क्षेत्रों के निक्षेपों का ब्यौरा क्या है जहां मैंगनीज, लौह, तांबा बाक्साइट और क्रोमाइट के भंडारों का पता लगा है; और

(ख) उक्त खनिजों को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) क्योंझर, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर, मयूरभंज, कटक, कोरापुट और धेनकनाल जिलों में लौह अयस्क के 2747 मिनियम टन से अधिक के भंडारों का आकलन किया गया है। क्योंझर, सुन्दरगढ़, कोरापुट, बोलनगीर और सम्बलपुर जिलों में लगभग 30.98 मिलियन टन मैंगनीज अयस्क का आकलन किया गया है। कटक जिले के सुकिन्दा-नौआसाही सेक्टर में जहाँ अभी भी खोज जारी है, क्रोमाइट के 82.69 मिलियन टन अनन्तिम भंडार होने का अनुमान है। उड़ीसा में अब तक आकलित बाक्साइड भंडार 1163.71 मिलियन टन हैं जो कोरापुट, कालांहाडी, बोलनगीर और सम्बलपुर जिलों में हैं।

मयूरभंज जिले में 1.66 मिलियन टन तांबा अयस्क होने का अनुमान है। नए खोजे गए खनिज-धारी बड़े क्षेत्र पूर्वीघाट पर हैं जहां 1976-77 में लगभग 1045 मिलियन टन बाक्साइट का अनुमान लगाया था। खनिज स्रोतों की व्यापक वृद्धि में सुकिन्दा-नौआसाही पट्टी भी शामिल है जहां व्यापक खोज द्वारा क्रोमाइट भंडारों का आकलन किया जा रहा है। बाक्साइट स्रोतों को छोड़कर, अन्य अनेक खनिज क्षेत्रों में खोज पहले ही पूरी की जा चुकी है।

(ख) मैसर्स बालको द्वारा बाक्साइट निक्षेपों के उपयोग के लिए एक एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। सरकार पारादीप में एक इस्पात कारखाना लगाने पर भी विचार कर रही है।

खेलों के सामान का निर्यात

4828. **श्री एम० गोपाल रेड्डी**
श्री जनार्दन पुजारी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेलों के सामान के विश्व व्यापार में भारत का योगदान बिल्कुल नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) खेलकूद के सामान के विश्व व्यापार में भारत का योगदान 2 प्रतिशत से मामूली कम है।

(ख) मुख्य रूप से, हाकी स्टिक, फुटबाल, रैकट और क्रिकेट के बल्लों जैसे परमपरागत किस्मों के खेलकूद के सामान का विनिर्माण और निर्यात किया जा रहा है और उत्पाद विवधीकरण केवल मामूली है।

(ग) खेलकूद के सामान के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल है : कुछ कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात, रियायती दरों पर बैंक की सप्लाई, आवश्यक तकनीकी सलाह, सामान्य सुविधा सेवा, परीक्षण तथा प्रशिक्षण सुविधाएं देने का प्रबन्ध, प्रचार साहित्य और व्यक्तिगत दौरों द्वारा सवर्धनात्मक प्रचार का उपयोग, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना बिक्री/सर्वेक्षण दलों को प्रायोजित करना आदि।

विदेशों से ऋण

4829. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों/अन्य/स्रोतल/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक आदि के लिए ऋणों की कितनी राशि अदा की जानी शेष है 1.4.76, 1.4.77, 1.4.78, 1.4.79 तथा 1.4.80 के देय मूलधन तथा ब्याज की राशि का उल्लेख अलग-अलग करें; और

(ख) निकट भविष्य में (वर्ष वार) कितनी राशि का भुगतान किए जाने की आशा है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) विभिन्न देशों/संस्थाओं से लिए

गए उधारों/ऋणों के सम्बन्ध में सरकार की बकाया देनदारियां इस प्रकार हैं :—

तारीख	रकम (चालू दरों पर करोड़ रुपए)
1-4-76	11384.85
1-4-77	11088.93
1-4-78	11657.38
1-4-79	11768.28
1-4-80	12178.42

ब्याज किसी वर्ष विशेष में ऋण को बकाया तथा देय राशि पर अदा करना होता है और विभिन्न करारों के लपलब्धों के अनुसार हमेशा देय तारीख को अदा कर दिया जाता है। पिछले चार वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष ब्याज अदा किए गए ब्याज की रकम नीचे दिखायी गयी है :—

वर्ष	ब्याज की रकम
1976-77	204.09
1977-78	218.26
1978-79	245.65
1979-80 (अनुमान)	253.63
1980-81 (अनुमान)	252.56

(ख) विदेशी उधारों तथा ऋणों के संबंध में 1980-81 और 1981-82 के दौरान देय ऋण परिशोधन सम्बन्धी अदायगियों की अनुमानित रकम क्रमशः 736.49 करोड़ रुपए (483.93 करोड़ रुपये मूलधन के और 252.56 करोड़ रुपए ब्याज के) और 815.12 करोड़ रुपए (525.59 करोड़ रुपए मूलधन के और 289.53 करोड़ रुपए ब्याज के) बैठेगी।

भारत और अन्य देशों के बीच विमान उड़ानों की संख्या

4830. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया की आपसी समझौते/बिना समझौते के अन्तर्गत अब तक किन-किन देशों को विमान सेवाएं हैं; और

(ख) प्रत्येक देश को भारत से कितनी विमान सेवाएं हैं तथा भारत से उन देशों को कितनी विमान सेवाएं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	देश का नाम, जहां के लिए एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स परिचालन करती हैं	एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रति सप्ताह परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या	संबंधित देश की एयरलाइन्स द्वारा प्रति सप्ताह परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	1	3
2.	यमन गणराज्य	1	1
3.	इथोपिया	1	2
4.	फ्रांस	4+1½ कार्गो	7
5.	घाना	2	—
6.	गल्फ	28+2 कार्गो ई/वी	27
7.	हांगकांग	3	—
8.	ईराक	1+1 कार्गो	2
9.	ईरान	2	2
10.	इटली	4+1 कार्गो	7
11.	जापान	4	4
12.	कुवैत	7	7
13.	केनिया	4	4
14.	मलेशिया	3	2
15.	नीदरलैण्ड	2	2
16.	नाइजीरिया	2	—
17.	स्वीटजरलैण्ड	2+½ कार्गो	7
18.	सिंगापुर	3	6
19.	सेशल्ज	1	—
20.	सऊदी अरेबिया	7	7
21.	तंजानिया	1	1
22.	थाईलैण्ड	4	8
23.	यू. के.	11+2 कार्गो ई/वी	21
24.	यू. एस. एस. आर.	2	5
25.	यू. एस. ए.	7+1 कार्गो	8
26.	पश्चिमी जर्मनी	4+3 कार्गो	7
27.	जाम्बिया	1	1

1	2	3	4
28.	बेल्जियम	1 कार्गो	2
29.	बंगलादेश	8 एयर इण्डिया-1 इण्डियन एलरलाइन्स-7	18
30.	मारीशियस (एयर इंडिया और एयर मारीशियस द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित सेवाएं)	2	1
	इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित		
31.	अफगानिस्तान	2	4
32.	मालदीव	2	—
33.	नेपाल	23	18
34.	पाकिस्तान	9	8
35.	श्रीलंका	12	10

टिप्पणी :—आधी सेवा का मतलब केवल एक ही दिशा में परिचालन से है।

इनके अतिरिक्त, विदेशी एयरलाइन्स भी भारत के लिए विमान सेवाएं परिचालित करती हैं, यद्यपि एयर-इन्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स फिलहाल उन देशों के लिए कोई सेवा परिचालित नहीं करती जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	देश का नाम	एयरलाइन का नाम	परिचालित सेवाओं की संख्या
1.	बर्मा	बर्मा एयरवेज	3
2.	चेकोस्लोवाकिया	चैक एयरलाइंस	2
3.	इन्डोनेशिया	गरुड़	2
4,	पोलैण्ड	लाट पौलिश	1
5.	सीरिया	सीरियन अरब एयरलाइन्स	2
6.	लेबनान	टी. एम. ए.	2
7.	स्केन्डीनेवियन देश	एस. ए. एस.	2

अखबारी कागज के लिए भारत बांगलादेश व्यापार वार्ता

4831. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
श्री श्री चिन्ना स्वामी } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाँच दिवसीय भारत बंगलादेश व्यापार वार्ता हुई थी जो 24 जून, 1980 को

खत्म हुई थी जैसा कि दिनांक 25 जून, 1980 के अंग्रेजी दैनिक पत्र टाइम्स आफ इंडिया के पृष्ठ 3 कालम 3 और 4 में प्रकाशित हुआ है;

(ख) उपरोक्त हुई व्यापार वार्ता का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या वर्तमान व्यापार समझौता सितम्बर, 1980 में समाप्त होगा; और

(घ) अखबारी कागज के आयात सहित दोनों देशों द्वारा व्यापक मदों के लिए शीघ्र व्यापार समझौता का नवीकरण करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत बंगलादेश व्यापार वार्ता 21 जून, 1980 से 24 जून, 1980 तक हुई थीं।

(ख) वार्ता के दौरान, दोनों देशों के बीच व्यापार की विस्तार से समीक्षा की गई। दोनों पक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों देशों के बीच व्यापार के और विकास एवं विविधीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए।

(ग) जी हां।

(घ) वर्तमान करार की समाप्ति पर जो व्यापार करार लागू होगा उसके स्वरूप पर सरकार पहले से ही बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

सोने का स्टाक

4832. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1 अप्रैल, 1977, 1 अप्रैल 1978, 1 अप्रैल 1979 और 1 अप्रैल, 1980 को सोने का (क्षेणी-वार) कितना-कितना स्टाक था ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : भारत सरकार/रिजर्व बैंक के पास सोने का (श्रेणी-वार) भंडार (स्टाक) पूछी गई तारीखों को निम्न प्रकार था :—

तारीख	मैट्रिक प्रारक्षित निधि के रूप में रखा गया सोना (मैट्रिक टन)	मोद्रिकेतर सोना (मैट्रिक टन)
पहली अप्रैल, 1976	216.3	*
पहली अप्रैल, 1977	222.5	82.61
पहली अप्रैल, 1978	228.8	87.00
पहली अप्रैल, 1979	260.1	76.89
पहली अप्रैल, 1980	266.3	*

* पहली अप्रैल, 1976 और पहली अप्रैल, 1980 को मौद्रिकेतर सोने के भंडार (स्टाक) के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

मध्य प्रदेश के लघु क्षेत्र को लोहे और इस्पात का आबंटन

4833. **श्री बसन्त कुमार पंडित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के लघु क्षेत्र को लोहे और इस्पात का आवंटन आवश्यकताओं से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो लोहे और इस्पात की पंजीकृत आवश्यकताओं की तुलना में लघु क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश को इसकी कुल कितनी मात्रा का आवंटन किया गया; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी आवंटन के कारण लघु क्षेत्र को आवंटन बहुत कम हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सामान्यत: लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की इस्पात की आवश्यकता की पूर्ति सम्बन्धित लघु उद्योग निगमों की मार्फत की जाती है। विभिन्न निगमों को माल का आवंटन पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक खरीद की गई मात्रा के आधार पर किया जाता है। इस बात को देखते हुए कि राज्य सरकारों द्वारा क्षमता निर्धारित करने के लिए भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाए गए हैं, यह महसूस किया गया कि उन वर्षों में, जिनमें माल आसानी से उपलब्ध था, की गई खरीद को आवंटन का आधार मानना अधिक उपयुक्त होगा। फिर भी, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम जैसे निगमों के मामले में जिन्होंने भूत में कम माल खरीदा था और उस आधार पर जिनकी हकदारी कम बनती थी, समायोजन करके हकदारी बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1977-78 में सबसे अधिक माल केवल 1490 टन खरीदा गया था। इस निगम को वर्ष 1978-79 में 7,900 टन, 1979-80 में 20,000 टन और 1980-81 में 21,000 टन का आवंटन किया गया है।

बैंकों के साथ धोखाधड़ी की घटनायें

4834. **श्री आर०के० महालगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1978 और 1979 के दौरान धोखाधड़ी की कुल कितनी घटनायें हुई थीं;

(ख) इन धोखाधड़ियों में कुल कितनी धनराशि का घोटाला हुआ था ;

(ग) धोखाधड़ी वाली राशियां करों की अदायगी के बाद इन बैंकों के कुल लाभ के किस अनुपात में थीं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे नीति निर्देश निर्धारित करने का है जिनके अन्तर्गत ड्राफ्ट की संगठित धोखाधड़ियों तथा ऋण लेने की धोखाधड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना बैंकों के लिए अनिवार्य हो जाएगा; और

(ङ) क्या बैंक धोखाधड़ियों से होने वाली हानि के लिए बीमाकृत होते हैं और यदि हां, तो ग्राहक क्या जालसाजी और धोखाधड़ी की घटनाओं में होने वाली हानियों से पूर्ण सुरक्षित होते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) "बैंक जाल साजी" (बैंक फ्राड) शब्द में प्राय: ये घटनायें आती हैं, जैसे :—गलत प्रतिनिधित्व, विश्वासघात, खाता-पुस्तकों में हेराफेरी, चैक, ड्राफ्ट और हुण्डियों जैसे दस्तावेजों के जरिये छलपूर्ण तरीके से रुपया निकालना, बैंक के पास रखी गई जमानतों का अनधिकृत रूप से प्रयोग करना, राशियों का दुरुपयोग, गबन, चोरी, दुर्विनियोजन, सम्पत्ति का परिवर्तन, धोखा देना, राशि की कमी होना, अनियमितता आदि। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1978

और 1979 के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत (1969 में राष्ट्रीयकृत किये गये) बैंकों में बैंक जालसाजियों की घटनाओं की कुल संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि नीचे लिखे अनुसार है :—

	मामलों की कुल संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
1978	1072	लगभग 619 लाख रु०
1979	1031	लगभग 784 लाख रु०

यह आवश्यक नहीं है कि इन जालसाजियों में अंतर्ग्रस्त राशि की बैंकों को हानि ही हुई हो। अलबत्ता, इन जालसाजियों में अंतर्ग्रस्त राशि वर्ष 1978 और 1979 के लिये उनके कुल लाभ का (कराधान के बाद) क्रमशः 21·41 प्रतिशत और 39·07 प्रतिशत बैठती है।

(घ) और (ङ) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास जालसाजियों को रोकने के वास्ते की जाने वाली सुरक्षाओं के विषय में सूचना देने वाली अपनी-अपनी निर्देश पुस्तकें हैं। जब कभी किसी जालसाजी का पता लगता है तो सम्बन्धित बैंक जालसाजी तथा जालसाजी में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों की प्रकृति और उनकी मात्रा को देखते हुए इस मामले की तत्काल विभागीय जांच शुरू कर देता है, अथवा इसे स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय ब्यूरो को सौंप देता है। सरकार ने कुल मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं जिनमें यह बताया गया है कि किस किस्म के मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा सकती है, किस किस्म के मामलों को स्थानीय पुलिस को सौंपना चाहिये और किस किस्म के मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना चाहिये। जहां कहीं आपराधिक कार्य अंतर्ग्रस्त होता है, वहां बैंक मामले की सूचना स्थानीय पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को देते हैं।

ऐसी सभी जालसाजियों को व्याप्त करने वाला कोई बीमा नहीं है। अलबत्ता, अधिकांश बैंक "बैंक क्षतिपूर्ति पालिसी" अथवा "निष्ठा गारंटी पालिसी" लेते हैं। जिनमें बैंक कर्मचारियों की ओर से की गई उपेक्षा और धोखाधड़ी व्याप्त हैं। बैंक अनिवार्य रूप से चोरी, डकैती आदि के जरिये नकद हानि के विरुद्ध बीमा पालिसी भी लेते हैं। बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार, जब कोई धोखाधड़ी की घटना घटती है तो वास्तविक स्वामी को संरक्षण प्राप्त होता है और यदि उसे कोई हानि होती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये निर्देश भी जारी किये हैं कि बैंकों को उन मामलों में जहां बैंक कर्मचारियों द्वारा जालसाजी या अनियमिताएं की गई हों वहां ग्राहक के दावे को निपटाने के लिये तत्काल विचार करना चाहिये।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

4835. **श्री आर० के० महालगी**
श्री अमर राय प्रधान : क्या नागरिक और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 की बजट घोषणा के बाद से सीमेंट, इस्पात और चीनी सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की कीमतों में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है; और

(ग) इन वस्तुओं की कीमतें जनवरी, 1980 में क्या थी ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1980-81 के केन्द्रीय बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद से आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का रुख मिश्रित प्रकार का रहा है। कुछ वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक चढ़ गये हैं, कुछ वस्तुओं के सूचकांक स्थिर रहे हैं और कुछ वस्तुओं के सूचकांकों में कमी आई है। बजट के प्रस्तुत किए जाने के बाद से सीमेंट का थोक मूल्य सूचकांक स्थिर रहा है, जबकि इस्पात और चीनी के सूचकांकों में वृद्धि हुई है। तथापि, उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली लेवी-चीनी के खुदरा मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) चीनी, सीमेंट और लोहा, इस्पात तथा लोह-मिश्रण धातुओं के उप-वर्ग के जनवरी, 1980 और 14-6-80 तथा 28-6-80 को समाप्त होने वाले सप्ताहों के थोक मूल्य सूचकांक विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

चीनी, सीमेट और लोहा तथा इस्पात एवं लोह-मिश्र धातुओं (उप-वर्ग) के जनवरी, 1980 तथा 14 जून, 1980 और 28 जून, 1980 को समाप्त होने वाले सप्ताहों के दौरान थोक मूल्य

सूचकांक

(आधार : 1970-71=100)

वस्तु/वस्तु उप-वर्ग	थोक मूल्य सूचकांक		
	जनवरी, 1980 (मासिक औसत)	14-6-1980 को समाप्त सप्ताह	28-6-1980 को समाप्त सप्ताह
चीनी	192·2	219·9	223·9
सीमेंट	234·1	233·4	233·4
लोहा, इस्पात और लोह-मिश्र-धातु (उप-वर्ग)	261·7	263·0	265·3

छठी योजना के दौरान पर्यटक स्थानों के विकास के लिये केरल सरकार के प्रस्ताव

4836. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में पर्यटक स्थानों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है; और

(घ) इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए राज्य की क्या वित्तीय सहायता दिए जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) आगामी पांच वर्षों में होने वाली दुगनी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तदनुकूल सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से पर्यटन योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें ये उपाय शामिल हैं—(1) यात्रा परिपथों का पता लगाना तथा उनका विकास करना और (2) इन यात्रा परिपथों में पड़ने वाले केन्द्रों पर पर्याप्त रूप से आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना। इस प्रयोजन के लिए राज्य के पर्यटन अधिकारियों से बात-चीत की गई थी और पर्यटन विभाग, केरल सरकार, द्वारा ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

बंगलौर (कर्नाटक) में एक ठेकेदार के निवास स्थान पर मारा गया छापा

4837. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर (कर्नाटक) में एक ठेकेदार के निवास स्थान पर हाल में छापा मारा गया था जिसमें 35 लाख रुपए लेखाबाह्य धन के रूप में जब्त किया गया था;

(ख) क्या उसने अपना धन सर्ववती पन बिजली और अन्य परियोजनाओं से कमाया था और उसपर आयकर की 25 से 30 लाख रुपये की राशि बकाया थी;

(ग) क्या उसने कुछ वर्ष पूर्व बिहार में एक परियोजना का काम हाथ में लिया था परन्तु बाद में उक्त राज्य सरकार ने उसका नाम काली सूची में दर्ज किया था ;

(घ) क्या उसके पुत्र के पास भी अनेक मकान और जमीन है; यदि हां, तो उस पर आयकर की कुछ राशि बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ। आयकर विभाग ने कर्नाटक के एक ठेकेदार, श्री एम० एस० रमैया के व्यापारिक और रिहायशी परिसरों पर 28 मई, 1980 से 30 मई 1980 तक छापे मारे। छापे के दौरान श्री रमैया के निवास से 32,98,550 रु० की नकदी पकड़ी गई और श्री एम० एस० रमैया इंजीनियरिंग कालेज के क्लर्क श्री जी० एस० रामा राव के निवास से 1,40,075 रु० पकड़े गये। इन दोनों रकमों का जोड़ 35,38,625 रु० होता है।

(ख) श्री रमैया की व्यापारिक गतिविधियों की अब आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है। 31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार, आयकर की निम्नलिखित रकमें बकाया हैं :—

1. श्री एम० एस० रमैया (व्यष्टि)	36,07,000 रु०
2. श्री एम० एस० रमैया (गंडक नदी परियोजना)	68,000 रु०

उपर्युक्त के अतिरिक्त कर की अदायगी देर से करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 (2) के अन्तर्गत ब्याज लगाया जाता है।

(ग) श्री एम० एस० रमैया ने बिहार में एक परियोजना का कार्य अपने हाथ में लिया था परन्तु इस मंत्रालय को इस बात का पता नहीं है कि उनका नाम बिहार सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया।

(घ) श्री रमैया के पुत्र श्री एम० आर० जयराम ने गृह सम्पत्ति की आय की घोषणा की है और वह कृषि भूमि के स्वामी हैं। 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार, उन्हें आयकर के रूप में 2,20,779 रु० की रकम अदा करनी थी। इस रकम पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 220 (2) के अंतर्गत ब्याज प्रभार्य है।

(ङ) श्री जयराम द्वारा घोषित परिसम्पत्तियों के बारे में जांच की जा रही है। और उसकी ओर बकाया करों की वसूली के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

आयकर अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानान्तरण

4838. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 जुलाई, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "आई० टी० ओज० पोस्टिंग, ट्रांसफर, आनसेल" (आयकर अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण का बेचा जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दो महीने के कम समय में 188 नियुक्तियों के अपने आदेशों को रद्द कर दिया है और यह भी सच है कि आयकर विभाग में कुछ अधिकारी सी० बी० डी० टी० के विनियम के विरुद्ध 8 से 10 वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान में रहने के प्रयास में सफल रहे हैं;

(ग) किन जिलों में कितने ऐसे अधिकारी लम्बी अवधि तक वहां रहे; और

(घ) क्या इस विभाग में नियुक्ति और स्थानान्तरण के बारे में कोई स्पष्ट नीति है और उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अप्रैल तथा मई 1980 की अवधि के दौरान ग्रुप 'क' के आयकर अधिकारियों के 194 स्थानान्तरण/तैनातियां की गईं। इनमें से 60 अधिकारियों से सम्बन्धित स्थानान्तरण दयाजनक कारणों के आधार पर अथवा लोकहित में रद्द कर दिये गये। तथापि, उक्त अधिकारियों में से किसी को भी एक ही जिले में लम्बे समय तक नहीं रहने दिया गया।

(घ) जी, हां। इस मामले से सम्बन्धित नीति की ओर समय-समय पर आयुक्तों का ध्यान दिलाया जाता है।

मोनेक्स-79 के प्रयोग का पुनर्मूल्यांकन

4839. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोनेक्स-79 के प्रयोग का कोई पुनर्मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना पर अब तक कितना व्यय हो चुका है और इसमें कितने भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं; और

(घ) उक्त परियोजना में भाग लेने वाले विदेशियों का कितना योगदान रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) मोनेक्स-79 प्रयोग के दौरान संगृहीत आँकड़ों का संकलन किया जा रहा है। प्रयोग द्वारा हासिल किए गये वैज्ञानिक परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) अब तक इस परियोजना पर लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इस प्रयोग के विभिन्न चरणों में 176 भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों ने भाग लिया।

(घ) प्रेक्षणात्मक कार्यक्रमों में विदेशीय योगदान निम्न प्रकार था :—

1. यू. एस. एस. आर. से 5 अनुसंधान पोत।
2. यू. एस. ए. से वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों सहित तीन असैनिक अनुसंधान वायुयान।
3. फ्रांस से एक अनुसंधान पोत।
4. भूमि की सतह के अत्यन्त निकटवर्ती मौसम वैज्ञानिक प्राचलों के परिमापन के लिए यू. एस. ए. से उपस्कर।

पटसन के मूल्य निर्धारित करना

4840. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन के मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई निर्णय किया है तथा विपणन सम्बन्धी शर्तों का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) 1980-81 मौसम के लिए कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमत आसाम में डब्ल्यू-5 ग्रेड के लिए 160/- रुपए प्रतिक्विंटल निर्धारित की गई है जो कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। विभिन्न ग्रेडों के सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की आवश्यकता से संबंधित प्रक्रिया

4841 **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के पदों के लिए देश भर के सभी समाचार पत्रों में पर्याप्त विज्ञापन दिए जाते हैं जैसा कि अपेक्षा की जाती है; और

(ग) क्या निगम के अधीन सभी होटलों की स्टाफ संबंधी आवश्यकताओं के लिए कोई केन्द्रीय भर्ती व्यवस्था है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती करने के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपनाई गई नीति प्रायः ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा दिए गए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित होती है। संक्षेप में निम्नलिखित नीति और सिद्धान्त अपनाए जाते हैं :—

किसी विशेष इलाके में जहां कार्पोरेशन का एकक अवस्थित है, भर्ती किए जाने वाले निचले दर्जे के कर्मचारियों के बारे में और अकुशल मजदूरों के सम्बन्ध में भी भर्ती के लिए ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जाता है जो एकक के इलाके या इसके आसपास के क्षेत्र से आते हैं।

कुशल मजदूरों, लिपिकों और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के मामलों में, अन्य बातों में समानता रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है जिसमें यूनिट कार्यालय अवस्थित हो।

मध्य तथा कार्यकारी स्तरों पर, तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों, के मामलों में भर्ती योग्यताओं, अनुभव और गुण को प्रधान मानदण्ड मानते हुए अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाती हैं।

निचले स्तरों पर रिक्तियां या तो विज्ञापित की जाती हैं अथवा सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जाती हैं और इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया चालू की जाती है। मध्य और कार्यकारी स्तर के पदों के मामले में विज्ञापन, प्रमुख अखिल भारतीय दैनिक समाचार पत्रों में जारी किए जाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में इस प्रकार के रिक्त पदों के मामलों में, देशी भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भी जारी किए जाते हैं। इस प्रकार के मामलों में विज्ञापन एम्पलाएमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में भी शामिल किए जाते हैं, जिसका परिचालन अखिल भारतीय स्तर पर होता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों तथा अन्य एकान्तिक श्रेणियों के बारे में इसी प्रकार अलग विज्ञापन जारी किये जाते हैं, और उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति समितियों/संस्थाओं को भी भेजा जाता है और इनकी एक प्रति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति कल्याणार्थ संसदीय समिति के अध्यक्ष को भी भेजी जाती है।

(ख) जैसा कि ऊपर (क) में उल्लेख किया गया है, अंग्रेजी और देशी भाषा दोनों के महत्वपूर्ण अखिल भारतीय क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में पर्याप्त विचार किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि रिक्ति किस क्षेत्र में हुई है। अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापित की जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में विज्ञापन एम्प्लाएमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में भी जारी किए जाते हैं।

(ग) होटलों में अधिकारियों की सारी भर्तियां केन्द्रीय रूप से निगम के मुख्यालय द्वारा ही की जाती हैं परन्तु गैर कार्यकारी स्तरों पर कर्मचारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए, भर्ती करने की शक्तियां प्रमुख होटलों के यूनिट प्रधानों आदि को प्रत्यायोजित की गई हैं।

गुजरात में पर्वतीय स्थानों/तीर्थ स्थानों में हवाई अड्डों का निर्माण

4842. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में छठी योजना अवधि के दौरान नये हवाई अड्डों को बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात के वर्तमान हवाई अड्डों का नवीकरण तथा विस्तार किए जाने की इस समय कुछ योजनाएं हैं; और

(घ) क्या सरकार कम से कम गुजरात के पर्वतीय स्थानों और तीर्थ स्थानों जैसे अम्बाजी, पालीताना, जूनागढ़ आदि, में हवाई अड्डों के निर्माण कराने पर विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। न इंडियन एयरलाइन्स से और न किसी गैर-अनुसूचित परिचालक से ही ऐसी कोई मांग प्राप्त हुई है।

(ग) जी, हां। अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट, बड़ौदा तथा भुज के विमान क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

सरकारी सैक्टर यूनिटों में जमा योजना

4843 : **श्री नवीन रवाड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी बचत को सरकारी सेक्टर यूनिटों में जमा कराने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) जमा योजना सबसे पहले किस यूनिट से आरम्भ की थी;

(ग) इन जमा राशियों पर साधान ब्याज की दर क्या होगी और जमा की अवधि क्या होगी;

(घ) यूनिटों को कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है; और

(ङ) इस समय गैर सरकारी एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के पास सार्वजनिक जमा की कुल कितनी धनराशि है:

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) यह निर्णय लिया गया है कि कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित सरकारी क्षेत्र के कुछ चुनींदा उद्यमों को कम्पनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 1975 के अनुसार जनता से जमाराशि आमंत्रित करने की अनुमति दी जाए।

(ख) भारतीय रुई निगम, एण्ड्रयू यूले एण्ड कं०, मैसर्ज बामेर लारो और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने जनता से जमाराशियां प्राप्त करने की योजनाएं चालू की हैं।

(ग) इन जमाराशियों पर ब्याज की दरें गैर सरकारी क्षेत्र की सबसे अच्छी कम्पनियों द्वारा दी जा रही दरों के समान ही होंगी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों और भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए ब्याज की दर 1/2 प्रतिशत अधिक रखी जा सकती हैं।

(घ) क्योंकि यह योजना हाल ही में शुरू की गई है, अतः अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इनसे संभवतः कितनी जमा धनराशि प्राप्त होगी।

(ङ) गैर सरकारी एम० आर० टी० सी० कम्पनियों के पास सार्वजनिक जमा रकम के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष कर न दिए जाने लम्बित मामले

4844. **श्री नवीन रवाणी** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली और बहुराष्ट्रीय दोषी कम्पनियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष करों का भुगतान न करने अथवा उनके अपवंचन

के बारे में जांच के कितने मामले उनके मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में इस समय लम्बित हैं;

(ख) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) राशि वसूल करने, जुर्माना लगाने और मामलों को तत्काल निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी।

सस्ते खाद्य तेलों की वितरण व्यवस्था का विस्तार

4845. **श्री नवीन रवणी** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की उन राज्यों के माध्यम से भी सस्ते तेल की वितरण व्यवस्था का विस्तार करने की कोई योजना है जिन्होंने गत तीन वर्षों में ऐसा करना बन्द कर दिया था; जैसे गुजरात;

(ख) क्या अन्य राज्यों ने खुले बाजार की शक्तियों को गुंजायश देने के नाम पर तेल, साबुन और अन्य ऐसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण रोक दिया था; और

(ग) राज्यों को यह काम पुनः आरंभ करने को कहने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण की वर्तमान योजना के अन्तर्गत आयातित खाद्य तेल और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित दर की दुकानों के माध्यम से सहायता प्राप्त दरों पर उपभोक्ताओं को दी जा रही हैं। गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारें इस योजना को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित कर रही हैं। केंद्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे साबुन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण को बन्द किये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। राज्य सरकारों के नामितों से मांग-पत्र प्राप्त होने पर उन्हें विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से इन वस्तुओं की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। ये नामित इन वस्तुओं को विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से देने का प्रबन्ध करते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी

4846. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश का 1956 में अधिग्रहण किया था और यदि हां, तो प्रिंसिपल से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के उसके कर्मचारियों के वेतनमान क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतनमान भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान से भिन्न है जबकि इनकी ड्यूटी एक जैसी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संस्थान के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वेतनमान देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी के कर्मचारियों के वेतन मान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान
	ग्रुप 'क' श्रेणी 1	
1.	प्रधाधानाध्यापक	1500-1800 रु०
2.	वस्त्र प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक	700-1300 रु०
3.	वस्त्र डिजाइन में वरिष्ठ प्राध्यापक	700-1300 रु०
4.	वस्त्र रसायन शास्त्र में वरिष्ठ प्राध्यापक	700-1300 रु०
	ग्रुप 'ख' श्रणी 2 (राजपत्रित)	
5.	कनिष्ठ प्राध्यापक (वस्त्र)	650-1200 रु०
6.	वस्त्र रसायन शास्त्र में कनिष्ठ प्राध्यापक	650-1200 रु०
	ग्रुप 'ग'श्रेणी 3 अराजपत्रित	
7.	ड्राफ्ट्समैन-सह-वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेंट	650-960
8.	प्रशिक्षक-सह-प्रदर्शक	550-900 रु०
9.	सहायक मास्टर ग्रेड 1	550-800 रु०
10.	सुपरिन्टेन्डेंट	550-750 रु०
11.	सहायक मास्टर ग्रेड 2	425-700 रु०
12.	रंगाई सहायक	425-700 रु०
13.	गवेषणा सहायक	425-700 रु०
14.	पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ)	425-700 रु०
15.	पुस्तकाध्यक्ष	380-640 रु०
16.	प्रयोगशाला सहायक	380-560 रु०
17.	मास्टर बुनकर	330-560 रु०
18.	वर्कशाप फोरमैन	330-560 रु०
19.	आशुलिपिक	330-560 रु०
20.	स्टोरकीपर	330-560 रु०
21.	उच्च श्रेणी लिपिक	330-560 रु०
22.	लेखापाल	330-560 रु०

23.	ड्राइवर	320-400 रु०
24.	निम्न श्रेणी लिपिक	260-400 रु०
25.	बुनाई अनुदेशक	260-400 रु०
26.	बढ़ई (वरिष्ठ)	260-400 रु०
27.	ड्राइंग मास्टर	260-400 रु०
28.	सेल्स मैन	260-400 रु०
29.	रंगाई मास्टर	260-400 रु०
30.	कलाई मास्टर	260-400 रु०
	ग्रुप 'घ' श्रेणी 4 (अराजपत्रित)	
31.	वार्पर (वरिष्ठ)	210-290 रु०
32.	कुंडीगार	210-290 रु०
33.	बढ़ई (कनिष्ठ)	210-290 रु०
34.	दफ्तरी	200-250 रु०
35.	वार्पर (कनिष्ठ)	196-232 रु०
36.	परिचर	196-232 रु०
37.	चपरासी	196-232 रु०
38.	चौकीदार	196-232 रु०

दिल्ली में व्यापारियों के परिसरों में आय कर के अधिकारियों द्वारा तलाशी

4847. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री राजधानी में आयकर सूचना अधिकारियों द्वारा गिरोह का पता लगाए जाने के बारे में 18 मई, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 1175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में (एक) अंसल ग्रुप (दो) रीवियारा ग्रुप (तीन) वाडेरा ग्रुप (चार) मित्तल ग्रुप के परिसरों में आय कर अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशी में या वस्तुएं जब्त की गई और प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है और प्रत्येक ग्रुप से कितनी मात्रा में विदेशी वस्तुओं की प्राप्ति हुई; और

(ख) क्या उपरोक्त ग्रुपों में से प्रत्येक के मामले में आयकर आंका गया है और यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में कितनी राशि आंकी गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स ओटो पिन्स (इंडिया) रजिस्टर्ड

4848. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री मैसर्स ओटो पिंस के बारे में 20 अप्रैल 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ओटो पिन्स (इंडिया) रजिस्टर्ड पर गत कुछ वर्षों और विशेष रूप से

पिछले दो वर्षों के 83.07 लाख रुपये की राशि के आयकर को छुपाने के जुर्म में दण्ड देने के लिए की जा रही जांचों को अब तक पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी क्या अड़चने हैं जो जांच कार्य में आड़े आ रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) जी, हां। कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 के सम्बन्ध में जिसमें 83.07 रुपये की वृद्धि की गई है आय को छिपाने के मामले में अर्थ-दण्ड की कार्यवाही को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि कर-निर्धारण के विरुद्ध एक अपील, आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन है।

यूरोपीय व्यापार मेले में भारतीय वस्तुओं की मांग

4849. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय व्यापार मेले में भारतीय वस्तुओं की बहुत अधिक मांग थी ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर कितने मूल्य का भारतीय सामान बेचा गया ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) भारत ने हाल में "यूरोपीय व्यापार मेला" नाम के किसी मेले में भाग नहीं लिया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के नाम बकाया केन्द्रीय ऋण

4850. **दलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 को मध्य प्रदेश सरकार के नाम पर केन्द्रीय ऋण की कितनी राशि बकाया थी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष ऋण पर केन्द्रीय सरकार को कितना ब्याज दिया गया; और

(ग) अधिक सहायता की आवश्यकता को देखते हुए विशेषकर विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिए जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत): (क) और (ख) महालेखाकार, मध्य प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार की मध्य प्रदेश शासन पर 31 मार्च 1980 को बकाया ऋणों की रकमें 850.81 करोड़ रुपए की बैठती है। 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा ब्याज के रूप में 38,55 करोड़ रुपए दिए गए। ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) 1980-81 के लिए मध्य प्रदेश की वार्षिक आयोजना के परिव्यय के लिए 530.62 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। पिछले वर्ष के परिव्यय के मुकाबले में इसमें 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस परिव्यय की वित्त व्यवस्था करने के लिए 161.30 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया गया है। इस केन्द्रीय सहायता में पिछले वर्ष की रकमों के मुकाबले में काफी अधिक वृद्धि की गई है। चालू वर्ष में सूखा सहायता के लिए आयोजना-भिन्न

तथा आयोजना मदों के व्यय के लिए क्रमशः 4.26 करोड़ रुपए तथा 43.64 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सूखा सहायता के आयोजना व्यय को 7 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत तय की गई नीति तथा अपनाए गए प्रबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से अग्रिम आयोजना सहायता लेकर पूरा किया जायगा।

आन्तरिक विमान सेवा के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव

4851. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ राज्य के लिए ही आंतरिक विमान सेवा आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने राज्य में विमान सेवाओं के परिचालन के लिए एक वायुयान की उपयुक्तता तथा भारत सरकार से सम्भावित वित्तीय सहायता के बारे में इस मंत्रालय से परामर्श किया था। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि तीसरी वायु सेवाओं/फीडर सेवाओं के परिचालन का सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस विषय पर किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के बाद ही राज्य सरकारों/प्राइवेट पार्टियों के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा।

गोआ में पुराने भवन और प्रासादों को पर्यटन आकर्षण के स्थलों के रूप में बदलना

4852. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ संघ राज्य क्षेत्र में नदी के किनारों और पर्वत की चोटियों पर स्थित महल जैसे बहुत से भवन हैं;

(ख) क्या इन में से कुछ महल 300 वर्षों से भी अधिक समय पुराने हैं और जो अपने पुरातत्वीय डिजाइन, सुसज्जित ढंग, सुन्दर और शानदार सिंहद्वार, तथा अत्युत्तम प्राचीन फर्नीचर और ऊंचे-ऊंचे "मकाव कॉर्नस" के लिए प्रसिद्ध हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रासाद जैसे शानदार ये भवन अब खण्डहर बनते जा रहे हैं;

(घ) क्या इन भवनों का गोआ में उपयोग करने तथा उनको पर्यटकों के आकर्षण के स्थलों में बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। तथापि, इन भवनों के समुचित परिरक्षण के लिए इनकी मरम्मत करने की आवश्यता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने के लिए अतिरिक्त स्थान

4853. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की छटी पंचवर्षीय योजना (1978-83) में स्कीम-वार परिव्यय दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है। इसमें शामिल की गई स्कीमों को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है बशर्ते धन राशि उपलब्ध हो।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 1980-81 के लिए यथा-प्रस्ताविक और योजना आयोग द्वारा स्वीकृत स्कीम-वार परिव्यय दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	स्कीम का नाम	छठी योजना परिव्यय 1978-83	1980-81 के लिए प्रस्ताविक परिव्यय	1980-81 के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय
1	2	3	4	5
			(रुपए लाखों में)	
क. चालू स्कीमें				
1.	होटल कनिष्ट नई दिल्ली (300 कमरे)	500.00	170.00	170.00
2.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली (565 कमरे)	300.00	110.00	110.00
3.	अकबर होटल नई दिल्ली का विस्तार (150 कमरे)	300.00	15.00	15.00

1	2	3	4	5
			(रुपये लाखों में)	
4.	टावर रेस्तरां सहित अशोक होटल का विस्तार (104 कमरे)	1.00	5.00	5.00
5.	होटल जयपुर अशोक प्रथम चरण (23 कमरे) द्वितीय चरण (44 कमरे)	45.00	3.00	3.00
6.	भुवनेश्वर यात्री गृह का होटल में परिवर्तन (24 कमरे)	10.00	2.00	2.00
7.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर का विस्तार (30 कमरे)	40.00	2.00	2.00
8.	मदुरै में यात्री गृह का विस्तार (36 कमरे)	20.00	5.00	3.00
9.	होटल हस्सन अशोक का विस्तार (10 कमरे)	10.00	15.00	10.00
10.	होटल कुतुब, नई दिल्ली का विस्तार (150 कमरे)	10·00	—	—
11.	भूमि अधिग्रहण (कोवलम, महाबलीपुरम, औरंगाबाद आदि	15.00	15.00	5.00
		1251.00	34200	325·00
ख.	**नई स्कीमें**			
(क)	**विस्तार**			
1.	वाराणसी होटल वाराणसी का विस्तार (36 कमरे)	35.00	15.00	10.00
2.	खजुराहो में होटल का विस्तार (30 कमरे)	30.00	20.00	10.00
3.	बोधगया में यात्री गृह का विस्तार (20 कमरे)	20.00	5.00	5·00
4.	अन्य होटलों और काणोर्क, बीजापुर, सांची, कुशीनगर, कुल्लू, मनाली, महाबलीपुरम् एल. वी. पी. होटल, उदयपुर, आदि में यात्री गृहों का विस्तार	30·00	40.00	15.00
5.	एयरपोर्ट होटल कलकता सहित होटलों में परिवर्धन/सुधार	320.00	32.00	30.00
	जोड़ (क)	435.00	112·00	70.00

1	2	3	4	5
			(रुपये लाखों में)	
(ख)	नए होटल/यात्री गृह			
1.	गोहाटी में होटल (30 कमरे)	45.00	35.00	10.00
2.	चंडीगढ़ में होटल (50 कमरे)	65.00	55.00	30.00
3.	बम्बई में एयरपोर्ट होटल (250 कमरे)	300.00	150.00	50.00
4.	गुलमर्ग में होटल	100.00	50.00	5.00
5.	आगरा में होटल (40 कमरे)	75·00	15.00	5.00
6.	भोपाल में होटल (50 कमरे)	75.00	11.00	10.00
7.	मद्रास में जनता होटल (205 कमरे—450 बैड)	—	50.00	—
8.	गोआ में होटल (50 कमरे)	75.00	10.00	10.00
9.	हैदराबाद में होटल (50 कमरे)	—	10.00	—
10	अहमदाबाद में होटल	75.00	—	—
11.	पुरी, हम्पी, जैसलमेर, बीकानेर, अगरतला, पांडिचेरी, जबलपुर आदि में अपेक्षाकृत छोटे होटल/यात्री गृह	104.00	70.00	25.00
	जोड़ (ख)	914.00	456.00	145.00
	जोड़ (क) और (ख)	1349.00	568.00	215 00
(ग)	वर्तमान होटलों/यात्री गृहों में परिवर्तन	200.00	50.00	50.00
(घ)	विवध स्कीमें			
1.	परिवहन यूनिटों की स्थापना और विस्तार	300.00	60.00	30.00
2.	कार्यालय भवन	100.00	45.00	35.00
3.	भारत पर्यटन विकास निगम प्रशिक्षण केन्द्र	30.00	20.00	3.00
4.	दिल्ली में अवस्थित होटलों के लिए सेंट्रल लाण्ड्री	30.00	20.00	—
5.	दिल्ली में अवस्थि होटलों के लिए सेंट्रल कोल्ड स्टोरेज	20.00	20·00	—
6.	दिल्ली आदि में एयरपोर्ट केटरिंग	10·00	20.00	—

1	2	3	4	5
				(रु० लाखों में)
7.	डी. एफ. एस., मनोरंजन, फर्नीचर वर्कशाप, परामर्श आदि से संबंधित स्कीमें	10.00	5.00	1.00
	जोड़ (घ)	500.00	190.00	69.00
(ङ)	भारत और विदेशों में पर्यटन परियोजनाओं में पूंजी निवेश	—	200.00	1.00 (सांकेतिक)
	कुल जोड़	3300.00	1350.00	660·00

तमिलनाडु में सेलम में नया हवाई अड्डा

4854. **श्री के० अर्जुनन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में सेलम में एक नए हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार येंरकोड तथा हेगेनाक्ल स्थानों की पर्यटन सम्भावनाओं को देखते हुए तथा सेलम, धर्मपुरी और मेट्टूर जिलों में उद्योगपतियों और व्यापारियों के कल्याण के लिए सेलम में एक नये हवाई अड्डे की स्थापना के प्रश्न पर विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन विभाग के अधिकारियों ने 1972 में एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया था।

(ग) फिलहाल, सेलम में हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि न तो इंडियन एयरलाइंस ने और न किसी गैर-अनुसूचित ऑपरेटर ने ही सेलम के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने में रुचि व्यक्त की है।

आगरा में असैनिक हवाई अड्डा

4855. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ताजमहल, आगरा तथा पर्यटन-विकासाधीन अन्य ऐतिहासिक स्थानों के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बना रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्यों; और

(ख) पर्यटन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा में एक असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण करने का विचार है; और यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) आगरा में (I) एक पर्यटक बंगले का निर्माण (ii) ताज तक एक पहुंच-मार्ग का निर्माण (iii) ताज के आस पास के क्षेत्र का विकास (iv) ताज और आगरा फोर्ट के आस पास के क्षेत्र का भूदृश्यांकन और सौंदर्य बढ़ाने जैसी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक राज्य सरकार को 16,07,500 रु० की कुल धनराशि पहले ही रिलीज कर दी है। आगरा से 40 किलोमीटर के फासले पर स्थित फतहपुर सीकरी की महा योजना तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद, को सौंपा गया है, जिसके लिए 1977-78 के दौरान 4.61 लाख रु० की धनराशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है। महा योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और 1980-81 के दौरान इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम आगरा में होटल मुमताज अशोक (एक गैर-सरकारी सेक्टर यूनिट—प्रबन्ध व्यवस्था के आधार पर), ताज रेस्तरां, एयरपोर्ट रेस्तरां और एक परिवहन यूनिट की प्रवन्ध-व्यवस्था भी करता है।

(ख) जी, नहीं। आगरा में वायु-सेना के हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्कलेव पहले से ही मौजूद है जिसमें एक टर्मिनल बिल्डिंग और एक सिविल एप्रन शामिल हैं। यह इंडियन एयर-लाइंस की आगरा होकर जाने वाली उड़ानों के लिए पर्याप्त है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को अपेक्षित फेरों सिलिकोन, फेरों एलायज तथा फेरो-मंगनीज की कमी

4856 **श्री के०लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन के लिये इस्पात संयंत्रों हेतु भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को अपेक्षित फेरो-सिलिकोन, फेरो-एलायज और फेरो-मैंगनीज की भारी कमी है;

(ख) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में फेरो, सिलिकोन फेरा-एलायज तथा फेरो-मैंगनीज के प्रधान उत्पादक कौन-कौन हैं और प्रत्येक उत्पादक का वार्षिक उत्पादन कितना-कितना है;

(ग) क्या ये उत्पादक इन वस्तुओं की बिक्री और निर्यात के मामले में अनियमितताएं कर रहे हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनके विरुद्ध तथा कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(घ) इस्पात उद्योग की रक्षा करने के लिए इन वस्तुओं की सप्लाई और वितरण को नियंत्रित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस्पात कारखानों की फेरो-मैंगनीज की सप्लाई सामान्यतः सन्तोषजनक है। वर्ष 1979-80 में, विशेष रूप से सितम्बर, 1979 से कारखानों के सम्मुख फेरो-सिलिकन की कमी बनी रही है। फेरो-मैंगनीज तथा फेरो-

सिलिकन की स्थिति नीचे दी गई हैं :—

(मात्रा : टनों में)

संयंत्र	फेरो-मैंगनीज		फेरी-सिलिकन	
	आवयकता	प्राप्ति	आवश्यकता	प्राप्ति
भिलाई इस्पात कारखाना	47000	45600	3300	2100
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	20000	15200	1300	700
राउरकेला इस्पात कारखाना	21000	15800	4100	2850
बोकारो इस्पात कारखाना	16000	10600	3400	950
मिश्र इस्पात कारखाना	1200	1000	750	500
इस्को	9000	5000	3000	650
कुल :	1,14,000	9,59,00	16,350	7,750

(ख) फेरो-सिलिकन, फेरो-मैंगनीज तथा कुछ अन्य लौह-मिश्र धातुओं के मुख्य उत्पादकों के नाम तथा वर्ष 1979-80 के दौरान प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के सम्बन्ध में एक विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी भी लौह-मिश्र धातु की बिक्री में अनियमितता की किसी विशिष्ट घटना के बारे में सूचना नहीं मिली है।

(घ) बिजली के संकट को देखते हुए, जिसके कारण फेरो-मैंगनीज, फेरा-सिलिकन तथा फेरो-क्रीम के उत्पादन कर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यह निर्णय लिया गया था कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता और आन्तरिक मांग की पूर्ति नहीं होने लगती तब तक इन मदों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कमी पूरा करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० को 12,000 टन फेरो-सिलिकन आयात करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने लौह-मिश्र धातुओं के उत्पादकों को सलाह दी है कि वे प्राथमिकता के क्षेत्रों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करें। उत्पादकों ने यह बात मान ली है।

विवरण

वर्ष 1979-89 के दौरान लौह-मिश्र धातुओं के उत्पादन के सम्बन्ध में विवरण

क्रम सं०	इकाई का नाम तथा पता	फेरो मैंगनीज	फेरो सिलिकन	फेरो क्रोम	फेरो मोती	फेरो वैनेडियम	अन्य लौह-मिश्र-धातु*	योग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मैसर्स फेरो अलाएस कारपोरेशन लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश	20,773	2,873	15,691	—	—	219	39,556	
2.	मेसर्स नव भारत फेरो-अलाएस लिमिटेड, हैदराबाद	—	14,063	—	—	—	—	14,063	
3.	मेसर्स विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती	1,016	8,152	—	—	10	324	9,502	
4.	मेसर्स सन्दूर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर लि०, कर्नाटक	—	5,396	—	—	—	—	5,396	
5.	मेसर्स इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो अलाए लि०, भुवनेश्वर	—	10,571	—	—	—	—	10,571	
6.	मेसर्स डाडेली फेरो अलाएस (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई	2,285	—	—	—	—	1,994	4,279	
7.	मेसर्स खंडेलवाल फेरो-अलाएस लिमिटेड, बम्बई	32,756	—	—	—	—	—	32,756	
8.	मेसर्स महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, बम्बई	4,559	—	—	—	—	—	4,559	
9.	मेसर्स यूनीवर्सल फेरो एण्ड अलाएस केमिकल लि०, बम्बई	34,804	—	—	—	—	—	34,804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	मेसर्स जेपुर शूगर कम्पनी लि०, मद्रास	7,956	—	—	—	—	—	7,956	
11.	मेसर्स टाटा आयरन स्टील कम्पनी लि०, जोदा फेरो-मैंगनीज प्लांट, बम्बई	18,203	—	—	—	—	—	18.203	
12.	मेसर्स इलैक्ट्रिक कन्ट्रोल गियर प्राइवेट लि०, अहमदाबाद	—	—	—	65	40	6	111	
13.	मेसर्स इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, भुवनेश्वर	—	—	2,756	—	—	1,975	4,731	
14.	मेसर्स उत्कल फेरो अलाएस प्रा०लि०, कलकत्ता	—	—	—	84	64	29	178	
15.	मेसर्स मेहरा फेरो-अलाएस, अमृतसर	—	—	—	77	63	101	241	
16.	मेसर्स आर०सेन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	—	—	—	36	9	13	58	
17.	मेसर्स भारत पुलवराईजिंग मिल्स (प्रा०) लि०, बम्बई	—	—	—	3.5	1	—	4·5	
		122,353	41,055	18,447	265·5	187	4,661	186,968.5	

अन्य लौह-मिश्र धातुओं में शामिल हैं :—

(क) मैंगनीज फेरो-सिलिकन
(ख) सिलिको क्रोम
(ग) सिलिको मैंगनीज
(घ) फेरो टंग्स्टन
(ङ) फेरो बोरोन
(च) फेरो कोलम्बियम
(छ) फेरो टिटेनियम

विदेशों में मिशनरियों के माध्यम से धनराशि भेजना

4857. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 मई, 1980 से तत्काल पूर्व गोआ तथा आस-पास के इलाकों में एक साथ छापे मारे गए थे, जिनसे कुछ मिशनरियों के माध्यम से विदेशों से गैर-कानूनी तरीके से धन भेजने की घटनाओं का पता चला; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग ने 2, 3 और 4 मई 1980 को मार्मगोआ स्थित मेसर्स सोसीडाडे डी फामेण्टो इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के व्यापारिक तथा आवासीय परिसरों पर छापा मारा था।

पकड़े गए दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच से ऐसी किसी बात का पता नहीं चलता कि मिशनरियों के एक वर्ग के जरिए विदेशों से अवैध रूप से धन भेजा गया।

कपड़ा निर्माताओं द्वारा मूल्यों में वृद्धि

4858. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा निर्माता मूल्यों में बृद्धि करने का विचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसरी) : (क) कपड़ा निर्माताओं द्वारा मूल्य में वृद्धि करने के किसी प्रयत्न के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में चाय पैकरों द्वारा मूल्य वृद्धि

4859. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन में बड़े चाय पैकरों द्वारा भारी मूल्य वृद्धि किए जाने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे ब्रिटेन में चाय की खपत में कमी की सम्भावना उत्पन्न नहीं हो जाएगी ; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

वणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जून, 1980 में ब्रिटेन चार प्रमुख चाय ब्लैंडरो-पैकरों में से एक ने अपने निर्णय की घोषणा की कि पैकिंग, वितरण, ईधन, मजूरी की लागत तथा उपकरों में वृद्धि और 1 जुलाई, 1980 से माप तथा तौलकी मैट्रिक प्रणाली अपनाने में अंतग्रस्त लागत को पूरा करने के लिए वह अपनी कीमतों में संशोधन करेगा। चाय की खुदरा कीमतों में वृद्धि अगस्त के अंत तक दृष्टिगोचर

होने की संभावना है और यह 15 से 20 प्रतिशत के आसपास हो सकती है जिसमें क्वालिटी उत्पादों की कीमत और भी ऊंची हो सकती है।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस कीमत संशोधन से ब्रिटेन में चाय की खपत घट जाएगी। सरकार का विचार है कि इस प्रवृति पर कड़ी नजर रखी जाए।

कृषि उपभोक्ता वस्तु आयात तथा निर्यात समिति

4860. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपभोक्ता वस्तुओं के आयात और निर्यात की देख-रेख के लिए एक समिति गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का सभापति कौन होगा;

(ग) क्या यह मंत्रालय के सहयोग से काम करेगी;

(घ) इसके मुख्य मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(ङ) इससे कृपकों को किस प्रकार का लाभ होगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी : (क) से (ङ) कृषि वस्तुओं के निर्यात एवं आयात से संबंधित मामलों को निपटाने हेतु सचिव, कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय, की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति में वाणिज्य, नागरिक पूर्ति, वित्त (आर्थिक कार्य विभाग) तथा कृषि एवं सहकारिता मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं।

2. समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रमुख निर्यात अभिमुख कृषि वस्तुओं के उत्पादन के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को विस्तार से तैयार करना;

(2) कृषि क्षेत्र के निर्यात के विविधीकरण के लिए तथा हमारे कृषि पर आधारित निर्यातों से उच्च वसूली मूल्य प्राप्त करने हेतु उपायों का सुझाव देना;

(3) उत्पादन, आंतरिक उपलब्धता, कीमतों तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि वस्तुओं के बारे में निर्यात एवं आयात नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना;

(4) कृषि वस्तुओं के लिए निर्धारित किये गये उत्पादन तथा निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु लिए जाने वाले अपेक्षित उपायों का सुझाव देना;

(5) कृषि उत्पादन, निर्यात व आयात, के लिए प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सामान्यतः निगरानी रखना।

3. समिति कृषिगत निर्यातों से संबंधित मामलों पर समग्र रूप से विचार करेगी। जब भी कृषिगत वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तब कृषिकों को लाभ होता है।

गंधक आदि की खपत

4861. **श्री ए० नीलालोहिया दसन नाडार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ग 1975 से 1980 के दौरान प्रति वर्ष उद्योगों के लिए (1) गंधक (2) रूटाइल (3) सिलिमिनाइट (4) जैरसिन (5) टाइटेनियम धातु (6) ग्रेफाइट और (7) चीनी मिट्टी की कितनी खपत हुई;

(ख) उपरोक्त वर्षों में भारत में गन्धक का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) गन्धक और ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए भारत में फाइराटस के आर्थिक निक्षेप यदि हैं तो कितने; और

(घ) क्या यह सच है कि केरल के वायनाड तथा विल्लानाड क्षेत्रों में क्रमश: फाइराइटस तथा ग्रेफाइट के वाणिज्यिक दृष्टि से निकाले गए जा सकने वाले विपुल निक्षेप हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सिंडीकेट बैंक द्वारा पुष्पक एविएशन प्राइवेट लि० को दी गई वित्तीय सहायता

4862. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग नियमों के अंतर्गत बैंक पुराने हेलिकोप्टर खरीदने के लिए गैर सरकारी कम्पनियों को वित्तीय सहायता दे सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई के सिंडीकेट बैंक ने पुराने हेलीकोप्टर खरीदने के लिए पुष्पक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को वित्तीय सहायता दी है,

(ग) यदि हां, तो हेलीकोप्टर तथा विमान खरीदने के लिए इस कम्पनी को कुल कितना धन दिया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें इतनी बड़ी राशियां देने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) पुराने (सेकंड हैंड) हेलीकोप्टरों और हवाई जहाजों की खरीद के लिए गैर सरकारी कम्पनियों का वित्तपोषण करने के सम्बन्ध में बैंकों पर कोई पाबंदी नही है बशर्ते कि वे अर्थक्षमता सम्बन्धी सामान्य मानदंडों तथा अग्रिम के प्रयोजन की प्राथमिकता से सन्तुष्ट हों ।

(ख) से (घ) बैंकरों के बीच विद्यमान प्रणालियों और प्रथाओं के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रशासित करने वाले कानूनी उपबंधों के अनुसार भी बैंकों के अलग अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रणव मुखर्जी, सभा पटल पर पत्र रखें ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप हमारी बात सुन लीजिए । हमने लिख कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इत्तिला दे दी गई है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप हमारी बात तो सुन लीजिए । आप पढ़ कर सुना दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह शोभा नहीं देता है । मैंने सुना है, तभी कहा है। **(व्यवधान)****

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलत नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है। इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछे जाते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स आने वाली हैं; तब आप कह लीजिए। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या चाहते हैं आप ? ऐसा क्यों कह रहे हैं। यह एक ट्रेडीशन सा बन गया है क्या ? आप नोटिस दीजिए। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो मर्जी हो, कहिये, रामावतार शास्त्री जी। यह बात गलत है, जो आप कर रहे हैं। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या सुनूं। आपको यह शोभा नहीं देता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नही, मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप बैठिए। आप ने एजोर्नमेंट का नोटिस दिया··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्यों सुनू लूं। कोई जरूरत सुनने की नहीं है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैंने दिल्ली में डकैतियों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। क्या आप उसकी अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दें। मैं उसे देख लूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : कल होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स शुरू होने वाली हैं, आप जो मर्जी हो कहिए। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री जैसे बड़े-बड़े आदमी इस बात को ले कर यह करते हैं तो मैं क्या कहूं। (व्यवधान)

आप से यह अपेक्षा नहीं है। हां, श्री रावत, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत : लोक दल के नेता श्री जार्ज फर्नान्डीस साहब को कोट करते हुए यह अखबार लिखता है···

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, एसे नहीं, आप लिख कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत : मान्यवर, ये रोज एक घंटे का समय बर्बाद करते हैं। यह एक गंभीर मामला है, इसको टाला नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं उटाया जा सकता है। आप लिख कर दीजिए।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैंने लिख कर भेजा है।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसे टिप्पणी के लिए भेज चुका हूं। अब आप बैठ जाइये, यह अच्छा नहीं लगता है। (व्यवधान)

श्री निरेन घोष (दमदम) : मुझे पता चला है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने आपको कोयले के बारे में पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक मुझे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री निरेन घोष : क्या आप सभा को पत्र का विवरण देंगे ? (व्यवधान)

उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है तथा एक प्रति आपको भेजी है। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रथम, आप इसे इस प्रकार नहीं उठा सकते। दूसरे मुझे पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। (व्यवधान)×

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)×

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैंने आपको नियम 197 के अधीन एक महत्व-पूर्ण घटना की सूचना दी है जो कि हिन्द महासागर में अमेरिकी सेनाओं के बारे में जो इण्डियन एक्सप्रेस में छपी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने सूचना दे दी है। इस पर मुझे निर्णय लेना है।

श्री चन्द्रपाल रौलानी (हाथरस) : यह हमारे अधिकार से सम्बन्धित है। (व्यवधान) इसमें सरासर गलत बातें लिखी हुई हैं।

(अध्यक्ष महोदय) : आप मुझे मिल सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

काफी (संशोधन) नियम 1980 और निर्यात (गुण-आकार, नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 तथा रबड़ अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचनाओं की एक प्रति

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 666 में प्रकाशिण हुए थे। **(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए** संख्या एल-टी 1099/80)

×कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकस्रण) की एक-एक प्रति :—

(एक) काजू गिरियों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम 1980 जो दिनांक 5 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1885 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तामचीनी के बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 5 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1786 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) देश-दे-मेयर का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 5 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1787 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल-टी 1100/80)**

रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 13 के अन्नर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० प्रा० 483 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 1979 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 211 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है। **(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए** संख्या एल० टी० 1101/80)

साधारण बीमा (अधिकारियों तथा विकास कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति, अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति दूसरी संशोधन स्कीम, 1980 की एक प्रति और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाओं की एक प्रति

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों तथा विकास कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति दूसरा संशोधन स्कीम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाँक 4 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 496 (ङ) में प्रकाशित हुई थी। **(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए** संख्या एल० टी० 1102/80)

2. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 406 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा रंगीन नेगेटिव सिनेमा

फिल्मों पर, जो उदभासित न हों, आधारी सीमा-शुल्क निर्धारित करने के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी। (ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 1103/80)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत अधिकारियों की संभावित वरिष्ठता निर्धारित करना

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) श्रीमान, उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा पदोन्नित किए गए आई० पी० एस० तथा आई० ए० एस० अधिकारियों की वरीयता संभावित आधार पर की जा रही है, संभावित वरीयता के आधार पर चुने हुए ग्रेडों तथा सुपर ग्रेडों में ऐसे अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं।

पदोन्नित आई० पी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों की वरीयता आई० पी० एस० और आई० ए० एस० वरीयता के विनियम 1954 के अधीन विनियमित की जाती है। ये नियम न तो संभावित वरीयता को मान्यता देते हैं और न ही किसी पद पर तदर्थ रूप से किए गए कार्य के लाभ की अनुमति देते हैं।

दिसम्बर 1979 में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को प्रदोन्नत किए गए आई० पी० एस० अधिकारियों की संभावित वरीयता निर्धारित करने की प्रथा समाप्त करने को कहा था तथा कुछ पदोन्नित आई० पी० एस० अधिकारियों के बारे में राज्य सरकारों से टिप्पणी माँगी थी।

इन अधिकारियों को तदर्थ आधार पर पद-धारण करने के लाभ की अनुमति देने अथवा न देने के प्रश्न पर नियमों के अनुसार गृह मंत्रालय के साथ परामर्श द्वारा निर्णय लिया जाना है।

चूंकि इसका बहुत से आई. पी. एस. अधिकारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः इस मामले पर केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

(दो) पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिला के रेचक मछली पत्तन में स्थानीय किसानों को रोजगार देने की आवश्यकता

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : श्रीमान, 24 परगना जिले में रेचक मत्स्य पत्तन तथा उसका उपनगर जिसका नियंत्रण कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है गरीब किसानों की भूमि पर निर्मित हुआ है। तो भी रेचक के किसान हार्बर तथा उपनगर के निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं, अपनी आजीविका के एकमात्र साधन का, नाममात्र क्षतिपूर्ति के बदले अपनी भूमि को देकर भी वे सहयोग दे रहे हैं।

आश्चर्य है कि बहुत से किसानों को अभी तक पूरी क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पाई है।

गरीब किसानों ने अपनी भूमि खोकर भी सोचा था कि कम से कम उनमें से एक को हार्वर में दयालुता के आधार पर रोजगार मिल जाएगा। परन्तु अधिकारियों ने कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की भर्ती, उनकी मांग की अवहेलना करते हुए बाहर से की है।

दूसरी ओर मैसर्स गैनन डुंकरली एण्ड कम्पनी, जो कि एक भवन निर्माण कम्पनी है, ने कुशल तथा अकुशल पदों पर रेचक क्षेत्र के व्यक्तियों को बाहर के श्रमिकों के साथ नियुक्त किया है। बेहाक अभी भी मत्स्य हार्बर का दो तिहाई काम बकाया पड़ा है परन्तु कम्पनी ने 32 श्रमिकों की 29 अप्रैल, 1980 को छटनी कर दी है (कुशल तथा अकुशल दोनों) संयोग से जो रेचक क्षेत्र के हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें ताकि सम्बद्ध किसानों और श्रमिकों को न्याय मिल सके।

(तीन) नहवा सेवा पत्तन परियोजना पर तुरन्त कार्य करने की आवश्यकता

श्री आर. के. महालगी (ठाणे) : श्रीमान, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले उठाना चाहता हूं :

जून, 1979 में योजना आयोग के नहवा सेवा पत्तन परियोजना के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। अध्ययन दल इस निर्णय पर पहुंचा कि बम्बई पत्तन न्यास की वर्तमान क्षमता 71 लाख टन है जिसे 78·4 लाख तक बढ़ाया जा सकता है जबकि 1982-83 में 82·2 लाख टन, 1987-88 में 119 लाख टन तथा 1992-93 में 134.3 लाख टन यातायात होने का अनुमान लगाया गया है। अध्ययन दल ने अनुभव किया कि 1987-88 की अनुमानित आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त पत्तन क्षमता बनानी पड़ेगी।

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय ने पृथक रूप से पूरे पश्चिमी पत्तन का बहुत समय पूर्व सर्वेक्षण किया जिससे पता चला कि नहवा सेवा में नया पत्तन बनाने से कम से कम लागत पर समस्या का समाधान हो सकता है।

योजना आयोग ने शिफारिश की है कि प्रस्तावित नहवा सेवा की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाये जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिमी पत्तन के अन्य स्थानों पर नये पत्तनों के स्थान निर्धारण के बारे में तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाये। योजना आयोग का विचार है कि नहवा सेवा पत्तन का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि पत्तनों पर भीड़-भाड़ कम की जा सके और उसमें अधिक विलम्ब न हो।

60000 टन की क्षमता वाले बड़े पोतों के लिए सक्षम गहरे पत्तनों की आवश्यकता पर भी योजना आयोग द्वारा श्री बी॰डी॰ पाण्डे की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति द्वारा विचार किया गया है।

इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवेदन से इस बात का पता लगता है कि समिति ने नहवा सेवा पत्तन पर कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की जोरदार सिफारिश की है।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि हाल ही में परिवहन और नौवहन मंत्रालय से कहा गया है कि वह नहवा सेवा के पत्तन पर कार्यवाही तब तक स्थगित रखे जब तक कि पर्यावरण

[श्री आर० के० महालगी]

विशेषज्ञों की आपत्तियों का समाधान नहीं हो जाता । इसी कारण मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर कार्यवाही शुरू नहीं की है । स्पष्ट रूप से पर्यावरण विशेषज्ञों को नहवा सेवा परियोजना के बारे में कोई आपत्ति नहीं है । उनकी आपत्ति तो नहवा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सप्लाई केन्द्र बनाये जाने के बारे में है ।

इसलिये इस आवश्यक है कि विस्तृत परियोजना के प्रतिवेदन पर शीघ्र कार्यवाही की जाये और सामाजिक लागत-लाभ अध्ययन तुरन्त शुरू किया जाये । एक प्रशासक व इंजीनियर, जिसे समुचित शक्तियां और अधिकार प्राप्त हों, की अध्यक्षता मे एक पृथक नहवा सेवा पत्तन विकास प्राधिकरण स्थापित करना भी आवश्यक होगा । अतः भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इस प्रतिबन्ध को समा त करे जिससे नौवहन मंत्रालय परियोजना प्रतिवेदन पर शीघ्र कार्यवाही शुरू कर सके ।

(चार) तमिलनाडु के मदुरै जिला में कोडाइकेनाल, पचाई-कुमाची और केरल के ईदक्की जिला को पर्वतीय क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

श्री कुमबुम एम० नटराजन (पेरियाकुलम) : असम के निखिर और उत्तर कछार जिले, तमिलनाडु के नीलगिरि, उत्तर-प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली और कुछ अन्य स्थान, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के सभी जिले हमारे संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र घोषित किये गए हैं और उन्हें आवश्यक बुनियादी सुविधायें प्राप्त हैं ।

परन्तु मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम में पड़ने वाले कोडाईकनाल और पचाई कुमाची पर्वतीय क्षेत्र तथा केरल के इदक्की जिले को 'पर्वतीय क्षेत्र' घोषित नहीं किया गया है जिस पर केन्द्रीय सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

कोडाईकनाल एक पर्यटन स्थल होने के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कमाने वाला स्थान है. क्योंकि यहां काफी, आलू और केला बहुतायत में होता है । कोडाईकनाल के आस-पास के गांवों में संचार सुविधायें नहीं हैं । आदिवासी कोडाईकनाल क्षेत्र में रहते हैं । पचाई कुमाची पहाड़ियों पर बढ़िया किस्म की चाय पैदा होती है ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 50,000 से अधिक लोग इदक्की जिले में रहते हैं जहां काफी, चाय, इलायची मिर्च और कुछ अन्य मसाले पैदा होते हैं जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ।

ये स्थान अल्प विकसित हैं । पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी कठिनाइयां हैं ।

जब तक सरकार तमिलनाडु में मदुरै जिला के कोडाईकनाल, पचाईकुमाची और केरल के इदक्की जिले को पर्वतीय क्षेत्र घोषित नहीं करेगी, तब तक इन पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए बुनियादी सुविधायें, रेल और सड़क परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तय दें ।

(पांच) उत्तर प्रदेश में सीमेंट की कमी का समाचार

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन में एक लोक-महत्व का प्रश्न रख रहा हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर एक वक्तव्य देगी ।

उत्तर प्रदेश में इस समय सीमेंट की कमी से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है । उत्तरप्रदेश को भी कोटा पहले आवंटित किया गया, वह आवश्यकता से बहुत कम था, परन्तु इस तिमाही में

आवंटित किये गये कोटे को भी काफी घटा दिया गया है। ऐसा किये जाने से उत्तर प्रदेश में मकानों की मरम्मत न होने के कारण आम जनता को तो कठिनाई है ही, साथ ही साथ विकास के सारे कार्य ठप्प पड़ गये हैं।

भारत सरकार के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत सीमेंट आम जनता को दिया जाता है और 50 प्रतिशत में से ऊर्जा और सिंचाई योजनाओं के आरक्षण के पश्चात् जो बचत रहती है, उसे प्रदेश सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना,शीतगृह निर्माण, धार्मिक एवं शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकता के लिये आवंटित कर देती है। वर्तमान तिमाही के उपर्युक्त कार्यों के लिए सीमेंट का आवंटन असंभव हो गया है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने आम जनता के कोटे से अलग 50 प्रतिशत को पूरे का पूरा ऊर्जा एवं सिंचाई योजनाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। 4 लाख 30 हजार टन के कोटे में 2 लाख 17 हजार टन इस प्रकार आरक्षित हुआ है। यदि इस आरक्षण को घटा कर 1 लाख 50 हजार टन पर नहीं लाया गया, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है, तो सिंचाई और ऊर्जा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों की योजनायें पूर्णतया बन्द हो जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मेरा आपसे एक निवेदन है। मुझे 1 बजे वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये। कुछ कठिनाई है तथा हिन्दी में तैयार होने में कुछ समय और लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81—जारी
रक्षा मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : आज हम रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें लेते हैं। श्री स्पैरो। आपको 15 मिनट मिले हैं। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करें।

श्री आर. एस. स्पैरो (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, कल आपने मुझे लगभग तीन-चार मिनट का समय दिया था।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं. मैंने आपको 7 मिनट का समय दिया था।

श्री आर० एस० स्पैरो : अच्छा, आशा है कि आप वह भूल जायेंगे। मैं अपना भाषण यथाशीघ्र समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

मैं कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाल रहा था। आखिरकार, तथ्यों पर ही कोई योजना आधारित होती है और उनका मिलान करना होता है और उसके बाद निःसन्देह कुछ कटौती की जाती है तथा रक्षा के लिए योजना तैयार की जाती है। जहां तक हमारी रक्षा सम्बन्धी तैयारी का सम्बन्ध है, मैंने बतलाया है कि पाकिस्तान के पास अधिक हथियार आने से वह काफी शक्तिशाली बन गया है। मैंने आपको एक संकेत दिया है। उस सम्बन्ध में मैंने कहा था कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय से अब पाकिस्तान

[श्री आर० एस० स्पैरो]

पहले की अपेक्षा काफी शक्तिशाली हो गया है । मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान को विभिन्न देशों से किस तरह हथियार प्राप्त हुए हैं । मैंने सभा को यह भी बताया था कि उसने किस तरह बाहर से अधिक हथियार प्राप्त किए और किस तरह से अपने को इन हथियारों से लैस किया । भारतीय उप महाद्वीप में आक्रमण, संघर्ष या युद्ध के रूप में कुछ अच्छी बात नहीं होगी । कई बार ऐसा हुआ है । वह हमारा एक पड़ौसी है ।

अब दूसरा पड़ौसी देश चीन है । हम सभी को मालूम है कि चीन किस तरह शक्तिशाली बन गया है । मैं अभी आपको यह बताता हूं कि वह कैसे शक्तिशाली बन गया है । चीन के कार्यों के बारे में मैं केवल यह याद कर सकता हूं कि इसने पड़ोसी, मित्र जैसा बर्ताव नहीं किया । इसने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया । इसमें तनिक सन्देह नहीं होना चाहिए । इतना ही नहीं । हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ । इसने विभिन्न अवसरों पर जबरन हमारे काफी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया ।

प्रो० एन० जी रंगा (गूंटूर) : चुपके से अधिकार कर लिया ।

श्री आर० एस० स्पैरो : मुझे याद है कि मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, चिशूल और अकसाई चिन जैसे हमारे कुछ पवित्र स्थान तथा लगभग 13,000 वर्ग मील का प्रसिद्ध शहतूश उत्पादन क्षेत्र उनके अधिकार में हैं । इतना ही नहीं । पाकिस्तान की सांठ-गांठ से कराकोरम सड़क भी खोल दी गयी है जो कि हमारे लिए हमेशा एक खतरा है ।

अब आप तिब्बत में उनके कार्य, आवागमन की सुविधा, आदि पर भी विचार करें । इसमें कई गुना वृद्धि हो गयी है क्योंकि गारमो से लासा तक तेल पाइप लाइन बन गयी है । उनकी सैनिक गतिविधियां बढ़ गयी हैं और वे कई क्षेत्रों में प्रवेश कर गए हैं । मुझे इस के बारे में यही कहना है । एक और देश रूस के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं । अफगानिस्तान में रूस के प्रवेश से एक और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । वह हमारा मित्र है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं होना चाहिए । परन्तु सैनिक और सामरिक दृष्टि से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका स्वरूप यही है । अर्थात् रूस की सैनिक गतिविधि ने अमरीका, पाकिस्तान और चीन को इसलिए एक हथियार प्रदान कर दिया है कि वे आपस में सांठ-गांठ करके रूस की कार्यवाही का प्रतिकार करें । अपनी रक्षा करने के बारे में विचार करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा । मैंने इन कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना उचित समझा और इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि यहीं नहीं हमारे चारों ओर कुछ स्थिति उत्पन्न हो रही है । मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि ऐसी कठिन और खतरनाक स्थिति में भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जिस धैर्य और राजनयिक विदग्धता से निकट और दूर के सभी राष्ट्रों के बीच मैत्री स्थापित करने की कोशिश करती रही हैं उसकी नि.सन्देह सभी प्रशंसा करेंगे । हम गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सबसे अधिक समर्थक रहे है जो कि एक अच्छी बात है और इसलिए इस मामले में हमें अपने प्रधान मंत्री का समर्थन करना चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व हमारी पात्रता के अनुसार बना रहे ।

इसका यहीं अन्त नहीं है । दुर्भाग्य की बात है कि महा शक्तियों के बीच टकराव से एक और कठिनाई हिन्द महासागर में उत्पन्न हो गयी है । आप नाजुक क्षेत्रों के बारे में प्रतिदिन सुनते हैं जिन्हें सभी जानते हैं । ये दियगो गार्सिया, सैकिल्स द्वीपसमूह हैं मारीशस भी इस क्षेत्र में है और

इसके अतिरिक्त अरब सागर और फारस की खाड़ी के तटीय देश, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी इस क्षेत्र में हैं। ये सभी क्षेत्र काफी नाजुक हैं। समाचार पत्रों में हम प्रतिदिन टकराव के बारे में पढ़ते हैं। इस टकराव को पश्चिमी एशिया और यहां तक कि यूरोप की तरफ बढ़ने की संभावना है। जैसा कि हाल की स्थिति से स्पष्ट है। 'नाटो' ताकतों द्वारा 572 मध्यम रेंज परशिंग II तथा 'क्रूज' भू प्रक्षेपास्त्र लगाये जाने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। संघर्ष में रूस की ओर से पूरे 200 एस. एस.-20 श्रेणी के प्रक्षेपास्त्र-भू-प्रक्षेपास्त्र हैं। अन्तर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र तथा अन्य घातक हथियार, विभिन्न तरह की 'लेसर' किरणें और घातक जीवाणु तथा विनाश के सभी प्रकार के हथियारों के सम्बन्ध में लगी वर्तमान होड़ में हमें यह विचार करना होगा कि हम कहां हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है और यह होने वाला है। क्या बड़ी शक्तियां संयोगवश या जान-बूझकर हमारे देश को भीषण तृतीय विश्व युद्ध के माध्यम से विनाश के कगार पर घसीट कर ले आयेंगी ?

ऐतिहासिक दृष्टि से मैं यह बताना चाहता हूं कि विश्व में कहीं भी ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसका प्रयोग न किया गया हो। अतः इस दृष्टि से भी स्थिति बड़ी गंभीर है। निकट या सुदूर भविष्य में हम शायद यहां न हों परन्तु स्थिति गंभीर है और भारत में हमें अपना प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं और जो सर्वोत्तम संसाधन विद्यमान हैं उनसे हमें अपनी रक्षा करनी है। आज जिस स्थिति का हम सामना कर रहे है उसका सार यही है। मैंने जो कुछ कहा है उसके सन्दर्भ में हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सेना का युक्तिसंगत पुनर्गठन करने तथा उसे मजबूत बनाने में काफी रुचि दिखाई है। इस विषय में मैं एक-दो बातें कहूंगा। रक्षा बजट में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो पिछले वर्ष से अधिक है। विभिन्न सैनिक सेवाओं, रक्षा उत्पादन विभाग आदि के लिए अतिरिक्त धन व्यवस्था की गई है जिससे कि ये आधुनिक हथियारों और साज-सामान के साथ अपनी कार्य कुशलता बढ़ा सकें। इसके अलावा विभिन्न कल्याण कार्यों और उपायों के माध्यम से सेना का मनोबल ऊंचा किया जा रहा है। इस विषय में मैं बाद में बोलूंगा। आज रक्षा सेवाओं को एक नई दिशा और नया आयाम दिया जा रहा है। इसके बारे में मैं दो-एक सुझाव दूंगा। आज भारत जिस स्थिति में है उसके सन्दर्भ में हमारी सेना को पांच सिद्धान्तों पर चलना होगा और उसी आधार पर अपनी तैयारी करनी होगी। वस्तुतः रक्षा मंत्रालय और हमारी हाई कमान इसी दिशा में कार्यरत है। पर मैं इन पांच सिद्धान्तों को बहुत ही सरल भाषा में व्याख्या करूंगा जिनको हमें ध्यान में रखना होगा।

सर्वप्रथम हमारी सेना का गठन इस प्रकार किया जाए कि वह भारतीय उप महाद्वीप में किसी भी अन्य सेना से अधिक शक्तिशाली हो। भारतीय सेना के सम्बन्ध में कोई भी कदम उठाते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरा काम है इसके लिए अधिकतम धन व्यवस्था करना जिससे कि सेना के अत्यावश्यक अंगों को आधूनिकतम हथियारों से लैस किया जा सके।

[श्री आर० एस० स्पंरो]

तीसरी बात है आधुनिकतम हथियारों का देश में ही निर्माण करने हेतु अधिकतम धनराशि की व्यवस्था करना, चाहे यह कार्य विभिन्न चरणों में करना पड़े। यह तीसरा उपाय है जो हमें करना होगा !

चौथा उपाय है सेना का आधुनिकीकरण। हमें सेना को विशिष्ट प्रशिक्षण देना होगा। शक्तिशाली दुश्मन की आधुनिकतम हथियारों के मामले में श्रेष्ठता को संतुलित करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक और प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसमें सक्षम हैं। मैंने बाहर के देशों में इस प्रकार की प्रदर्शनियां देखी हैं कि किस प्रकार उचित प्रशिक्षण एवं तकनीक से परमाणु युद्ध के प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इस काम पर हमें समग्र शक्ति लगानी होगी।

पांचवां सिद्धान्त है सारे देश में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन में अनुशासित सैनिक ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नई नीति का निर्माण क्योंकि अभी तक भारत में इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। अमेरिका में अभी हाल ही में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यह व्यवस्था लागू की है जिसके अन्तर्गत किसी आयु वर्ग विशेष के युवकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। सोवियत रूस में भी हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय का काम आरम्भ करने से पहले कतिपय उम्र के बाद सेना में काम करना पड़ता है। मेरा अभिप्राय यह है कि यह काम कोई कठिन नहीं है। पर हमें एक व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसके अन्तर्गत देश के लोग अपने छात्र जीवन और बाद में व्यावसायिक जीवन में किसी न किसी प्रकार का अनुशासनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

मैं नौसेना और वायुसेना के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता था। पर अब मैं इसे मेरे बाद बोलने वाले अपने मित्रों के लिए छोड़ता हूं। मैं केवल स्थल सेना के सम्बन्ध में ही अपनी बात कहूंगा।

महोदय, मैं सर्वप्रथम सेना के बारे में कुछ कहूंगा। मेरी राय में सैनिकों की संख्या बढ़ा देना ही काफी नहीं है। सेना को बेहतर गतिशीलता और फायर शक्ति (आक्रमक शक्ति) प्रदान करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए मैं ये सुझाव देता हूं।

विजयन्त टैंक अब पुराना पड़ गया है और आज एक आधुनिक टैंक की जरूरत है। पता चला है कि टी-72 टैंक खरीदे जा रहे हैं। यह बात छिपी नहीं है। यह अच्छा टैंक है, पर मेरे विचार से सेना के पास इससे भी अच्छा टैंक खरीरने का विकल्प रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि हम विजयन्त टैंक के स्थान पर एम बी टी-80 टैंक बना रहे हैं। यह बहुत ही उत्साहवर्धक बात है और रक्षा मंत्रालय जिस तेजी से यह काम कर रहा है वह भी प्रशंसनीय है। एक बेहतर किस्म के आर्मर प्रोटेक्टेड कैरियर की तुरन्त आवश्यकता है जो टैंकों के साथ-साथ पैदल सेना को भी युद्ध-क्षेत्र में ले जा सके। इस समय यह हमारी कमजोरी है। मुझे विश्वास है कि रक्षा मंत्रालय इस पर काम कर रहा है और हम इसमें सुधार कर सकेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री आर. एस. स्पंरो : महोदय, आप चाहते हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं। मैंने नौसेना और वायु सेना के बारे में अपने विचार व्यक्त न करने का वचन दिया है। पर थल सेना

के बारे में मुझे एक विशिष्ट सुझाव देना है। विश्व के सभी प्रगतिशील थल सेनाओं की भाँति हमारी थल सेना के पास भी उसका अपना वायु सेना कोर होना चाहिए जो स्थल सैनिकों की सहायतार्थ सदैव तत्पर रहेगा। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं युद्धनीति विषयक रक्षा उपायों की ओर भी रक्षा मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसे मैं एक या दो मिनट में आपको बताऊंगा। देश के पश्चिमोत्तर भाग में थल सेना का सहज आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्र हैं पर पश्चिमोत्तर भाग में खुला क्षेत्र है। मेरा सुझाव है कि गोइन्दवाल और हरगोविन्द वाल के निकट व्यास नदी पर दो भारी यातायात पुलों का निर्माण किया जाए। ये स्थान मैं अस्थाई तौर पर बता रहा हूं। दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना-जलन्धर राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 को दोहरो सड़क बनाया जाए जिसकी शाखाएं निम्न स्थानों तक बनाई जाएं :—

1. जलन्धर—नकोदर—फिरोजपुर

2. जलन्धर—अमृतसर

3. जलन्धर—बाटला—डेरा बाबा नानक

इसके अलावा दिल्ली-फिरोजपुर, दिल्ली-जलन्धर-अमृतसर और दिल्ली-जलन्धर-पठानकोट रेलवे लाइनों को दुहरी लाइनों में बदला जाए। यदि रास्ते ठीक न हों तो जरूरत के समय सेना के लिए जल्दी से मार्च करना कठिन हो जाता है। अगर आप ये काम कर दें तो हमारी स्थिति जो भी हम पर हमला करने आएगा उसके मुकाबले बहुत अच्छी रहेगी।

मैं दो बातें और कहूंगा। हमारी प्रधान मंत्री ने स्वर्गीय संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा को उन्होंने जो अभूतपूर्व साहस प्रदर्शित किया उसके लिए शौर्य पुरस्कार दिए जाने के लिए राष्ट्रपति से जो सिफारिश की उसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। इससे सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। यह बहुत ही नेक कार्य प्रधाग मंत्री जी ने किया है।

माननीय प्रधान मंत्री ने वर्तमान सरकार का नेतृत्व सम्भालते ही काफी समय से लटक रहे संवर्ग-समीक्षा का आवश्यक कार्य भी सम्पन्न किया जिससे सेना के सभी वर्गों के लिए वर्तमान मामूली से पदोन्नति के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हुई। अब 50 प्रतिशत लेफ्टिनेट कर्नलों को पदोन्नति मिल सकेगी; 60 प्रतिशत मेजरों की पदोन्नति होगी। अन्यथा सेना में पदोन्नति के मामले में बहुत बड़ा अवरोध पैदा हो गया था। इसका श्रेय प्रधान मंत्री जी को है। उन्होंने कार्यभार सम्भालते ही यह काम किया। निश्चय ही भूतपूर्व रक्षा मंत्री जो यहाँ हैं, वे भी इस काम को करना चाहते थे और यह काम होने वाला भी था। पर जिस तत्परता और तरीके से यह अब किया गया है वह प्रशंसनीय है।

सेना के मनोबल का भारी महत्व है। सेना सभी वर्गों के वेतन और भत्तों में वृद्धि कर दी गई है। इससे वे सब खुश है। यह वृद्धि सामयिक है क्योंकि इस समय उनका मनोबल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। यह कदम तथा कुछ अन्य कल्याण कदमों से सेवारत सैनिकों का मनोबल

[श्री आर .एस . स्पैरो]

काफी ऊंचा हुआ है । सामूहिक बीमा और आवास योजना जैसी योजनाओं से सैनिकों को और भी लाभ होगा । क्वाटरों के बदले नकद भुगतान से जे सी ओ और अन्य रेंकों के जवानों का उत्साह बढ़ा है ।

एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और भी है । जिसका कुछ और लोगों ने भी सुझ.व दिया है । सेवा-रत सैनिकों के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए और बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि लद्दाख के जोजिला दर्रे से शीलत बेग ओल्डी, चुशुल और तिब्बत तथा चीन सीमा तक नेपाल सीमा से वालोंग, लेडो रोड और वर्मा की सीमा तक भारतीय सेना का दो तिहाई भाग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात है। ये लोग प्रतिकूल मौसम और कठिन परिस्थतियों में काम कर रहे हैं। उनके बच्चे छोटे-छोटे गांवों में रहते हैं । उनके लिए शिक्षा एक समस्या है । इस समस्या को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है ।

और भी कई समस्याएं हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । भूत-पूर्व सैनिकों के सन्बन्ध में मैं दो बातें कहूंगा । उन्हें अतिरिक्त पेंशन दी गई है। इससे वे बहुत खुश हैं। पर कुछ असंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दल को नियत समय दिया गया है । अगर आप समय का पालन नही करेंगें तो आपकी पार्टी के ही कुछ सदस्य अपनी बात कहने से वांचित रह जाएगे ।

श्री आर० एस० स्पैरो : आपने मुझे 15 मिनट जमा 2 मिनट जमा 2 मिनट जमा 3 मिनट का समय दिया है । पूरा समय अभी समाप्त नहीं हुआ है । मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं ।

भूत-पूर्व सैनिकों की पेंशन राशि में वृद्धि के लिए काफी कुछ किया गया है। पर कुछ असंगतियां हैं जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । एक पेंशन राशि में असमानता है । पेंशन की राशि में असमानता एवं राशिकृत पेंशन के सन्बन्ध में ये लोग चिन्तित हैं । पेंशन में विसंगति के मैं कुछ उदाहरण देता हूं । एक रिसालदार जो आजादी से शीघ्र पूर्व सेवानिवृत हुआ उसे 70 रु० प्र० मास पेंशन मिली और तदर्थ महंगाई भत्ते को मिलाकर उसे आज कुल 130 रु० प्र० मास मिलते हैं जबकि मार्च 1979 में रिटायर होने वाले रिसालदार को 463 रु० प्रतिमास मिलते हैं । दोनों एक ही रेंक के हैं और इतनी अधिक असमानता उनकी पेंशन में है । यही स्थिति लेफ्टिनेंट कर्नल तथा दूसरों के सम्बन्ध में है । मैं मंत्री महोदय और विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए अर्थात् उनकी पेंशन में यथासम्भव समानता लाई जानी चाहिए ताकि सभी को सन्तोष हो ।

दूसरी बात विनिमय के बारे में है और जिसका सम्बन्ध सभी भूत-पूर्व सैनिकों से है और उसमें भी आपके समक्ष हूं, जो मापदंड निर्धारित किया गया है वह भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में निर्धारित किया गया था और उस समय 10 से 14 वर्ष के बीच मानी जाती थी और यह इस बात पर निर्भर करता था कि किस उम्र पर सेवा निवृत्ति होती है । किन्तु अब भारत में आयु में सामान्यतया काफी वृद्धि हुई है और यह उससे काफी अधिक है जो उस समय हुआ करती थी और अब हम उस उम्र में नहीं मरते जिसमें मरने की आशा की जाती थी। मैं आपसे स्पष्ट बात करना चाहता हूं । आप केवल यही न देखें कि मुझे आपके ध्यान में यह लाना चाहिए कि भूतपूर्व सैनिक

विनिमय किए जाने पर अपना वेतन लें किन्तु वे अपना विनिमय 10 वर्ष या 14 वर्ष के बाद व्याज सहित वापस करें और उसके बाद, सरकार उन्हें आधा धोखा दे रही है क्योंकि सरकार उन्हें वह नहीं दे रही है जो मिलना चाहिए जबकि वे जिन्दा हैं। तथा यह है कि वे अभी भी जिन्दा हैं और बूढ़े हो गए हैं। इस बात को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। मैं इस बात की लिए पुरजोर निवेदन करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। मैंने पहले ही अपनी बात समाप्त कर दी है। केवल एक या दो मिनट बाकी रह गए हैं। अब केवल उपसंहार भाग ही है। मैं अब आपको अधिक परेशान नही करूंगा।

अन्त में इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि आपने निष्कर्षों और सिफारिशों से देखा होगा कि मैंने इस महान सभा के समक्ष कहा है कि वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री एवं भारत सरकार के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं को वित्तीय दृष्टि से आधुनिक बनाना कितना कठिन है। यह बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और जिस तरीके से वे कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। दूसरी बात यह है कि रक्षा बजट को जिस सही संतुलन से बनाया गया है वह बड़ी श्रेय की बात है। मैं माननीय वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री को बधायी देना चाहता हूं कि जहां तक रक्षा तैयारी का अत्याधिक कठिन और जटिल कार्य का सम्बन्ध है उनके अच्छे मार्ग निर्देशन में प्रगतिशील कदम उटाये जा रहे हैं। सिर्फ एक बात रह गई है जो श्री इन्द्र जीत गुप्त ने कल उठाई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी अनुमति से मैं श्री के०के० तिवारी को कह रहा हूं।

श्री आर० एस० स्पैरो: आपने जो मेरे जो विचार सुने उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : रक्षा तैयारी और रक्षा आवश्यकताओं के बारे में कुछ अर्थ सम्बन्धी भ्रम है। जनता के कुछ वर्गों में तथा राजनीतिक विचारधारा के कुछ वर्गों में सामान्य धारणा यह है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने तथा रक्षा आवश्यकताओं की जिम्मेदारी केवल रक्षा सेवाओं अथवा सरकार की है। आप जानते हैं कि आज का युद्ध पूर्णयुद्ध होगा। अतः रक्षा भी पूरी तरह से होनी चाहिए। देश के समस्त लोगों तथा जनता के प्रबुद्ध वर्गों और राजनीतिक लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे पूर्णतया रक्षा आवश्यकताओं और देश की सुरक्षा समस्यों के सम्बन्ध में पूर्णतया सक्रिय रूप से काम करें। जब तक समस्त लोगों की नेतृत्व में तथा देश की आजादी की रक्षा करने की क्षमता में और देश की क्षेत्रीय एकता में आस्था नहीं होती तब तक कोई भी देश अपनी रक्षा करने की स्थिति में नहीं होता है। अतः सभा से मेरा पहला निवेदन यह है कि इस मामले को अर्थात् रक्षा सम्बन्धी मामले को राजनीति से ऊपर रखें क्योंकि इससे जनमत विभक्त हो जाता है और सरकार की ओर से प्रयत्नों में ढिलाई हो जाती है तथा इससे सशस्त्र सेनाओं का मनोबल गिर जाता है। दूसरी बात जो सभा को कहना चाहता हूं वह है एक और संशय जो देश में व्याप्त है। यह रक्षा के बारे में है। रक्षा को प्रायः अलग से लिया जाता है। यह समय-सम्मानित सिद्धान्त है कि रक्षा राष्ट्र की विदेश नीति सम्बन्धी चेतना तथा देश के समस्त आर्थिक उद्देश्यों का एक अभिन्न अंग है। इस सम्बन्ध में श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को जाना चाहिए जो एक महान चिन्तनशील व्यक्ति थे और जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के ऐसे सिद्धान्त को अपनाने में पूरा प्रयास किया जिसमें हम एक नये राष्ट्र के रूप में उन आर्थिक उद्देश्यों

[प्री० के० के० तिवारी (बक्सर)]

की तथा अपनी सामरिक विदेश नीति के स्वरूप को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते । इसी परम्परा के अनुसरण में हमारी रक्षा नीति हमेशा ही हमारी विदेश नीति का एक अभिन्न अंग रही है। इसका हमारी आर्थिक नीति से अटूट सम्बन्ध रहा है और इसी नीति के अनुसरण में ही पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धान्त की घोषणा की थी। उन्होंने गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त की घोषणा की थी। हमारी किसी भी दूसरे देश के क्षेत्रों पर दृष्टि नहीं है । साथ ही हम दृढ़ हैं। हम अपनी सीमाओं पर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं । मैं एक और पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। रक्षा आवश्यकता तथा रक्षा तैयारी की योजना और रक्षा योजना बनाते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए यद्यपि हमने इस तथ्य को हमेशा ध्यान रखा है किन्तु इस पहलू पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । यह है हमारी रक्षा आवश्यकताओं में तथा रक्षा तैयारी और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षा योजनाओं के निर्माण में में विज्ञान और प्रोद्योगिकी की भूमिका । इसके लिए भी श्रेय फिर पण्डित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही जाता है जिन्होंने हमारे समस्त रक्षा कार्यक्रम और नीतियों को वैज्ञानिक दिशा दी है । यही कारण कि आज हमारी गणना विश्व के राष्ट्रों में एक शक्ति के रूप में की जाती है । जहां तक विज्ञान और प्रोद्योगिकी का सम्बन्ध है हमने इन क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है और जहां तक परम्परागत युद्ध का सम्बन्ध है हमारी सेना विश्व की सशक्त सेनाओं में चौथे स्थान पर है । हमारी सेना विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है और हमारा देश एक शक्तिशाली देश है जो सम्भवतः परम्परागत युद्ध में विश्व के पांच सबसे अधिक शक्तिशाली देशों में है । रक्षा बजट तैयार करते हुए इन बातों को ध्यान में रखा गया है तथा अन्य पहलुओं का भी बजट में ध्यान रखा गया है और इसके लिए मैं प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री को भारतीय करण के अपने कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं । धीरे-धीरे हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशी वस्तुओं के स्थान पर अपने देश के उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए । हमने काफी हद तक भंडारण तथा आधुनिकीकरण में प्रगति की है । जब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर नजर डालते हैं तो उसकी तस्वीर सन्तोषजनक नहीं दिखाई देती है । इन बातों का सम्बन्ध उन गड़बड़ी के स्थलों से है जो हमारी सीमा पार हैं, हमारे पड़ोस में हैं तथा समस्त विश्व में हैं । पहली बात जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूं वह हमारी रक्षा-नीति में पाकिस्तान है । हम तब तक कोई भी सार्थक रक्षानीति नहीं बना सकते तथा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षाओं की आवश्यकताओं के बारे में सही तरीके से सोच नहीं सकते जब तक हम पाकिस्तान की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं । आपको मालूम है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से वह कट्टर रहा है । उसकी नीतियों में उसके जिद्दीपन ने पाकिस्तानी नेताओं को लगभग पागल सा बनाया है चाहे वे नेता सेना से हों या उद्योगों से हों या राजनीति से हों । उन्होंने हमेशा दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर काम किया है। पाकिस्तान की विदेश नीति और रक्षा नीति का यही आधार रहा है । अतः हमारे रक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्षितिज पर पाकिस्तान अभी भी मंडराता है । जबसे पाकिस्तान का जन्म हुआ, हमें याद है कि हमें तीन आक्रमणों का सामना करना पड़ा और उसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी । इस सम्बन्ध में मैं आपको तथा आपके माध्यम से सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान आणविक क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम आरम्भ कर रहा है और हम

अपने विनाश के लिए ही इस पहलू की उपेक्षा कर सकते हैं। सम्भवतः पाकिस्तान को उन कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उकसाया जा रहा है जो समस्त विश्व में प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण करना चाहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में छोटे देशों को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। अतः पाकिस्तान ने एक नारा दिया और समस्त पाकिस्तान में एक अपूर्वरूप में धार्मिक भावनाओं को उभारा गया। इससे पाकिस्तान को आणविक शस्त्र प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हुई। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान को एक परमाणु बम अथवा परमाणुयंत्र या डिलीवरी प्रणाली चाहिए जो उन्हें मध्य-पूर्व में अपने भाइयों की रक्षा के लिए नहीं और नहीं इजराइल पर आक्रमण करने के लिए चाहिए किन्तु उन्हें यह केवल भारत के लिए चाहिए। यह इस्लाम के लिए नहीं है। पाकिस्तान के पास एक परमाणु सस्त्र तथा आधुनिक डिलीवरी प्रणाली हो तो भी वह इजराइल पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका इजराइल की क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करने के लिए वहां है। मध्य-पूर्व में मिश्र, जो कि सबसे बड़ी शक्ति है, इजराइल का मित्र बन गया है। अंतः हमें अपने विकल्पों को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी आंखों और कानों को खुला रखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाल के महीनों में इस क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से आधुनिक उपकरणों की बड़े पैमाने पर सप्लाई की गई है। पाकिस्तान ने पश्चिमी यूरोपीय देशों से यूरेनियम तथा अन्य आवश्यक सामग्री चुराई है और आणविक हथियारों के निर्माण के लिए मशीनें जर्मनी, फ्रांस और इंगलैंड से चोरी छिपे बाहर ले जाई गई हैं। ये मशीनें पाकिस्तान पहुंची हैं और पाकिस्तान अणुबम बनाने और विस्फोट करने के लिए आधारशिला रखने की तैयारी कर रहा है। अतः पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से एक खतरा रहा है और हम पाकिस्तान की उपेक्षा अपने विनाश के लिए ही कर सकते हैं।

अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह है अफगानिस्तान में घोटाला। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा गड़बड़ी का स्थल बन गया है। सोवियत रूस द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बारे में बहुत से विवाद उठे। चीन और पाकिस्तान द्वारा तथा अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति और उसके यूरोपीय मित्र देशों द्वारा बड़ी उत्तेजक आवाजें उठाई गई। लोग अफगान स्थिति के इस पहलू को भूल जाते हैं कि जब दाउद सत्ता में थे और तथा कथित साम्यवादी शासन द्वारा सत्ता ले लेने के बहुत पहले तथा दाउद के ही शासनकाल में सोवियत रूस के अफगानिस्तान के साथ बहुत मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे और तब से सोवियत रूस अफगानिस्तान को सबसे अधिक सहायता देता रहा है। अफगानिस्तान के साथ इसकी 1000 कि० मीटर की सीमा है। अफगानिस्तान सोवियत रूस का निकट पड़ोसी है और जब अफगानिस्तान में कुछ बड़ी घटना घटने जा रही हो तो सोवियत रूस चुप नहीं रह सकता तथा हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। हमारी सूचना के अनुसार और यह विश्व के लगभग सभी देशों के समाचारपत्रों में आया है, अफगानिस्तान में तथा कथित सेना अथवा साम्यवादियों द्वारा सत्ता लेने के बाद चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के सहयोग से दाउद सरकार को अस्थिर बनाने के लिए अफगानिस्तान में प्रशिक्षित छापामार भेजे गये और इसके द्वारा ही सोवियत रूस का ध्यान इस भावी गड़बड़ी की ओर गया। अफगानिस्तान में अमेरिका की रुचि पर विचार कीजिए। अमेरिका हजारों मील

[प्रो० के० के० तिवारी]

दूर स्थित है। इसकी अफगानिस्तान में सैनिक अड्डा ढूंढ़ने के अतिरिक्त, सोवियत रूस पर, भारत पर तथा मध्य पूर्व के देशों पर प्रभुत्व जमाने के अतिरिक्त क्या रुचि हो सकती है ? मैं आपका ध्यान अमेरिका की ओर तथा अफगानिस्तान के लोगों की स्वतन्त्रता के प्रति उसकी मिथ्या तथा बेकार की चिन्ता की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। अफगानिस्तान में अशान्ति आरम्भ होने के बाद अमेरिकी बजट के अनुमानित आंकड़ों के बारे में विचार करें। यह 160 बिलियन डालर तक जा पहुंचे हैं ताकि भारत और सोवियत रूस पर घेरा डाला जा सके। हमारे लिए यह याद करना बेहतर होगा कि रूस चारों ओर से अमेरिका द्वारा घिरा हुआ है। एक ओर तो उत्तरी एटलांटिक सन्धि संगठन के देश हैं, अमरीका के यूरोपीय मित्र हैं, दूसरी ओर अमरीका का नया दोस्त चीन और पाकिस्तान हैं। ब्रिटेन की युद्ध शक्ति को और पुष्ट करने तथा डियागोगार्शिया पर नौसैनिक स्रोतों में वृद्धि के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन को 500 मिलियन डालर देने का वायदा किया है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अफगानिस्तान और परिणामस्वरूप इस सम्पूर्ण क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को 400 मिलियन डालर की तथा सहायता संघ के देशों से 2 बिलियन डालर की सहायता दिलाने का वायदा किया है। अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने के प्रयत्न हो रहे हैं। अमेरिका सोवियत रूस द्वारा अचानक कब्जा कर लेने पर अब मगरमच्छी आंसू बहा रहा है। वे कह रहे हैं कि वे यह सब स्वतन्त्रता के नाम पर अफगानिस्तान के लोगों की स्वतन्त्रता के नाम पर कर रहे हैं। महोदय, स्वतन्त्रता की रक्षा करने के क्षेत्र में उनका रिकार्ड, तीसरे विश्व के लोगों की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में उनका रिकार्ड रक्तरंजित और भयावह रहा है। आप कोरिया के सिंगमंडरी से लेकर क्यूबा के बैटिस्टा और अय्यूब खान तथा याह्या खान तक को याद कीजिए, वे स्वतन्त्रता के नाम पर अमेरिका के समर्थक थे। उन्होंने अमेरिका का पूर्णतया समर्थन किया। इसके बाद, महोदय, अमेरिका की वियतनाम में भूमिका का स्मरण कीजिए। देंग और उसके भाई तथा चीली के अलेन्दे को कत्ल कर दिया गया। बंगला देश के मुजीबुररहमान की हत्या अमेरिका के इशारे पर की गई। ये वे लोग हैं जो ऊंची आवाज में स्वतन्त्रता का दावा करते हैं और इसके समर्थन में बोलते हैं। अतः अफगानिस्तान की उलझन युद्ध का रूप ले रही है विशेष रूप से इस क्षेत्र में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद। मैंने और इस विषय में हमारी सरकार ने अफगानिस्तान पर हुए कब्जे का समर्थन नहीं किया था और हमारी प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान से सशस्त्र रूसी सेनाओं की वापसी की मांग की है। पुनः मैं आपको एक और बात की याद दिला दूं कि अमेरिका एक ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहा है कि सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान से उनका उद्देश्य, उनकी महत्वाकांक्षा अरबसागर के गर्म पानी तक पहुंचने की है और अरब सागर से वे फारस की खाड़ी पर कब्जा करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे भी कार्टर के वक्तव्य का अवश्य ही उल्लेख करना चाहिए जिसे कार्टर सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है। यह लगभग एक सिद्धान्त ही है जब यह कहता है कि फारस की खाड़ी के तेल समृद्ध सम्पूर्ण क्षेत्र को, अन्य देशों से जिनमें तीसरे विश्व के देश भी सम्मिलित हैं पृथक कर देगा। अतः वे इस प्रश्न को उठा रहे हैं, शोर गुल कर रहे हैं कि सोवियत एक विस्तारवादी शक्ति है। यह अरब सागर से फारस की खाड़ी तक विस्तार कर रहा है और वहां से सोवियत रूस हिन्द महासागर में अपनी उपस्थिति का भान कर रहा है। अतः इस पूरी

स्थिति को समझने के पश्चात इसे अमेरीका का छल-कपट और अमेरिका का पाखण्ड कहना चाहिए। मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अफगानिस्तान में सोवियत रूस की उपस्थिति का समर्थन करना चाहता हूं बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह हमारे अपने राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है। अतः हमारी सरकार ने इस पर अपना मत बना लिया है और मैं इस मत का समर्थन करता हूं। इस मत को विश्व भर में समर्थन मिला है। अफगानिस्तान के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा गांधी के दृष्टिकोण से हम गौरान्वित हुए हैं। अतः मुझे इस विषय में बोलना चाहिए और मैं यहां राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक-दो और मुद्दों की ओर संकेत करना चाहता हूं।

महोदय, चीन हमारा निकटतम पड़ौसी है। मैं भारत-चीन संबंधों के लम्बे इतिहास में नहीं जाना चाहता परन्तु मैं इस संबंध में एक या दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। चीन पाखण्ड और विश्वासघात के लिए जाना जाता है। चीनियों ने 1972 में हमारे देश पर आक्रमण किया। चीन का दर्शन भी सर्वज्ञात है। चीन की केवल एक महत्वाकांक्षा है और वह यह है कि चीन विश्व के इस भाग में आधिपत्यपूर्ण भूमिका ग्रहण करना चाहता है। चीन और अमेरीका परस्पर शत्रु थे परन्तु हाल के कुछ वर्षों में वे मित्र बन गए हैं। एक स्वतन्त्रता का समर्थक है तो दूसरा सम्पूर्ण विश्व में स्वतन्त्रता का कातिल है। ये दो अजीब मित्र इकट्ठे हो गये है और हमारे स्थाई शत्रु के साथ सांठ-गांठ करके भारत को घेरने की, भारत को विभाजित करने की एक व्यापक योजना बना रहे है। यदि आप इसके उदाहरण ढूंढें तो आपको उदाहरण भी मिल जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी जी, यह कलयुग है अतः कुछ भी हो सकता है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, पूर्वी भारत में क्या हो रहा है? यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिन्ताजनक है और हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर भारत में वही स्थिति है जो अफगानिस्तान में होने जा रही थी—गुरिल्लाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पाकिस्तान की कार्यप्रणाली, यह चीन की कार्यप्रणाली है और अमेरिका के समर्थन से नव उपनिवेशवादियों के समर्थन से तथा साम्राज्यवादियों के समर्थन से एक व्यापक योजना बनाई जा रही है और इसका खतरा न केवल हमारे क्षेत्रों को है बल्कि इसका खतरा हमारी व्यवस्था को है, हमारे उस लोकाचार को है जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरु, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात हमने अपनाया था। अतः चीन, पाकिस्तान और अमेरिका इसकी तैयारी कर रहे हैं और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत आज जल रहा है तथा आपने आज ही समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि 5 युद्ध पोत और लगभग 5000 मेरीन्स अमेरिका ने हिन्द महासागर में भेजे हैं। हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का मैदान बनाया जा रहा है और अमेरिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अपते रक्षा संबंधी कार्यक्रम बनाते समय इन शक्तियों से सावधान रहे।

मैं चीन के दर्शन का उल्लेख करता हूं। पहली बात तो यही है कि चीन की जनसंख्या बहुत अधिक है। संभवतः यह फिर विरोधाभास लगे। उनकी जनसंख्या अत्यधिक है, इसीलिए वे परमाणु युद्ध चाहते हैं। वे ताप आणविक युद्ध चाहते हैं। उनके विचार में ताप आणविक युद्ध

[प्रो० के० के० तिवारी]

अनिवार्य हो गया है और उनका अनुमान यह है कि ताप आणविक युद्ध होने की स्तिति में संसार नष्ट हो जाएगा। वे ताप आणविक विध्वंस को सह नहीं सकेंगे और तब वे अपनी विशाल जनसंख्या और विस्तृत भूमि के कारण विश्व में एक नई व्यवस्था का निर्माण करेंगे। अतः महोदय हमें इस संबंध में बहुत सावधान रहना होगा। अन्त में मैं अपनी सशस्त्र सेनाओं के विषय में बोलना चाहूंगा।

सभी प्रकार के खतरों का ध्यान में रखते हुए तथा हिन्द महासागर पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए सरकार ने बजट को जो नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। हाल ही में समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि मारिशस ने डियागोगार्शिया की वापसी की मांग की है परन्तु अमेरिका और ब्रिटेन ने इस पर पक्का कब्जा कर रखा है और वे किसी भी मूल्य पर इसेखाली नहीं करेंगे। मेझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने इस पर गौर किया है।

हमारी सेना की बहुत बढ़िया स्थिति हैं। सशस्त्र सेनाओं के होंसले बुलन्द हैं। भारत सरकार द्वारा उनकी पदोन्नतियों, उनके बच्चों की शिक्षा या सेवा निवृत्त सैनिकों के कल्याण के संबंध में जो उपाय किए गए हैं वे प्रशंसनीय हैं। ये सभी योजनाएं बहुंत अच्छी हैं और हमें उनका समर्थन करना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय रक्षा अविभाजीय है और इसका विभाजन थल, जल वायु सेना में नहीं किया जा सकता। इसे एक होना होगा परन्तु जल सेना की तैयारी और विस्तार पर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि भविष्य में सागर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और जल सेना को न केवल हमारी जल सीमा की रक्षा में बल्कि व्यापारिक मार्गों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आगामी दशकों में सागरीय स्त्रोतों के शोषण के लिए युद्ध लड़े जाएंगे। आपने देखा होगा कि बड़ी शक्तियाँ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लगी हैं और विशाल खुले समुद्र पर कब्जा किए हुए हैं। अतः भारत सरकार को जल सेना पर अधकि ध्यान देना होगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं बजट की सराहना करता हूं और उसमें की गई सभी व्यवस्थाओं से स्वयं को सहयोजित करता हूं फिर ये चाहे सशस्त्र सेनाओं को दिए गए हमारे उपकरणों या सुविधाओं को बदलने या आधुनिकीकरण करने के संबंध में ही क्यों न हों।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में हाल में हुई वार्ता के निष्कर्ष

श्री कमला मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्षक महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस के बारे में वक्तव्य दें :

"पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में हाल ही में हुई वार्ता के निष्कर्ष।"

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : जैसा कि सदन को ज्ञात है, कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, माननीय श्री आगा शाही भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और 15 से 17 जुलाई 1980 तक यहाँ ठहरे। हमने इस यात्रा को काफी महत्व दिया था क्योंकि यह ऐसे वक्त में की गई जबकि हमारे क्षेत्र की स्थिति ने हम सबके लिए चिंता पैदा कर रखी है। वास्तव में, जब से इस सरकार ने कार्यभार संभाला है तभी से हम पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए और विश्व के इस भाग की सामान्य स्थिति के संबंध में बराबर बातचीत करते आए हैं। जैसा कि सदन को याद होगा इस सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के एक महीने बाद ही फरवरी के शुरू में हमारे विदेश सचिव इस्लामाबाद के दौरे पर गए थे। यह सिलसिला जारी रहा और अप्रैल में हमारे सम्माननीय भूतपूर्व विदेश मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह ने प्रधान मंत्री के एक विशेष दूत के रूप में पाकिस्तान की यात्रा की। स्वयं हमारी प्रधान मंत्री को भी सालिस्बरी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात चीत करने का मौका मिला जबकि वे दोनों जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता समारोहों में शामिल होने के लिए वहां गए थे। यह उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श एक-दूसरे के दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझने-समझाने में लाभदायक रहा। इस संदर्भ में श्री आगा शाही की यह यात्रा समयानुकूल भी थी और स्वागत योग्य भी।

अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक ही था कि अपने पाकिस्तानी सहयोगी के साथ मैंने जो बात-चीत की उसमें आमतौर इस क्षेत्र की स्थिति और विशेष रूप से अफगानिस्तान की स्थिति की चर्चा हुई। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि सरकार ने शुरू से ही और हमेशा ही इस बात पर बल दिया है कि अफगानिस्तान की जटिल स्थिति को राजनीतिक तरीकों से ही सुलझाया जा सकता है। हम तनाव को कम करने का प्रयत्न करते रहे हैं ताकि बड़े राष्ट्रों के संघर्ष को इस क्षेत्र से बाहर रखा जा सके। हमें यह जानकर संतोष हुआ कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी राजनीतिक समाधान के हक में हैं। विगत कई महीनों के अपने व्यापक विचार-विनिमय में हमने यह महसूस किया है कि अफगानिस्तान की स्थिति को बातचीत करके राजनीतिक तरीकों से सुलझाने के विचार के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। हम आशा करते हैं कि इस दिशा में किए जाने वाले प्रयत्नों से किसी ऐसे राजनीतिक समाधान की रूपरेखा मिल जाएगी जिनमें सभी पक्षों और अफगानिस्तान के लोगों के वास्तविक हितों और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रश्न से प्रत्यक्षतः संबद्ध देशों के बीच विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो। श्री आगा शाही ने इस बात को स्वीकार किया लेकिन साथ ही उन्होंने यह बात भी कही कि उनके अनुसार मई 1980 के इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों के संकल्प की शर्तों के अनुसार इस सम्मेलन के द्वारा जो तीन सदस्यीय स्थायी समिति बनाई गई थी वह कोई ऐसी बातचीत शुरू नहीं कर सकी है कि जिसे अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार को मान्यता प्रदान किया जाना कहा जा सकता हो। हमने बातचीत को जारी रखने की तात्कालिक आवश्यकता को दोहराया। इस संबंध में और बातचीत की किसी सम्भावित प्रक्रिया के दूसरे पहलुओं के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

श्री आगा शाही के साथ अपने विचार-विमर्श में मैंने शिमला समझौते के प्रति भारत सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराया जिसने कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य

[विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)]

बनाने की एक रूपरेखा दी है। यह सरकार हमेशा ही शिमला समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और पारस्परिक विश्वास का वातावरण पैदा करने के लिए प्रयत्नशील रही है। शिमला समझौते में निहित सिद्धान्तों को ठोस रूप देने की दिशा में हमने बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन इस सिलसिले में कुछ और कदम अभी उठाने हैं। हम यह चाहते हैं कि इस दिशा में हमारी गति और तेज हो और हम यह आशा करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार भी यही चाहेगी। इस संदर्भ में हम यह चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच और अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान हों और लोगों के बीच सम्पर्क को अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने श्री आगा शाही का ध्यान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अवसरों की ओर भी आकृष्ट किया जिनका कि सहज ही पता लगाया जा सकता है और साथ ही मैंने व्यापारिक सम्पर्कों को सुदृढ़ करने की भी बात कही। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य बनाने के इन पहलुओं पर श्री आगा शाही की प्रतिक्रिया रचनात्मक थी। श्री आगा शाही ने मुझे विश्वास दिलाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ाने में कोई राजनीतिक बाधा नहीं है। व्यापारिक संबधों के विषय में बातचीत जल्दी ही आगे जारी होगी। एक-दूसरे देश के पर्यटकों की यात्रा के संबंध में भी प्रबंधों को अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है। अब इस बात की भी स्पष्ट सम्भावना नजर आती है कि एक-दूसरे देश में अधिक तीर्थ-स्थानों को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा और दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी आदान-प्रदान को बढ़ाने की आवश्यकता को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। भारतीय और पाकिस्तानी बंदियों की अदला-बदली की सम्भावना भी बढ़ रही है, जो इस समय एक-दूसरे के देश में नजरबन्द हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों देशों के लोग हमारे संबंधों में पुनः समान्यता आने और शांति तथा मित्रता का वातावरण तैयार होने का स्वागत करेंगे।

अपने दिल्ली प्रवास के दौरान श्री आगा शाही ने प्रधान मंत्री से दो बार मुलाकात की। पहले अवसर पर उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान की जनता की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त की। दूसरी मुलाकात में कई अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रश्नों पर तथा द्वितीय हित के मामलों पर विचार-विमर्श हुआ और दूसरी बातों के अलावा इस बारे में सहमति भी हुई कि शिमला समझौते की व्यवस्थाओं पर और आगे कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रात्रि-भोज के अवसर पर अपने भाषण में यह प्रस्ताव रखा कि सैन्य बल में परस्पर कमी लाने के सवाल पर दोनों ओर के सैनिक कमांडरों के स्तर पर बातचीत की जाए। विगत अप्रैल में सरदार स्वर्णसिंह की पाकिस्तान की यात्रा के समय इस प्रश्न पर काफी विस्तारपूर्वक विचार विमर्श हुआ था और इस संबंध में अपने विचारों को, जो उस समय भी पाकिस्तान की सरकार को बता दिए थे, मैंने इस बार की बातचीत में भी दोहराये। मैंने जोर देते हुए श्री आगा शाही से एक बार फिर यह बात कही कि इस तरह की कोई बात तब तक हो ही नहीं सकती जब तक दोनों देशों के समान सन्तोष के अनुसार उनके बीच भरोसे

और विश्वास का अपेक्षित वातावरण न तैयार हो जाए। इसके अतिरिक्त इसे पूरी तरह से एक सैनिक मामला बना देना न तो यथार्थवादी ही होगा और न यह सम्भव ही है; इससे परस्पर स्वीकृत एक राजनीतिक दृष्टिकोण और एक दूसरे देश द्वारा एक देश की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का अहसास परिलक्षित होना चाहिए। हाल ही के वर्षों में इस तरह की जो कार्रवाइयां अन्यंत्र की गई हैं उनके नतीजों से हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है।

जहां तक कश्मीर का प्रश्न है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रात्रि-भोज के अवसर पर अपने भाषण में कहा था कि —

> "हम शिमला समझौते की सभी व्यवस्थाओं को पूर्णतः क्रियान्वित करने के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध हैं और हमें यह विश्वास है कि इस प्रक्रिया को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा कर जम्मू और कश्मीर की समस्या का एक न्यायोचित और स्वीकार्य समाधान निकाला जाएगा जिससे समरसतापूर्ण सम्बन्धों और व्यापक क्षेत्र में लाभप्रद सहयोग के एक नए युग का प्रारम्भ होगा।"

हमारी बातचीत में यह बात कह दी गई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का जिक्र करने से, हालांकि उनका कहना यह है कि यह शिमला समझौते के अनुरूप है, बेहतर वातावरण तैयार करने में मदद नहीं मिलती।

अध्यक्ष महोदय, इस बातचीत के निष्कर्ष का मूल्यांकन इस समग्र सन्दर्भ में ही किया जाना चाहिए। दोनों देशों के दृष्टिकोणों में जो मतभेद बताए जाते थे वे इस बातचीत में निस्संदेह उभर कर ऊपर आए फिर भी आपसी हित के और क्षेत्रीय महत्व के कई मामलों पर काफी हद तक सहमति हुई। जो भी हो, विचारों का यह निस्संकोच आदान-प्रदान परस्पर लाभदायक रहा। यह बातचीत अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है कि हमारी इस बातचीत के निष्कर्ष को असफल कह देना या यह कह देना कि यह बातचीत टूट गई, ठीक नहीं होगा। सतर्क रहते हुए भी हम पूर्णतया आशावादी हैं कि हमारे आपसी सम्बन्धों में क्रमिक रूप से सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का यह दृढ़ मत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समरसतापूर्ण सम्बन्ध दक्षिण एशिया की शान्ति और भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस उद्देश्य से हम पाकिस्तान की सरकार के साथ अपनी बातचीत जारी रखना चाहते हैं और इसीलिए मैंने किसी परस्पर सुविधाजनक तारीख को पाकिस्तान की यात्रा करने का श्री आगा शाही का निमन्त्रण स्वीकार किया है। हम लोगों में इस बारे में भी सहमति हुई है कि मेरी इस यात्रा से पहले पाकिस्तान के विदेश सचिव अधिकारी-स्तर की नियमित बातचीत के अगले दौर के लिए भारत आएंगे।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सर्वमान्य है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध मधुर हों और दूसरे देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य हों और मधुर सम्बन्ध रहें, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, हमारा कहना यह है कि श्री आगाशाही के यहां आने का उद्देश्य इतना ही नहीं था कि शिमला एग्रीमेंट की कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया जाए और उसके जरिये हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध मधुर हों,

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

बल्कि वे टोह लेने आए थे और यह उनकी आवाज नहीं थी। आपने अपने ही ब्यान में कहा है कि उन्होंने दो बातें ऐसी कीं जो पूर्ण राजनीतिक औपचारिकता के अनुसार नहीं करनी चाहिए थी॥ उन्होंने काश्मीर और पाकिस्तान का सवाल उठाया और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सेनाओं के सन्तुलन का सवाल भी उठाया, उनको इन सवालों को उठाने की क्या जरूरत थी, जबकि ये सवाल सरदार स्वर्णसिंह के साथ वार्ता में उठ चुके थे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आज जो विश्व संदर्भ है, उसमें अमरीकी साम्राज्यवाद और चीनी माओवाद के चलते जो गुट पैदा हो गया है, और जिसके सम्बन्ध में माननीय तिवारी जी ने डिफेंस पर बोलते-बोलते एक्स्टर्नल पर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में अमरीकी साम्राज्यवाद एक ऐसी खतरनाक स्थिति ला रहा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं सारी दुनिया के तनाव शैथिल्य को, प्रतिक्रिया को, रिवर्स कर दिया जाए। यूरोप में तनाव पैदा हो, एशिया में तनाव पैदा हो और उस तनाव को पैदा करके वहां के बड़े-बड़े धन्नासेठ अपने हथियारों को बेचकर उसके जरिये मुनाफा कमा करके, अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं।

आज अमरीकी साम्राज्यवाद क्या कर रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद नए आजाद मुल्कों में खास कर वियतनाम में हारने के बाद, कम्पूचिया में चाल न चलने के बाद और ईरान व अफगानिस्तान में फेल होने के बाद, एक नई तिकड़म पर उतर चुका है और उन नई तिकड़मों के राग अलापने के लिए पाकिस्तान भी साथ हो गया है। जो लोग सुपर पावर की बात करते हैं।

मैं इसी लिए कह रहा हूं कि दो सुपर-पावर्स हैं—यह सिद्धान्त गलत है। एक सुपर-पावर वह है जो दुनिया की आजादी की लड़ाई में मदद करती है और दूसरी सुपर-पावर वह है जो दुनिया की आजादी को खत्म करना चाहती है। इसी पृष्ठभूमि में आगाशाही साहब के आगमन को लेकर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं—

(क) अमरीकन-चीनी धुरी से तथा चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों से लैस किये जाने के सम्भावित खतरे के सम्बन्ध में वार्ता हुई थी या नहीं ? क्या आपने स्पष्ट रूप से आगा शाही से नहीं कहा कि जब तक आप चीन से हथियार लेते रहेंगे अरबों डालर के हथियार लिये गये हैं क्या यह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों को सुधारने में सहायक होगा ? आपने यह बात स्पष्ट ढंग से उनको कही है या नहीं ?

(ख) पाकिस्तान अणुबम बनाने जा रहा है, इससे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों में गिराव आयेगा। इस बात पर आपने चर्चा की या नहीं ?

(ग) क्या इस बात की चर्चा हुई या नहीं कि पाकिस्तान में ऐसे ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले गये हैं जहां उन लोगों को, जो अफगानिस्तान से भाग गये हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग से उस इलाके में जहां क्रान्तिकारी सरकार शान्ति कायम करना चाहती है, बाधा पैदा हो रही है। क्या पाकिस्तान उन ट्रेनिंग सैन्टर्स को बन्द करने जा रहा है या नहीं ?

(घ) आपने इस बात की चर्चा की या नहीं कि डीगोगार्शिया, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका के मुल्कों के लिए खतरे का बिन्दू है। इस लिये पाकिस्तान और हिन्दुस्तान मिलकर डीगोगार्शिया से अमरीका के फौजी अड्डे को हटाने का प्रयास करें ?

(ङ) शिमला समझौते की दिशा में इस वार्ता से आप किस हद तक आगे गये हैं या पीछे हटे हैं ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, पहले जो तीन प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाये हैं— उन प्रश्नों के बारे में आगाशाही जी ने साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही है, बल्कि अमरीका से जो मिल रही थी उसको हमने ठुकरा दिया है। हम कोई एटम-बस नहीं बना रहे हैं और हम कोई ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हैं। इन तीनों बातों के लिये उन्होंने साफ इन्कार कर दिया।

अब जहां तक डीगोगार्शिया का सम्बन्ध है, डीगोगार्शिया जैसे असम्बद्ध प्रश्न पर बार्ता करके मैं अपने आप को असम्बद्ध साबित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वह प्रश्न नहीं उठाया और मेरा अनुमान है कि इस वार्ता के परिणाम के तौर पर कुछ बातों में हम आगे बढ़ सके हैं।

हा० फारूक अब्दुल्ला (श्री नगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, हमें खुशी है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच दोस्ती और गहरी हो रही है, मगर साथ-साथ एक दुख भी हो रहा है कि 160 साल पहले जम्मू और काश्मीर को अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के हाथ 75 लाख रुपये में बेच डाला था, उस दाग को मिटाने के लिए 1931 की 13 जुलाई को लोगों ने खून दिया, उसके बाद 1947 में हम सब लोग आजाद हुए ! उस आजादी को कायम रखने के लिए 3 दफा बहुत बड़ी जंगें हुई और खून बहा और आज भी उस आजादी को बचाने के लिए हम लोगों को इकट्ठे सोचना है ! एक खास बात तो यह है कि पाकिस्तान आज हैदराबाद को आप से नहीं मांगता है, किसी और जगह को नहीं मांगता है, राजस्थान को नहीं मांगता है, जो उसके बार्डर पर है, तो क्या जम्मू-काश्मीर कोई ऐसी कमोडिटी है कि जिस तरह से उस को अंग्रेजों ने बेच डाला था, उसी तरह से आप शिमला एग्रीमेंट के सहित बेच डालेंगे ? मुझें वह बतलाइये क्या शिमला एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लाज है जो आप ने हमको अभी तक बतलाया नहीं है, जिसमें कि जम्मू और काश्मीर पर कोई आफत आ सकती है जहां पर आप कोई उसकी टेरीटरी पाकिस्तान के हवाले करें।

दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह यह है कि अभी कुछ ही महीने हुए, मैं विलायत गया था और वहां बी० बी० सी० पर एक घंटे का प्रोग्राम दिया गया था इस्लामिक बम के ऊपर और उन्होंने हर एक चीज दिखाई थी। मैं तो चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का टेलीवीजन डिपार्टमेंट उस फिल्म को खरीदे और यहां के लोगों को नहीं तो इस एवान के मेम्बरों को दिखाये कि क्या पाकिस्तान भी बम बना रहा है या नहीं बना रहा है ?

तीसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह यह कि अफगानिस्तान एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वहां के लोग रोज ब रोज मारे जा रहे हैं और हिन्दुस्तान, जो दुनिया की आजादी के लिए लड़ता रहा है, वह आज क्यों चुप है ? अगर हिन्दुस्तान को वह गांधी जिन्दा रखना है, वह जवाहरलाल नेहरू जिन्दा रखना है, तो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी से मैं कहता हूं कि वह इसमें पीछे न रहें क्योंकि अफगानिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं। में मानता हूं कि वहां पर सिर्फ रूस की गलती नहीं है, अमेरिका का भी डर है मगर मैं हुकूमत से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि वहां पर गरीब माँ-बहनों के सुहाग लुट रहे हैं और बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके लिए

[हा० फारूक अब्दुल्ला]

कुछ कीजिए। मैं मानता हूं कि आप बातें कर रहे हैं मगर अभी पाकिस्तान के दिल में काश्मीर की एक छाप लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जबकि अमृतसर के रास्ते खूले हुए हैं, वे लोग काश्मीर में जो उनके रास्ते हैं, उनको नहीं खोल रहे हैं और वहां से जो काश्मीरी बहन-भाई आना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, उनको आने की इजाजत नहीं दी जाती और उन पर रोक लगाई जाती है। मैं आपसे मुंहवाना अपील करता हूं कि ये जो भी खदशात हैं, खासकर काश्मीर और अफगानिस्तान के, अगर इनको दूर कर सकें, तो मैं आपका बहुत ही शुकरगुजार हूंगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आम तौर पर मोजिज मेम्बर ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है, उनसे हम कोई इख्तिलाफ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह कोई मौका-पहल नहीं है उस पर चर्चा करने का। पाकिस्तान को काश्मीर का कोई हिस्सा दे दिया जाए, या उसके हवाले कर दिया जाए शिमला एग्रीमेंट के तहत, यह सवाल पैदा नहीं होता। शिमला एग्रीमेंट अपनी जगह पर है और उस एग्रीमेंट के तहत जम्मू व काश्मीर का मसला तय पाएगा, यह हमारी उसमें साझ है।

फिर इस्लामिक बम के बारे में जो आपका सुझाव है, उसको मैंने नोट कर लिया है। अगर उस पर कोई फिल्म आई है, जिससे उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाए, तो हम उस जानकारी को हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे।

अफगानिस्तान के मामले पर तफसील से बहस हो चुकी है और उसके बारे में जवाबात दिए जा चुके हैं। मैं नहीं समझता कि इस कालिंग-स्टेशन के सिलसिले में उसमें फिर से जाना मुनासिब होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रारम्भ से ही यह कह दूं कि हमारा दल देश के साथ-साथ बराबर इस राय का रहा है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की दोस्ती दिन पर दिन मजबूत और पक्की होती जाए। (व्यवधान)...

अब इस बात को ध्यान में रखते हुए वैसे तो अभी मंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान ने इन्कार कर दिया है कि कहीं से उसे हथियार मिल रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारी बातों में यह हुआ है।

श्री रामावतार शास्त्री : यही मैं कह रहा हूं कि आपसे उन्होंने इंकार किया है और कहा है कि पाकिस्तान को न चीन से हथियार मिल रहे हैं, न अमेरिका से मिल रहे हैं। और न कहीं और से मिल रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है? इस से भी यह बात सावित होती है कि पाकिस्तान का फौजी बजट 6.5 प्रतिशत है जब कि हमारा फौजी बजट 3 प्रतिशत है यह आपने लिखा है। एक छोटा-सा मुल्क बहुत बड़े पैसाने पर फौजी तैयारी करे तो उसका कुछ-न-कुछ मतलब है, भले ही वह आपसे न कहे।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे विदेश मन्त्री महोदय ने पाकिस्तान के बजट प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की। उन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की।

श्री रामावतार शास्त्री : इसका मतलब जरूर है क्योंकि यह हथियारों से सम्बन्ध रखता है और उन हथियारों का इस्तेमाल वे अपनी जनता को दबाने में करेंगे, जनवादी आन्दोलनों को

दबाने में करेंगे, और अभी वे उन हथियारों का इस्तेमाल तथाकथित गुरिल्लाओं के जरिये से अफगानिस्तान की आजादी को तहस-नहस और बर्बाद करने में कर रहे हैं जिसके पीछे उन्हें अमेरिका और चीन की मदद हासिल है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ (टा) : क्या अफगानिस्तान आजाद है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न मन्त्री महोदय के पास भेजें। वे ही आपका ध्यान पलटने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : वहां जनता की हुकूमत है, वहां साम्राज्यवादी दलालों की दाल नहीं गल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। उसके जरिये जो वे अफगानिस्तान में कर रहे हैं और पाकिस्तान से जो कुछ घुसपैठिये अफगानिस्तान में जाकर वहाँ की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, इसके बारे में भी आपकी उनसे बातचीत हुई है या नहीं ? यदि हुई है तो उसका क्या नतीजा निकला ?

मान्यवर शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौते की भी वे बात करते हैं और उसे मानते हैं। हम भी उसे और मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसीलिए आए हैं कि हमें इस पर बात करनी है। अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने आजाद कश्मीर में चीन को कराकोरम हाईवे क्यों बनाने दिया ? आजाद कश्मीर हमारा हिस्सा है, वे इसे आजाद कश्मीर कहते हैं, आपने ठीक किया है कि आपने उस पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि यह आजाद कश्मीर है। वहां पर चीन ने सड़क बनायी है। इसके सिलसिले में बात हुई या नहीं क्योंकि इस सड़क को बनाना शिमला समझौते के बिल्कुल खिलाफ है। जब तक मामला तय नहीं हो जाता है जगह-जगह अनाप शनाप वे बोलते रहते हैं जो कि गलत है और जिसका जिक्र आपने भी किया है। लेकिन कराकोरम फौजी सड़क के बारे मे आपकी बातचीत हुई है या नहीं और अगर हुई है तो आपको उसके बारे में क्या उत्तर मिला है ?

आप जानते ही हैं कि अरब सागर में अमरीकी आणविक अड्डा बैठा हुआ है जिसका समर्थन पाकिस्तान भी कर रहा है। एक नया सैनिक गुट बन रहा है। ऐसा करके पूरे दक्षिणी एशिया और गल्फ के देशों पर खतरा पैदा किया जा रहा है, इससे पाकिस्तान को भी खतरा है, वहां की जनता को भी खतरा है, हमें भी खतरा है, पूरी इस क्षेत्र की जनता को खतरा है। क्या इसके बारे में भी कुछ बातचीत हुई है और हुई है तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

आगा शाही ने यह भी कहा है कि हमारे अखबारों ने गलत बातें छापी हैं और वह अखबार वालों पर भी—बरसे हैं। अखबार वालों ने गलत बातों का पर्दाफास करने की कोशिश की अपने समाचारों के जरिये तो वह नाराज हो गए और उन पर बरस पड़े। में जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच मैं अखबार वालों ने गलत बातें छापी थीं और क्या इसके सिलसिले में भी आपकी कुछ

[श्री रामावतार शास्त्री]

बातचीत हुई थी या यह बात उन्होंने बाद में कही जब आपकी बातचीत समाप्त हो चुकी थी ? कुछ तो बात हुई होगी कि अखबारों में जो बातें छप रही हैं वे गलत हैं या सही हैं ,

श्री० पी० वी० नरसिंह राव : अभी मैंने कहा है कि जो हमारी वार्ता अफगानिस्तान के सिलसिले में हुई उसमें इस बात का उल्लेख अवश्य आया कि पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा था और उसके परिणामस्वरूप रूस के कहने के अनुसार रूसी फौजें अफगानिस्तान के भीतर आई उस सिलसिले में स्थिति क्या है और इसके बारे में हमने उनकी राय मांगी और उनसे कहा कि आप बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या हैं ? उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटीज वहां नहीं हुई है । उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी आकर देख सकता है कि वहां क्या हो रहा था और क्या हो रहा है । यह उनका जवाब कोई नया नहीं है । यह जवाब वे पहले से देते आ रहे हैं । यह अलग बात है कि उस जवाब पर हम क्या सोचें और क्या न सोचें इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं । उन्होंने वही जवाब दोहराया जो वह पहले से देते आ रहे हैं इस मामले में ।

माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने अनापशनाप कुछ कहा । उसके बारे में हम बहुत ज्याद उन पर सवाल करते तो शायद हम भी अनापशनाप कुछ कहने के दोष में पकड़े जाते, इसलिए हमने अपनी रेलेवेस को नहीं छोड़ा और यह अच्छा ही हुआ मेरी राय में ।

हिन्द महासागर की जो बात उठाई गई है इसका मैं इससे पहले भी उत्तर दे चूका हूं । हिन्द महासागर का हमारी वार्ता से कोई सम्बन्ध नहीं था और ऐसी असम्बद्ध बातों को वहां लाना ठीक नहीं था । हिन्द महासागर के बारे में काफी कार्यवाही हम करने वाले हैं, और लोग करने वाले हैं, लिटोरल स्टेट्स करने वाली हैं । तब पता चलेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ आता है या नहीं आता है । उसके लिए और समय होगा । इसलिए इस संदर्भ में मैं कुछ कहना नहीं चाहता और हमारी कोई वार्ता उस पर नहीं हुई ।

प्रेस के मामले में अभी मैंने कहा है कि उन्होंने हमारे अखबारों के बारे में बात कही लेकिन उसके बाद फिर हमारी उन से उस पर कोई बात नहीं हुई क्यों कि इसके बाद सीधे हम उनको हवाई जहाज पर ले जा कर बिठा कर आ गए । उस पर माननीय सदस्य अपनी राय बना लें कि उन्होंने क्या कहा था, अखबारों ने क्या रिपोर्ट किया था, उनका एतराज अखबारों की रिपोर्ट पर था या खाली सुर्खियों पर था, हैडलाइज पर था । यह तो अपनी-अपनी राय है और इसके बारे में मैं इस वक्त रायजनी करना उचित नहीं समझता ।

काश्मीर के सिलसिले में अनापशनाप वाली बात जो आपने कही है हम फिर से उसी को दोहराते और कराकोरम के बारे में पूछते तो शायद हमारी तरफ से भी कोई अनापशनाप बात हो जाती । यही मेरा कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० एम० सईद उपस्थित नहीं हैं । उन्होंने मुझे अपनी अनुपस्थिति के बारे में बताया था । श्री अर्जुन सेठे । कृपया संक्षेप में ही अपनी बात कहें ।

श्री अर्जुन सेठी (मुद्रक) : महोदय भारत पाक सम्बन्धों को सुधारने के लिए सरकार द्वारा लगातार किए गए द्विपक्षी प्रयासों को मैं भरपूर सराहता हूं ।

परन्तु महोदय, यदि आप हमारी सरकार द्वारा इन्हीं वर्षों में किए गए प्रयासों का परीक्षण करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान सरकार ने किसी प्रकार का उत्साह नहीं दर्शाया है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं कहता हूं कि इन तमाम वर्षों में हम पाकिस्तान सरकार पर बहुत कुछ विश्वास करते रहे हैं। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह बात कही गई है। एक प्रश्न का उत्तर देते समय भी उन्होंने यह बात कही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री आगाशाही ने इस बात से बिल्कुल इन्कार कर किया है कि वे बम्ब बना रहे हैं।

इस संदर्भ में मैं उस अमरीकी कांग्रेसजन ने जिसने अमरीकी शिष्टमण्डल के नेता के रूप में भारत और पाकिस्तान दोनों का ही भ्रमण किया है, जो कुछ कहा उस सम्बन्ध में कुछ पंक्तियां बोलने के लिए सदन का कुछ समय लेना चाहूंगा। उनका नाम श्री लिस्टर वूल्फ है और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है जो समाचार पत्रों में भी छपा है कि इसमें तनिक भी सन्देह की गुन्जाइश नहीं है कि पाकिस्तान परमाणु बम्ब बना रहा है या बनाने की तैयारी कर रहा है। केवल इतना ही नहीं। उनका कहना है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार तैयार करने की निर्माणी लगाने जा रहा है। यह समाचार पत्रों आया है। प्रेस को यह बात और किसी में नहीं, बल्कि श्री लिस्टर वूल्फ जैसे अमरीका के वरिष्ठ कांग्रेसजन ने बताई है। महोदय इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि हरारी सरकार ने इन दोनों देशों कि आपसी समस्याओं को द्विपक्षीय समझौते और शान्तिपूर्त ढंग से हल करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, परन्तु जो कुछ हमने देखा है और जो कुछ पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री आगाशाही ने अपने वक्तव्य में कहा है, वह बार-बार काश्मीर समस्याओं और हमारी रक्षा तैयारी पर देना है। मैं यह जानना चाहता हू कि क्या हमारी रक्षा तैयारी की बात करना और अपने देश की रक्षा तैयारियों की अनदेखी करना शिमला समझौते के अनुरूप है? इसी प्रकार मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने छोटे राष्ट्रों की ओर से बात करने का प्रयास किया था तथा उसमें हमारी रक्षा तैयारी के प्रति उनकी चिन्ता प्रकट की थी। यदि हां, तो मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है?

महोदय, यह भी बताया गया है कि दोनों देशों के बीच बन्दियों के आदान-प्रदान की समस्या पर भी विचार-विमर्श हुआ था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समस्या को बहुत जल्दी निपटाने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय और कौन-सा समय उन्होंने निर्धारित किया है? मंत्री महोदय ने अफगान समस्या का भी जिक्र किया है और श्री आगाशाही ने मुस्लिम देशों या सम्मेलन के नेता के रूप में इस पर बातचीत की कि जब तक ये देश अफगानिस्तान से द्विपक्षी वार्ता के इच्छुक न होंगे तब तक कुछ भी सम्भव नहीं है क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या श्री आगाशाही की बातें शिमला समझौते में हुई द्विपक्षी बातचीत की भावना के अनुरूप हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय जिस किसी मुद्दे पर भी द्विपक्षी बात-चीत में प्रगति हुई थी उसके बारे में मैंने अत्यन्त ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। अतः जो कुछ मैंने कहा है उसके प्रकाश में यह कहना ठीक नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाया गया था। मेरा यह निवेदन है कि उनकी ओर से सद्भावना थी और इसी लिए जहां तक

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

द्विपक्षी मामलों का सम्बन्ध है मैंने एक आशाजनक बात कही है परन्तु यह देखना शेष है कि कितनी जल्दी और किस तीमा तक हम इन निर्णयों को कार्यरूप दे सकने हैं।

दूसरे, महोदय मैंने तो केवल श्री आगाशाही और आपके बीच में और श्री आगाशाही तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच हुई बात-चीत का ही विवरण दिया है। मैंने किसी तीसरे व्यक्ति की बात का तो जिक्र ही नहीं किया। फिर चाहे वह अमरीकी कांग्रेस जन हो अथवा टिम्बूकटू का नेता हो। उस तरह के मामलों को बीच में मिलाना कठिन है। इसलिए मैंने मेरे साथ हुई बात-चीत पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखा। अत: जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है मैं और कहीं-कही गई बात के बारे में न कुछ बोल सकता हूं और न ही कोई टिप्पणी कर सकता हूं। मैंने केवल वही बात बताई जो श्री आगाशाही ने मुझसे कहा था। यही बात मैंने यहां पर बताई है। मैंने इस सारे प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि जो कुछ उन्होंने हमसे कहा है हमें उस पर किस ढंग से विचार करना है। महोदय, वह तो एक दम भिन्न मामला है। और अब रही शिमला भावना की बात मैं सोचता हूं कि आपस में मिल बैठकर जो भी निर्णय लिया जाना सम्भव है, जो कुछ भी आपसी बातचीत से हल हो सकता है, वह सब उस शिमला समझौते के अन्तर्गत पड़ता है, क्योंकि शिमला समझौता कोई विशिष्ट समझौता नहीं है, अपितु यह आम समझौता भी है—रही समझौते में दी गई भावना की बात—जिसके अनुसार दो देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाना है। यह तो बड़ी ही सामान्य की बात है और यदि एक दो मामलों पर हमारा मत-भेद हो तो हम यह नहीं कह सकते कि उन मामलों से शिमला समझौता टूट गया है हमें फिर-फिर बात-चीत करनी होगी और यही शिमला समझौते की सच्ची भावना भी है।

'भारत जैसे बड़े देश' के बारे में श्री आगाशाही की टिप्पणियों के बारे जहां तक मेरे विचारों की बात है, मैंने उस मुद्दे पर वास्तव में उनसे ही प्रश्न करना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उस प्रकार के भय, आशकाओं के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। यदि भारत बड़ा देश है तो किसी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए वह छोटा तो हो नहीं सकता। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी सहायक नहीं हो सकता और इसीलिए हमें इसे जीवन के अंगस्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा।

बन्दियों के आदान-प्रदान के बारे में मैंने कल ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा है, जोकि मौखिक उत्तर के लिए नहीं आ पाया, परन्तु जो दिए गए लिखित उत्तर में दिया गया है, श्री आगाशाही के दौरे से कुछ दिन पूर्व ही हमें एक स्मरण पत्र दिया गया था, जिसमें 240 या 250 या 300 की संख्या हमें बताई गई थी। मुझे सही संख्या याद नहीं रही। हम इसकी जांच कर रहे हैं। इन बन्दियों को लौटाते समय एक यह भी पेशकश की गई थी कि हम इसके बदले में यहां हमारी जेलों में बन्द 150 या 160 बन्दियों को उन्हें सौंप दें। यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जायेगा। इस मामले को लटकाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से इसे यथा शीघ्र सुलझा लिया जायेगा।

जहां तक अफगानिस्तान की बात है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हम अपना मत बता चुके हैं। हमने एक दूसरे के मत को समझने का प्रयास किया और यहां तक ही यह मामला पहुंच पाया है।

———

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं हाल ही में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। अनेक समस्यायें वहां इसलिए उत्पन्न हुई हैं कि वह इलाका सीमा से लगा हुआ है।

(श्री शिवराज वी पाटिल पीठासीन हुए)

वहां जाकर मुझे लगा कि शायद हम उस सीमांत को भूल गये हैं—वह हमारा विस्मृत सीमांत हो गया है। इस सदन में, और इस सदन के बाहर, हम उस क्षेत्र में विदेशी हाथ होने की बात करते हैं। लेकिन उस क्षेत्र को हम किस तरह से विदेशी हस्तक्षेप और विदेशी प्रभाव से सुरक्षित करें, इसके बारे में जितनी गहराई से सोचा जाना चाहिए, हमने नहीं सोचा।

समस्या का एक पहलू आन्तरिक हैं, मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन चीन, बर्मा और बंगला देश से लगा हुआ, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, पूर्वांचल आज हमारे लिए एक विस्फोट का कारण बन रहा है। मैं उस पुरानी भूल में नहीं जाना चाहता जब हमने तिब्बत को चीन का भाग स्वीकार कर लिया। चीन के साथ हम अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके साथ यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि तिब्बत की खोई हुई स्वायत्तता तिब्बत को वापस मिल जाय।

आज बंगला देश और बर्मा में ऐसे क्षेत्र हैं जहां के बारे में समाचार मिलते हैं कि हमारे कुछ लोगों को वहां सैनिक शिक्षा दी जा रही है। ये क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि जहां उन सरकारों का भी वश न चलता हो। लेकिन यदि हम इन देशों के साथ अपने मंत्री-सम्बन्ध बढ़ाएं तो ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है कि वहां से मिलने वाली सहायता बन्द हो जाए और अगर आवश्यकता पड़े तो भारत जैसे मित्र देश की मदद लेकर वह अपने देशों में जो भारत-विरोधी कार्यवाहियों के अड्डे बन गए हैं, उन अड्डों को साफ करने में आगे बढ़े। मैं नहीं जानता बर्मा में कुछ दिनों बाद स्थिति क्या होगी। यदि बर्मा गुट-निरपेक्षता के रास्ते से डगमगाता है और बर्मा में ऐसे तत्व पकड़ते हैं जो विदेशों द्वारा न केवल प्रभावित हैं, किन्तु नियंत्रित हैं, तो हमारे लिए उस क्षेत्र में कठिनाई बढेगी।

इस सम्बन्ध में जब पूर्वांचल की चर्चा हो रही है तो चलते-चलते मैं एक बात कह दूं कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना का अधिकाधिक उपयोग करने की प्रवृत्ति को हमें दबाना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है। सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए है। सेना शत्रु का सामना करने के लिए है और उसका सफाया करने के लिए है। आज हम फ्लैग मार्च के लिए सेना को बुलाते हैं। आज उसका एकदम असर होता है मगर कल वह असर उस से कम होगा, परसों और भी कम होगा। हम इस तलवार की धार को मौंथरा करने की गलती न करें। सेना सड़कों पर मार्च करने के लिए नहीं है। पुलिस अपना काम करे, सेना अपना काम करे। मैं जानता हूं अनिवार्य परिस्थिति में फैसले लिए जाते हैं लेकिन हमें इस बात का अधिकाधिक ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह बात केवल पूर्वांचल पर लागू नहीं होती, सारे देश पर लागू होती है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

जब हम रक्षा मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर विचार करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम यह प्रश्न पूछें कि आठवें दशक में हमारी रक्षा की आवश्यकताएं क्या होगी ? आवश्यकताओं को हमें उनकी समग्रता में देखना होगा । हमें इस बात का भी विचार करना होगा कि हमारे सामने खतरे क्या हैं, थ्रेट परसेप्शन क्या है ? मैं वादविवाद में कल उपस्थित नहीं था लेकिन जो मैंने कार्यवाही की रिपोर्ट पढ़ी है उससे मुझे लगता है कि हम समस्याओं को टुकड़ों में देख रहे हैं । देश की लोक सभा रक्षा मामलों सम्बन्धी सारी बहस को इन मुद्दों पर केन्द्रित कर दे कि हम ऐटम बम बनाएं या न बनाएं, जगुवार खरीदें या न खरीदें तो यह ठीक नहीं होगा । मेरा निवेदन है ये छोटे प्रश्न हैं, इन पर फैसले करिए । मेम्बर राय प्रकट करें ।···(व्यवधान)···

प्रधान मंत्री अगर कहें कि ये बड़े प्रश्न हैं तो मैं मान लूंगा । ···(व्यवधान)···

ये प्रश्न अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हुए भी सारे रक्षा के सवाल पर विचार करते समय ऐसे नहीं हैं कि ये प्रश्न सदन पर और बहस पर हावी हो जायं ।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : उल्लेख होना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उल्लेख आवश्यक है । डाक्टर साहब अवश्य उल्लेख करेंगे, मैं जानता हूं । मैं भी एटम बम का काफी उल्लेख किया करता था । मैं कल सदन में था नहीं, गाडगिल साहब ने कह दिया कि वाजपेयी देशाभिमान और एटम बम की बात करते थे, अब एटम बम की बात नहीं करते तो देशाभिमान कहां गया ? क्या देशाभिमान एटम बम के साथ जुड़ा हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आप ही जोड़ते थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देशाभिमान के साथ नहीं जोड़ते थे । मगर हम जो पहले करते थे वही अब आपने करने का फैसला कर लिया है ।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : नहीं, बिल्कुल नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर पाकिस्तान एटम बम का निर्माण करता है तो इस भू-खण्ड में नयी परिस्थिति पैदा होगी, उस पर हमें विचार करना पड़ेगा । मैं उन लोगों में से हूं जो इस मामले में सारे दरवाजे खुले रखने के पक्ष में हैं लेकिन सारी बहस को इस मुद्दे पर केन्द्रित नहीं किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है इसलिए हम भी एटम बम बनायें । चीन ने एटम बम बनाया लेकिन हमने एटम बम का निर्माण नहीं किया और एटम बम से सुसज्जित चीन से उत्पन्न संकट का हम सामना करते रहे हैं । पाकिस्तान एटम बम बनायेगा तो हम भी बनायेंगे । फिर यह भी तय करना पड़ेगा कि पहले एटम बम कौन चलायेगा ? तो नहीं चला सकते । चीन भी कह रहा है कि वह पहले नहीं करेगा । अगर हम पहले एटम बम नहीं चलायेंगे तो निर्णय करना होगा कि पाकिस्तान के एटम बम के प्रहार के बाद हम एटम बम चलायें, तो एक सेकेन्ड स्ट्राइक कैपेसिटी का हमें विकास करना पड़ेगा । मैं चाहता हूं इन सारे सवालों पर बहस हो पूरी तस्वीर सामने रखी जाए, मैं उसमें और जाना नहीं चाहता । पाकिस्तान का उल्लेख हुआ है बहस में । सवाल यह है कि पाकिस्तान का खतरा क्या उसके इरादे के कारण है या उसकी क्षमता के कारण है ? पुराने अनुभव अच्छे नहीं हैं । पाकिस्तान को मिलने वाले हथियार भारत के विरुद्ध

काम में लाए गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान में रूस के सैनिक हस्तक्षेप से इस भूखण्ड की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है और हमें पाकिस्तान के पार थोड़ा देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान—यह तीनों उथल-पुथल से ग्रस्त हैं। इस उथल-पुथल के पीछे अगर बड़ी शक्तियां न होतीं तो शायद हमारे लिए यह उतनी चिन्ता का कारण नहीं था। लेकिन बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए सक्रिय हैं। चीन भी महाशक्ति होने के लिए दरवाजे खटखटा रहा। लेकिन हम इस बात को न भूलें कि अपने बल पर हम भी एक शक्ति हैं इस क्षेत्र में और आत्म-विश्वास के आधार पर रक्षा और विदेश नीति का समन्वय करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें।

इस बहस में यह चर्चा की गई है कि हमें नौशक्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम पनडुब्बियां प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन प्राप्त करने से पहले ही देश में बहस शुरू हो गई। मेरा निवेदन आज ही जगुआर के बारे में ब्रिटेन की प्रधान मंत्री ने कुछ कहा है। मेरा निवेदन है कि पुरानी सरकार जो फैसला करे, मैं नहीं कहता उन्हें बदलने का वर्तमान सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन इन मामलों में एक कन्टीन्यूटी की आवश्यकता है।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : देश के हित में हो तभी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर राष्ट्रीय हितों का ध्यान नहीं रखा गया, इस देश के लोगों ने ऐसी सरकार चुन दी जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकती थी, उस सरकार को चलाने वाले कुछ प्रमुख लोग ऐसे थे···

श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ : आज के अखबार में उस सरकार को चलाने वाले का स्टेटमेंट पढ़ें, जिसमें ढाई करोड़ के असम को एक नेशन कहा है, तो ऐसे सरकार चलाने वालों को···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री नरसिंह राव जी यहां बैठे हुए हैं, आन्ध्र में आन्ध्र को राष्ट्र कहा जाता है। तेलगू में प्रदेश के लिए राष्ट्र शब्द है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : राष्ट्र में यह तो महाराष्ट्र भी तो है। (व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शब्दों पर लड़ाई मत कीजिए। सभापति जी, आपको मुझे समय ज्यादा देना होगा। मैं टोका-टाकी करना पसन्द करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत गम्भीर बात कही है, अगर उनका यह आरोप है कि जो पिछली सरकार थी···

श्रीमती ईन्दिरा गान्धी : मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रही हूं। (व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, हमको तो बोलने नहीं देना चाहते हैं और प्रधान मंत्री को भी बोलने से रोक रहे हैं।

सभापति जी, मेरा निवेदन है कि हम जब नौसेना की बात करते है, तो हमारा कान्सैप्ट क्या ब्लयू-वाटर-नेवी का है या हमें ऐसी नेवी चाहिए जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर सकें; हमारे तटीय व्यापारिक ढांचे को सुरक्षित रख सके। हिन्द महासागर तो बड़ी शक्तियों का अखाड़ा रहने वाला है। हम उसे शान्ति का सागर बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न कर रहे हैं। उन

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

प्रयत्नों में हमें तेजी लानी होगी, लेकिन हमें वस्तुस्थिति को समझना पड़ेगा। इस क्षेत्र को बड़ी शक्तियों का दंगल बनाने से कैसे रोकना है, इसकी ओर देखना चाहिए। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान के बारे में चिन्ता प्रकट करते हैं और सरकार की नीति की आलोचना करते हैं, तो इसके मूल में भी यही भावना है कि अगर एक बड़ी शक्ति इस भू-खण्ड में विस्तारवाद का परिचय देगी, तो और शक्तियों को परिस्थिति का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। हमें इस भूखण्ड को बड़ी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रखना है। इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया, विदेश नीति और रक्षा की नीति का मेल आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि हम देखें कि रिसर्च और डेवेलपमेंट के बारे में डिफेंस सर्विसेज में जो काम हो रहा है, वह ठीक है या नहीं।

सभापति जी, मेरा समय सीमित है।

सभापति महोदय : आपके लिए बहुत थोड़ा समय था, लेकिन 15-20 मिनट तो अभी हो गए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : थोड़ा सा आप उदार हो जाइए।

सभापति महोदय : आप को जो भी कहना है, आप थोड़े से शब्दों में भी कह सकते हैं, इस बात की मुझको जानकारी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर टोका-टाकी न होती तो मैंने अभी तक खत्म कर दिया होता।

सभापति जी, दिल्ली से प्रकाशित यह मेरे पास एक अखबार है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट-पैटीशन पेश की गई थी, करने वाले शायद हमारे कोई एक्सपर्ट हैं। पत्र में लिखा है :

> उन्होंने वैज्ञानिकी निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण दिए। न्यायालय ने फैसला दिया कि वह इन आरोपों पर विचार नहीं कर सकता और न ही उसके पास अपेक्षित निपुणता है।

कोर्ट का फैसला ठीक है। लेकिन अगर डिफेंस और रिसर्च में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्हें अनुसंधान करने से रोका जा रहा है, तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अभी तक हम एन्टी-टैंक-मिसाइल नहीं बन सके हैं, क्यों नहीं बन सके हैं, इसकी चर्चा 1960 से चल रही है, बीच में दावा किया गया था कि मिसाइल बन गया, लेकिन पता लगा कि नहीं बना है। हम हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, लड़ाकू हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, कौन से जहाज खरीदें—इस पर बहस हो रही है। लेकिन हम अपने देश में इस तरह के जहाज क्यों नहीं बना सकते, अब तक क्यों नहीं बना पाये ? रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट विंग में जिस तरह से काम होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस तरह काम नहीं हो रहा है ? कहीं हमारे तरुण वैज्ञानिक निराश तो नहीं हो रहे हैं ? कहीं ऐसे अफसर तो नहीं बैठे हैं जो विदेशों से सामान खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर रक्षा सामग्री खरीदने में उनके निहित स्वार्थ हैं ? इन सब बातों की जांच जरूरी है।

अभी हम टैंक खरीदने जा रहे हैं। विजयंत टैंक जब हमने बनाया था, उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी, उससे हम कितना आगे बढ़े हैं, अगर नहीं बढ़े हैं तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं ? फौज पर

रुपया खर्च करने में यह सदन कभी कोताही नहीं करेगा, लेकिन फौज की शक्ति संस्था में नहीं है, उसकी प्रभावशालिता में हैं और उस की वह प्रभावशालिता वढ़नी चाहिए—जमीन पर, आसमान में और समुद्र में। इस पर विचार करते हुए हम यह भी सोचें कि खतरा कहां से है और खतरे का किस तरह से सामना किया जा सकता है।

मगर मुझे अफसोस है, सभापति महोदय, एक वात कह कर मैं खत्म कर दूंगा। वाद-विवाद हो रहा है और प्रधान मंत्री जी सदन में वैठी हुईं हैं, उनको वैठना पड़ रहा है, अगर कोई रक्षा मंत्री होता तो शायद वह अपना समय कुछ और महत्वपूर्ण कामों में लगा सकती थीं। 6 महीने हो गये इस देश का कोई रक्षा मंत्री नहीं है···

मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस (आई) के पास कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो डिफेन्स मिनिस्टर वन सके। मगर अभी तक रक्षा मंत्री नहीं है, पूरा समय दे कर काम करने वाला रक्षा मंत्री नहीं है।

मुझ से एक गलती हो गई थी—नरसिंह राव जी यहां वेठे हुए हैं, इस लिए मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूं। मैं चुनाव सभा में भाषण देने के लिए उदयपुर गया था। वहां पर मैंने यही मुद्दा उठाया था—मैंने कहा था कि अगर प्रधान मंत्री जी चाहें तो सुखाड़िया जी को रक्षा मंत्री वना सकती हैं। किसी समाचार समिति ने रिपोर्ट दी कि वाजपेयी ने कहा है कि नरसिंह राव को हटा देना चाहिए और सुखाड़िया जी को विदेश मंत्री वना देना चाहिए। मैंने उसका खण्डन किया तो किसी ने छापा नहीं। विदेश मंत्री जी जरूर मुझ से नाराज होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के पास पूरा समय दे कर काम करने वाला रक्षा मंत्री होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ऊपर से देखभाल करें। (व्यवधान)...

वे तो सारे मंत्रालयों की देख-रेख कर रही हैं। मगर यह पार्ट-टाइम काम नहीं है और देश की रक्षा की समस्याओं को पार्ट-टाइम आधार पर हल नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देना चाहती हैं।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : मैं आपको तथा माननीय सदस्यों को एक शुभ समाचार देना चाहती हूं।

एस. एल. वी.—३ को अंतरिक्ष में छोड़ने के वारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय उपग्रह वाहन एस. एल. वी.-3 को आज सुवह 8 वजकर 45 मिनट पर श्री हरिकेता से सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। छोड़ने वाले वाहन ने 35 किलोग्राम के भारतीय उपग्रह रोहिणी आर. एस-1 को पृथ्वी के निद कक्षा में फैंका। हर 10 मिनट में उपग्रह पृथ्वी का चक्कर पूरा करेगा। एल. एच. ए. आर. आज रात पहली वार दो चक्कर देखेगा। उसके वाद हर 12 घंटों के वाद 2 और ऐसे चक्कर नियमित अवधि के वाद देखे जायेंगे।

[प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी]

चार चरण वाले ठोस प्रष्पेदन वाहन का विकास भारत में भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने किया है। एस. एल. वी-3 वाहन का कुल व्यय 20 करोड़ रुपये है और छोड़े जाने के वर्तमान प्रयोग की लागत 1 करोड़ रुपये है। कक्षा में रोहिणी उपग्रह का उद्देश्य मुख्यत: वाहन के कार्य का मापन करना है और इसकी खोजबीन हमारे देश के खोजबीन के केन्द्र कर रहे हैं। अभी तक के संकेतों के अनुसार वाहन तथा उपग्रह दोनों संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

खोजबीन के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

यह भारत तथा भारतीय विज्ञान की सराहनीय उपलब्धि है, मुझे यकीन है कि सभा अंतिरक्ष विभाग के वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को बधाई देने में मेरा साथ देगी। राष्ट्र को उन पर गर्व है और उनकी अधिक सफलता की कामना करता है (व्यवधान)

वाजपेयी जी ने सायरन की बात कही थी, इसलिए मैंने उचित समझा कि इस के बारे में इसी समय कह दूं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खुजराहो): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने रक्षा मंत्रालय की अनुदानों पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा मंत्रालय है, मुझे बोलने का मौका दिया है और उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। नि:सन्देह इन अनुदानों को समर्थन करने के लिए में खड़ी हुई हूं।

सभापति महोदय, आप को ज्ञात है कि हम.रे वीर सैनिकों ने, हमारी सेना ने हमारे देश में जो ज्वलंत कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनसे हम लोग नि:सन्देह परिचित हैं चाहे वह पाकिस्तान की लड़ाई रही हो, चाहे सरगोधा में हवाई अड्डे को उड़ाने की बात रही हो, चाहे अमेरिका से भेजे गए पैटन टैंकों को ध्वस्त करने की बात रही हो और चाहे बंगला देश की आजादी की लड़ाई रही हो, उन्होंने हमारे देश का जो मस्तक ऊंचा किया है, उसके लिए हम उन वीर सैनिकों के आभारी हैं और उनको कोटिश: धन्यवाद देते हैं। आज भी हमारे वे वीर सैनिक, जब शान्ति का समय है, तो भी चाहे हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियां हों, चाहे समुद्र की गहरी तल हो, चाहे रेगिस्तान की उबलती हुई बालू हो और चाहे गगन का विशाल आंचल हो, आज भी अपने देश की आजादी के लिए वे सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और हमेशा चिन्तित रहते हैं और उस जन्मभूमि की रक्षा के लिए, जिस जन्मभूमि के लिए हमारे यहां के ऋषियों ने यह कहा है :

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"

हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ कर है और उसकी रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे सैनिकों का बल बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, यह जरूरी हो जाता है कि आज के युग को देखते हुए, हमारे पड़ोस में जो मुल्क हैं, उनमें जो नजदीक के मुल्क है, उनमें जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उन सबको देखते हुए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने सैनिकों के हाथों में आधुनिकतम से आधुनिकतम अस्त्र दें, आधुनिक से आधुनिक साधन हम उनको मुहैय्या करें ताकि उनकी शक्ति बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े। आज मुझे यह कहने में कोई

संकोच नहीं होता है, वाजपेयी जी पता नहीं किस वजह से कहते हैं कि आज कोई एटम बम या परमाणु वम बनाने का कोई महत्व नहीं है। मैं कहती हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी अणु शक्ति और परमाणु शक्ति को बढ़ाएं। इसलिए नहीं कि हम दूसरों पर हमला करने जा रहे हैं बल्कि आत्म-रक्षा के लिए, हमारे पड़ौसी देश जो हथियार अमेरिका से मांग रहे हैं और अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं, अगर हमें अपने देश की आजादी को कायम रखना है, हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, तो हमें अणु शक्ति और परमाणु शक्ति का उपयोग करना होगा। हमें रचनात्मक कार्यों में भी इनका उपयोग करना होगा। आज हमारे देश की आजादी के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम परमाणु बम बनाएं, हम परमाणु शक्ति को बढ़ाएं। वाजपेयी जी कह रहे थे कि हम वैज्ञानिकों की उपेक्षा करते हैं। वाजपेयी जी मुझे माफ करेंगे कि इन की उपेक्षा तो आप की जनता सरकार के जमाने में हुई। हमने तो उनको आगे बढ़ाया है। उसकी मिसाल आपके सामने मुझ से पहले बोल कर हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो सदन को एस०एल०वी०—3 और रोहिणी नामक सैटलाइट की सफलता के बारे में कीर्तिमान को आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम अपने उन वैज्ञानिकों के आभारी हैं।

सभापति महोदय, आपके समक्ष कल हमारे संसद सदस्य माननीय गाडगिलजी ने एक बात बताई थी कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने अणु बम न बनाने के लिए कुछ घोषणा की थी। वह किस डर से की थी और किस दबाव की वजह से की थी, मैं नहीं कह सकती, मगर मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वे कब क्या बोल जाएं कहा नहीं जा सकता, यह मैं जानती हूं। हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और उनको पता है कि एक बार महिलाओं के खिलाफ वे क्या-क्या बोल गये थे और फिर माफी मांगते फिरे थे। जब उन्होंने यह घोषणा की, तो मैं यह बात नहीं कहती पर आम जनता में तरह-तरह की बातें कही जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह उम्र का तकाजा है और कुछ कहते थे कि यह खान-पान की बात है, जिससे बुद्धिविवेक काम नहीं करता। मैं नहीं जानती कि उनका खानपान क्या है। मुझे आयुर्वेद की जानकारी है, मैंने उसे पढ़ा है। हमारे आयुर्वेद में तीन तरह के खान-पान हैं—एक सात्विक, दूसरा राजशी और तीसरा तामसिक। तामसिक भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के लिए तो उपयोगी हो सकते हैं लेकिन बुद्धि और विवेक के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। उन्होंने जो यह बात कही कि हमें अणु बम नहीं बनाना चाहिए वह मुझे भी नहीं जमी और हमारे सदन के लोगों को भी नहीं जमी है। हमें अणु शक्ति और परमाणु शक्ति को बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि हम दूसरे मुल्कों पर भी इसके बारे में दृष्टि रखें।

वाजपेयी जी आप भूले नहीं होंगे जब हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बड़े जिम्मेदार नेता यह ख्वाब देखा करते थे कि हम सुबह का नाश्ता अपने यहां करेंगे और दोपहर का भोजन हमारे देश की राजधानी लालकिले में करेंगे। ऐसे नेताओं के ख्वाबों को चकनाचूर और नेस्तनाबूद करने के लिए भी यह जरूरी है कि हम अपनी अणु शक्ति को बढ़ायें।

सभापति महोदय, जहां मैं यह कहती हूं कि हम अपनी अणु और परमाणु शक्ति को बढ़ायें वहां मैं अपने सैनिकों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं कि सरकार ने हमारे सैनिकों और अफसरों की पदोन्नतियों के

[श्रीमति विद्यावती चतुर्वेदी]

अवसर बढ़ाने की बात स्वीकार कर ली है जिसके बारे में समय-समय पर हमारे सदन में चर्चा हुई है। यह खुशी की बात है कि सरकार ने तीनों चीफों की सलाह से मेजर और लेफ्टीनेंट कमाण्डर को उनके जीवन में 60 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर और 20 प्रतिशत सेलेक्शन लागू करना मंजूर किया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि लेफ्टीनेंट कर्नल और जो उसके समान पद वालों को 50 प्रतिशत पदोन्नति मिले। ब्रिगेडियर और जो इसके समान पद हैं उनके लिए सरकार विचार कर रही है। मैं अपनी सरकार से आशा करती हूं कि वह उनकी पदोन्नतियों के लिए भी कुछ आगे करेगी और शीघ्र ही वह इनके बारे में भी निर्णय लेगी।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने समयबद्ध वेतन क्रम में भी लेफ्टीनेंट कर्नल और उसके समान पदों के लिए प्रतिमास सौ रुपया बढ़ाने का निर्णय किया है। अभी तक वे 18 सौ रुपए पाते थे अब उनको 19 सौ रुपए मिलेंगे। इसी तरह का प्रावधान सरकार ने पदों को भी बढ़ाने का निर्णय किया है जो सराहनीय है। जे० सी० ओ० के लिए भी किया है। उनके लिए भी 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दूसरे जो हवलदार और नायक के पद हैं उनके लिए भी बढ़ोत्तरी की गयी है। हवलदार और नायक के क्रमशः 45 प्रतिशत और 50 प्रतिशत पद बढ़ा दिए हैं। दूसरे जो अवैतनिक पद हैं उनकी भीं सरकार ते वढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने, 30 जून, 1979 से हमारे जवानों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। 15 साल को 17 साल कर दिया है या 40 साल की उम्र का हो। इसके साथ-साथ जो हमारे तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले जवान हैं उनकी 18 वर्ष की आयु अवधि 20 वर्ष कर दी गयी है या 46 वर्ष तक की आयु कर दी है। निस्सन्देह ये काम सराहनीय हैं।

सभापति महोदय, इन सब के बावजूद भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे जो सैनिक हैं या अफसर हैं, उनमें कुछ न कुछ असंतोष है। उसका कारण है कि चाहे अच्छे से अच्छा काम करने वाला अफसर हो, अगर उसका ऊपर वाला अफसर किसी कारण से नाराज हो जाता है तो वह उसकी कांफिडेंशियल रिपोर्ट को खराब लिख देता है और इसके कारण उसकी पदोन्नति नही होती। सभापति महोदय, हमारी सेना में काम करने वाले भी इन्सान हैं, फरिस्ते नहीं हैं। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य में जो कमजोरी होती है वह थोड़ी बहुत उनमें भी हो सकती है। मैं चाहूंगी कि जो इस तरह से कांफिडेंशियल रिपोर्ट खराब की जाती है, उसकी जांच के लिए कोई जरिया होना चाहिए। आम तौर पर यह सुना जाता है कि जब वह अपनी सफाई में कुछ पेश करता है तो उस चीज को उसी अफसर के पास भेज दिया जाता है जिसने उसकी कान्फिडेंशियल रिपोर्ट को खराब किया होता है। यह तो उसी तरह से बात हो गई कि एक शेर के सामने बकरी को भेज दिया जाए और कह दिया जाए कि वही इसका फैसला करे। मैं बड़ा ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि इसके लिए कोई अलग से प्रावधान होना चाहिए ताकि दोनों की बातों को सुना जा सके और सुन करके न्याय किया जा सके।

हमारे सैनिक रात दिन देश की रक्षा के लिए कार्यरत रहते हैं। अतः उनको या उनके परिवार के वास्ते उनको आवास की तथा दूसरी सुविधायें देना नितान्त आवश्यक है। आपने आवास के लिए जो प्रावधान इस बार किया है उसमें सिपाही के लिए जो शादी शुदा है 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दिया गया है. एन०सी०ओज० जो शादी शुदा हैं उनके लिए पचास प्रतिशत कर

दिया है, नायक के लिए अस्सी प्रतिशत कर दिया गया है। हवलदार के वास्ते सरकार ने 95 प्रतिशत किया हुआ है। बाकी जे० सी० ओ० के लिए तो सेंट परसेंट है ही। यह तो बढ़ोत्तरी की गई है इसकी बदौलत इन लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस चीज को तीन साल में लागू कर दिया जाएगा, ऐसी मुझे आशा है।

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

श्रीमती विद्यावर्ती चतुर्वेदी : मैं इस सदन में प्रथम बार बोल रही हूं इस सदन में। इसलिए मेरे साथ आप थोड़ी नरमी बरतेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

हमारे अफसरों की भी कुछ दिक्कतें हैं जिनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। जब वे पीस एरिया में आते हैं और काम करते हैं तो उनके सामने यह समस्या आकर खड़ी हो जाती है कि उनको बहुत दिनों तक मकान नहीं मिलता है। उसको बैरैक्स में रहना पड़ता है। मकान मिलने में उनको छ-छः महीने और साल साल भर लग जाता है और वे अपनी फैमिलीज को बुला नहीं पाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कोई भी अफसर किसी स्टेशन पर तीन बरस से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। साल डेढ़ साल तक अगर जगह उसको रहने की नहीं मिलती है तो इसका नतीजा यह होता है कि जब फैमिली बुलाने की बारी आती है तब उसकी ट्रांसफर हो जाती है। इस वास्ते आवास की सुविधा उन्हें भी प्रदान की जाए और जल्दी की जाए, इसको देखना बहुत आवश्यक है।

महिला होने के नाते बच्चों की शिक्षा की तरफ मेरा ध्यान जाना स्वाभाविक है। सरकार ने बीस केन्द्रीय विद्यालय जो हायर सैकेंडरी तक हैं खोले हैं। केन्द्रीय हायर सैकेंडरी विद्यालय खोलने की स्कीम के अन्तर्गत इतने ही विद्यालय अभी तक खुल पाए हैं। रक्षा मंत्रालय को 121 इस तरह के विद्यालयों की जरूरत है। इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। केवल 54 विद्यालय ही आप दे पा रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि उनकी जो मांग है उसकी पूर्ति शीघ्र ही कर दी जाएगी ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा के ऊपर खास तौर से ध्यान दिया जा सके। जो सैनिक रात-दिन अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा करता है अगर उसको हम निश्चिन्त कर सकें, उसको इस बात का विश्वास और भरोसा दिला सकें कि उसकी पत्नी के वास्ते सिर छिपाने के लिए झोपड़ी मुहैया होगी, उसके बच्चों के लिए उचित शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध होगा तो निस्सन्देह हमारा सैनिक बहुत ही निश्चिन्त होकर अपनी ड्यूटी अदा कर सकेगा।

आप सहमत होंगे कि एक नारी होने के नाते जो वार विडोज हैं, सैनिकों की जो विधवाएं हैं उनके बारे में भी मैं अपने कुछ विचार रखूं। उनके लिए वार-विडोज के लिए सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, यह सही बात है। अतः कोई सैनिक लड़ाई में स्वर्गवास हो जाता है, शहीद हो जाता है तो जब तक उसकी सर्विस होती है, उसकी विधवा को पूरा वेतन दिया जाता है और उसके बाद जो पेंशन बनती है वह दी जाती है। इसी तरह से और भी सुविधायें दी जाती हैं। लेकिन अगर हमारा सैनिक पीस एरिया में काम करते हुए ड्यूटी पर मर जाता है, उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी पत्नी को जो सहायता दी जाती है वह नगण्य है। अगर मैं गलती नहीं करती हूं तो ऊंचे से ऊंचा अफसर भी अगर को ईइस

[श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी]

तरह से मर जाता है तो उसकी विधवा पत्नी को दो सवा दो सौ रुपए महीने से ज्यादा पेशन के रूप में नहीं मिलता है। सिपाही के लिए तो 40, 50 से ज्यादा नहीं मिलता है, जो कि बहुत कम होता है। आज के समय को देखते हुए मैं चाहूंगी कि उनकी जो पेंशन बनती है, उनके मरने के बाद वह उनके परिवार वालों को दी जाये ताकि वह अपना भरण-पोषण कर सकें। इसके साथ ही साथ और जो सुविधाएं दी जाती हैं, मैं कहना चाहती हूं कि उनमें से बहुत सी पढ़ी-लिखी बहिनें होती हैं, उनकी उम्र का प्रतिवन्ध हटाकर उन्हें स्कूलों में या आफिसेज में काम दिया जाये। इसके अलावा इनके जो काबिल बच्चे हैं, जो सयाने हो गए हैं, उनको मैडिकल में यदि दिक्कत आ जाये तो उन नियमों को थोड़ा ढीला किया जाये और उनके बच्चों को रक्षा मंत्रालय की सेवाओं में लिया जाये। ऐसी मुझे उनसे उम्मीद है और मैं आशा भी करती हूं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश करके कीर्ति चक्र देने की वात की। हमारी वह नन्हीं कलियां को जो जनता के शासन काल में इनकी नाक के नीचे अराजक तत्वों द्वारा और इस तरह के असामाजिक तत्वों द्वारा मसल दी गई, उनको खत्म कर दिया गया, उनके लिए जो आपने कीर्ति-चक्र का प्रावधान किया है, वह बहुत ही सही है। मेरा अभिप्राय निसन्देह संजय चोपड़ा एवं गीता चोपड़ा की ओर है।

विरोधी दल के लोग छोटी-छोटी चीजों को लेकर यहाँ इस तरह का हल्ला मचाते हैं, सभापति महोदय, आप स्वयं उस समय यहां होते हैं, उस समय किस तरह की बातें पेश की जाती हैं, किस अश्लील तरीके से उनका चित्रण किया जाता है, यह जिम्मेदार सदस्य जो वह चुनकर आते हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इस सदन में भी महिलायें बैठी हैं, हम किस तरह से इन चीजों को पेश करते हैं हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हम खुद शर्मिन्दा हैं, कुछ हमारी बहिनें भी घड़ियाली आंसू बहाकर उनका साथ देती हैं। आज वह कहते हैं कि सरकार की सारी जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहती हूं कि पुलिस वाले ने गलती की, या मिलट्री वाले ने गलती की, वह तो ठीक है, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए लेकिन जिस बाप ने अपनी 13 वर्ष की बेटी के साथ मुंह काला किया हो उसके लिए आप क्या करेंगे इस समाज की पुरुष जाति जो पशु-वत हो रहे हैं उनके लिए यह बड़ी शर्म की बात है। मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां बैठकर नहीं, अगर तुम्हारे खून में कुछ गर्मी या जरा भी इन्सानियत है तो बाहर जाओ और इस तरह के कलंक को धोने की कोशिश करो, तब तो मैं मानूं कि आप में कोई दुख है, लेकिन यहां बैठकर चिल्लाने से हम समाज को सुधार नहीं सकेंगे।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं जो आपने मुझे वोलने का समय दिया।

सभापति महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही। आप अनुभवी सांसद हैं इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आज हमें एस० एल० वी०-3 उपग्रह के सफलतापूर्वक छोड़े जाने की जानकारी मिलने पर बड़ी खुशी है। यह एक बार असफल हो गया था परन्तु अब यह सफल हो गया है। यह हमारे उन वैज्ञानिकों की महान उपलब्धि है जिन्होंने

इस महान सफलता को प्राप्त किया है। इससे मालूम होता है कि हमारे वैज्ञानिक जो परमाणु तकनीकी को विकसित करने में योग्य हैं और उस हस्तान्तरण प्रणाली को विकसित करने में भी योग्य हैं जो एक प्रक्षेपशास्त्र को किसी वांछित लक्ष्य तक ले जायेगी।

श्री वाजपेयी इस सदन में पहले बड़ी जोरदार दलील पेश कर रहे थे कि हमें परमाणु बम तैयार करना चाहिए। वे यहीं थे जब पहला विस्फोट हुआ था। मुझे मालूम नहीं है कि आज उन्होंने अपना दिमाग क्यों बदल दिया है। शायद यदि कोई भी श्री नरसिंह राव को छोड़कर कुछ समय के लिए विदेश मंत्री हो जाता है तो वे अणु बम से सम्बन्धी अपना रवैया बदल देते हैं। मुझे मालूम नहीं है जहां तक अणु बम के संबंध में उनका रवैया है उसे बदलने के क्या कारण हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह एकमात्र ऐसे हथियार नहीं हैं जो राष्ट्र की एकता तथा प्रभुसत्ता की सुरक्षा कर सकते हैं। हमने एक शक्तिशाली बड़े राष्ट्र के विरुद्ध अनेक वर्षों से वियतनाम के लोगों का वीरतापूर्ण संग्राम देखा है। संग्राम के लम्बे अर्से के बाद वियतनाम के बहादुर लोगों ने सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को हरा दिया। हमने यह देखा है कि हमारी सीमाओं के नजदीक बंगला देश में अत्यधिक आधुनिक हथियारों का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया गया था। परन्तु बंगला देश के लोग यह देख सके कि उन हथियारों का प्रयोग नहीं किया जा सका और अन्ततः बंगला देश स्वतन्त्र हुआ। निसन्देह आज बंगला देश क्या कर रहा है वह अलग बात है। हमें यह भी मालूम है कि एकमात्र हथियार राष्ट्र की प्रभुसत्ता तथा एकता की सुरक्षा करने में मदद नहीं करेंगे जब तक कि समस्त राष्ट्र एक जुट होकर मुकाबला करने में समर्थ न हो। हमें मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ना चाहिए। जिसमें हमारे वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी वातावरण तथा अन्य विकास के बारे में बड़े उद्देश्यपूर्ण ढंग तथा सही ढंग से कहा गया है। इसमें बताया गया है कि हमारी सीमा के अन्दर बड़ी शक्तियों के बीच कैसे विवाद उत्पन्न हुआ। यह आशा प्रगट की गई है कि बड़ी शक्तियों के बीच जो तनाव शैथिल्य चल रहा है वह स्थायी रूप से बना रहेगा परन्तु अब मंत्रालय ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से सूचना दी है और इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि स्थिति बदल चुकी है। यदि ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से हमारी रक्षा की तैयारी तथा उस आधार पर विचारधारा में भी अवश्य परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह वास्तव में बदल चुकी है। हम हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की उपस्थिति को बढ़ती हुई देखते हैं। पाकिस्तान पहले ही अनेक देशों से हथियार खरीद कर इस उप-महाद्वीप में हथियारों की दौड़ में जा चुका है। यह मामला पहले नहीं था। कुछ वर्षों पहले भारतीय उप-महाद्वीप तथा हमारे चारों ओर के देशों में कुछ किस्म की स्थिरता थी। परन्तु आज ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे चारों तरफ सैनिक शक्ति का संतुलन गड़बड़ में है, मंत्रालय ने अपनी प्रतिवेदन में इस बात पर ध्यान दिया है। बदलते हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अपने रक्षा के हथियारों को आधुनिकतम बनाने का भी विचार कर रही है। हालांकि सरकार उस स्थिति को सामान्य बनाने का भरसक प्रयास कर रही हे जो इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच एक किस्म का तनाव पैदा कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि हमें यहाँ हथियारों को निर्मित करके आधुनिकतम हथियार उपलब्ध करने होंगे। हमारे देश की सुरक्षा की आवश्यकता हमसे यह देखने की अपेक्षा रखती है कि क्या जो भी हथियार हमारे पास हैं हम उन हथियारों से उन शस्त्रों का मुकाबला कर सकते हैं जो अन्य देश बना रहे हैं। मुझे आशा है

[श्री चिन्तामणी पाणिग्रही]

कि इन बातों पर भी विचार किया है। चूंकि उपमहाद्वीप के सैनिकसन्तुलन में पूर्ण रूप से गड़बड़ी हो गई है इसलिए हम टोकियो में अमेरिका के राष्ट्रपति कार्टर तथा चीन के प्रधान मंत्री के बीच हाल की बैठकों के प्रभाव के बारे में मंत्रालय से और जानकारी लेना चाहेंगे।

मैं 15 अगस्त, 1985 में होने वाले तृतीय विश्व युद्ध पर एक बड़ी मजेदार पुस्तक पढ़ रहा था। बड़े आश्चर्यजनक ढंग से सेना विशेषज्ञ ने जिसने यह पुस्तक लिखी थी, बेसक यह एक उपन्यास है, जो कहा था—उनमें से बहुत सी बातें आज खरी उतर रही हैं। उन्होंने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध तीन सप्ताह में समाप्त हो जाएगा परन्तु पहले दो सप्ताह में भूमि पर आधुनिक टैंकों से तथा अत्याधिक सुपर सोनिक विमानों से युद्ध होगा। आखिरी सप्ताह में केवल दो बमों का प्रयोग एक का सोवियत संघ के मिसक नगर तथा दूसरे का ब्रिटेन के ब्रमीयम पर होगा। युद्ध के अन्त में लेखक एक स्थिति पत्र ई० ई० सी० देशों के लिए तैयार करता है और उसमें यह कहा गया है:

> "1939-45 युद्ध के अन्त में अमेरिका तथा सोवियत संघ दो बड़ी शक्तियां थी। 1985 के युद्ध के अन्त में फिर दो बड़ी शक्तियां एक अमेरिका तथा चीन-जापान के एक जैसे समृद्ध क्षेत्र हैं।"

यहां सह-समृद्ध को प्रास्पेरिटी स्फेयर शब्द का प्रयोग किया गया है। हमें मालूम हुआ है कि राष्ट्रपति कार्टर जापान की यात्रा करने के लिए परेशानी उठा रहे हैं। और चीन के प्रधान मंत्री टोकियो में उनसे महत्वपूर्ण वाद-विवाद कर रहे हैं।

जब हम इन बातों पर नजर डालते हैं तो मैं केवल यह सुझाव दूंगा कि हमें आधुनिकतम हथियार प्राप्त करने हैं। परन्तु आधुनिकतम किस्म के इन हथियारों को तैयार करने में 10 वर्ष से कम का समय नहीं लगता है और इसके उत्पादन में और पांच वर्ष लगते हैं। इसलिए हमें ऐसी परियोजनाओं को अभी से हाथ में लेना पड़ेगा। हमारे सारे अनुसंधान संस्थानों तथा विभिन्न विभागों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हम नए ज्ञान तथा जानकारी का विकास करें ताकि हम अधिकाधिक आयात न करें। हमें प्रत्येक चीज अपने ही देश में निर्मित करनी होगी और हमें इसमें आत्म निर्भर बनना होगा। इसलिए हमारी तीनों सेवाओं को अधिक आधुनिकरण करना होगा। विजन्त टैंक के बारे में मैं समझता हूं कि इसमें सुधार करने के प्रयास किए जा रहे थे। मुझे आशा है कि वे जारी हैं। भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान में भी हमारे पास अच्छे वैज्ञानिक हैं। हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग क्यों न किया जाए।

अन्ततः जहां तक सेना आसूचना का सम्बन्ध है इससे इस बात पर ध्यान देने के लिए स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत की रक्षा का कुल वार्षिक बजट अमेरीका तथा रूस के आसूचना कुल बजट का आधे से भी कम है। समाचार प्रकाशित हुए हैं कि अमेरीकी उपग्रह ने पाकिस्तान द्वारा प्रथम परमाणु इस्लामी बम के परीक्षण के लिए खोदे जा रहे गड्ढे का पता लगाया है। क्या कारण है कि हमें इसकी जानकारी नहीं हो सकी? उसी प्रकार हमारी सेना आसूचना को आज अधिक तैयार रहना होगा क्योंकि उत्तर-पूर्व भारत में बहुत सी घटनायें हो रही है। हम नहीं जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है, कहां से हथियार आ रहे हैं। इसलिए सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि रक्षा मंत्रालय को इन नई गतिविधियों का चीन तथा अन्य देशों द्वारा आई०सी०वी०एम० के परीक्षण तथा उन सैनिक हथियारों के बारे में जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, पता है। मैं महसूस करता हूं कि नई रक्षा नीति का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए जो हमने अब तक अपनाई है ताकि हम अपनी सेना तथा सेना के तीनों अंगों को आधुनिकतम बनाने के लिए आधुनिकतम किस्म के हथियार बनायें।

सभापति महोदय : डॉ० कर्णसिंह बोलें। उनको 9 मिनट का समय दिया गया है।

डॉ० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, जनरल स्पैरो वास्तव में ही जनरल थे। परन्तु मैं भी भारतीय सेना में एक आनरेरी मेजर जनरल हूं। शिष्टाचार-प्रदर्शन के रूप में कृपया मुझे कम से कम 10 मिनट ज्यादा दीजिए।

हमारी सशस्त्र सेना जो निश्चित रूप से विश्व की सर्वोतम सेनाओं में है के प्रति अपनी भूरी-भूरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण प्रारम्भ करना चाहूंगा। मुझे गत तीन दशकों में, 1957, 1962 और 1965 में कश्मीर में सैनिक संघर्षों में उनके साथ अत्यन्त निकटस्थ सान्निध्य का अवसर मिला है। मैं लद्दाख और चुशूल तक गया हूं जो कि विश्व का सर्वोच्च हवाई अड्डा है जहां का तापमान सर्दियों में हिमांक से 40 डिग्री० नीचे रहता है और मैं बाडमेर, लौंगेवाला और किशनगढ़ के झुलसते हुए रेगिस्तान में रहा हूं जहां का तापमान गर्मियों में हिमांक से 40 डिग्री ऊपर रहता है। जहां भी हम रहें हैं हमारी सशस्त्र सेनाओं ने स्वयं शालीनता से, आत्म विश्वास और उच्च नैतिकता के साथ आचरण किया है, यह हमने देखा है। मैं कहूंगा कि हमारी सशस्त्र सेनाओं का न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहलू है अपितु वे राष्ट्रीय एकता के लिए भी एक बड़ी शक्ति है क्योंकि हमारी सशस्त्र सेनाओं में प्रत्येक राज्य, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक भाषायी वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र के लोग हैं। यह सही माइने में राष्ट्रीय रक्षा सेवा हो गई है और आज की स्थिति में खासतौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

देश बड़े ही कठिन और नाजुकदौर से गुजर रहा है। जैसा कि बताया गया है, बाहरीतौर पर महाशक्तियों के बीच स्थापित तनाव शैथिल्य टकराव की स्थिति में पहुंच गया लगता है। उनकी प्रतिद्विन्दिता हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है। अफगानिस्तान की दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति और भारतीय महासागर में खतरनाक गति विधियों से खतरा हमारे इतने नजदीक आ गया है जितना पहले नहीं था। इन्कार किए जाने के बावजूद पाकिस्तान के अणु बम बनाने के कार्यक्रम की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। आज हमारे विदेश मंत्री ने श्री आगाशाही के साथ हुई अपनी बात चीत का सक्षिप्त विवरण हमें दिया। परन्तु यह तथ्य ज्यों का त्यों बना हुआ है कि भारतीय भू-भाग का हजारों वर्गमील क्षेत्र विदेशी आधिपत्व में बना हुआ है। यह भी सच है कि कराकोरम राजमार्ग का निर्माण हमारे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा करता है। ये बाह्य दृष्टि से विकसित हो रही स्थिति है।

आन्तरिक दृष्टि से भी, दुर्भाग्यवश हमारे सीमांत क्षेत्रों पर कुछ गड़बड़ी पैदा करने वाली गतिविधियां हैं।

[डॉ कर्ण सिंह]

उत्तर-पूर्व में इस तथ्य के बावजूद कि वहां वास्तविक परेशानियां हैं और इस निर्विवाद तथ्य के बावजूद, जैसा श्री वाजपेयी ने कहा, कि अनेक दशकों से समूचे क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, यह भी सच है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कुछ विघटनकारी तथा अलागाववादी प्रवृतियां विकसित होती लगती हैं जो हमारे लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। आपने यह पढ़ा होगा कि पंजाब में कुछ गुमराह हुए लोगों ने सिखों के लिए अपने राज्य के लिए एक नया आन्दोलन शुरू कर दिया है। देश के सर्वाधिक उत्तरवर्ती राज्य में, प्रतितिष्ठित मुख्यमन्त्री यह कहते हैं कि किसी को भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही वह पाकिस्तान हो अथवा भारत, भले ही वह जिया-उल-हक हो अथवा श्रीमती इन्दिरा गांधी, यद्यपि काश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच समदूरस्थ हैं।

मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं सामान्य रूप से यह कह रहा हूं कि जब सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रही आबादी को इस तरह गैर-जिम्मेदारनों बातों और खतरनाक गतिविधियों द्वारा उत्तेजित किया जा रहा है तो इस देश का रक्षा-भार और बढ़ जाता है। हमें लोगों को आतंकित नहीं करना है क्योंकि आतंकित करना किसी भी संकट की सबसे बुरी संभव प्रतिक्रिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव करने, राष्ट्रीय एकता मजबूत करने और राष्ट्रीय सम्मान को बनाए रखने के लिए सशस्त्र सेनाओं की संकटकालीन भूमिका का शांति एवं सजाता पूर्ण मूल्यांकन किया जाना है।

कुल 3600 करोड़ रुपए की मांगों को इस सदन द्वारा अनिच्छ पूर्वक नहीं दिया जाएगा बशर्ते कि हम दो बातों के बारे में आश्वस्त हों :

पहली बात यह है कि जहां तक संभव होगा, हमारी रक्षा तैयारियों में कमी समाप्त हो जाएगी, और उसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना शामिल हैं क्योंकि अपनी भूगोलिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इन तीनों सेनाओं में से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते।

दूसरी बात, जिसके बारे में हम आश्वस्त होना चाहेंगे, यह है कि पारित हो चुके अनुदानों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा और कि निष्फल एवं व्यर्थ की फिजूल खर्चों को कम से कम किया जाएगा।

मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं कुछ प्रच्छन्न पहलुओं का उल्लेख करूंगा, जिनपर मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ध्यान देंगे और उन पर अपने उत्तरों में अपने दृष्टिकोण से अवगत करा कर हमें लाभान्वित करेंगे। यह सुविदित है कि रक्षा आयोजन में राष्ट्रीय संसाधनों—मानव संसाधनों, आर्थिक, औद्योगिक, वित्तीय और वैज्ञानिक संसाधनों का एक समग्र दृष्टिकोण अंतर्गस्त किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए रक्षा आयोजन सम्बन्धी समिति है जो एक मंत्रिमंडलीय सचिव द्वारा बुलाई जाती है। इस समिति ने पहले की उच्चस्तरीय समिति का स्थान ले लिया है। महोदय, मेरी जानकारी है कि रक्षा आयोजन सम्बन्धी इस समिति की 1980 में केवल एक बार बैठक हुई है। यदि आपके पास इस तरह के कार्य की एक उच्च स्तरीय समिति है और यदि उस समिति का कार्य हमारे समूचे संसाधनों को समान्वित करना है तो निश्चित रूप से इसकी नियमित बैठकें करना आवश्यक है ताकि यह तेजी से बदलती स्थिति का जायजा ले सके। यह ऐसी बात है जिस पर प्रधानमंत्री को सदन को आश्वस्त करना होगा।

इसी तरह किसी भी रक्षा स्थिति में—सूचनाएं एकत्रित करने में खुफिया विभाग को काफी अहम रोल अदा करता है, ऐसी अनेक एजेंसियां हैं जो सूचनाएं एकत्रित करती हैं :— इनमें 'रा' (रिसर्च एवं एनालाइसिस विंग) है। इंटेलीजेंस ब्यूरो है, सेना गुप्त चर सेवा है और राज्यों के गुप्तचर विभाग हैं। अधिकांशत: ये एजेंसियां एक जैसा कार्य करती हैं और व्यक्तिगत अनुभव से हम यह जानते हैं कि इनकों बहुधा प्रतिद्वन्दिता भी होती है। इस प्रयोजन से मंत्रि-मंडलीय सचिवालय के अन्तर्गत एक संयुक्त आसूचना समिति गठित की गई है परन्तु मेरी जानकारी यह है कि संयुक्त आसूचना समिति के सभापति का पद गत ग्यारह महीनों से विगत अगस्त से रिक्त पड़ा है। इस तरह की गम्भीर भूमिका वाले कार्य के लिए जहां कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जहां कि आसूचना कार्यों में समन्वय आवश्यक है, इस तरह के महत्वपूर्ण पद को एक दिन के लिए भी रिक्त पड़ा रहने की अनुमति क्यों दी जाए ?

मेरा तीसरा प्रश्न, जो मैं रखना चाहूंगा, यह है कि, जैसा मेरे मित्र श्री पाणिग्रही ने उल्लेख किया है रक्षा औद्योगिक आयोजन के लिए समय बद्ध कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के विपरीत 15 से 20 वर्ष तक के बीच है (यह भी रिपोर्ट में बताया गया है)। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि वस्तुत: कौन सी एजेन्सी है जो यह भावी विचार कर रही है। क्या वर्ष 2000 तक की भावी योजना वस्तुत: तैयार कर ली नई है ? कौनसी एजेंसी इस दूरगामी वाली योजना को सुनिश्चित करेगी ? जहां तक रक्षा कार्यों का सम्बन्ध है, हमारे पास पर्याप्त औद्योगिक एवं वैज्ञानिक आधार हैं, मुख्यत: श्री जवाहर लाल नेहरू की दूर दृष्टि एवं बुद्धिमता के कारण स्वतंत्रता के प्रारंभिक दिनों में हमने यह देखा कि हमारे औद्योगिक साधन तैयार हों और हमारा वैज्ञानिक समन्वय विकसित हो और कि हम आत्मनिर्भर होने में समर्थ हैं, न कि निरन्तर दूसरे देशों पर निर्भर हों। और हाल ही में सफलतापूर्वक उपग्रह छोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा की गई अत्यन्त स्वागत योग्य घोषणा है जो कि उस आत्मनिर्भरता का प्रतीक चिन्ह है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं।

सदन की ओर से मैं, सभी वैज्ञानिकों और दूसरे लोगों को जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया है, गर्म जोशी से बधाई देने में प्रधान मंत्री के साथ हूं।

परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक संगठनों और औद्यो-गिक संस्थानों के बीच लगातार समन्वय बना रहना चाहिए ताकि वह रक्षा उत्पादन की भावी योजना को एकीकृत ढंग से क्रियान्वित करने में सहायता कर सकें। किसी भी नई खरीद को हमारी देशी उत्पादन क्षमता तथा हमारी स्वयं की तकनीकी जानकारी के विकास से सम्बद्ध किया जाना होगा। दूर तक मार करने वाले हवाई जहाजों के सम्बन्ध में इस सदन में तथा इस सदन के बाहर काफी चर्चा हुई है, चाहे यह जगुआर विमान के सम्बन्ध में हो जिसका, हम समझते हैं सौदा किया जा चुका है या चाहे हम मिग 23 के बारे में सौदा करने जा रहे हों, तो अथवा मिराज-2,000 के सम्बन्ध में सौदा करने जा रहे हों, जैसा कि आज के एक अखबार में बताया गया है। हम यह भी नहीं जानते कि, क्या इस नए हवाई जहाजों को उड़ाया गया है। क्या इसका नमूना तैयार कर

[डॉ कर्ण सिंह]

लिया गया है अथवा नहीं। ये ऐसे निर्णय हैं जो केवल दूरगामी आवश्यकताओं और देशी तकनीकी जानकारी के विकास की अपरिहार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए जा सकते हैं। हमारे देश जैसे आकार, जनसंख्या और क्षमता वाला देश अनिश्चित काल तक बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रह सकता भले ही किसी भी समय उनसे हमारे सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध क्यों न हों। इसलिए मैं कहूंगा कि यह भावी आयोजन किसी भी रक्षा नीति में महत्वपूर्ण पहलू है जिस की जांच करना जरूरी है।

इसी से सम्बन्धित है विलम्ब का प्रश्न। दुर्भाग्यवश—मैं अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर यह बात कह रहा हूं—भारत सरकार की नौकरशाही को वास्तव में मामलों को तेजी से निपटाने के लिए तैयार नहीं किया गया है। इसे मामलों को जाम करने के लिए तैयार किया गया है। और इसी तरह की प्रवृत्ति रक्षा मंत्रालय में भी व्याप्त है। जहां तक रक्षा आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, इस बारे में निम्न अनुसचिवीय स्तर पर अराधारण देरी की जाती है। और रक्षा सेवाओं में दो पहलुओं को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए : वहां एक तो तेजी से मूल्यवृद्धि होना है; और वहां पुराने उपकरण हैं, यदि किसी चीज में विलम्ब किया जाता है तो अन्तिम रूप से तैयार होने के बीच में मूल्य बढ़ जाते हैं और स्वयं उपकरण आंशिक रूप से पुराना हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि रक्षा मंत्रालय में ग्रास तौर पर रक्षा सम्बन्धी में विशेष रूप से सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का विकास किया जाना चाहिए। किया मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि सामान्यतः वित्त विभाग मामलों को तेजी से निपटाने के लिए तैयार नहीं किए जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हर बात की हमें सावधानीपूर्वक जांच नहीं करनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि निर्णय जल्दबाजी में लिए जाने चाहिए। परन्तु अनावश्यक रूप से होने वाले विलम्ब को आवश्य कम किया जाना चाहिए। एक नई पद्धति का विकास किया जाना चाहिए जिससे नौकरशाही द्वारा रक्षा आवश्यकताओं का शीघ्रता से आँकलन किया जा सके और उस तरह के सामान्य रूप में, अत्यन्त लम्बे तथा प्रभावहीन ढ़ंग से इस संबंध में कार्य न किया जाए जिस रूप में कि भारत सरकार की फाइलें सामान्यतः खिसकती रहती हैं।

जहां तक देरी का सम्बन्ध है। मैं कहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा रक्षा उपकरण समय पर मुहैया कराने के लिए भी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि बहुत से मामलों में माल छुड़ाने में देरी होने के परिणामस्वरूप हमारी रक्षा तैयारियों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एच० ए० एल० हो अथवा आयुध कारखाना हो अथवा रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाला कोई दूसरा कारखाना हो।

ठोस उत्पादन और डिलीवरी कार्यक्रम होना चाहिए और किसी कारण से भी इसका उलंघन नहीं किया जाना चाहिए।

जनरल स्पैरों ने प्रधान मंत्री को संवर्ग पुनरीक्षण के लिए सही बधाई दी है। यह काफी लम्बे समय से अपेक्षित था। किन्तु एक बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं वह यह है कि अब तक जो सवंर्ग पुनरीक्षा स्वीकृत की गई है वह ब्रिगेडियर के स्तर तक है और उससे परे नहीं। समस्त

सेना और सेना संवर्ग समेकित हैं। आप अपनी संवर्ग पुनरीक्षा किसी एक स्तर पर रोक नहीं सकते। आपको इसका एक तर्क संगत उपसंहार करना चाहिए। अत: क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि सरकार को इस संवर्ग पुनरीक्षा का एक तर्क संगत उपसंहार करना चाहिए ताकि इसमें वे ओहदे भी आयें जिन्हें अब तक नहीं लिया गया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि पहले ही स्वीकृत पुनरीक्षा का क्रियान्वयन रुका हुआ है क्योंकि यह पक्षपात पूर्ण हैं और अपूर्ण है। इस बारे में सम्भवत: कोई अन्य सदस्य प्रकाश डाल सकता है।

संवर्गों पर बोलते हुए मुझे सरकार के विचारार्थ दो सुझाव देने हैं। पहला यह है कि अधिक सेना अधिकारियों को समानान्तर सैनिक बसों, में भेजा जाना चाहिए विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल को जो, जैसा कि आप जानते हैं, सेना के संचालन कमान के अधीन काम करता है। इसमें सेना के अधिक अधिकारी होने चाहिए ताकि उनका भविष्य सुधरे। साथ ही मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता हूं कि क्या सेना के अधिकारी स्वयं भारत सरकार में नहीं भेजे जा सकते। हमारे यहां अधिकारी उत्पादन शुल्क सेवा से आते हैं। हमारे यहां डाक सेवा से लोग आए हैं। कुछ सेना के कुछ अधिकारी भी भारत सरकार में और विशेषरूप से रक्षा मंत्रालय में क्यों न भेजे जायें ताकि उनका विशेष ज्ञान अधिकाधिक भारत सरकार को उपलब्ध हो।

युद्ध बन्दियों के बारे में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विदेश मंत्री ने आज घोषणा की है कि वह पाकिस्तान के साथ कैदियों की अदला-बदली के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए। हम जैसे कि सीमावर्ती क्षेत्रों से आते हैं और हमारे बहुत से ग्रामीण असावधानी से पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जाते हैं और प्राय: वे वहां पकड़े जाते हैं। मैं एक मिनट समय और लूंगा। महोदय, मेरे चुनाव अभियान के दौरान मेरे एक अत्यधिक उत्साही युवा कार्यकर्त्ता, जो मेरे लिए अभियान चला रहा था, एक गांव में गया और उसने वहां कहा, 'आप सब को डा० कर्णसिंह को वोट देना चाहिए.।' उन्होंने कहा, 'हमें ऐसा करने में प्रसन्नता होगी किन्तु ऐसा होता है कि आप पाकिस्तान में हैं। हमें आश्चर्य है कि क्या आप सुरक्षा सेनाओं के आने तथा उनके द्वारा पकड़े जाने से पहले सीमा पार अपने स्थान को सुरक्षित वापस जा सकेंगे। इस मामले में वास्तव में ग्रामीणों का मित्रतापूर्ण व्यवहार था और वह युवक अपने झण्डे के साथ वापस आ गया। कभी-कभी क्या होता है कि ये ग्रामीण सीमापार पहुंच जाते हैं और पकड़े जाते हैं और वे पाकिस्तानी जेलों में पड़े हुए है। मुझे मालुम है, जब इनके माता पिता मुझे मिलते हैं जब वहां उस क्षेत्र में मैं जाता हूं। श्री. गिरधारी लाल डोगरा मुझ से सहमत होंगे क्योंकि वह भी उसी क्षेत्र के हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर सहृदयता से विचार किया जाना चाहिए।

मैं अन्तिम बात जो कहना चाहता हूं—मैं जानता हूं कि मेरा समय सीमित है—उसका संबंध भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से है। मैं कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट के अध्याय 13 में इसका उल्लेख नहीं है किन्तु यह वास्तव में असंतोषजनक है और इसका सरसरी तौर पर उल्लेख है। कोई आंकड़े नहीं दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या नहीं दी हुई है। मेरी जानकारी यह है कि आज भारत में 60 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। उनकी समस्याएं दो प्रकार की

[डॉ कर्ण सिंह]

हैं। एक तो पेंशन की समस्या है और दूसरी जैसा कि जनरल स्पैरो ने बताया है, विसमताओं को दूर करने की समस्या है। भारतीय भूतपूर्व सैनिक वीग ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है और मेरा यह आग्रह है कि इस पर सहानभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

दूसरा पहलू पुनर्वास का है और इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि रिकार्ड बहुत असन्तोपजनक है। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण है। सरकार में आरक्षण है किन्तु इन आरक्षणों को बहुत कम पूरा किया जाता है और एक ऐसी स्थिति होती है जब राज्य सरकारों को इसका भार वहन करना पड़ता है। कुछ सरकारें तो अच्छा काम करती हैं, उदाहरण के लिए पंजाब और महाराष्ट्र ने विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अच्छा काम किया है। किन्तु कुछ राज्यों का काम बहुत बुरा है। उदाहरण के लिए मेरे राज्य में जो कुछ किया गया उससे एक धक्का पहुंचता है। एक भूतपूर्व सैनिक किसी मंत्री के पास पहुचे। महोदय, मैं यह पांच मिनट में पूरा करूंगा।

सभापति महोदय : केवल एक मिनट।

डा० कर्ण सिंह : महोदय, यह एक ऐसी बात है जो सुनने लायक है। वह भूतपूर्व सैनिक गया। उसका नाम भगवान दास है। वह अपने लड़के मूलराज को एक मंत्री के पास सचिवालय में ले गया और उसने कहा, "यह उसका आवेदन-पत्र है।" उसने मंत्री महोदय से प्रार्थना की कि उस पर वह अपनी सिफारिश करें। जब वह लिख रहे थे तो उनके दल के एक व्यक्ति ने कहा 'इस व्यक्ति को 1965 में वीर-चक्र मिला था।' मंत्री महोदय ने उप पर देखा और कहा, 'इसे वीरचक्र मिला था ?' यह कहते हुए उन्होंने आवेदन पत्र फाड़ दिया और फेंक दिया। उन्होंने कहा, '1965 में मैं प्लेबिसिट फ्रंट मैं था। में आक्रमणकारियों को यहां लाया था और तुम्हें उन लोगों को गोली से मारने के लिए वीर चक्र मिला ? आप भारत जाइए और जो कुछ चाहते हैं उन्हीं से मांगिए।' महोदय, राज्य सचिवालय में बैठे एक राज्य सरकार के मंत्री का यह रवैया है। मेरा कहना यह है कि जम्मू और काश्मीर का एक भूतपूर्व सैनिक भी महाराष्ट्र अथवा हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु के भूतपूर्व सैनिक जैसा ही है। भारत सरकार को भूतपूर्व सैनिकों की देख-रेख करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मेरा सुझाव है कि इस काम के लिए बजाए एक असंतोषजनक महानिदेशक पुनर्वास के एक पूर्ण आयोग होना चाहिए जो इस काम को देखे। श्री गाडगिल ने संगणकीकरण के बारे में कहा। किन्तु रक्षा सम्बन्धी तैयारी में मानवता का प्रश्न हमेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहेगा।

मैं अन्त में यही कहूंगा कि यह सभा सामूहिक बुद्धिमत्ता तथा सामूहिक राष्ट्रीय जनमत का प्रतिनिधित्व करती है। रक्षा सेवाओं की सुरक्षा के प्रश्न हर समस्त सभा चाहे उसके सदस्य किसी भी दल या समूह के हों, अपना सर्व सम्मत समर्थन दें तथा रक्षा सेवाओं की भूमिका की सराहना करें।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। आप कितना समय लेंगे ? मैं समझता हूं आप चालीस मिनट लें।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैं चालीस मिनट लूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मेरे संकल्प का वचा हुआ ?

सभापति महोदय : हम माननीय सदस्यों के प्रति कुछ उदार रहे हैं। मंत्री महोदय के वाद सभा 10 मिनट देर तक बैठ सकती है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : सभा सहमत नहीं होगी।

सभापति महोदय : पहले मंत्री महोदय अपना भाषण समाप्त करें। अव मंत्री महोदय।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मेरा इस सभा से निवेदन है कि वह मेरी वात की ओर ध्यान दें क्योंकि मुझे रक्षा के आवश्यक स्वरूप के वारे में सभा को सूचित करना है।

यही कारण है कि मैंने हस्तक्षेप करने के लिए आपकी अनुमति मांगी है। आरम्भ करने से पहले मुझे एक खुशखवरी देनी हैं। सरकार ने इस वर्ष मार्च में पहले ही इस मंत्रालय के रक्षा-उत्पादन प्रतिष्ठानों के मजदूरों को उत्पादकता से सम्वद्ध वोनस स्वीकृत करने की घोषणा की थी। मुझे इस बात की घोषणा करने में प्रसन्नता है कि अव रक्षा विभाग के निम्नलिखित प्रतिष्ठानों। संगठनों के पात्र श्रेणियों के असैनिक कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्वद्ध वोनस योजना के अन्तर्गत लाने का निश्चय किया गया है :

(क) नौ सेना डाकयार्ड। मरम्मत संगठन और आधार एकक;

(ख) आयुध सेवाएं निदेशालय;

(ग) ई० एम० ई० निदेशालय के अधीन स्थायी किस्म की कार्यशालाएं; और

(घ) वायुसेना डिपो मरम्मत प्रतिष्ठान।

इन संगठनों एककों के सम्बन्ध में विस्तृत योजनाओं का हिसाव लगाया जा रहा है। इन विवरणों को अन्तिम रूप दिए जाने तक सरकार ने वर्ष 1979-80 के लिए इन प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों की पात्र श्रेणियों को तदर्थ आधार पर 15 दिन का वेतन स्वीकृत करने का निश्चय किया है। इससे लगभग 1,18,000 असैनिक कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार का यह विश्वास है कि इससे इन एककों के कर्मचारी उत्पादकता को वढ़ाएंगे और इन संगठनों में कुशलता से काम करेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि वर्ष 1980-81 के लिए रक्षा सेवाओं के अनुमान 3600 करोड़ रुपए के थे जबकि 1980-81 के अन्तरिम बजट में 3,300 करोड़ रुपए (निवल) और वर्ष 1979-80 के अन्तिम अनुमानों में 3,273 करोड़ (निवल) की व्यवस्था शामिल थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को 13800 किलोमीटर से अधिक लम्वी भू-सीमा की रक्षा करने तथा 6,000 किलोमीटर से अधिक लम्वी तट रेखा पर निरंतर निगरानी रखने का काम सौंपा गया है तो हमारे मंत्रालय की मांगों का, जो हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 3.5 प्रतिशत हैं, उपयुक्त से कम ही समझा जाना चाहिए। हमारे निकट पड़ोसी पाकिस्तान ने वर्ष 1977 और 1978 के दौरान रक्षा पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत व्यय किया तथा चालू वर्ष में 6 प्रनिशत से भी अधिक व्यय किया जो रिपोर्टों के अनुसार कुल व्यय पर 45 प्रतिशत है। चीन के तुलनात्मक आंकड़े लगभग 10 प्रतिशत

[श्री सी० पी० एन० सिंह]

हैं और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के 11 और 14 प्रतिशत के बीच हैं। भारत का अमरीकी डालर में प्रति व्यक्ति व्यय लगभग 5 डालर है जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तान का 14 डालर, संयुक्त राज्य अमेरिका का 481 डालर, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का 574 डालर, ब्रिटेन का 252 डालर, ईरान का 273 डालर और इजराइल का 878 डालर है।

तथापि हम सदस्यों को आश्वासन दिला सकते हैं कि हमने किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए अपनी रक्षा सम्बन्धी तैयारी में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी है। यद्यपि किसी क्षेत्र पर कब्जा करने की अभिलाषा नहीं है और पहले भी हमने अपने पड़ोसियों की सम्पत्ति की ओर अधिपत्य करने की अभिलाषा से दृष्टि भी नहीं डाली है फिर भी हमारी सशस्त्र सेनाएं अपने क्षेत्र पर किसी भी खतरे का चाहे वह किसी भी दिशा से हो, सामना करने के लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रक्षा सम्बन्धी प्रयत्न किसी एक विशेष समय का कार्य नहीं है जो सशस्त्र सेनाओं अथवा रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाये। यह अपने पैरों पर विश्वास तथा साहस से खड़ा होने का राष्ट्र का प्रयत्न है। इसका राष्ट्र के आर्थिक विकास और उसके लोगों की खुशहाली तथा प्रसन्नता से गहरा सम्बन्ध है।

सदस्यों ने पहले ही देखा होगा कि चालू वर्ष के दौरान रक्षा सम्बन्धी व्यय, कुल व्यय का केवल 20.2 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1979-80 में यह 22.5 प्रतिशत था। यह एक दशक पहले लगभग 30 प्रतिशत हुआ करता था। अतः माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट होगा कि रक्षा प्रयत्न आर्थिक विकास को हानि पहुंचाए बिना हो रहे हैं। वास्तव में हमें इस तथ्य की जानकारी है कि पहले के दशकों में परिश्रम से जो ठोस औद्योगिक आधार बनाया गया था उसका हमारी रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करने में काफी योगदान रहा है।

सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य हमारी मातृभूमि की रक्षा करने में सशस्त्र सेनाओं की वीरता एवं उनके उच्च मनोबल से भली-भांति परिचित हैं। अपने मंत्रालय की ओर से मैं कह सकता हूं कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के ऊंचे मनोबल को बनाये रखने तथा जब अवसर आया और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपनी क्षमता का जो उच्च स्तर रखा है उसे बनाये रखने की हमारी तीव्र इच्छा है। हमें इस तथ्य की भी जानकारी है कि इस क्षेत्र में उचित मेधावी व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए उचित प्रलोभन आवश्यक है। सशस्त्र सेनाओं की सभी शाखाओं में हम वास्तव में अच्छे आदमी चाहते हैं। जो व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश करते हैं वे अपने तत्काल भविष्य तथा प्रगति के अवसरों के ही बारे में नहीं सोचते किन्तु अपनी वृत्ति की समाप्ति के बाद के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के वृत्ति सम्बन्धी भविष्य में पर्याप्त सुधार करने के लिए तथा उनकी बहुत समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए बहुत से निर्णय लिए हैं। आपकी अनुमति से मैं इनमें से कुछ पर चर्चा करना चाहूंगा।

सभी स्तरों पर संवर्ग पुनरीक्षा की गई है और सेना के अधिकारियों के वृत्ति सम्बन्धी भविष्य में काफी सुधार किया गया है। संशोधित नियमों के अधीन मेजर और स्क्वेड्रन लीडर के

ओहदे के अधिकारियों के वृत्ति सम्बन्धी भविष्य में लगभग 60 प्रतिशत सुधार होगा जिसमें 20 प्रतिशत अवसर उन्हें इन पदों में चयन ग्रेड आरम्भ करने से मिलेगा। लेफ्टिनेन्ट कमांडर के मामले में सेलेक्शन ग्रेड पदों सहित सेवा वृत्ति में सुधार 65 प्रतिशत निश्चित किया गया है। जहां तक लेफ्टिनेंट कर्नल और अन्य दो सेवाओं का सम्बन्ध है, पदोन्नति के अवसर 50 प्रतिशत होंगे, 10 प्रतिशत तक सेलेक्शन ग्रेड पर होंगे। ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष पदों में कई पदों को उच्चीकरण किया गया है। उच्च ओहदों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है।

विभिन्न स्तरों पर अवैतनिक ओहदों में वद्धि के साथ-साथ कनिष्ट कमीशन प्राप्त अधिकारियों, हवलदारों तथा नायकों के ओहदों में पदों की वृद्धि के लिए भी कदम उठाये गये हैं। जवानों के लिए 30-6-1979 से नियुक्ति काल में (कलर सेवा) में वृद्धि की गई है। इसी प्रकार गैर-तकनीकी और तकनीकी ग्रेडों के लिए करारों की शर्तों में दो वर्ष की वृद्धि की गई है।

हमने हाल ही में सेना में अधिकारियों से नीचे के ओहदों के कर्मचारियों तथा अन्य दो सेवाओं के समकक्ष कर्मचारियों के लिए क्वाटर की प्रतिपूर्ति की पात्र ता के लिए वर्तमान प्रतिशतता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की प्रतिपूर्ति में सिपाही उसके समकक्ष कर्मचारियों के लिए शादीशुदा रिहाइशी स्थान के वर्तमान 25 प्रतिशत को बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है तथा नायकों के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत और हवलदार तथा उसके समकक्ष कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत किया गया है। प्रतिशतता में इस वृद्धि का निवल परिणाम यह होगा कि 25 वर्ष की उम्र से अधिक के सभी शादीशुदा कर्मचारी जिन्हें सरकारी अथवा किराये का आवास नहीं दिया गया है, क्वाटरों के बदले में क्षतिपूर्ति पाने के हकदार होंगे। इस निर्णय को, जिसका सभी तीनों सेवाओं ने हार्दिक स्वागत किया है, 3 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जायेगा और इससे तीनों सेवाओं के 3 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।

सरकार ने पेंशन सम्बन्धी काम में काफी ध्यान देने के आदेश भी दिये हैं तथा यह भी आदेश दिये हैं कि सीमान्तिक लाभ के प्रयोजन के लिए महगाई भत्ते के एक भाग को लिया जाये। इस निर्णय से तथा कतिपय अन्य कदमों के उठाये जाने के परिणामस्वरूप सेवा निवृत्त होने वाले सेना के अधिकारियों को 75 रुपये से लेकर 300 रुपये तक तथा अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों को 28 रुपये से लेकर 133 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त लाभ होगा।

सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सशस्त्र सेवाओं के अधिकांश कर्मचारी ऐसी उम्र पर सेवा निवृत्त होते हैं जब वे शारीरिक दृष्टि से सक्रिय होते हैं और राष्ट्र की सेवा में काम करते रहने की स्थिति में होते हैं। भूतपूर्व सैनिकों का देश की असैनिक सेवा-प्रवाह में प्रवेश कराने के लिए हर एक प्रयत्न किया जा रहा है। सेवा में प्रवेश पाने के लिए उन्हें उम्र और शैक्षणिक योग्यता में रियायतें दी जा रही हैं तथा उन्हें परीक्षा शुल्क और आवेदन-पत्र शुल्क में छूट जा दी रही हैं। उन्हें लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में और विभिन्न अन्य व्यवसायों में स्वनियोजन के लिए सहायता भी दी जा रही है तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सक्रिय

[सी० पी० एन० सिंह]

सहायता दी जा रही है। हमारा मंत्रालय उद्योग लगाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को औद्योगिक प्लाटों के आंवटन में तथा ऋण, मशीनें और कच्चा माल प्राप्त करने में वरीयता दिलाने में भी सहायता करता रहा है।

मंत्रालय के अनुरोध पर विभिन्न राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवासीय प्लाट तथा किराया खरीद योजनाओं के अन्तर्गत बने बनाये मकानों को खरोदने हेतु आरक्षण कर दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने तो कृषि योग्य बेकार भूमि तथा अन्य फालतू भूमि का आंवटन करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता प्रदान करती है।

सरकार द्वारा सैनिकों के लिए हाल ही में "नौकरी-में ही प्रशिक्षण" देने सम्बन्धी एक योजना की मंजूरी दी गई है जिस में उन्हें अपने सेवाकाल के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वह सिविल सेवाओं में नौकरी पाने के योग्य बन सकें। आरम्भ में 2,000 सैनिकों को प्रतिवर्ष विभिन्न सरकारी क्षेत्रों तथा विभागीय उपक्रमों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 10,000 सैनिकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने की योजना है।

सभी सैनिक कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अन्तिम 18 महीनों में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की एक अन्य योजना भी सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत होने पर उन्हें लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी।

जब परिस्थितिकीय विकास निगम की स्थापना हो जायेगी तो उसके अन्तर्गत सरकार का विचार तराई के इलाके में बागान लगाने के लिए बहुत अधिक रोजगार भूतपूर्व सैनिकों को देने का भी है। इसका मुख्य उद्देश्य हिमालय की तराई में वृक्षों के काटे जाने को रोकना है। मैंने अपने मंत्रालय की एक अन्य प्रस्ताव का अध्ययन करने का आदेश भी दिया है जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों की तकनीकी दक्षता का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जा सके। इस प्रकार से यह भूत-पूर्व सैनिकों का औद्योगिक विकास निगम बन जायेगा जिसके द्वारा छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए आरम्भिक पूंजी निवेश किया जायेगा या फिर ऋण एककों का प्रबन्ध उसे सौंप दिया जायेगा। मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ पड़ौसी देशों में भूतपूर्व सैनिकों के इस प्रकार के औद्योगिक निगम बहुत सफलता से कार्यरत हैं।

विहार का कोयला परिवहन निगम संगठन, जिले के भूतपूर्व सैनिकों की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा है, वह अपने आप इस बात का एक अनूठा उदाहरण है कि कल्पना शक्ति सम्पन्न कार्यवाही द्वारा कुछ किया जा सकता है। कम्पनी के पास 38 ट्रक हैं और ऐसा पता चला है कि भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में इस कम्पनी द्वारा किये गये कार्य से विशेषरूप से प्रसन्न है। उनके द्वारा ढुलाई के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के चालकों की तुलना में काफी कम किराया वसूल किया जाता है। अपनी सहायता करने के साथ-साथ राष्ट्र की सहायता करने का यह एक अच्छा उदाहरण है।

सुरक्षा के लिए हर समय पूरी तरह से तैयार रहना हमारा मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्य है। अतः इस उद्देश्य हेतु आयोजन करते समय हमें अनेक पहलुओं तथा विशेष रूप से आधुनिक तकनीकी युग तथा उससे सम्बद्ध सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे तीव्र परिवर्तनों को भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा। अतः

जब हम योजनायें तथा कार्यक्रम बनाते समय हमें इन पहलुओं को दृष्टिगत रखना पड़ता है। जहां तक हमारी सशस्त्र सेना का सम्बन्ध है, उसके लिए आधुनिकीकरण का बहुत महत्व है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम समय की मांग से कभी पीछे नहीं रह सकते।

अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए उकरण तैयार करने सम्बन्धी नीति का अनुसरण हम 1962 से करते चले आ रहे हैं। यद्यपि कुछ स्पष्ट कारणों से मेरे लिए यह ब्यौरा देना सम्भव नहीं है कि आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, फिर भी मैं सदस्यों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ एक उदाहरण देना चाहता हूं।

पहले हम थल सेना को ही लें, इसमें निम्न उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिकीकरण किया जा रहा है :

(क) अपनी थल सेना को पर्याप्त आक्रमण शक्ति, गतिशीलता तथा संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना जिससे कि वह किसी आक्रमण का कारगर ढंग से मुकाबला कर सकें, और

(ख) हमारे पास जो शस्त्र भंडार है, उनके उपकरणों की वास्तविक सूची में आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी प्रशिक्षण देना।

जहां तक बख्तरबन्द गाड़ियों के क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारे पास "विजयंत" टैंक पहले ही उपलब्ध है। इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए इसकी गतिशीलता, गोला शक्ति तथा पहली ही बार में घातक प्रहार करने की संभावना बढ़ाने के लिए, इसमें अद्यतन गोला नियंत्रण व्यवस्था जोड़ना, इसमें अधिक गोला बारूद का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम टैंकों की ओर अधिक विकसित किस्म के लिए अपनी तलाश भी जारी रखे हुए हैं। हमारे अनुसंधान तथा विकास संगठन की आशा है कि वह हमारी भावी आवश्यकता के अनुरूप 'मुख्य युद्ध टैंक' का विकास करने में सफल हो जाएगा।

इसी प्रकार जहां तक सामान्य रूप से बंदूक तथा तोपखाने वाले दल का सम्बन्ध है, हम पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई तथा अधिक शक्तिशाली बंदूकें बनाने के कार्य में भी लगे हुए हैं। इसकी गतिशीलता तथा यंत्रीकरण पर अधिक बल देने के साथ-साथ, इसकी गोली चलाने की शक्ति में वृद्धि करने पर भी बल दिया जा रहा है। फील्ड गन्ज तथा माउटेंन गन्ज को भी बदला जा रहा है। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि बड़े युद्ध में बख्तर बन्द फौजी से खतरा सबसे अधिक होता है। इसी लिए अपने टैंकों में बहुगुणीय रक्षा उपकरणों का प्रयोग करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने के साथ-साथ टैंक पर मार करने वाले मिसाईल तैयार करने के काम की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, आपको तथा सदन के माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम निर्देशित अस्त्रों, रडारों तथा बंदूकों आदि के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में किए गए विकास तथा अपनी वायु सेनाओं की बृहद सम्माव्यता को दृष्टिगत रखते हुए हम अपनी थोड़ी तथा मध्य दर्जे की मिसाइल्ज सम्बन्धी समेकित अस्त्रों में भी वृद्धि करने में लगे हुए हैं। मिसाइल्ज सम्बन्धी तकनीक तथा उत्पादन एककों के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके लिए देश में उपलब्ध तकनीक तथा अन्य संसाधनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भी ऐसा किया जा रहा है।

[श्री सी. पी. एल. सिंह]

जहां तक हमारी वायु सेना का सम्बन्ध है, अपने वायु सैनिकों की क्षमता से हम भली-भांति परिचित है। यद्यपि हम हर प्रकार के वह आधुनिक अन्तारोधक विमान उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनका हमने हाल ही में निर्माण आरम्भ किया है, इसके साथ ही मार करने वाले विमानों को बदलने के कार्य को भी प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। हम इस बात की आवश्यकता को समझते हैं कि अच्छे सिपाहियों को शस्त्र भी अच्छे ही उपलब्ध करवाये जाने चाहिये। अपनी यदि क्षमता का आधुनिकीकरण करने के क्षेत्र में भी हम कार्यरत हैं। आधुनिक मिजाइज को प्राप्त कर लेने के बाद हमारी हवा में लड़ने की क्षमता भी बढ़ गई है। आधुनिक रडार तथा संचार साधन उपलब्ध करवाने के महत्वपूर्ण कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। अनेक स्टेशन बनाये जा चुके हैं तथा अनेकों का निर्माण कार्य चल रहा है। भूमि से सहायता प्रदान करने तथा नियंत्रण की सुविधायें उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। विमानों से सम्बद्ध उनके खग-विषयक उपकरणों में भी सुधार कर उन्हें समयानुसार अद्यतन बनाया जा रहा है। एच० ए० एल० द्वारा निर्मित छोटे आक्रमण विमान 'अजीत' का उपयोग वायु-सेना द्वारा आरम्भ किया जा चुका है और इसके साथ ही डकोटा तथा पैकेट विमानों, जिनका प्रचलन अब नहीं रहा है के स्थान पर नये विमान लाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। थल-सेना, वायु सेना तथा जल-सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति और अधिक कारगर ढंग से करने के उद्देश्य से पुराने हैलीकोप्टरों को बदलने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है इसके लिए भी हम आधुनिक गश्ती जहाज, और जिन में अच्छी किस्म के संवेदी लगे हो तथा जिनमें अच्छे अस्त्र तथा जिनकी संचार व्यवस्था अच्छी हो जिनमें विमानों को उठा ले जाने की शक्ति हो, को प्राप्त किया जा रहा है। विमान-वाहक 'विक्रांत' का आधुनिकीकरण करके उस में नया जीवन संचार किया जा रहा है। पुराने सीहाक्स, जो कि अपने समय में काफी अच्छे माने जाते थे, के स्थान पर आधुनिक सी-हारियर को लिया जा रहा है।

इसी प्रकार मिसाईज में लगी पुरानी तोपों तथा संचार साधनों को बदलने पर भी बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही बम्बई तथा विशाखापत्तनम में तटीय सुविधाओं का विकास करने सम्बन्धी कार्यक्षेत्र में भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

यद्यपि हमारे पास पनडुब्बियों का अच्छा बेड़ा है परन्तु हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि यह बहुत पुराने डिजाइन की है और हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुरूप नहीं हैं। चूंकि पनडुब्बियों के क्षेत्र में विभिन्न देशों द्वारा बहुत अधिक प्रगति की जा चुकी है, इसलिए कुछ और पनडुब्बियों को प्राप्त करना जरूरी हो गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए केवल और अधिक पनडुब्बियों को खरीदना ही आवश्यक नहीं समझा गया अपितु इसके विकास हेतु देश में एक व्यापक उत्पादन योजना आरम्भ की जा रही है। पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही करने के लिए देश की पनडुब्बियां बनाने वाली कम्पनियों की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाया जायेगा।

सेवाओं की मुख्य व्यवस्थाओं का विकास करने तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा उनके पुर्नस्थान का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए रक्षा विकास तथा अनुसंधान संगठन की प्रयोग-शालाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत तथा रक्षा मंत्रालय से शहर की सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एककों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इस वर्ष के बजट अनुभवों के अनुसार अनुसंधान तथा विकास संगठन के लिए 71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परन्तु मैं संगठन के साथी देशों को यह आश्वासन देना चाहता हू कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इसे धन की कमी नहीं होने दी जायेगी। प्रधान मंत्री द्वारा विज्ञान तथा औद्योगिकी के सन्दर्भ में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया जाता रहा है। इसीलिए अनुसंधान तथा विकास द्वारा किये जा रहे कार्यों को रक्षा मंत्रालय द्वारा सब से ऊंची प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। रक्षा तथा अनुसंधान संगठन के अतिरिक्त हमारी लोक सेवा एककों द्वारा भी इस कार्य के लिए आवासीय सुविधायें उपलब्ध करवायी जा रही है। अनुसंधान तथा विकास संगठन पर 1970-71 में जो व्यय 17·38 करोड़ होना था, वह अब के बजट अनुमानों के अनुसार 1980-81 में बढ़ कर 71 करोड़ हो गया है जो कि पहले कुल बजट का 1.4 प्रतिशत होता था जो कि अब रक्षा मंत्रालय के व्यय का 2 प्रतिशत हो गया है।

अनुसंधान तथा विकास संगठन के माध्यम से अब तक हमारे प्रयत्नों द्वारा 43,700 वस्तुओं को भारत में तैयार किया जा चुका है। इस दिशा में और अधिक प्रयत्न करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया है जिसने 14,000 वस्तुओं की ऐसी सूची तैयार की है जिनका उत्पादन भारत में ही किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने का भी है ताकि वर्ष 1990 तक अधिकतम सामान का निर्माण भारत में करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

जहाँ तक रक्षा सम्बन्धी उत्पादन का सम्बन्ध है इसके क्षेत्र में हमारी सरकार का उद्देश्य 1990 तक अर्थात् 10 वर्ष के अन्तर्गत आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का है। मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इससे पूर्व सरकार की नीति, देश में दो दशकों के लम्बे समय से तैयार किये गये औद्योगिक आधारभूत ढांचे का पूर्ण उपयोग करने की अपेक्षा धड़ाधड़ बहुत बड़े पैमाने पर उपकरणों की खरीद बाहर से आरम्भ कर दी। इस प्रवृति को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि जैसे अभी हाल ही में हमारी प्रधान मंत्री द्वारा सभी मंत्रालयों को लिखे गए पत्र में कहा गया है, हमारे देश ने औद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है और अब वह उच्च कोटि की मशीनें तथा उपकरण बनाने में सक्षम्य है। उन्होंने कहा कि यदि इन एकको में समुचित विश्वास रखते हुए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तो इनकी क्षमता निश्चय ही और बढ़ाई जा सकती है। मैंने रक्षा सेनाओं से आग्रह किया है कि हमारी भावी आवश्यकताओं के लिए बहुत सोच समझ कर योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें कि आगे चल कर आवश्यकता पड़ने वाले उपकरणों को भी शामिल किया जाये। मेरा पक्का विश्वास है कि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें निर्यात की संभावना काफी अधिक है और अपने विदेशी-मुद्रा के संसाधनों को भारी मात्रा में अस्त्र खरीदने पर खर्च करने की अपेक्षा इससे काफी मूल्यवान् विदेशी-मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

[श्री सी. पी. एन. सिंह]

1979-80 के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदिन में उल्लेख किया गया होगा, उस वर्ष औद्योगिक उत्पादन कम हुआ था। जो अस्वस्थ्य वातावरण प्रमुख उद्योगों में उत्पन्न हो गया था, उससे हमारी रक्षा उत्पादन एककें भी बच नहीं पाई। रक्षा सम्बन्धी उपकरणों का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए हर सम्भव कदम उठाया जा रहा है। हमारे संयंत्रों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के मार्ग में आने वाली अड़चनों का पता लगाने के लिए उत्पादन पुर्नरीक्षण बैठकें बुलाई जाती है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम इस क्षेत्र में भरसक प्रयत्न करते रहेंगे और हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि इस व्यापक क्षेत्र में हमारा देश आत्म निर्भर बन जाए।

रक्षा उत्पादन सम्बन्धी आयोजन का हमारे सिविल उद्योगों के विकास के साथ गहरा सम्बन्ध है। रक्षा उद्योग को कच्चे माल, पुर्जे, तथा अतिरिक्त पुर्जों व साजो सामान-के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है और इनकी विकास दर का अच्छा होना अनिवार्य ही होता है।

यदि भ्रांति बनी हुई है कि रक्षा उत्पादन में जो पूंजीनिवेश किया जाता है, वह बेकार सा होता है। सच्चाई बात से बहुत दूर की है। रक्षा उद्योगों के लिए जिन क्षमताओं का निर्माण किया जाता है उनका उपयोग विभिन्न सिविल आवश्यकताओं के लिए भी उतनी ही सफलता से किया जाता है। अपने इस तर्क के समर्थन में मैं छोटे-छोटे उदाहरण दे सकता है। इस समय भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड़ द्वारा रेलवे, डाक व तार तथा प्राकृतिक तेल तथा गैस आयोग के लिए अपेक्षित इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों का उत्पानन किया जाता है। इसके साथ ही रेडियो तथा टेलीविजन से सम्बध स्टुडियों तथा प्रसारण उपकरण का निर्माण भी किया जाता है। इसी प्रकार भारत अर्थ-मूवर्ज द्वारा अर्थ-मूविंग उपकरण तथा रेलवे के बीच मुख्य रूप से सिविल क्षेत्र के लिए तैयार किये जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ विदेशों द्वारा इस कम्पनी के कुछ उपकरणों को खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। हमारे पोत-कारखानों द्वारा सिविल उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के पोतों तथा पलना विमानों का निर्माण किया जाता है। दी मेजगांव डक लिमिटेड ने भी अपनी गति-विधियों में वृद्धि विस्तार कर दिया है और अब उन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई के लिए अपेक्षित तद-दूर प्लेट फार्म तैयार करने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। हमारे पोत-कारखानों को जल-पोत उद्योग को प्रोत्साहन देने की मुख्य भूमिका भी प्रदान की गई है। इसी प्रकार हमारे आयुद्ध कारखानों में सिविल कम्पनियों द्वारा कार्य में लाये जाने वाले वाणिज्यिक विस्फोटक तैयार करने की परियोजना भी आरम्भ की गई है।

असैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त भी रक्षा उत्पादन एककों तथा अनुसंधान तथा विकास संगठनों द्वारा जिस औद्योगिकी का विकास किया जाता है, उसे भी असैनिक उद्योगों के लिए सदैव उपलब्ध करवाया जाता है।

मैं इस सम्बन्ध में और भी उदाहरण दे सकता हूं और अध्यक्ष महोदय मुझे आशा है कि सदन के माननीय सदस्य हमारी रक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने

के लिए आतुर भी होंगे । परन्तु मेरे पास समय का अभाव है । मैं अपने कर्तव्य पालन में असफल रहूंगा यदि मैं सरकार तथा सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से रक्षा सैनिकों द्वारा देश की जो सराहनीय सेवा की गई है, उसका उल्लेख नहीं करता । मैं यह कह सकता हूं कि हमारे सैनिक दिशा में अतुल्य है । देश की सीमाओं की सुरक्षा करने सम्बन्धी अपने सामान्य कर्तव्य का पालन करने के साथ-साथ, जब कभी उन्हें प्राकृतिक आपदाओं तथा कभी-कभी स्वयं मानव द्वारा उत्पन्न की गई दंगों तथा वद-अमन सम्बन्धी आपदाओं का सामना करने के लिए बुलाया जाता है, वह सदा ही देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं । प्राय: उन्हें राष्ट्र तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा चलाए गए विद्रोही कार्यों से निपटने के लिए आवहन् दिया जाता है । उनमें से अनेक ने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना जीवन बलिदान कर दिया है । इनमें से कुछ ने तो उनके कार्य से सम्बद्ध निरन्तर खतरों से जूझने वाले प्रशिक्षण में ही अपना जोवन खो बैठते हैं । हमारा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है और हम शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं । मैं इस विश्वास के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनायें सदा ही अपने कार्य के लिए तत्पर रहेगी और सम्पूर्ण राष्ट्र उनका साथ देता रहेगा ।

प्रो० नारायन चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । यह दिन बड़ा शुभ है क्योंकि हमने पहली वार अपनी जमीन से उपग्रह छोड़ा है । इससे पहले हम दो वार छोड़ चुके हैं ···(व्यवधान)···

मैं इस उपलब्धि के लिए प्रधान मंत्री, सरकार तथा वैज्ञानिकों को बधायी देता हूं । यह एक संयोग है कि यह उपग्रह उस समय छोड़ा गया जब रक्षा मंत्रालय के बारे में यहां चर्चा हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि विज्ञान हमारे देश की रक्षा के काम आएगा । यह सारे विश्व के देशों के लिए एक उदाहरण होगा । हमारी रक्षा तैयारी इस वात का प्रमाण है कि इतने वड़े देश के तटवर्ती क्षेत्र में हमारी सैनायें देश की रक्षा के लिए न केवल आगे वढ़ी हैं वल्कि विश्व-शांति के लिए भी मौका पड़ने पर आगे वढ़ी हैं, चाहे वे गाजा गयी हैं या । कोरिया अत: शांति तथा मातृभूमि की रक्षा हमारा उद्देश्य रहा है । पिछले 200 या 300 वर्षों के इतिहास से सिद्ध होता है कि हमारी सेनायें मौका आने पर कभी भी पीछे नहीं रही हैं । पहली वार भारत का झंडा वंगलादेश में लेफ्टीनेंट जनरल अरोड़ा ने उस समय खड़ा किया था जव पाकिस्तान के 93,000 जवानों ने अपने हथियार छोड़ दिए जिसका श्रेय प्रधान मंत्री को जाता है जिनके मार्गदर्शन में आज देश की रक्षा का कार्य चल रहा है ।

रक्षा की तैयारी केवल रक्षा मंत्रालय का ही काम नहीं है, यह देश के हर नागरिक का काम है, वह चाहे खेत में काम करता हो, चाहे विश्वविद्यालय में अथवा कहीं विद्यार्थी हो । अत: हमारे देश के हर क्षेत्र से रक्षा की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए और हमें खुशी है कि हमारी सेना राष्ट्र के एक लघु रूप का प्रमाण है । हमारी सेना, नौसेना तथा वायुसेना में पहाड़ों तथा मैदानों के लोग हैं, काश्मीर, केरल तथा नागालैंड के लोग हैं । वलिदान के मामले में हमें नहीं गर्व है जो सोमनाथ शर्मा के वारे में है ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

पाँचवां प्रतिवेदन

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो 16 जुलाई, 1980 सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो 16 जुलाई, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वोत्तर भारत में गम्भीर स्थित के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब 4 जुलाई, 1980 को श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार द्वारा पेश किए गए संकल्प तथा पेश किए गए संशोधनों पर आगे चर्चा होगी।

श्री जी०एम० बनातवाला अपना भाषण जारी रखें।

श्री जी० एम० बनात वाला (पोन्ननी) : यह बात सराहनीय है कि सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि साम की स्थिति के बारे में बिना शर्त के चर्चा करने के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। फिर भी पृथकतावादी गतिविधियां करने वाले लोगों के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता इस बारे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज साम की हिंसा को ध्यान में रखते हुए सख्त कदमों का उठाया जाना जरूरी है। यह बात दुखदायी तथा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों तथा सारी मशीनरी की सांठगांठ आंदोलनकारियों से है। इस विशेष प्रश्न की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसाम अल्प संख्यक विद्यार्थी संघ 26 मई, 1980 को अधिकारियों को स्मारक पत्र देना चाहता था। इस पत्र को प्रस्तुत करने से रोकने के ही लिए प्रयत्न नहीं किए गये बल्कि आसाम पुलिस तथा आसाम बटालियन ने अल्पसंख्यक विद्यार्थी संघ के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलायी। यह बात दुखदायी है कि गोलपारा जिले के बिजनी स्थान पर क्लेक्टर ने पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को शांतिपूर्ण जलूस पर गोली चलाने के लिए कहा। अधिकारी ने गोली चलाने से इनकार किया क्योंकि उसने कहा कि भीड़ बहुत शांतिपूर्ण है। गोली चलाने से इनकार करने के लिए एक पुलिस मैन के सिर में चोट भी लगायी गयी। वह अधिकारी गिर गया लेकिन उसने कहा कि जब भीड़ शांतिपूर्ण है, तो वह उन पर गोली नहीं चला सकता। इसी कलेक्टर ने खुद गोली चलाने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप बाद में असंख्य लोग मरे। अतः मैं कहता हूं कि आसाम में सामान्य स्थिति लाने के लिए जह जरूरी है कि आसाम सिविल सर्विस, आसाम पुलिस तथा बैटेलियन के स्थानीय अधिकारियों के स्थान पर अन्य राज्यों से सी० आर० पी० तथा आई० ए० एस० के अधिकारी लाये जाएं। आसाम में एक

बड़ा विनाश लाने के लिए गम्भीर षडयंत्र चल रहा है। हमें राज्यपाल के वरिष्ठ सलाहकार श्री के० रामामूर्ति से एक गम्भीर आरोप प्राप्त हुआ है। यू० एन० आई० की रिपोर्ट के अनुसार, श्री के० रामामूर्ति ने आरोप लगाया था कि बारपेटा के मांडिय क्षेत्र की दीवारों पर लगे इश्तहारों में हिंदुओं को धमकाया गया कि वे आसाम छोड़ दें या खून-खराबे का सामना करें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आगे यह आरोप भी लगाया गया है कि दीवारों के इश्तहार मांडिया के मुस्लिम लीडरों के नाम से था। मैं इसे निराधार ठहराता हूं। ऐसा कहना केवल भ्रमपूर्ण है। इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव के नाते, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम हमेशा राष्ट्रीय एकता तथा सभी समुदायों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास करते आये हैं ताकि भारत सचमुच एक ही राष्ट्र बना रहे और इसे विघटित करने के लिए कोई प्रयत्न न किए जाएं।

मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि विदेशियों की समस्या को हल करने का हर प्रयत्न संविधान तथा अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता की परिधि के अन्दर ही करना चाहिए, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। गांधी शांति प्रतिष्ठान के तथाकथित फारमूले की बात भी चल रही है। गांधी शांति प्रतिष्ठान ने 1951 को आधार वर्ष माना है और भारत की सभी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं की अवहेलना की है। मुझे कहना चाहिए कि तथाकथित फार्मूला बहुत ही अस्वीकार्य होगा क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही गम्भीर होंगे। मैंने इस संकल्प के बारे में एक विशेष संशोधन दिया है जिसमें कहा गया है कि विदेशियों की समस्या का समाधान संवैधानिक प्रावधानों तथा अन्तर्राष्ट्रीय बचनबद्धताओं के अनुसार ही होना चाहिए।

श्री जी० एस० पेड्डी (मिरयालगुडा) : मैं पूर्वोत्तर भारत की गम्भीर स्थिति के बारे में बोलने उठा हूं। देखा गया है कि प्रेस ऐसे वक्तव्य प्रकाशित कर रहा है कि विदेशी तथा ईसाई मिशनरियों तथा गिरजाघरों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की गम्भीर स्थिति ईसाइयों ही के कारण है। इस प्रकार के आरोपों के क्या आधार हैं? क्या भारत स्थित गिरजाघर तथा मिशनरियां विद्रोही हो गये हैं? अनेक सदियों से गिरजाघरों का क्या मिशन रहा है? यह शांति और प्रेम का मिशन है। इसके संस्थापकों की तरह मिशनरियों ने कई सदियों में शांति और प्यार के लिए अपना बलिदान दिया है। भारत में भी हम इस प्रकार के बलिदान के उदाहरण देखते हैं। यहां दलितों के लिए बलिदान दिया गया है। बिहार के जखूत फादर्ज को ही लीजिये जिनकी हत्या अपने ही घर में की गयी क्योंकि उन्होंने हरिजनों तथा आदिवासियों के हितों की बातें कीं। उनका उद्देश्य हरिजनों, आदिवासियों को जागरुक तथा सचेत करना है। यदि इस प्रकार के जागरण द्वारा हरिजन तथा आदिवासी अपने अधिकारों की बातें करते हैं तो क्या इसके लिए मिशनरी को दोषी ठहराया जा सकता है? यदि आदिवासी त्रिपुरा अथवा आसाम में जमीन और रोजगार चाहते हैं तो क्या इसके लिए मिशनरियों को दोषी ठहराया जा सकता है?

कृपया खुलमखुले वक्तव्य देने से पहले स्थिति का सत्यापन करें। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय नीति को क्षति पहुंचाने के लिए दोषी पाया गया, तो उन्हें सजा दी जाए। इसके लिए सभी विदेशियों

[श्री जी० एम० बनातवाला]

तथा मिशनरियों को दोषी न ठहरायें। वे इस सभा में लगाये गए आरोपों का उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

मैं आपके सामने विषय द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ता हूं। कलकत्ता के स्टेटसमैन ने भी अपने सम्पादकीय में स्थिति का विश्लेषण किया है और कहा है कि इस प्रकार के संदेह कैसे निराधार हैं :—

"राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का अधिकार कम और कर्तव्य अधिक है। लेकिन नीति के संदेह पर आधारित करना तथा सभी विदेशी मिशनरियों तथा कल्याण संस्थाओं को तोड़फोड़ के शस्त्र समझना राजनैतिक परिपक्वता नहीं है। भारत में अब बहुत ही कम विदेशी मिशनरियां शेष हैं और जैसे कि श्री बसु ने स्वीकार किया ये भी बहुत प्रतिबन्धों के साथ चलायी जाती हैं और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती हैं।

"···कभी-कभी धर्म प्रचार का कार्य (मिशनरीवर्क) सरकार के लिए कष्टकर स्थितियाँ पैदा कर देता है, परन्तु किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व इसके मानवीय लक्ष्यों को समझ लेना आवश्यक है। आसामी को तव तक बंगाली भाषा की उप-बोली समझा जाता था जब तक कि सीरामपुर के मिशनरियों ने इसे एक-एक अलग भाषा के साधनों से लैस करने में सहायता नहीं दी। हो सकता है इसने बाद में सांस्कृतिक जागृति और मौजूदा उथल-पुथल में योगदान दिया हो, परन्तु यह साफ तौर पर अनुचित बात होगी कि आसाम के वर्तमान उपद्रवों के लिए सेरामपुर थे भाषायी पुरोधाओं पर आरोप लगाया जाए !"

कृपया मुझे पूर्वोत्तर भारत के केथोलिक पादरियों के वक्तव्व को पढ़ने की अनुमति दी जाए। "पूर्वोत्तर भारत के हम केथोलिक पादरी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही घटेनाओं के हिंसात्मक रूप अख्तियार करने पर अत्यधिक चिन्तित और बेचैन हैं। इसलिए हम यह वक्तव्य जारी करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं :—

1. ईसा का संदेश मुख्य रूप से शांति और प्रेम का संदेश है। इसलिए, हम किसी भी तरह की हिंसा की और इसके परिणामस्वरूप होने वाली जानमाल की हानि की निंदा करते हैं, क्योंकि यह महान शांति स्थापक ईसा मसीह की शिक्षाओं के एकदम खिलाफ है।
2. यह वड़े दुख की बात है कि हमें अपने क्षेत्र में हर समय हिंसा के बढ़ते हुए विस्फोट की जानकारी मिलती है। इस सम्बन्ध में हम ईसाइयों को खास तौर पर ईसाई धर्म प्रचारकों को घटित होने वाली किसी भी परेशानी या असंतोष के लिए जिम्मेदार ठहराने की समाचारपत्रों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर जोरदार ढंग से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया और अधिक सांप्रदायिक मनमुटाव पैदा करता है और उससे किसी भी रूप में शांति स्थापना में सहायता नहीं मिलती, और इससे ईसाई समुदायों के साथ अन्याय किया जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के केथोलिक चर्च को हमेशा तथा अब से ज्यादा अपने देश के बेटों की सेवाओं एवं स्वामिभक्त पर गर्व है। इसलिए यह समाचार-पत्रों का कर्तव्य

है कि वे अपराधी के बारे में बताएं—चाहे वह व्यक्ति विशेष हों अथवा संगठन—और न कि वे सभी ईसाइयों पर अथवा ईसाई धर्म प्रचारकों पर कीचड़ उछालें।

3. इसलिए, हम सद्भावना वाले सभी व्यक्तियों से अपील करते हैं कि वे न्याय, प्रेम, भाई-चारे पर आधारित सच्ची और अनंत शान्ति के लिए और हमारे देश की संवैधानिक सुरक्षा के लिए हमारे पिता, प्रभु से भक्ति के साथ प्रार्थना करें।"

यह वक्तव्य शिलांग, गोहाटी के बड़े पादरी, इम्फाल, सिलार, डिब्रूगढ़, तुड़ा और कोहिमा के पादरियों द्वारा जारी किया गया है।

पश्चिम बंगाल के केथोलिक पादरियों द्वारा जारी किया गया एक दूसरा वक्तव्य यह है:—

"हम पश्चिम बंगाल के केथोलिक पादरी इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा सामना की जा रही मौजूदा कठिनाइयों को चिन्ता के साथ देखते हैं। पश्चिम बंगाल में केथोलिक समुदाय के नेता के रूप में यह वक्तव्य जारी करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। हम पश्चिम बंगाल के उन भारतीय तथा विदेशी केथोलिक धर्म प्रचारकों की ओर से प्रवक्ता हैं। जिनका गत सौ वर्ष से अधिक समय से शिक्षा, चिकित्सक और समाज कल्याण के क्षेत्र में इस राज्य के लोगों की समर्पित सेवा का एक रिकार्ड रहा है।

इस देश के नागरिकों के रूप में हम केथोलिक ईसाई धर्म प्रचारकों को ईसा मसीह के संदेश का प्रचार करने, पालन करने और इसकी शिक्षा देने का संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है। इस देश के अन्य नागरिकों के समान हमें भी इस देश की अखण्डता और इसके कल्याण में दिलचस्पी है। यद्यपि विदेशी धर्मप्रचारकों सहित विदेशियों के प्रवेश, निवास और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का सरकार को अधिकार है, फिर भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह विदेशी धर्म-प्रचारकों पर आवश्यकता से अधिक प्रतिबंध न लगाए, ताकि इन प्रचारकों के अच्छे कार्यों में खासकर गरीब लोगों के बीच जाने वाले कार्यों में अनुचित रूप से बाधा न पड़े। हमारे देश में सहनशीलता की बड़ी पुरानी परम्परा है। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे यह छवि समाप्त हो जाए। इस राज्य में सभी विदेशी केथोलिक धर्म प्रचारक हमारे मार्ग निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करते हैं, और उन्हें सरकारी नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

हम प्रेस के कुछ भागों में तथा थोड़े से सरकारी अधिकारियों के साथ में बढ़ रही, खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में पारित होने वालेप्रायः किसी भी असंतोष अथवा उथल-पुथल के लिए इसाईयों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति का जोरदार ढंग से विरोध करते हैं। बहुधा इस तरह के रवैया से वह स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाती है, जो पहले से ही तनावपूर्ण है तथा इससे वह साम्प्रदायिक सद्भाव भंग हो जाता है जोकि भारत में शांति के लिए आवश्यक हैं।"

[श्री जी. एम. बनातवाला]

यह सुवीदित है कि ईसाई धर्म प्रचारक स्वयं ईसा मसीह के व्यक्तित्व और जीवन में चित्रित किए गए ईसाई धर्म के मूल्यों को उद्‌घोषित करने और स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा इन बातों के लिए।

—मानव जीवन का, इसकी सभी अवास्थाओं में, प्रारम्भ से वृद्धावस्था तक, सम्मान करना।

—जाति, संस्कृति अथवा अमुदाय का विचार किए बिना प्रत्येक मानव प्राणी को प्रेम करना और उनका सम्मान करना।

—अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देना और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो उनके साथ अत्याचार करते हैं।

यह कलकत्ता के प्रधान (कार्डीनल) श्री एल०टी० पिकाची, दार्जिलिंग, रामगंज, जलपाई गुड़ी, कृषनगर और बारुईपुर के पादरियों द्वारा जारी किया गया वक्तव्य है।

अब, ये सभी वक्तव्य यही सिद्ध करते हैं कि कैथोलिक धर्म प्रचारक तथा सभी ईसाई धर्म प्रचारक शांति और प्रेम चाहते हैं और वे किसी भी रूप में हिंसा की निन्दा करते हैं और वे उन लोगों में से नहीं हैं जो पृथकतावादी नीतियों का समर्थन करते हैं। वे उतने ही देश भक्त हैं जितना कि इस देश का अन्य कोई दूसरा नागरिक हो सकता है और आल इण्डिया केथोलिक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं दावे के साथ यह बात कहता हूं कि हमारे विशप और पादरी भी उतने ही देशभक्त नागरिक हैं जितने कि अन्य दूसरे नागरिक और वे किसी भी मामले में राजनीति में दखल नहीं देंगे। इन पादरियों में से अनेक केरल, मंगलौर और गोआ से हैं और वे श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार का हित चाहते हैं। (समाप्त)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बापू साहब परुलेकर बोलेंगे। कोई भी सदस्य दस मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा।

श्री बापू साहेब परुलेकर (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ मिनटों की अनुकम्पा चाहता हूं और इसमें आपका कठोरतापूर्ण रुख नहीं होगा क्योंकि मुझे मौका मिला था.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा ही प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उदार रहता हूं।

श्री बापू साहेब परुलेकर : मैं आपका आभारी हूं। जो मैं कह रहा हूं, वह यह है कि मुझे गत सप्ताह इन लोगों के साथ रहने का अवसर मिला था। मैं उनमें से अनेक लोगों से मिला। मैंने उनके साथ बातचीत की और मैं समझता हूं कि उससे मैं इस चर्चा में बेहतर ढंग से योगदान कर सकूंगा।

महोदय, मेरे मित्र श्री हाल्दर द्वारा इस सम्माननीय सदन के समक्ष जो समस्या रखी गई है वह बहुत गंभीर किस्म की समस्या है और मैं अपने सभी माननीय साथियों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे दलगत स्तर से ऊपर उठकर इस विशेष मसले पर सोच विचार के साथ कर और गंभीरता से विचार करें और यदि हम विवेक रहित होकर भाषण करते चले जाए तो मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह हमने आपना कुछ भू-भाग चीन को और कुछ भू-भाग पाकिस्तान को खो दिया है तो उसी तरह कुछ भू-भाग कुछ अन्य देशों के सामने न खो दें। ऐसा महसूस होता

है। मैंने देखा कि बड़ा ज्वालामुखी जल रहा है। अपने कुछ मित्रों के साथ मैंने मणिपुर का दौरा किया और उपाध्यक्ष महोदय, आप यह जानकर आश्चर्य चकित रह जाएंगे कि वहां के नौजवानों ने हम से क्या प्रश्न किए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या वे भारत से आए हैं। यह प्रश्न हमसे उन नौजवानों द्वारा पूछा गया था जो स्वयं को पी.एल.ए. से सम्बद्ध होने का दावा करते हैं। पी.एल.ए. एक संगठन है जिसका नाम होता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। वे भूमिगत हैं और शस्त्रों से लैस हैं, वे कुछ हथियार चीन से लेकर आए हैं, वे लहासा में लड़ाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे इम्फाल शहर में दिन दहाड़े सड़कों पर लोगों का खून कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है क्योंकि वहां के लोग गवाही के तौर पर सामने आने से डरते हैं। हम इम्फाल में मुख्य मंत्री से मिले और उनसे उस सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने बताया कि साक्षी साक्ष्य देने नहीं आ रहे हैं। जहां तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सम्बन्ध है, उस बारे में यह स्थिति है।

अपने मित्र सुब्रह्मण्यम स्वामी के साथ मुझे इम्फाल के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की यात्रा करने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी प्रत्येक दीवार पर पी.एल.ए. के पक्ष में कुछ न कुछ लिखा था। हमें एक इंच स्थान भी नहीं मिला जहां कुछ लिखा जा सके। सभी नारे पी.एल. ए. के पक्ष में हैं।

महोदय, एक दूसरा संगठन है जिसे प्रीपाक संगठन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों संगठन एक हो गए हैं। इन दोनों में मतभेद तथा झगड़ा सिर्फ नेतृत्व के प्रश्न पर है। इसलिए, स्वतन्त्र मणिपुर राज्य का सपना साकार होने के पहले ही उनमें नेता पद के लिए संघर्ष आरम्भ हो गया है।

तीसरी बात मैंने यह देखी कि वहां सांप्रदायिक तत्व सिर उठा रहे हैं। वहां मैथाई नाम का एक समुदाय है। हमें बताया गया कि 200 या 300 वर्ष पूर्व उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया था। अब वे मैथाई समुदाय में वापस जाना चाहते हैं और हिन्दुधर्म विशेष को छोड़ना चाहते हैं। मुझे इस बाबत कुछ नहीं कहना है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। परन्तु बड़ा वैष्णवों और इन संशोधन वादियों के बीच एक लड़ाई चल रही है। इस महीने की 14 तारीख को हमें गंभीर संकट का आभास हो गया था जब वहां वैष्णवों का रथ-पर्व था और लाखों लोग इसका विरोध करने वाले थे।

हम देखते हैं कि सरकार इस सबको रोक पाने में असमर्थ है। जिस दिन हम इम्फाल में थे उस दिन शहर के अस्पताल में एक सैनिक अधिकारी और एक नागरिक का पी.ए.लए. के सदस्यों द्वारा खून कर दिया गया था परन्तु तब भी सरकार एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाने की स्थिति में नहीं थी।

जहां तक पी.एल.ए. के छात्रों का सम्बन्ध है वे सेना अधिकारियों और सेना कर्मचारियों तथा साथ ही राजनीतिक दलों के सभी नेताओं को भारत सरकार की कठपुतली और वे इन्हें मारने के लिए उधृत रहते हैं। वे इन लोगों को अपनी भूमि पर नहीं चाहते। वे अन्य छः

[श्री बापू साहेब परुलेकर]

राज्यों के साथ स्वतन्त्रता नहीं चाहते परन्तु वे मणिपुर के लिए अलग से राज्य चाहते हैं। मामला यह है।

इन सब वर्षों में हमने इन लोगों के लिए क्या किया है। इम्फान के सबसे ज्यादा नजदीक का रेलवे स्टेशन जिसकी हम विगत 33 वर्षों में व्यवस्था कर सके, वह 250 किलोमीटर दूर डिमपौर में है। इम्फाल के लिए आरक्षित रेलगाड़ी में केवल एक प्रथम श्रेणी की वर्थ होती है। उनके पास रोजगार नहीं हैं। अधिकारियों हमें बताया कि यदि नौजवानों को रोजगार प्रदान किए जाते हैं तो वे पी.एल.ए. को छोड़ देंगे और देश की सेवा करेंगे। वे गरीब हैं और भूख से मर रहे हैं। हम वहां केवल 48 घन्टे रहे परन्तु वहां की स्थिति देखकर मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद हो आया :

बुभुक्षितं किं म करोति पापम्
क्षीणा नराः नष्करुणी भवति ॥

हमें यह भी बताया गया कि जो धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी, उसका भी समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है। यह वहां की स्थिति है।

मैं माननीय सदस्यों को दो या तीन बातें और बताना चाहूंगा। राज्य सरकार की पांच वर्षों में 5,000 नौजवानों को रोजगार मुहैया करने का शानदार कार्यक्रम है और हमें बताया गया कि वहां बेरोजगार लोगों की संख्या एक लाख है। इसलिए, आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जो इस भारी संख्या को रोजगार देने के लिए आवश्यक है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : मणिपुर की कुल जनसंख्या कितनी है ?

श्री बापू सहेब परुलेकर : ये वहां के सचिवालय द्वारा हमें दिए गए आंकड़े हैं। यदि आप समझते है कि ये आंकड़े गलत हैं तो आप स्वयं पता लगा सकते हैं ?

प्रो० एन०जी० रंगा : जब वहाँ की जनसंख्या ही बहुत थोड़ी है तो बेरोजगारों की संख्या एक लाख कैसे हो सकती है ?

श्री बापू साहेब परुलेकर : हम वहां के मुख्य मंत्री से मिले और आंकड़े वहां के सचिवालय द्वारा दिए गए थे।

जहां एक चीनी मिल लगाने की योजना थी ताकि वहां पर लोगों रोजगार दिया जा सके, परन्तु गन्ने की उपलब्धता के बिना उसे चलू नहीं किया जा सकता। उन्होंने गन्ने की खेती के लिए कुछ क्षेत्रों का पता लगाया, परन्तु बाद में यह मालूम हुआ कि वहां लागत तीन गुनी ज्यादा होगी। यही स्थिति सीमेंट के मामले में है। यह अशांति है इम्फाल में।

हम त्रिपुरा गए। भय के साथ मैंने उस गांव की यात्रा की जहां जाति संहार की घटना घटी। मैंने हत्याओं के बारे में तमाम बातें पढ़ी हैं, वकील के रूप में मैंने फौजदारी मुकदमे भी लड़े हैं, परन्तु मण्डाई गाव में जो कुछ हुआ, मैं आदर पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, वह एक ऐसा कृत्य है जिसे कोई भी इन्सान सहन नहीं कर सकता। इस गांव में 200 घर हैं, सभी बंगालियों के हैं। इन सारे के सारे 200 मकानों को पूरी तरह जला दिया गया था। 650 ग्रामीणों में केवल 156

जीवित बचे। पहले दिन आदिवासी लोग आए और उनसे कहा कि वहां डाकू आ सकते हैं और उनके अपने सारे आभूषण और जेवरात लाने को कहा। उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उस गांव के चारों ओर पहाड़ हैं। गाँव वाले अपने सारे जेवरात ले आए परन्तु उन्हें घेर लिया गया और हमला बोल दिया।

इस बात को नोट किया जाए कि गोद में एक बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। वहाँ लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया था। यदि आप वहां जायें तो आप वहां आज भी उस विशेष सामूहिक रूप से दफनाने के अवशेष पायेंगे। हमने पता लगाने का प्रयास किया कि वहां क्या घटित हुआ। हमने शिविरों और अस्पतालों का दौरा किया। अस्पतालों में हमने देखा कि 450 रोगियों में से केवल छः रोगी व्यक्ति आदिवासी थे और बाकी सब बंगाली थे। क्या यह सांप्रदायिक दंगे थे अथवा वर्ग-संघर्ष था ? अनेक प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर मिलना है। इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह वर्गगत संघर्ष नहीं हो सकता। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि वहां पर 87 प्रतिशत लोग गरीब से नीचे की रेखा में रह रहे हैं। इसलिए यह सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते। परन्तु कुछ बातें और आंकड़े ऐसे हैं जिनसे हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

मैं और मेरे मित्रों ने जो पहला निष्कर्ष निकला वह यह है। इस विशेष गांव में जो घटना घटी वह पूर्व नियोजित और पहले से तैयारी की गई थी। मांडी गांव त्रिपुरा की राजधानी अगरतल्ला से केवल 26 किलोमीटर दूर है। परन्तु जब यह जातिसंहार, हत्याएं, लूटमार हो रही थी तो राज्य सरकार 36 घंटे तक बचाव दल पुलिस नहीं भेज सकी, यद्यपि राज्य सरकार के पास 700 पुलिस कर्मचारी और दो हजार राजस्थानी पुलिस कर्मचारी हैं। वहां पर पहला पुलिस दल 36 घंटे बाद भेजा गया था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? या तो वहां की सरकार पूर्णतः लापरवाह रही या फिर उनको कोई जानकारी मिली होगी और उस पर भी वह चुप रही, यह मैं नहीं जानता। एक बात और है जो हमारी जानकारी में उस समय आई जब दूसरे दिन सुबह वहां के मुख्य मंत्री से मिले। उन्होंने कहा, त्रिपुरा के दो-तिहाई भाग में पूरी तरह शांति है और ये सब उपद्रव और गड़बड़ केवल त्रिपुरा के शेष एक तिहाई भाग में हो रही है। हमें एक पत्रकार से मिलने का मौका मिला जो एक समाचार पत्र का सम्पादन करते हैं और उन्होंने हमें बताया कि ये सब घटनाएं उन गांवों में घटी हैं जहां गत चुनावों में टीयू जे एस के लोगों और कम्युनिस्टों के लिए बराबर मतदान हुआ था ।यह आंकड़े हैं और इन तथ्यों के आधार पर हमें कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने हमें बताया कि ज्यों ही हमें इसकी जानकारी मिली हमारे डिप्टी ने केन्द्र से बचाव दल, सैनिक सहायता की मांग की परन्तु केन्द्र ने कोई फोर्स नहीं भेजी और हम असहाय थे। वहां पर स्थिति अब भी सुधरी नहीं है। इम्फाल और अगरतल्ला में शाम से सुबह तक कर्फ्यू लागू है और शाम को 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते।

जहां तक गोहाटी का सम्बन्ध है। वहां पर समस्या कुछ भिन्न है। वहां पर सबसे बड़ा प्रश्न विदेशियों का है। हमने वहाँ अखिल आसाम छात्र संघ के कुछ नेताओं से मुलाकात की और उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले विदेशियों के प्रश्न का निर्णय किया जाना है। उनके अनुसार विदेशियों के प्रश्न का निपटारा संविधान तथा नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। वे शरणार्थियों और विदेशियों के मध्य अन्तर करना चाहते हैं। हमने उनको इसके लिए

तैयार करने का प्रयत्न किया कि वे गांधी शांति प्रतिष्ठान के फार्मूले को स्वीकार कर लें। वे इस फार्मूले में दिए गए सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए परन्तु वे प्रधान मंत्री के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए आधार के रूप में उस फार्मूले को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। मैं अनुरोध करता हूं कि गृह राज्य मंत्री इस पर विचार करें ताकि यह समस्या सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटायी जा सके।

प्रो. एन. जी. रंगा : उन्हें उस बात को खुले रूप में कहने से रोकता कौन है ? प्रधान मंत्री ने अनेक बार उनसे आने और बात चीत करने का प्रस्ताव किया है।

श्री बापू साहेब परुलेकर : उन्होंने यह बात खुले तौर पर कही है।

सुब्रण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : इस सम्बन्ध में उनसे खुले तौर पर कहने में सरकार को कौन रोकता है?

प्रो॰ एन॰ जी॰ रंगा : प्रधानमंत्री ने अनेक बार उनको आकर बातचीत करने का प्रस्ताव किया है। (व्यवधान)

कुछ कहते हैं कि मुख्यमंत्री को बहुत पहले बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था।

डा॰ सुब्रहण्यम स्वामी : आसाम में कोई मुख्यमंत्री नहीं है।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : मैं अब आसाम के बारे में बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे समझदार मित्र इस उम्र में मुझ से नाराज क्यों हो रहे हैं।

प्रो॰ एन॰ जी॰ रंगा : आपसे नाराज नहीं हो रहा परन्तु उनके अविवेकी दृष्टिकोण से नाराजनी है।

श्री साबापू साहेबपरुलेकर : हम राज्यपाल के मुख्य सलाहकार श्री सरीन से मिले। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है अथवा वह राज्यपाल बनाया जाने वाले हैं। वास्तव में, राज्यपाल के मुख्य सलाहकार का कम बात करनी चाहिए और इस तरीके से बात करनी चाहिए कि लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

जो कुछ उन्होंने महिला सांसद श्री प्रमिला दण्डवते से, जब वह उनसे मिलीं, कहां, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। श्रीमती दण्डवते ने उनसे कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर निकल रही हैं और आंदोलन कर रही है। श्रीमती दण्डवते से कहा गया..... ×

आसाम में बाहर के लोगों के आगमस की बहुलता के बारे में भी हमने श्री सेरीन से पूछा कि क्या वहां निरीक्षा चौकियां (चेक पोस्ट) हैं। उन्होंने मानचित्र पर हमें दिखाया 'यहां एक निरीक्षण चौकी हैं, वहां एक निरीक्षण चौकी है।' परन्तु गोहाटी में आसाम के लोगों ने हमसे कहा, "आप हमारे साथ आइए। हम आपको बंगला देश में तीस मील अन्दर तक ले जाएंगे। आप वापस बाहर आ जाएंगे और आपको कहीं भी कोई निरीक्षण चौकी नहीं मिलेगी।" आज भी, वहां यह स्थित्ति है।

मेरे पास **'अन्तरागम'** (इनफ्लक्स) शीर्षक से 1963 में प्रकाशित भारत सरकार की एक प्रकाशित पुस्तक है।

**उपध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार उसे कार्यवाही व्रतान्त से निकाल दिया गया।

1951 तथा 1961 की जनगणना के आंकड़े पृष्ठ 3 पर दिये गये हैं तथा उनसे हमें मालूम होता है कि असम में पाकिस्तानियों जी मुस्लिम जनसंख्या 39 प्रतिशत तक बढ़ गई है; पं० बंगाल में यह 38 प्रतिशत है और त्रिपुरा में यह 68 प्रतिशत है। दिये गये दूसरे चार्ट से इसका मिलान किया जाए। यह पृष्ठ 5 पर है इस से मालूम होता है। कि बंगलादेश में जिलावार जनसंख्या में कितनी बृद्धि हुई और उससे यह मालूम होता है कि 1951 से 1961 तक कम-से-कम 4.7 और अधिक-से-अधिक 34 प्रतिशत वृद्धि हुई। उसके बाद तीसरी सारणी है जो एक बहुत महत्वपूर्ण सारणी है। जिसमें 14 वर्ष से कम 15 और 59 वर्ष के बीच तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों की संख्या दी गयी है जिन्होंने पाकिस्तान से प्रवास किया। हमें मालूम हुआ है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की प्रतिशतता बढ़ रही है परन्तु 15 और 59 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्तियों की प्रतिशतता घट रही है और विशेष रूप से उस गांव नौआखली के मामले में वृद्धि (—) 5.5 है जहां से भारी संख्या में लोग आये हैं।

यह सब राजनैतिक दलों ने किया वही भारत सरकार के प्रकाशन में कहा गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

"सच यह है कि मतदाताओं की सूचियों में विदेशियों का सूचीबद्धकरण कई बार राजनैतिक प्रेरित व्यक्तियों अथवा दलों के संकेत पर किया गया है। राजनैतिक दल चुनाव के समय पर अपने अनेक समर्थकों को बढ़ाने हेतु संदिग्ध उपाय करने के लिए प्रसिद्ध हैं तथा निसंदेहरूप से कुछ इस उद्देश्य के लिए पाकिस्तान से आये अवैध निवासियों का प्रयोग करते हैं।" आगे यह कहा गया है :

> "बहुत से उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने त्रिपुरा छोड़ते समय अपने आप यह कहा है कि उन्होंने भारत में विशेष राजनैतिक दल की मदद की थी, कार्य किया था मतदान किया था।"

उन्होंने उस विशेष देश में जाकर उनकी सहायता की। यह 1963 में हुआ है। वह विशेष दल कौन-सा है ? मैं उस प्रश्न को प्रत्येक द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए छोड़ता हूं।

अन्त में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यदि इस समस्या का हल किया जाना है—तो इन समस्याओं का अनेक मंत्रालयों से सम्बन्ध है तो केन्द्र में एक पृथक मंत्रालय का गठन सात संबद्ध राज्यों की देखभाल करने के लिए किया जाये। अन्यथा, इन प्रश्नों का, 'इन समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। दूसरे, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ मतभेद हो सकते हैं परन्तु उन्होंने एक सूत्र बताया है कि गैर-राजनीतिज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाए जिसमें विधि शास्त्री, पत्रकार तथा अन्य माननीय व्यक्ति हों और उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं यदि इस आधार पर मानवीय आधारों पर एक प्रस्ताव किया जाता है तो यह समस्या सुलझायी जा सकती है। इस समस्या का समाधान कभी भी बन्दूक की नोंक पर नहीं किया जा सकता है।

इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं परन्तु मैं यह कहूंगा कि सरकार को हटाना देश के तथा कुछ राज्यों के हितों में आवश्यक हैं। यह कहना होगा। लापरवाही के बारे में इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। मैं यह कहूंगा कि यदि ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह भाग बचाया जा सकता है। अन्यथा अक्साई चीन की तरह कुछ बात हो जायेगी। दुर्भाग्य वश जब भाग चला जाता है तो हम भूल जायेंगे कि यह भारत का अभिन्न अंग था। जैसा कि हम

[श्री बापू साहेब परुलेकर]

अक्साई लद्दाख के स्थान पर दूसरे भाग अक्साई चीन को पुकार रहे हैं; पचास वर्ष बाद हम भी यह कह सकते हैं कि यह पूर्वोत्तर वर्मा या पूर्वोत्तर बंगला देश है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की गोली शरीर को दबा सकती है, लेकिन मन की गहरी पीड़ा को नहीं। चाहे मिलिटरी, पुलिस और रिजर्व पुलिस की सारी ताकत आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में लगा दी जाये, लेकिन वहां के लोगों की भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता है। एक बार नागालैंड में ऐसा किया गया था, लेकिन आज भी नागालैंड के लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कभी न कभी वह ज्वाला फिर भड़क उठेगी। यह मान लेना चाहिए कि सभी राजनैतिक पार्टियां इस समस्या को हल करने में असफल रही हैं।

जब माननीय मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे, तो वह आसाम नहीं गए। श्री एल. एम. पटेल गृह मंत्री थे, वह भी आसास नहीं गये। उस वक्त आसाम, त्रिपुरा और मेघालय की समस्या बराबर खड़ी हुई है। जब देश में नया शासन बना, तो हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री 22 अप्रैल को आसाम गई। हम लोग भी वहां गए हैं। हम समझते हैं कि इसके पीछे वहां के लोगों की भावनाएं हैं। जो माननीय सदस्य इस संकल्प को लाये हैं, उनकी पार्टी का विचार है कि इस आन्दोलन को कुचल दिया जाए। त्रिपुरा में उनकी पार्टी का शासन है। मैं एक चुनौती के रूप में उनसे पूछना चाहता हूं कि त्रिपुरा की 98 प्रतिशत पापुलेशन काश्तकार है, उसकी जमीन को गैर-कानूनी तरीके से किसने दबा रखा है। वहां पर लाखों की तादात में बंगाली हैं। गैर-आदिवासी लोगों ने वहां की सारी जमीन हड़प ली है और उस पर काबिज हैं।

आज आसाम की आर्थिक स्थिति क्या है ? हिन्दुस्तान में आमदनी 1236 रुपये है, जबकि आसाम में सिर्फ 852 रुपये हैं। हिन्दुस्तान को आसाम क्या देता है ? वह 400 करोड़ रुपये की चाय प्रति-वर्ष देता है। 80 करोड़ रुपये का प्लाईवुड और जूट वहां से आता है। 40 प्रतिशत मिट्टी का तेल आसाम देता है। लेकिन आज आसाम के लोगों की हालत क्या है ? मेघालय और त्रिपुरा के लोगों की आर्थिक हालत क्या है ? वहां के 90 प्रतिशत लोग **बिलो पावर्टी लाइन** रहते हैं।

वहां पर आवागमन के साधन नही हैं। अगर कोई भाई त्रिपुरा की राजधानी, इमफाल या कोहिमा से टेलीफोन पर बात करना चाहे, तो वह तीन दिन तक वार्तालाप नहीं कर सकता है। वहां पर एक सड़क है। कुछ समय पहले मैं राजकीय उपक्रम समिति के दौरे के समय उन लोगों में घूमा था। जब लोग गरीबी के कारण अपनी मांगों को लेकर खड़े हो जाते हैं, तो सेना और पुलिस के बल पर उनकी भावनाओं को कुचलने की कोशिश की जाती है।

कृष्णा चेट्टी को फांसी की सजा क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने इन्कलाब पैदा किया। आज आसाम में सात लाख लोगों ने मूवमेंट में भाग लिया चाहे वह स्त्री हों, पुरुष हों या मिलिट्री के कर्मचारी हों, उन्होंने यह समझाकि आसाम की जन संख्या कितनी बढ़ी है। उसके आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन मैं ज्यादा आंकड़े देना नहीं चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की पापुलेशन से ज्यादा आसाम की पापुलेशन बढ़ गई। आप यह देखें 1951 में सारे हिन्दुस्तान की पापुलेशन में 13.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि अकेले आसाम में 19.94 प्रतिशत की वृद्धि पापु-

लेशन में हुई। 1961 में हिन्दुस्तान की पापुलेशन बढ़ी 21.64 प्रतिशत और आसाम की पापुलेशन बढ़ी 34.98 प्रतिशत और 1971 में सारे भारत की पापुलेशन 24.80 प्रतिशत बढ़ी लेकर आसाम की पापुलेशन 34.98 प्रतिशत बढ़ गई। किसी भी प्रांत से इतने लोग चले जायें और उन लोगों की समस्याओं का निराकरण न हो, आवागमन के सान्धन न बनें तो वहां की क्या हालत होगी ? आप यह देखें दवा लाने का सवाल है, दवा चाहिए तो कलकत्ता आना पड़ता है उसके लिए। त्रिपुरा की राजधानी से या मेघालय की राजधानी से कोई कागज भेजा जाय तो चार महीने बाद कागज आता है कि तुम दवा ले जा सकते हो। छः महीने बाद वह दवा ले जाते हैं और गांव के अन्दर नौ मसीने बाद वह दवा जाकर पहुंचती है। शुरू साल की दवा नौ महीने बाद वहां पहुंचती है। यह हालत है वहां के आवागमन के साधन की। तेल वहां से निकलता है लेकिन उसका आफिस आपने बना रखा है कलकत्ता में। चाय वहां निकलती है 400 करोड़ की और आफिस उसका है कलकत्ता में। आसाम के युवक कहते हैं कि हम को नौकरी चाहिए, वह उनको मिलती नहीं। वह आज अपनी भाषा में गलत बातें कहते हैं। हिन्दुस्तान की सरकार ने एक बात सोची कि केवल दबाने से काम नहीं चलेगा, पहले परसुएशन किया जाय, उनसे बात की जाय, केवल मिलिट्री काम नहीं कर सकती। मैंने पहले भी गृहमंत्री को राय दी थी और गृहमंत्री ने माना था कि हिन्दुस्तान में कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये राजनीतिज्ञ लोग नहीं, ये जो चश्मा लगाए हुए हैं, किसी ने कोई चश्मा लगा रखा है तो किसी ने कोई और लगा रखा है, कोई पीला है, कोई भगवा है, कोई लाल चश्मा है, इन चश्माधारियों से बहुत दूर रहने की जरूरत है, हिन्दुस्तान के कुछ बुद्धिजीवी और समाजसेवक जिनमें देश की भावता हो, उनकी एक पार्टी बनाकर वहां भेजी जाय और सचमुच इस बात को जाना जाय कि आज जो कुछ हिन्दुस्तान के उस पूर्वोत्तर भाग में हो रहा है उसका हल किस प्रकार निकाला जा सकता है। आज हिन्दुस्तान के उस हिस्से के लोग बर्मा में जाते हैं और वहां से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। चीन उनको मदद देता है बंगला देश का सैकड़ों और हजारों मील का बोर्डर है। बंगला देश से भी और कई जगहों से विदेशी सहायता इनको मिलती है, हथियार मिलते हैं, औजार मिलते हैं। कारण क्या है कि आदमी अपनी जीविका को चलाना चाहता है। जब उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता कमाने का साधन नहीं मिलता तो वह क्या करे ? उस समय में कोई आवाज उठाता है तो आप कहते हैं कि यह तो एकता को भंग करता है। लेकिन वह कभी पृथतावादी नहीं बनना चाहता। वह हिन्दुस्तान को समझता है। लेकिन वह अपना सवाल उठाता है। इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि यह जो सकल आपने रखा है उससे कौन-सी समस्या सुलझती है। आप में कुचलने की बात करते हैं। आप ने यह सोच लिया कि उनको मिलिट्री से कुचला जा सकता है। आप त्रिपुरा समाजवाद लेआए तो कम्यूनिज्म का क्या यह सिद्धांत है कि लोग मार डाले जाएं ? जो यह संकल्प रखने वाले हैं त्रिपुरा के बारे में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने तो उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, वहां के आदिवासी लोगों की सारी जमीन उनसे छीन ली गई। उनको कुछ मिलता नहीं। यह सरकार कहती है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन वहां का तो यह नमूना है। आज मनीपुर और मेघालय में जो हाथ का काम होता है उस काम को वे कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं, वहां पर बैंकों की शाखायें नहीं हैं। इस देश की बड़ी धनराशि को फौज पर कम लगा कर, प्रशासन पर कम लगाकर, उस पैसे से वहां पर युद्ध स्तर पर काम किए जायें, उनके लिए रोजगार के साधन जुटाए जायें और जो जमीनें उनसे छीन ली

[श्री बापू साहिब परुलेकर]

गई हैं वह उन्हें वापिस दिलाई जायें। इसी प्रकार से अगर वहां पर ज्यादा लोग आ गए हैं तो उनको प्रेम से, मोहब्बत से दूसरे राज्यों में भेज दिया जाए। (व्यवधान)···

हमारे गृह मंत्री जी यही कहते हैं कि सभी काम प्रेम से करेंगे।

आपका जो यह संकल्प है कि उनको जबर्दस्ती कुचला जाए तो यह इस तरह का मूवमेन्ट के पीछे कुछ दर्द है, लोगों की कुछ आवाज है और उनकी तकलीफें हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : त्रिपुरा की हिस्ट्री आपको नहीं मालूम है।

श्री मूल चन्द डागा : मुझे मालुम है, यह तो सरकार चुपचाप बैठी है। मैं कहूंगा कि सरकार को ज्यादा साधन लगाकर वहाँ पर युद्ध-स्तर पर विकास के कार्य करने चाहिए, आवागमन के साधन जुटाने चाहिए, रोड्स की व्यवस्था करनी चाहिए, उन लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। अगर वहां पर आर्थिक उत्पादन होगा तो यह झगड़ा शांत हो सकता है। अगर आप सैन्य बल से झगड़ा शान्त करना चाहेंगे तो थोड़े समय के बाद वह फिर उभर आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान।

प्रत्येक माननीय सदस्य केवल 10 मिनट लेगा। फिर भी मुझे डर है कि हम सूची पूरी नहीं कर पायेंगे। 10 मिनट के बाद में घंटी बजाऊंगा—आप मुझे माफ करना और मैं दूसरे वक्ता को पुकारूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल प्रदेश की समस्या के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों में काफी बार बहस मुबाहसा हो चुका है। सकार की ओर से जवाब भी दिए जाते हैं, आश्वासन भी दिए जाते हैं लेकिन लगता है—ज्यों ज्यों दवा की, मर्ज बढ़या गया। (व्यवधान)···

डागाजी का भाषण मैंने 4 जुलाई को सुना था, उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा था वही आज भी कहा है। मुझे याद है त्रिपुरा के सम्बन्ध में बोलते हुए डागा जी ने मंत्री जी से प्रश्न भी पूछा था क्या कोई इंडैपेन्डेन्ट लोगों की कमेटी बनाकर वहां भेजी जायेगी तो मन्त्री जी (श्री मकवाना) ने तुरन्त उठकर कहा था कि मैं इनको मानता हूं, बहुत जल्दी भेजी जाएगी लेकिन पता नहीं आज तक वह भेजी गई है या नहीं ? (व्यवधान)···

वह गई है तो ठीक है लेकिन आपने कहा था इंडेपेन्डेन्ट कमेटी भेजी जायेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मकवाना जी अपने वायदे को पूरा करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं "इन्डेपेन्डेन्ट कमेटी" पर जोर दे रहा हूं। उन्होंने कहा था, इस हाउस की प्रोसीडिंग्ज में है कि इन्डेपेन्डेन्ट कमेटी भेजी जाएगी।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि वहां विदेशी हाथ है। यह उसी प्रकार से है कि कोई पुलिस अफसर कहे कि हमारे घर में चोर बैठा हुआ है लेकिन वह चोर कौन है, यह पुलिस को पता ही नहीं। ऐसे पुलिस अफसर को अपने पद पर रहने का क्या अधिकार हो सकता है जो यह कहे कि मेरे घर में चोर है लेकिन चोर कौन है, यह मालूम नहीं। भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में विदेशी ताकतें काम कर रही हैं विदेशी लोग यहां मौजूद हैं, पृथकतावादी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन वे विदेशी

कौन हैं—इसका गृह मंत्रालय को आज तक पता नहीं और गृह मंत्री को आज तक पता नहीं। मैं उस दिन श्री जैलसिह जी पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हां-हां विदेशी ताकत है, मैं हाथ काट लूंगा, हम लोगों ने भी कहा कि काटिए हाथ। मैं सर्वप्रथम यह कहूंगा कि इस तरह की बातें रोज विदेशी अखबारों में छपती हैं कि हिन्दुस्तान का गृह मंत्री कहता है कि देश में विदेशी ताकत काम कर रही है और हिन्दुस्तान के गृह मंत्री को अभी तक यह नहीं पता है कि वह विदेशी ताकत कौन सी है। क्यों नहीं आप उसको पकड़ते हैं।

ये जो पूर्वाचल प्रदेश हैं, चाहे वह असम, मणिपुर, मिजोराम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश हों, इनमें से दो चार आपके साथ हैं, लेकिन वे भी कुछ समय तक के लिए शान्त रह सकते हैं, हमेशा शान्त रहने वाले नहीं है। आज असम की सबसे बड़ी प्राबलम आपके सामने है। असम के जो मूल निवासी है, वे 46 प्रतिशत हैं, जिसमें से 10 प्रतिशत पहाड़ी लोग हैं। 54 प्रतिशत वहाँ के गैर-असमी हैं। जब हमने असम के बारे में पता लगाया तो कहा कि वहां के राजा अहम थे, वे लोग "ह" को "स" कहते हैं, तो अहम से असम हो गया। इसलिए वहां के टोटल 46 प्रतिशत लोगों ने एक माँग की है कि विदेशी को बाहर हटाओ। यह एक बहुत अहम सवाल है। हम लोगों के यहां बसूला होता है, जिस से लकड़ी काटी जाती है, लकड़ी कटे तो ठीक, लेकिन गिरे हमारी तरफ। उधर के लोग भी चाहेंगे कि हम भी काटें, लेकिन गिरे हमारी तरफ। अगर इस दृष्टि से हम लोग काम करेंगे तो समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं।

इस आन्दोजन की शुरुआत कैसे हुई। मुझे आप लोग माफ करेंगे, असम आन्दोलन की शुरुआत कैसे हुई—असम शान्त था, लेकिन जब 1977 का चुनाव आया और 1977 के चुनाव में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप लोगों के दिल पर, छाती पर सांप लौटने लगा। यह आप लोगों की ही देन है। असम की जो समस्या है, वह आपकी पार्टी की ही पैदा की हुई है। (व्यवधान)···

अभी कुछ दिन पहले तक आप की असम की कांग्रेस (आई) पार्टी कहती थी कि मैं आन्दोलन का समर्थन कर रही हूं और दिल्ली में आप लोग कह रहे थे कि हम विरोध करते हैं—क्यों? उपाध्यक्ष महोदय, सीधा सा सवाल था, जब 1977 में जनता पार्टी की हुकुमत बनी तो इन लोगों ने कहा कि किसी तरह यहां "डिवाइड एण्ड रूल" की पालिसी चलाओ, आपस में तोड़ो और तोड़ने के लिये इन लोगों ने यह करामात की थी कि लोगों को कहा—विदेशियां को हटाओ। यूथ कांग्रेस के लोगों ने वहां "लीड" ली और लीड लेने के बाद शायद आप के दिमाग में यह बात रही हो, हम मानते हैं कि बंगाली लोग बंगाली हैं, वे कांग्रेस (आई) का समर्थन नहीं करते हैं, इसी लिए आपने इन को तोड़ने का काम किया और नतीजा यह हुआ कि वहां आन्दोलन बढ़ा और आन्दोलन बढ़ने के बाद आज वह स्थिति है कि वह आन्दोलन आप के हाथ से निकल गया है और नौजवानों के हाथ में चला गया है, जिन को आप इगनीर नहीं कर सकते हैं।

डागा साहब ने कहा कि आप बन्दूक और तोप के बल पर, सेना को साथ ले कर आन्दोलन को समाप्त नहीं कर सकते हैं। हिन्दुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड के इतिहास में यह पहली दफा मौका आया है—जब आप की आर्मी मशीनगन, एल० एम० जी० और स्टेन-गन लेकर खड़ी रहती है

[श्री राम विलास पासवान]

और करफ्यू में "शूट-एट-साइट", जहां देखो वहां गोली मार दो—इस तरह के आर्डर्स हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को गोद में लिये हजारों औरतें सड़क पर निकलती हैं लेकिन आप की आर्मी कुछ नहीं कर सकती, मूक-दर्शक हो जाती है। आज इस आन्दोलन का सेन्टीमेन्ट गांव-गांव के साथ जुड़ गया है, घर-घर में पहुंच चुका है, इस लिए इस समस्या का समाधान आप को करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम 1971 के बाद मानते हैं—मैं ससझता हूं इस में भी आप का कोई पोलिटीकल मोटिव है।

कोई कहता है कि 1951 के बाद मानो, मैं यह कह सकता हूं कि दोनों मामले 1951 और 1971—बहुत गहन विषय हैं···

एक माननीय सदस्य : तब फिर क्या किया जाय ?

श्री राम विलास पासवान : अभी बतलाता हूं कि क्या करना चाहिए। मैं कह रहा था कि यह बात गहन विषय है और यह बात भी सही है कि जब प्रतिक्रिया चलेगी तो विदेशी शक्तियां भी आयेंगी और जो पृथकतावादी शक्तियां हैं, वे भी आयेंगी, इन को अगर कोई रोक सकता है तो सरकार रोक सकती है। आपके जितने बार्डर्स हैं उनको सील क्यों नहीं करते हैं, जहां से यह सारा मामला हो रहा है—आने-जाने का, उस को आप सील क्यों नहीं करते हैं ? मैंने कल भी कहा था कि इस के दो तरीके हैं। पहली बात तो यह है कि आसाम में जो काम होता है, उनके हैड-आफिसिज सब असम से बाहर हैं, बिहार में भी ऐसा ही है, वहां भी सारे आफसिज बाहर हैं, नतीजा यह होता है कि राज्य को उनका लाभ नहीं मिलता है, रायल्टी का केवल 12 पैसा मिलता है। तो एक तो यह आर्थिक समस्या है, दूसरी समस्या जो विदेशियों की है, उनके साथ बैठ कर बात कीजिए। सेना की बात को छोड़ दीजिए, सेना के द्वारा आप उनकी समस्या का निदान कर सकेंगे—यह सम्भव नहीं है। आप उनके साथ बैठिए, उनके दिल के जो जजबात है, वे क्यों परेशान हैं, उन की बात को समझिए और उन बातों पर गहराई से सोचिए। जो अल्पसंख्यक हैं वे भी इस से आपको रोकते नहीं हैं, इसलिए विदेशियों को वहां से हठाइए और जब विदेशी चले जायेंगे, तब अगर बिहार के लोगों को हटाने की या पंजाब के लोगों को हटाने या दूसरे लोगों को हटाने की बात चलेगी, तब आप कह सकते हैं कि असम के लोगों ने गडबड़ फैला रखी है, लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन की तो इस समय सीधी सी मांग है कि विदेशियों को बाहर करो, ऐसी स्थिति में आप को यह स्टैण्ड लेना चाहिये कि जो विदेशी हैं उन के बारे में उन के साथ बैठ कर मुलामियत से विचार करना चाहिए और जो वास्तव में विदेशी हैं, उन को बाहर करना चाहिए। जो विदेशी ताकत आप की दृष्टि में वहां काम करती है, उस को बतलाना चाहिए ताकि सदन को पता चले कि कौन विदेशी ताकत आज वहां पर काम कर रही है।

उनके आर्थिक विकास के लिए हमारे एक साथी ने ठीक कहा है कि आप पूर्वांचल के लिये एक अलग मंत्रालय बना दें और उन के विकास के लिए प्राथमिकता दे कर कोई सधन कार्यक्रम चलाना चाहिए। यदि आप ऐसी व्यवस्था करें तो इस समस्या का निदान हो सकता है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर इस सदन में पहले भी कई मर्तबा चर्चा हो चुकी है। सब से बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 10-11 महीने से यह प्राबलम हमारे सामने है, लेकिन हमेशा हमारे होम मिनिस्टर कोई-न-कोई समझाने वाला भाषण देकर अलेहदा हो जाते हैं। इस को हल करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही इन्होंने नहीं की है।

मान्यवर, यहां पर चर्चा की गई कि फारेनर्स को ईस्टर्न रिजन से निकाल दिया जाय, मगर आज तक कोई यह नहीं बता सका कि वहां फारेनर कौन है ? क्या उन लोगों को फारेनर मानते हैं जिन को 1971 के चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया था, जिन्होंने सैन्ट्रल गवर्नमेंट बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था, जिन्होंने सूबे की सरकार बनाने में पूरा योगदान दिया था, जिनको यहां के शहरी हुकूक हासिल हैं ? किस को फारेनर मानते है ? कुछ लोगों की राय है कि जो लोग 1951 के बाद बंगला देश से आये, जो पहले ईस्ट-पाकिस्तान था उन को फारेनर माना जाय। यह ठीक है कि वे लोग जरूर आये होंगे, वहां का बार्डर और जंगलात ऐसे हैं जहां इस तरह की निगरानी करना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि जो आज से 30 साल पहले आए, उन के बच्चे और पोते हो गए, आज उनके बच्चे जवान हो गए हैं—क्या उन को फारेनर कहना चाहते हैं—यह बात मेरी समझ में नही आ रही है। चाहे किसी की गल्ती से आये या उस वक्त की सरकार निगरानी नहीं रख सकी, उन को यहां आने की इजाजत दे दी और फिर 30 साल तक यहां रहने की इजाजत दे दी, आज यह कहें कि उनको निकाल कर फेंक दीजिए, इनके बच्चों को, इन के घरों को उखाड़ कर फेंक दीजिये—क्या यह इन्सानियत है, भलमनसाहत है ? मैं एक बात और कहता हूं—हमारी सरकार ने फैसला किया कि 1971 को बेस मान कर फारेनर्स को आइडेन्टिफाई करें, और एक बात मैंने अखबार में पढ़ी जो बड़ी खतरनाक है और आज भी हमारे एक माननीय सदस्य ने चलते-चलते उस का जिक्र किया कि कुछ लोगों को वहां से निकाल कर दूसरे सूबों में बसा दिया जाए। बड़ी खतरनाक बात है यह। यह मैं मानता हूं कि यह लड़ाई कम्युनल नहीं है, कहीं कहीं कम्युनल हो गई या उस को ऐसी शकल दे दी गई है पर ओवरआल यह प्राब्लम आसामी और नाने-नासामीज की है और मैं तो इस को नान-आसामीज की बात भी नहीं मानता। इसलिए कि जो लोग वहां गए और लौटे वे आसाम के थे, जो लोग गये और लोटे वे त्रिपुरा के थे, जो लोग गए और लौटे वे मिजोरम के थे। तो यह प्राब्लम आसामी और नान-आसामीज की भी नहीं मालूम होती। इसलिएं पहले तो प्राब्लम को आइडेंटी-फाई करना है क्योंकि एक साफ-सुथरी तस्वीर हमारे सामने रखी नहीं जा सकी है कि यह प्राब्लम है।

एकोनोमिक बात आई कि वह एरिया बहुत निगलेक्ट हुआ है और इसमें कोई शक भी नहीं है मगर आज इन हालात में, जो हालात वहां पर हैं क्या गवर्नमेंट ऐसी क्षमता रखता है कि उस को ठीक किया जा सके ? आज जहां इतने डिस्टरबैंस हो रहे हों, इतनी मारकाट हो रही हो, जहां इतने लोग बेघरबार हो रहे हों, कौन से कदम उठाये जा सकते हैं। जब तक वहाँ पर स्थिसि सामान्य न हो जाए, जब तक वहां के हालात सुधर न जाएं, तब तक क्या किया जा सकता है। यहां पर जब

[श्री मलिक एम०एम० ए० खाँ]

आसाम के बजट पर बहस हुई थी, उसमें स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं वहां पर तरक्की करने के लिए, वहां के हालात को सुधारने के लिए, पर हालात तभी सुधर पाएंगे, जबकि वहां पहले स्थिति सामान्य हो।

मान्यवर, यहां पर फारेन पावर का जिक्र किया गया। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी एक दो बार कहा है। बड़ी जिम्मेदारी से बात को कहना चाहिए। जब इस बात का जिक्र किया गया कि फारेन पावर का हाथ है, होम मिनिस्टर साहब ने फारेन पावर की बात कही, तो मालूम होना चाहिए कि वह कौन सी फारेन पावर है, जो उसमें दखलान्दाजी कर रही है। इतनी बड़ी शक्ति सरकार के पास होते हुए, इतनी इनटेलीजेंस की पावर आपके हाथ में होते हुए, यह आपको बताना चाहिए कि कौन सी फारेन पावर है। या तो आप जानते हैं पर बताना नहीं चाहते हैं और आप कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के हाथ काट देंगे मगर हाथ काटने की क्षमता आप में नहीं है। 10, 11 महीने हो गए हैं मगर कितनों के आपने हाथ काटे हैं और कितनों के सर काटे हैं। तो मैं यह कहूंगा कि आपको आईडेंटीफाई करना चाहिए कि कौन सी फारेन पावर है।

अब एक दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो कुछ यकीन सा होने लगता है, कुछ डाउट सा होने लगता है कि कहीं हम में से भी कुछ लोग उसमें शामिल तो नहीं हैं? अब यह बात मैं कहूंगा तो हमारे पासवान साहब नाराज हो जायेंगे। 16 मर्तबा हमारे जार्ज फर्नान्डीज साहब वहां पर गये हैं।

श्री राम विलास पासवान : जाना चाहिए।

श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ : जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, बातचीत करने के लिए और ट्रेनों को लूटना चाहिए आपके कहने के मुताबिक। जो डाइनामाइट केस में रहा हो, उसको जाना चाहिए··· (**व्यवधान**) ···

आपको पूरा अधिकार है। मैं कह रहा था कि वे 16 मर्तबा गए और एक ऐसा आदमी जिसने इकबाल किया है कि उसने 51 ट्रेनें लूटी हैं। जनता पार्टी में केबिनट मिनिस्टर होने के बाद, यह इकबाल किया है··· (**व्यवधान**) ···

इमर्जेन्सी की बात मैं बाद मैं कहूंगा होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स के वक्त। जो डाइनामाइट केस का मुल्जिम रह चुका है, उसकी एक्टीविटी नेशनल है या एन्टी-नेशनल है, यह फैसला तो लोग करें, मैं तो यह कहने के मूड में नहीं हूं। 51 ट्रेनों को लूटना नेशनल एक्ट है या डाइनामाइट केस का मुल्जिम हो जाए, यह नेशनल एक्ट है; ऐसा आदमी 16 मर्तबा ऐसे इलाके में जाए, जहां पर आग लगी हुई है, यह कहां तक ठीक है? आप क्यों नहीं गए पासवान साहब या और क्यों नहीं गये? यह चीज जरा शक में डालती है। जब ये अन्डरग्राउन्ड थे तो इन पर चार्ज लग चुके हैं और उनको वे साफ नहीं कर पाए हैं मुल्क के सामने। जब ये गवर्नमेंट में थे, मिनिस्ट्री में थे, तो गंभीर चार्जेज हाऊस के फ्लोर इन पर लगाए गए थे और जिनको आज तक ये साफ नहीं कर पाए। तो इनकी एक्टिविटीज से कुछ शक सा होता है। ये अन्डरहैन्ड बातें करते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। इनके कहने में और करने में अन्तर है।···(**व्यवधान**)···

कहने में और करने में अन्तर तो नहीं है, तो बड़ी गंभीर सूरत है। जब मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो सरकार की पालिसी है कि जब आप बाहर लोगों को लौटाना नहीं चाहते, तो आप उनको उनकी जगहों से हटाना क्यों चाहते हैं दूसरे सूबों में बसाने के लिए, तो पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि आज चाहे वह कम्युनल पोजीशन न हो मगर आज अगर उनको वहाँ से हटाया गया और दूसरे सूबों में भेजा गया, तो मैं एक खुली हुई बात कह दूं कि बंगाली तो जाएगा नहीं विहार में बसने के लिए। बंगाली विहार या उत्तर प्रदेश में बसने के लिए जाएंगे नहीं। अल्टीमेटली जो वहां पर माइनोरिटी कम्युनिटी के आदमी मुसलमान होंगे जिनको कि आप कहते हैं कि. 51 में आ गये, उसके बाद 56 में या 57 में आ गये। (व्यवधान)

मैं अपनी अक्ल के मुताबिक अपनी बात कह रहा हूं, आप अपनी अक्ल के मुताबिक कह दें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मुस्लिम भी बंगाली हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ : मैं बहुत साफ कहता हूं। जब मैं कहता हूं बंगाली, उसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। मैंने उस समय भी यह जुमला कहा था। उन लोगों को जो मुसलमान हैं जिनको कि आप कहते हैं कि 51 में आये या 54 में आये, उनको दूसरी जगह आप बसाने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त आप उन मुसलमानों को बसाने की कोशिश करेंगे तो वह बीमारी दूसरे सूबों में फैलेगी और उसको फिर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दूसरे सूबों में भी यह बीमारी फैल सकती है जो कि बहुत खतरनाक बात होगी।

एक बात मैं निवेदन करूंगा। मैंने होम मिनिस्ट्री की कंसलटेटिव कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। उसमें इस सदन के उन माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज साहब, जिनकी कि वकालत पासवान जी कर रहे थे, की बात पढ़ कर मैं हैरत में रह गया।**

उन्होंने होम मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी में कहा कि नार्थ ईस्ट रीजन ढाई करोड़ की नेशन है, इस मुल्क की कोई अलहिदा चीज है। कितनी खतरनाक और कितनी गलत बात है। इस हाउस का एक जिम्मेदार मेम्बर जो कि गवर्नमेंट में एक मेम्बर रह चुका है वह यह बात कहता है। जब मैंने यह कहा कि 16 चक्कर लगाये तो पासवान साहब को नाराजगी हुई। मगर पासवान साहब क्या नार्थ ईस्टर्न रीजन की पापुलेशन को अलहिदा नेशन कहना शर्म की बात नहीं है। यह बड़ी शर्मनाक बात है। (व्यवधान)

इसको हमने अखबार में पढ़ा है। (व्यवधान)**

श्री रामबिलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। कल मैंने इसी सदन में एक एलीगेशन लगाया था मिनिस्टर श्री सी० पी० एन० सिंह के खिलाफ**

उपाध्यक्ष महोदय, उसको एक्सपंज किया गया। आपके सैक्रेट्री साहब बैठे हुए हैं। उस समय यह कहा गया था कि यदि आप किसी मेम्बर के विरुद्ध, या किसी मिनिस्टर के विरुद्ध एलीगेशन लगाते हैं तो पूरी जवाबदेही लेकर के आप एलीगेशन लगाइए, नहीं तो उसको एक्सपंज किया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वे पूरी जवाबदेही के साथ कहें कि जार्ज फर्नान्डीज एन्टी नेशनलिस्ट हैं, नहीं तो इसको एक्सपंज कीजिए।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यावाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : यह मेरा अधिकार है। मैं अखवार से पढ़ करके कह रहा हूं। हिन्दुस्तान टाइम्स में, टाइम्स आफ इंडिया में छपा है। सारे अखवारों में छपा है। अखबारों से कोटेशन को देना मेरा अधिकार है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल समाचार-पत्र की रिपोर्ट पर आधारित एक भाषण नहीं दे सकते। आपको आरोप लगाने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी···इसलिए मैं उन सभी बातोंको कार्यावाही वृत्तांत से निकाल दूंगा जिनके लिए आप कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इस तरह से आरोपों का लगाना ठीक नहीं है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ (एटा) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी इस रूलिंग के वाद अब इसके बाद से सदन में अखवार की न्यूज को कोट नहीं किया जा सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप समाचार-पत्रों से उद्धृत कर सकते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि कुछ आरोप···

श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ : मैंने समाचार-पत्रों के नाम—हिन्दुस्तान टाइम्स तथा टाइम्स आफ इंडिया बताये। मैं समाचार-पत्रों से उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने समाचार-पत्रों के नाम बताये परन्तु आप समाचार-पत्रों से माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप उद्धृत नही कर रहे हो। यदि आपके भी विरुद्ध आरोप है तो इसे रोक दिया जाएगा। यदि आप उन आरोपों की जिम्मेवारी लेते हैं जो आपने जार्ज फर्नान्डीज के विरुद्ध लगाए हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है; आपको भी नोटिस देना चाहिए। आप मुझे अवश्य सूचना दें आप किसी अन्य सदस्यों के विरुद्ध से आरोप लगाने वाले हैं। इसलिए यह संसदीय प्रथा है। इसलिए मैं आपसे अन्य सदस्य के विरुद्ध आरोप न लगाने का निवेदन करता हूं। **(व्यवधान)**

मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री राम बिलास पासवान : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। आपने हमको दस मिनट के वाद रोक दिया था और आपने कहा था कि दस मिनट हो चुके हैं, अव और समय नहीं मिलेगा। माननीय सदस्य को आप कितना समय देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत सावधान हूं। उन्होंने 4.29 पर शुरू किया। यदि यह शुरू नहीं किया गया होता तो मैंने घंटी बजा दी होती। उन्होंने 4.29 पर शुरू किया; उन्हें 4.39 तक बोलना है। इस बीच यह शुरू हो गया। इसलिए वे इन 3 या 4 मिनटों को ले सकते हैं। हमें श्री खां के प्रति उदार तथा दयालु होना चाहिए।

श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ : मैं निवेदन कर रहा था कि असम की हालत काफी दिन से खराव थी। हम असम के वारे में चर्चा करते रहे। उसी दौरान में होम मिनिस्टर साहब भी

कहते रहे कि यह बड़ा सैंसेटिव एरिया है, इसकी हमको बड़ी निगरानी रखनी है, यह मर्ज दूसरी जगह न फैले इसको हमको देखना है। लेकिन एक रात सो कर उठे तो मालूम हुआ कि—त्रिपुरा में दो ढाई हजार आदमी कत्ल कर दिए गए हैं, लाखों आदमियों को घर से बेघरबार कर दिया गया है। इस कद्र सैंसेटिव एरिया होते हुए भी बराबर की स्टेट में इतना बड़ा जैनोसाइड हो जाए तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सैंटर है या राज्य सरकार है। मुझे जानकारी है कि जिस दिन यह वाका हुआ उस दिन मुख्य मंत्री दिल्ली में थे और एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज ऐसे मिनिस्टर के पास था जो उन लोगों से ताल्लुक रखता था, उनका रिप्रिजैंटेटिव था जिन्होंने यह जैनोसाइड किया।

अभी मेरे दोस्त ने कहा कि वहां पर 36 घंटे बाद पुलिस की मदद पहुची। मुझे जानकारी है कि जो मिनिस्टर इन्चार्ज थे उस वक्त त्रिपुरा में उन्होंने खास इसट्रक्शंज पुलिस को भेजे कि गोली न चले। मैं जानना चाहता हूं इतना बड़ा जैनोसाइड होता रहा, कत्लेआम होता रहा, घरों को आग लगाई जाती रही, इस सब को रोकने के लिए कितनी गोलियां चलाई गई उन लोगों को बचाने के लिए ? मैं पूछना चाहता हूं कौन इन सब के लिए जिम्मेदार है ?

मैंने यह भी पढ़ा है कि वहां की सरकार ने 1978, 1979 और 1980 में भी सेंटर से मदद की मांग की थी। 1980 में तो आप थे। इतना बड़ा जेनोसाइड हो जाए आपकी नाक के नीचे, इतनी जानें चली जाएं, इतनी ज्यादा डिसटर्बस हो जाए, तो इस सब की कहीं न कहीं तो जिम्मेदारी आयद होती है, इस जैनोसाइड के लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार है ही, किसी न किसी की गफ्लत से तो इतना बड़ा वाका हुआ है।

महज इन चर्चाओं से, स्टेटमेंट देने से कि एडमिनिस्ट्रेशन हाथ काट देगी, गर्दन काट देगी, सिर काट देगी काम चलने वाला नहीं है। आप कोई ठोस कदम उठायें। कौन जिम्मेदार है इस गड़वड़ी के लिए, इसका पता लगायें और उसको जिम्मेदार ठहराएं। ऐसे ठोस कदम उठाएं ताकि वहां पर अमन और चैन की लोग सांस ले सकें, उनको राहत पहुंचायी जा सके ताकि आपको भी मौका मिले कि आप वह जो अनडिवेलेप्ड एरिया है उसमें डिवेलेपमेंट के काम कर सकें ताकि उन लोगों की नाराजगी दूर हो और वे सही रस्ते पर आ सकें।

आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

***श्री सी० परमानी अप्पन** (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मेरे माननीय मित्र श्री के० सी० हाल्दर का संकल्प बड़े राष्ट्रीय महत्व का है और इस सभा में इस समय इस संकल्प पर इस चर्चा की उपयोगिता के बारे में कोई सन्देह नहीं कर सकता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में आन्दोलन पिछले 8 महीनों से दावानल की तरह से फैल रहा है। शुरू में यह सामाजिक आर्थिक समस्या थी। परन्तु इस समस्या का स्थाई समाधान खोजने में तत्कालीन जनता-लोक दल सरकार की निष्क्रियता के कारण तथा कुछ विदेशी ताकतों के प्रोत्साहन के कारण यह संकट विकट हो गया है। प्रचंड आसाम आन्दोलन जनता लोक-दल सरकार की निष्क्रियता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संसदीय चुनावों में पराजय के बाद विपक्षी दलों की ओर से राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण यह सामाजिक आर्थिक मुद्दा राजनैतिक वाद-विवाद का विषय बन गया है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री सी० परमानी अप्पन]

यदि देश से भुखमरी को समाप्त करने के लिए उपाय किए जाते हैं तो सब इसका स्वागत करेंगे। यदि गरीबी समाप्त करने के लिए और आम आदमियों को समाज के सम्पन्न वर्गों के स्तर पर बिना किसी हिंसात्मक ढंग से लाने के लिए उपाय किए जाते हैं तो उनका भी स्वागत होगा। अब विपक्षी दलों को अपने मतभेद समाप्त करके राष्ट्रीय एकता तथा स्वतन्त्रता के हित में मिलकर काम करना चाहिए। विपक्षी दलों को असम आन्दोलन से इस दिशा में सोचने की प्रेरणा मिलनी चाहिए।

अरीगनार अन्ना यह कहा करते थे कि जो हालत देश में व्याप्त होती है वह राष्ट्र की विचार-धारा पर नियंत्रण का कार्य करती है। हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय ने पूर्वोत्तर राज्यों में आन्दोलन में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। मैं उस बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारे सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री साठे ने हाल के सम्मेलन में कही है। बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति का लाभ उठाते हुए विदेशी ताकतें इस क्षेत्र को भारत से अलग करने के लिए बड़ी उत्सुक है। भारत संघ के भीतर राष्ट्र-राज्यों को उत्पन्न करने की अन्तर्राष्ट्रीय साजिश भी है। हमारे गृह मंत्री महोदय ने भी उन विदेशों को चेतावनी दी है जो इस मामले में सक्रिय हैं। इन क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए हमारी प्रधान मंत्री महोदया श्रीमती गांधी द्वारा किए जा रहे तत्काल उपायों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

थनदई पेरीयार कहा करते थे कि पीड़ित लाखों लोगों की मदद करना न कि किसी के धर्म को संरक्षण प्रदान करना हम सब का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर मुझे वह बात याद आई है जो कोलम्बिया रेडियो के श्री वाल्टर क्रेनकेल रेडियो टीकाकार ने अमेरिका में हमारी प्रधान मंत्री महोदया, श्रीमती गांधी के बारे में कही है। श्रीमती गांधी अपने अद्वितीय ढंग से सदा प्रसन्न मुद्रा से, बिना किसी संकोच के साथ अपने भारी उत्तर दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास कर रही हैं। वह अपने विचारों तथा आदर्शों में दृढ है। साथ ही वह शासन में अनुभवी व्यक्तियों के विचारों को भी धैर्य से सुनती हैं। परन्तु वह दूसरों की कठपुतली नहीं हैं। वह गहरे विचार के बाद अपनी आडिग धारणा पर विश्वास रखकर स्वतन्त्ररूप से कार्य कर रही है। पृथ्वी पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उन्हें हिला सकती है या उन्हें समाप्त कर सकती है। वह जब एक बार कार्य करने के लिए निर्णय ले लेती हैं तो वह दृढ़ता से कार्य करती हैं।

यह ऐसा समय है जब हमारे विपक्षी दलों को राष्ट्र के प्रति अपने उत्तर दायित्वों को महसूस करना चाहिए। यदि असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति ऐसे ही बनी रहने दी गई तो मुझे डर है कि राजनैतिक दल ऐसे आन्दोलनों को खूब बढ़ाते हुए अन्य राज्यों में भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने में नहीं हिचकिचायेंगे। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रों के शिष्टाचार के बीच हमारे देश के सम्मान पर पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार के हमारे आन्दोलन के जारी रहने से कोई कलंक नहीं लगता है। मैं द्राविड मुन्नेत्र कणगम के पूर्ण सहयोग तथा समर्थन का आश्वासन उन सभी उपायों के लिए देता हूं जो केन्द्र हमारे देश के इन भागों में खतरनाक रवैये पर नियंत्रण करने के लिए कर सकता है। चूंकि आगे अब यह पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न नहीं है और इसने राष्ट्रीय महत्ता का रूप तो लिया है इसलिए विपक्षी दलों को

अपना-अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। असम में स्थिति गम्भीर है। उस हड़ताल के परिणामस्वरूप जो वहां जारी है, कच्चे तेल तथा अन्य पैट्रोल की वस्तुओं के वितरण में भारी क्षति हुई है। हालांकि डिगबोई और गोहाटी परिष्करण शालाओं में गत दिसम्बर से कार्य चल रहा है तो भी असम से पेट्रोल की कोई चीजें बाहर नहीं आ रही हैं। फिर भी केन्द्र इस क्षेत्र में पेट्रोल, गैस लाइन, मिट्टी के तेल आदि की सप्लाई कर रहा है। असम से बाहर पेट्रोल की बनी वस्तुओं को लाने की इस प्रकार की असमर्थता के कारण 350 करोड़ रुपये की लागत की मासिक हानि 100 करोड़ रु० पेट्रोल की चीजों से तथा 250 करोड़ रु० उत्पादन हानि के कारण बताई गई है। सरकार कच्चे तेल के आयात से कमी पूरी कर सकती है परन्तु वह हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधनों को समाप्त कर देंगे।

समन्वय समीति ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सूची में उन 45 लाख अनुसूचित जन जातियों के लोगों को शामिल करने की सिफारिश की है जो असम के चाय बागानों में काम कर रहे हैं। भारत सरकार को चाय बागानों में कार्यरत अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की इस वैध मांग को मान लेना चाहिए।

द्राविड़ मुनेत्र कणगम अपना पूर्ण समर्थन केन्द्र को देगा यदि देश में कोई राज्य पृथकतावादी का झंडा उठता है। यदि कोई राष्ट्रीय समस्या में कोई राजनैतिक मुनाफाखोर बनने का प्रयास करता है तो यह राष्ट्र के हितों के विरुद्ध किए गए अपराध के समान है। असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में इस गंभीर स्थिति के लिए एकमात्र सत्तारूढ़ ही जिम्मेदार हो ऐसा नहीं है। यह उन विपक्षी दलों की असफलता तथा निष्क्रियता के कारण गम्भीर रूप धारण कर चुका है जो उस समय सत्ता में थी ये जब यह आन्दोलन आर्थिक-सामाजिक समस्या के रूप में शुरू हुआ था। मुझे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब राष्ट्र है तो आपका अपना मकान हो सकता है और जब आपका मकान हो सकता है तो आप की छत हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश में सभी राजनैतिक दलों को, सरकार को पूर्ण सहयोग देना चाहिए जो इन विवादों को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने तथा इस आन्दोलन को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस संकल्प पर चर्चा हो रही है, मैं उसके बारे में चन्द सुझाव देना चाहता हूं।

प्रश्न आज पूर्वांचल का नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की अखंडता का है। हिन्दुस्तान के बारे में हमारी यह परिकल्पना रही है कि काश्मीर से केप कामोरिन तक आसाम से पश्चिम में अन्तिम सीमा तक फैला हुआ भूभाग एक अखंड देश है। लेकिन 1977 के बाद देश में कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतें पनपीं, जिन्होंने क्षेत्रीय भावनाओं को ज्यादा प्रश्रय दिया। हम क्षेत्रीय भावनाएं, क्षेत्रीय समस्याएं या क्षेत्रीय भाषाओं के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित करने से कहीं राष्ट्रीय भावना गौण न हो जाये।

और यही हुआ। सब से पहले सी० पी० एम० ने अधिक स्टेट आटोनोमी की बात कही।

[श्री राम स्वरूप राम]

श्री ज्योति बसु ने कई बार कहा कि हमें अपनी सीमा पर रखने के लिए बार्डर सिक्युरिटी फोर्स दीजिए। इसकी क्या जरूरत थी ? हम सभी एक अखंड भारत के नागरिक हैं और संविधान के अनुसार सभी राज्य एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं। अधिक स्टेट आटोनोमी की मांग से ही पृथकतावादी भावनाओं का अंकुर उत्पन्न हुआ। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश आदि जो हमारे पूर्वांचल की स्टेट्स हैं, उनमें आर्थिक समस्यायें बहुत जबर्दस्त पैमाने पर मौजूद हैं। उनके एक्सप्लाएटेशन के बारे में मैक्सिमम लोगों ने कहा है। मैं अदब के साथ आप के सामने कह देना चाहता हूं कि जो उधर बैठने वाले हैं और अपने को सी. पी. एम. कहते हैं इस सारे मूवमेंट के पीछे तमाम सी. पी. एम. का और बंगालियों का हाथ है जिन्होंने आदिवासियों की हर चीज का वहां शोषण किया है। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार सी. पी. एम. के लोग और बंगाली लोग हैं। मैं तो बराबर यह कहता हूं और प्रधानमंत्री ने बराबर उन आन्दोलनकारियों के लिए दरवाजा खोल कर रखा है। चूंकि हम तो जानते हैं कि लड़ाई से किसी चीज का अन्त नहीं होता है, न किसी समस्या को ही सुलझाया जा सकता है। लेकिन जार्ज फरनान्डीस साहब 16 बार वहाँ क्यों गए ? एक रिपोर्ट आई है कि इस में विदेशियों का हाथ है। 1 जून 1980 के पैट्रियट अखबार में यह निकला है—"अनगिनत अमेरिकी डालर पकड़े गए—यहां आसूचना रिपोर्ट के अनुसार असम में अत्याधिक असामान्य स्थानों से भारी संख्या में डालर बरामद हुए हैं। पहला सुराग टैक्सी चालक से मिला जिनके पास भारी संख्या में डालर बिल मिले। बाद में एक पान दुकानदार के पास भी डालर मिले। केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय को सूचना दे दी गई है। स्रोतों से मालूम हुआ है कि ये डालर असम में आन्दोलनकारियों को दी गई मजदूरी का अंश है। ऐसी अफवाह है कि असम आन्दोलनकारियों के पास लगभग 30 लाख रु० का बड़ा कोष है। अपुष्ट समाचारों के अनुसार ए० ए० एस० यू० नेता पी० के० महतो हाल में कलकत्ता गए थे और उन्होंने लोक-दल तथा जनता नेताओं से मुलाकात के अतिरिक्त प० बंगाल में कुछ नकसलवादी तत्वों के साथ संबंध स्थापित किया था।"

यदि यह स्टेंटमेंट सत्य है तो इस बात को कहने में हमको थोड़ी सी भी हिचक नहीं कि इसके पीछे तमाम विरोधियों का हाथ है। इस में दो राय नहीं है। कहीं सी० आई० ए० के रूप में, कहीं चीन के दलालों के रूप में लोग हमारे आदिवासी भाइयों को बरगला रहे हैं। यदि यह स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसमें उन लोगों का हाथ है।

मैं एक चीज और स्पष्ट कह देना चाहता हूं। यह बहुत अहम् सवाल है और इस सवाल को एक राष्ट्रीय कर्तव्य, नेशनल ड्यूटी के रूप में हम को लेना चाहिए। यह नहीं कि कांग्रेस (आई) क्या कर रही है ? या सी. पी. एम. क्या कर रही है, बल्कि जैसा कि हमारे डागा साहब ने प्रस्ताव किया है, नान-पौलिटिकल ढंग से इस को स्टार्ट किया जाय और इन समस्याओं में कोई भी पालिटिक्स की बू नहीं आनी चाहिए। विपिन पाल दास साहब ने इस समस्या को कैसे सुलझाया जाय, इसके लिए चन्द सुझाव दिए थे। आचातन एवं आसाम के लीडरों ने सुझाव दिया था कि किन को फारेनर कहें और किन को स्थानीय मानें ? उनका कहना था कि 1951 के सेन्सस में जो लोग हैं उनको वहां का सिटिजेन करार दें और 51 से 61 के बीच में

जो आए हैं उनको भी हम सिटिजेनशिप दे दें, लेकिन 71 के बाद के लोगों को कहा गया है कि किसी तरह शिटिजनशिप नहीं दिया जाए। ऐसी स्थिति में उनको दूसरे प्रान्तों में भी बसाने की बात हो सकती है और यह जरूरी बात है। जो बंगला देश से रिफ्यूजी बन कर आए उनकी आबादी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और वहां आदिवासियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए उनका सर्वांगीण विकास वहां करवाइए और 71 के बाद जो लोग वहां आए हैं उनको दूसरे प्रान्तों में शेयर कराइए, दूसरे प्रान्तों में बताइए क्योंकि यह भारत की समस्या है, केवल एक ही प्रान्त में इसका भार नहीं हो सकता है। जो प्रदर्शनकारी हमारे भाई हैं उन से मैं मार्मिक अपील करता हूं कि प्रधान मंत्री ने उनके साथ बातचीत के लिए दरवाजा खोल रखा है। एक जगह पर बैठ कर बात कर लें, उनकी सामाजिक और राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं के लिए लड़ें नहीं बल्कि हल निकालें। कांग्रेस उनकी हमेशा वकालत करती रही है। यही चन्द सुझाव हैं जिसे आपके सामने रखा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वोत्तर भाग में लगभग 10 मास से अस्थिरता की स्थिति है और सारा ही क्षेत्र उपद्रवग्रस्त है। इस तथ्य के बावजूद कि सारा ही देश इससे चिन्तित है और राजनीतिक दल कोई हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोई हल अभी तक नहीं निकाल पाया है।

इस विषय पर चर्चा करते समय, हमें बहुत सावधान रहना होगा। यह किसी राजनीतिक दल या किसी क्षेत्र की जनता के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वे ही लोग जो यह कहते हैं कि मामले को गैर-राजनीतिक करार दिया जाए और दलगत नीति से ऊपर समझा जाना चाहिए, कुछ राजनीतिक दलों के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से तो वे समस्या को हल नहीं कर सकते। इस आन्दोलन के कारण देश के समक्ष कई गम्भीर मामले आए हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए।

हमें यह मानना चाहिए कि देश के उस भाग में चूंकि वहां की परिस्थितियां ही ऐसी हैं और उसकी पृष्ठभूमि कुछ-कुछ ऐसी है जो कि ऐतिहासिक या सामाजिक-आर्थिक हो सकती है, तो वहां के लोगों के मन में कुछ शंकाएं, भय, सन्देह और आक्रोश है। यदि सभी लोग कुछ हद तक गम्भीर रूप से यह अनुभव करते हैं तब पुलिस, सेना और दमनकारी उपायों से हम इस प्रकार की स्थिति से निपट नहीं सकते। इसको तो आपसी बातचीत द्वारा, राष्ट्रीय स्वरूप, अपने राष्ट्रीय मूल्यों और नीतियों की रूपरेखा के भीतर तथा आपसी सुलह-समझौते की भावना से हल करना है। वहां इसी बात की आवश्यकता है। यदि कोई यह अनुभव करता है कि कुछ थोड़े लोग ही इस समस्या से उत्तेजित हैं तो यह गलत है। कुछ भी हो, देश के उस समभाग की समस्त जनसंख्या इसमें भाग ले रही है, फिर चाहे वे युवक हों, छात्र हों, महिलाएं, बच्चे, सरकारी अधिकारी, अथवा गैर-सरकारी अधिकारी ही क्यों न हों, अन्यथा दस महीने तक किसी आन्दोलन को चलाना असान काम नहीं है। 1942 का आन्दोलन भी चार या पांच महीने से आगे नहीं खिंच सका था। यह आन्दोलन लम्बे समय से चल रहा है, इसलिए हमें स्थिति की गहराई को समझना चाहिए। प्रधान मन्त्री महोदया कई घोषणा कर चुकी हैं कि

[श्रीचन्द्रजीत यादव]

किसी दमनकारी ढंग से इसका हल निकालने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। प्रधान मंत्री को इस पर गम्भीर चिन्ता है, क्योंकि उन्होंने सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करने की कोशिश की, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की जो आन्दोलन कर रहे हैं और घटनास्थल पर भी लोगों को अध्ययन के लिए भेजा था। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि हम सब कन्धे से कन्धा मिलाकर देश के उस भाग के लोगों की सन्तुष्टि के लिए कोई आपसी समझौता ढूंढ निकालें।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि हल निकालते समय कुछ मुख्य और आधारभूत बातों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। प्रथम बात तो यह है कि सरकार को यह स्पष्ट करना कर चाहिए कि इस सिद्धान्त पर कोई समझौता नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति विरोध करता है और कहता है कि देश के उस भाग में, देश के अन्य भाग के लोगों को नहीं रहने दिया जायेगा तो यह एक बड़ी भारी भूल है, गलती है जो कि हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जायेगी। असम में, अथवा उस हेतु देश के किसी भी भाग में देश अन्य किसी भाग के रहने वाले लोगों को वहां जाने का समान अधिकार है और भाईयों तथा बहिनों की तरह समान अधिकार प्राप्त है। हमारे बहुत से असम भाई, बहिन देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए और इस बात पर कोई सहमति नहीं हो सकती।

दूसरी बात यह है कि किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध जान-पूछ कर कोई आन्दोलन नहीं चलाया जा सकता, चाहे यह भाषयी, अल्पसंख्यक वर्ग हो या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हो। ऐसा कोई आन्दोलन नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा उसको समर्थन भी नहीं देना चाहिए। यदि किसी समुदाय के विरुद्ध कोई आन्दोलन चलता है उसकी निन्दा की जानी चाहिए क्योंकि हमारी राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय अखण्डता को इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी।

मैं समाचार पत्रों में पढ़ता आ रहा हूं कि प्रधान मंत्री महोदय एक बार फिर असम जाने की योजना बना रहीं हैं। यदि वे जाती हैं तो उनका स्वागत होगा, परन्तु इस बार प्रधान मन्त्री महोदया को कोई बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य देना होगा। प्रथम तो यह कि प्रधान मन्त्री महोदया को देश के उस समभाग में रहने वाले लोगों को एक बार फिर यह आश्वासन देना चाहिए कि उनकी सांस्कृतिक बपौती को किसी प्रकार का भी खतना नहीं होगा, उनकी भाषा और उनकी निजता को, पहचान को कोई खतरा नहीं होगा तथा सरकार उस क्षेत्र के लोगों के सन्तोष के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाएगी और उन्हें पूरा संरक्षण दिया जायेगा। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा और उचित भय उनके मन में है। पिछले कई वर्षों के, यहां तक कि 1971 के पश्चात् के अपने स्वयं के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि सीमा के उस पार से लोग इधर छिपकर आते रहे हैं। उनको एक यह डर है कि अनधिकृत विदेशी आ रहे हैं देश में घुस रहे हैं और सरकार उनको हमारे देश में आने से रोक नहीं पा रही है यह एक गम्भीर स्थिति है जो कि न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त है, अपितु देश के किसी भी भाग में, हमारी पश्चिमी सीमाओं पर, उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा पर खड़ी हो सकती है। कोई भी सार्थक नाम वाली सरकार हमारे देश में

अनाधिकृत विदेशियों को आने की अनुमति नहीं देगी। और उसके पश्चात् किसी प्रकार की गतिविधियों को भी नहीं चलने देगी। सरकार को यह विश्वास दिलाना होगा और मैं तो यह कहूंगा कि सरकार को एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि सीमाओं को बिलकुल बन्द कर दिया जायेगा और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को देश में नहीं घुसने दिया जायेगा। केवल वैध पार-पत्र, बीजा और अन्य आवश्यक दस्तावेजधारी लोगों को ही आने की अनुमति दी जा सकती है अन्यथा नहीं। यदि वे 1971 के पश्चात् अनाधिकृत व्यक्ति के रूप में आ गए हैं तो, सरकार को इस मामले को बंगला देश के साथ उठाना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल कह चुके हैं कि, "विभाजन के पश्चात् सीमा के उस पार रहने वाले हमारे भाई बहिनों की जिन्दगी और इज्जत खतरे में पड़ती है तो, क्योंकि वे हमारे भाई बहिन हैं तो हमें उनको पूर्ण संरक्षण देना होगा और उनकी सहायता करनी होगी।" चूंकि वे एक भिन्न धर्म के मानने वाले हैं और यदि वे किसी प्रकार कठिनाई का शिकार होते हैं तथा उन्हें अपने धर्म या जीवन का बंगला देश में मटियामेट होने का डर है अथवा उस उद्देश्यार्थ किसी भी देश में सरकार को इस मामलो को बंगला देश सरकार के साथ जोरदार ढंग से उठाना होगा और उन्हें बताना होगा कि यह नहीं होना चाहिये।

तीसरी बात में यह कहूंगा कि उन लोगों को भी जो आन्दोलन कर रहे हैं, इस आन्दोलन को समाप्त करना चाहिये। इसका कोई हल निकलना ही है। यदि वे आन्दोलन चलाते रहते हैं और यदि वे समस्त तन्त्र को निष्क्रय किये रहते हैं तो, इससे उनके भी हितों को नुकसान पहुंचेगा। आन्दोलन के दस मास पश्चात भी, समस्त सरकारी तन्त्र निष्क्रय पड़ा है, लगभग सरकार की सभी कार्यवाहियां निष्क्रय हैं। इससे देश के उस भाग में और देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को भारी हानि उठानी पड़ेगी। अतः प्रधान मंत्री महोदया के इस आश्वासन के पश्चात्, इसके नेताओं को आन्दोलन समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कि मेज पर आमने-सामने बैठकर आपसी समझौते के लिए आवश्यक वातावरण तैयार हो सके।

सभी राजनीतिक दलों ने अपना यह दृढ़ मत व्यक्त किया है कि इस समस्या का कोई न कोई हल निकालना ही होगा यदि आन्दोलन के नेता लोग कोई मांग रख रहें हैं, यदि वे ऐसा अनुभव करते हैं कि कुछ नेताओं को छोड़ना होगा, जिससे कि एक सहायक वातावरण तैयार किया जा सके, सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। में यह भी कहूंगा कि सारे के सारे आन्दोलन में ऐसे तत्व घुसे हुए हैं जो पृथकतावादी, साम्प्रदायिकतावादी और विघटनकारी विचारधारा के हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मैं कोई उनका सहयोगी नहीं हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता।

श्री चन्द्र जीत यादव : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं।

हमें वहां के लोगों की आकांक्षाओं और गहन भावनाओं को भी देखना चाहिए। फिर भी एक सम्भावना है कि इस प्रकार की स्थिति से पृथकतावादी तत्व लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे

[श्री चंद्रजीत यादव]

हैं। उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि हमारी सीमाओं पर ऐसे शत्रु बैठें हुए हैं जो देश के उस भाग में अस्थिरता को देखकर प्रसन्न होंगे जिससे वे इसका लाभ उठा सकें उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः पृथकतावादी तत्वों से बलपूर्वक निपटना चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं कि श्री हाल्दर न केवल इस माननीय सदन, अपितु समस्त राष्ट्र का ध्यान खींचने के लिए, इस संकल्प को सदन में लाए हैं।

मुझे बड़ा ही खेद है कि श्री परुलेकर श्री एच० सी० सरीन के विरुद्ध कुछ कह रहे थे। मैं तब भी अध्यक्ष महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा था। यदि यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल कर लिया जाता है और यह प्रकाशित हो जाता है तो, इससे आन्दोलन में बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थिति और बिगड़ेगी। मैं नहीं जानता कि कोई बातचीत भी हुई थी या नहीं यदि कोई हुई भी है तो उसे इस सदन में नहीं प्रकट करना चाहिए था।

प्रो० एन० जी० रंगा : कुछ विदेशियों से निपटने और निर्भर करने के लिए···

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्न गिरि) : मैं किसी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करता। मैंने इस सदन की एक माननीय महिला सदस्य श्रीमती प्रमिला दण्डवते के वक्तव्य पर विश्वास किया था। जिनको श्री सरीन ने यह बताया था। यह कोई कानों सुनी बात नहीं है, यह मैंने उनसे सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा**।

श्री एम० सत्यनारायण राव : आप तो वहां की स्थिति को जानते हैं, यह बहुत गम्भीर है। इसलिए मैं तब भी अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर खींच रहा था, परन्तु मुझे सफलता नहीं मिली। कुछ भी हो, मेरा आपसे निवेदन है कि राष्ट्र हित में इस टिप्पणी की कार्यवाही वृतान्त से बाहर निकाल दिया जाए।

श्री चन्द्रजीत यादव कह रहे थे कि स्थिति को दलीय स्तर से ऊपर रखा जाए। इसको राजनीतिक रंग बिल्कुल भी न दिया जाए। यह राष्ट्र हित में नहीं हैं। मैं लोगों की भावना को समझता हूं। आप जानते हैं कि हमने तेलंगाना में एक आन्दोलन शुरू किया था और उस समय भी लोगों ने हम पर दोषारोपण किया था, क्योंकि सदैव होता यह है कि किसी आन्दोलन में कुछ आसामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्व स्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है। कि इन लोगों में कोई राष्ट्रीय भावना ही नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शरारत कर रहे हों। मैं गृहमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे यह पता करें कि इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उन्हें दण्डित करें। जैसा श्री खान बता रहे थे, मैं मन्त्री महोदय और उनके वरिष्ठ सहकर्मियों से सुनता आ रहा हूं कि इसके पीछे कुछ विदेशी शक्तियों का हाथ है। हमने अपने विदेश मंत्री महोदय को चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सम्बन्धों के बारे में बात-चीत के दौरान बताया था कि ऐसे पृथकतावादी तत्वों को प्रोत्साहित न किया जाए, चाहे ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में हों या कश्मीर में अथवा अन्य कहीं।

**अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार बाद में कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

विदेशियों की समस्या के अतिरिक्त, मेरे विचार से, मुख्य समस्या आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते, मुझे लगभग सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैं बता चूका हूं, तेलंगाना में हमने अपना आन्दोलन आर्थिक विकास के नाम में ही प्रारम्भ किया था, क्योंकि उस क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप में और सभी तरह से उपेक्षा की गई थी। जैसा कि श्री यादव ने कहा है जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रहा है, हम अपने उस आन्दोलन को लम्बे समय तक खींच ले गये थे, जिससे यह पता चलता है कि लोगों के मन में कुछ गहरी भावना काम कर रही है कि आर्थिक रूप से उनकी पूर्णतया उपेक्षा की गई है। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह यह देखे कि उस क्षेत्र में विकास कार्यक्रम गतिविधियां तत्काल शुरू की जाएं। वहां पर न सड़कें हैं और न रेल मार्ग। स्वतन्त्रता के 33 वर्ष बाद भी उन गरीब लोगों को रेलवे लाईन तक देखनी नसीब न हुई। संचार सुविधाएं तो बिल्कुल ही नहीं हैं। सड़कें और रेलवे लाईनें बिछाने का काम तुरन्त शुरू होना चाहिए। हमें रेलवे बजट के प्रावधान की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। आप विकसित राज्यों से लेकर धन इस क्षेत्र में लगा सकते हैं जिससे उनकी समस्याएं हल हो सकें। यदि आप मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय जाना चाहते हैं तो लगभग तीन चार दिन लग जाते हैं। गरीब लोग हवाई जहाज से तो जा नहीं सकते हैं वे सड़क से ही जल्दी पहुंच सकते हैं। मैं संसद सदस्यों जैसे बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो जन-साधारण और वहां रहने वाली जनता की बात कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि सदन के सभी सदस्यों को उस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए।

श्री परुलेकर और डा० स्वामी त्रिपुरा गए थे। वे सत्ताधारी दल के तो हैं नहीं विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने स्वयं कहा है कि मुख्य मंत्री पूरी तरह असफल रहे हैं, वे विधि और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते। यद्यपि सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस वर्ग जैसी हमारी शक्तियां वहां काम कर रही हैं, वे उनकी सेवाएं नहीं ले सके। इसके लिए वे ही उत्तरदायी हैं। मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय और उनके दल में कुछ खराबी है मैं जानता हूं कि वहां दलों के बीच में कुछ विवाद हैं और इसलिए पार्टियों में राजनीतिक दमनचक्र चल रहा है जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई।

जहां तक मणिपुर की बात है, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं वहां गया था। मणिपुर के लोग तो शांतप्रिय लोग हैं। यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहां पर भी यह आन्दोलन, पृथकतावादी आन्दोलन चल रहा है। वहां के गरीब लोगों को कुछ तत्त्वों ने भड़काया हुआ है। सांस्कृतिक रूप से भी मणिपुर के लोग अपनी मुख्य-धरती से बंधे हुए हैं। मिजोरम और अन्य स्थान पर आदिमजातियां हैं, कुछ मिशनरी जो कि अधिकतर स्कूलों को चलाते हैं और वे अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है। उन्हें अपने धर्मों और अन्य बातों का पालन करने दो। परन्तु आप इस ढंग से हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह तो बहुत ही भयानक स्थिति है।

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

सारे सदन को इस पर एक जुट होना चाहिये। हमको आपस में यह कहते हुए नहीं लड़ना चाहिये, "आप उत्तरदायी हैं।" श्री राम विलास पासवान कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। कुछ भी हो आप सभी हैं तो पुराने कांग्रेसी। श्री चन्द्रजीत यादव कांग्रेस दल के महासचिव थे, वे यहां मन्त्री रहे हैं। हम उनसे प्रेरणा लिया करते थे। हम प्रायः उनके पास जाया करते थे। यह बात चरणसिंह जी को मिलाकर हर व्यक्ति पर लागू होती है। वे भी कांग्रेस दल में थे। श्री रविन्द्र बर्मा भी उसमें थे। अतः अनावश्यक रूप से दोषारोपण मत कीजिए। परन्तु यह सच है कि इस सरकार को यह समस्या जनता सरकार से विरासत में मिली। यह जनता शासन-काल की बात है कि यह समस्या खड़ी हुई। चार मास तक वे कोई उचित कदम नहीं उठा सके, वे स्थिति पर नियन्त्रण नहीं कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री भी कांग्रेस दल में थे।

श्री एम० सत्यनारायण राव : हर कोई कांग्रेस दल में था। इसके टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें इस मामले पर भावुकता से हटकर विचार-विमर्श करना चाहिये और पूर्वोत्तर क्षेत्र की गरीब जनता की सहायता करनी चाहिए। आर्थिक विकास ही इसका एकमात्र इलाज है। अन्यथा कोई हल नहीं है। इस सदन से मेरा यही निवेदन है। इस मामले में हमें एक होना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर को इस संकल्प को रखने के तथा हमारे देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र की समस्या पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद देता हूं।

यह समस्या हमारे समक्ष मूलभूत प्रश्नों को रखती है, जो भारत के उज्ज्वल अतीत के बारे में शुरू से विद्यमान थी। यह समस्या एक ओर भारतीय संस्कृति की एकता एवं परम्परा की है तथा दूसरी ओर संस्कृति एवं धर्म की विविधता की है। एकता एवं विविधता कई बार पैदा हुई और समस्या का समाधान हमारे देश के किसी विशेष समय के इतिहास की शक्ति तथा निर्बलता पर निर्भर करता है।

दूसरी समस्या 1947 से अंग्रेजों के साथ षडयंत्र द्वारा धर्म के आधार पर देश के विभाजन की है। बंगाल का विभाजन हुआ। पंजाब का विभाजन हुआ। और अभी तक विभाजन के प्रभाव समाप्त नहीं हुए। हम अभी भी उस समस्या का सामना कर रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान बना। परन्तु समस्या अभी भी बनी हुई है।

तीसरी समस्या पूंजीवादी विकास क्रम की है जिस पर हम स्वतन्त्रता के बाद से चल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती गई, मूल्य बढ़ते गये, धन कुछ ही हाथों में केन्द्रित होता गया तथा बहुत व्यक्तियों को निर्धनता में रहना पड़ रहा है। इस प्रकार जब कोई समस्या पैदा होती है, बेरोजगार युवक, गतिहीन युवकों को एकत्र किया जाता है, विशेष रूप से किसी ऐसे आन्दोलन के लिए जिसकी कुछ वैधता हो सकती है—परन्तु कई बार वे विचलित हो जाते हैं जबकि कुछ समुदायों के लिए

आरक्षण किया जाता है अथवा देश में साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक मामलों अथवा भाषाई मामलों इत्यादि पर झगड़ा पैदा हो जाता है।

इस मामले में विदेशियों का मामला उठ खड़ा हुआ, अब यह मामला विद्रोहियों तक सीमित नहीं है। वर्तमान स्थिति ने पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को घेर लिया है। आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में। अब त्रिपुरा में समस्या पैदा हो गई है। आज के समाचार-पत्रों में हमने पढ़ा है कि त्रिपुरा में एक भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) पार्षद के छः सदस्यों के परिवार को कत्ल कर दिया गया। इस छः सदस्यों के परिवार को आदिवासी परिवार ने आश्रय दिया हुआ था। उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें बचाया नहीं जा सका। जिस आदिवासी परिवार ने उन्हें आश्रय दिया हुआ था उन पर भी निर्दयतापूर्वक हमला किया गया।

एक और पक्ष है—गांधी की परम्परा का पालन किया जा रहा है। परन्तु आसाम के पांच भारतीय साम्यवादी सदस्यों को जिनमें से चार आसामी थे, को आसामियों ने इसलिए मार दिया कि उन्होंने गैर आसामी हिन्दू-मुसलमानों की रक्षा का साहस किया था। आसाम में भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई है। मैं चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी अपने किन्हीं शहीदों का नाम गिनाये ताकि हम समझ सकें कि गांधी जी की परम्परा का पालन किया जा रहा है तथा वे आसाम अथवा त्रिपुरा में अल्पमतों की रक्षा कर रहे हैं। अब भी मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय कुछ नाम बतायेंगे—क्योंकि इसी बात की आवश्यकता है क्योंकि वहां पर केवल विद्रोहियों का मामला निहित नहीं है।

मैं समझता हूं कि इसका समाधान राजनीतिक होना चाहिए, राजनीति से बाहर नहीं। परन्तु इसे गैर दलीय आधार पर राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए तथा इसे बातचीत द्वारा तय किया जाना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या एक राजनीतिक समस्या है, सांस्कृतिक प्रभुत्व की समस्या एक राजनीतिक समस्या है और उनका राजनीतिक समाधान किया जाना चाहिए, बेशक देश को इस मामले पर संयुक्त निर्णय लेना है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक पार्टी यह कहने का साहस नहीं कर सकती कि इसके पास इसका बना बनाया समाधान है, क्योंकि इस प्रकार का समाधान हो नहीं सकता। कुछ परस्पर लेन-देन होना चाहिए—हमें आसाम की पूरी जनसंख्या को सन्तुष्ट करना है। हमें एक-दूसरे के हक को ध्यान में रखते हुए आसाम के लोगों को आश्वासन देना है कि उनकी सांस्कृतिक परम्पराओं, अधिकारों, आर्थिक हितों अथवा सामाजिक रहन-सहन की रक्षा की जायेगी। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इस सभा का लोक सभा को एक ओर तो एक मत से अपील करनी चाहिए—सरकार से राजनीतिक समाधान के लिए कहा जाना चाहिए—दबाव द्वारा नहीं समझा कर बातचीत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री बार-बार कहती रही हैं कि बातचीत का द्वार बन्द नहीं हुआ, तथा वह बातचीत के लिए सदा तैयार हैं, देश के लिए यह अच्छी बात है। इसलिए सरकार को इस सभा की सर्वसम्मत राय के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एक ओर तो सभा को सर्वसम्मति से पूर्वी क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहिए कि सभी आन्दोलन समाप्त करें तथा सभी संबद्ध मामलों को बैठ कर तय करें ताकि उनको पता चले कि उनकी प्रत्येक न्यायोचित मांग के पीछे पूरा राष्ट्र उनके

[श्री योगेन्द्र झा]

साथ है, पूरी संसद उनके साथ है, तथा वे अकेले नहीं हैं तथा उनकी न्यायोचित मांगों पर पूरा देश पूरी संसद ध्यान देगी ।

इस प्रकार की अपील सर्वसम्मति से तैयार की जाये । परन्तु जब मैं यह कहता हूं कि दमनकारी उपाय बंद किए जाने चाहिए तो मैं यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि सेना वहां से हटा ली जाये क्योंकि मुझे भय है कि यदि आज आप सेना हटाते हैं तो कल हजारों व्यक्तियों की हत्या हो सकती है । मैं यह बात दिल्ली में अथवा अन्यत्र बैठकर नहीं कह सकता । हजारों जिन्दगियों का प्रश्न है । यही त्रासदी है ।

यहां, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि शासक दल के सदस्यों में से किसी ने भी युवा कांग्रेस (आई) द्वारा बंगाल में विरोधी आन्दोलन कि आसाम जाने वाले सभी परिवहन ट्रकों अथवा गाड़ियों को रोक दिया जाये' के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई है । ऐसा कौन कह रहे थे ? शासक दल के लोग इसे चला रहे हैं । इसलिए कुछ बंगाली दिल्ली के शासक दल से संबद्ध आसामियों से लड़ना चाहते थे । मेरी प्रधान मंत्री से अपील है । मैं समझता हूं कुछ आत्म-अनुशासन होना चाहिए । कुछ व्यक्तियों को उत्साह पूर्वक स्वीकार करना चाहिए कि यह भूल थी, किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात करने का हौसला नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय एकता हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है । केन्द्र में शासक दल कोई अल्पमत की पार्टी नहीं है (व्यवधान)

हजारों जानें गई हैं । स्थिति यह है । यदि बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार इस उठते हुए ज्वार को रोकने में समर्थ न होती तो वहां की क्या स्थिति होती पूरे उत्तर भारत में आग भड़क उठती । लाखों गैर-बंगालियों को बंगाल से निकल जाने पर विवश होना पड़ता । तब पूरे क्षेत्र की क्या स्थिति होती । इस प्रकार वह सरकार प्रशंसनीय है जो इसका दृढ़ता पूर्वक सामना कर रही है । दिल्ली का शासक दल लड़खड़ा गया था परन्तु पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चे की सरकार विचलित नहीं हुई अपितु उन्होंने दृढ़ता पूर्वक स्थिति का सामना किया ।

मैं समझता हूं कि इन सभा को शाशक दल समेत श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर के इस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेना चाहिए । इनमें साहस होना चाहिए । कुछ औपचारिकता हो सकती है इसके द्वारा सरकार की निन्दा नहीं की जा रही । कुछ मूलभूत बातें तय की गई हैं । मैं समझता हूं शासक दल को इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए तथा राष्ट्र को हम संसद के माध्यम से इस समस्या के समाधान के लिए अपनी एक आवाज उठानी चाहिए । इसमें विदेशी हाथ हैं । काफी समय से इसमें विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है । जब श्री कैलाश नाथ काटजू गृह मंत्री थे तब इसी सभा में कहा गया था कि अमरीका के बने हुए शस्त्रास्त्र विद्रोहियों से पकड़े गए हैं—शुरू से ही नागा विद्रोही—उस समय जबकि नागालैंड की पृथक अस्तित्व नहीं था—उस समय श्री के० एन० काटजू ने इस सभा में वक्तव्य दिया था तथा अमरीकी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया था कि ये शस्त्र उनके जवानों द्वारा द्वितीय महायुद्ध के समय जंगलों में छोड़ दिए गए थे । इस प्रकार उसमें विदेशी हाथ रहा है उनका उद्देश्य देश को खंडित करने का है । हमें अपनी राष्ट्रीय एकता को बचाकर भारत की अखंडता बनाए रखना चाहिए । इस सभा की एक दृढ़ आवाज होनी चाहिए तथा सभा के किसी भी पक्ष को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए । इस बारे में एक आवाज

होनी चाहिए। मैं पुनः अपील करता हूं कि दलीय भेदों को मिटाकर एक दृढ़ राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाये, तथा सभा इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करे, ताकि ऐसे राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी मामलों पर भविष्य में संयुक्त निर्णय ले सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी दस सदस्यों ने और बोलना है। सदस्यों के बाद मंत्री महोदय बोलेंगे तथा उनके तुरन्त बाद संकल्प के प्रस्तावक, श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर उत्तर देंगे। आज हमारे पास एक घंटा 58 मिनट हैं। जो कि अब समाप्त हो गया है। अब मैं सभा की सहमति चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : कितना समय बढ़ाया जाये। उस हालत में इसे अगले अवसर पर लेना पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अगले संकल्प की क्या स्थिति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे लिया जायेगा।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी बेंकट सुब्बैय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय एक घंटा बढ़ाया जाये। तथा इस संकल्प को अगले अवसर पर ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा एक घंटा समय बढ़ाने के पक्ष में है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

एक माननीय सदस्य : डेढ़ घंटा क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटा पर्याप्त है। इसलिए इसे एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या इसे अगले अवसर पर लिया जाएगा अथवा आज समय बढ़ाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आज समय नहीं बढ़ाया जा रहा। सभा 6 बजे स्थगित होगी।

श्री रामावतार शास्त्री : तब दूसरे संकल्प का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसे लिया जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : उसे अगले समय कैसे लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बढ़ाये हुए समय के कारण संकल्प लिया जा सकता है।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस आन्दोलन को शुरू हुए करीब एक साल हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। जब हमारी सरकार नर्मी से पेश आती है, तो विरोधी दल कहते है कि सरकार कोई कड़ा रुख नहीं अपनाती है। और जब सरकार कोई कड़ा रुख अपनाने की बात करती है, तो कहा जाता है कि कड़ा रुख अपनाने से आन्दोलन समाप्त नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगा कि विरोधी दल के लोग बतायें कि आखिर इस

[श्री तारिक अनवर]

आन्दोलन का समाधान कैसे निकलेगा—कौन-सा रास्ता अपनाया जाये, कौन-सा ढंग अपनाया जाए जिससे इस समस्या को सुलझाया जा सके ।

अभी कुछ साथियों ने कहा है कि इस आन्दोलन के पीछे जहां विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है, वहीं हमारे अपने कुछ साथी भी हैं, जो इस आग से खेल रहे हैं और आग सेंकने का काम कर रहे हैं । शायद उन लोगों को पता नहीं है कि जिस आग से वे हाथ सेंक रहे हैं, कल वही आग उनके घरों को ही नहीं, बल्कि सारे देश को जलाकर राख कर देगी ।

आसाम विधान सभा को भंग नहीं किया गया है, उसको ससपैंड किया गया है । हमारा सुझाव है कि वहां पर पापुलर सरकार बने और उसके माध्यम से इससमस्या का समाधान निकाला जाये ।

एक और बात भी विचारणीय है । अगर इस आन्दोलन के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ नहीं है, तो सवाल यह है कि इतना बड़ा आन्दोलन पिछले एक साल से चल रहा है, वहां का सारा कारोबार ठप्प है, किसी तरह की आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है, सब काम रुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लाख रुपये इस आन्दोलन पर खर्च हो रहे हैं । इतनी बड़ी दौलत, इतना ज्यादा रुपया कहां से आ रहा है, किन सोर्सिज से आ रहा है, इसकी जानकारी भी जरूर लेनी चाहिए ।

यह आन्दोलन आसू द्वारा, आसाम के छात्रों द्वारा, चलाया जा रहा है । लेकिन अगर वहां के अल्पसंख्यक—भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी बंगाली भाई, मुसलमान और नेपाली हिन्दू, और दूसरे गैर-आसामी—कोई आन्दोलन करना चाहते हैं, तो आसू, आसामी छात्रों, की ओर से उन पर जुल्म तो होता ही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वहां की पुलिस भी उन पर गोलियां बरसाती है । 26 मई, 1980 को आल-आसाम माइनारिटी स्टुडेंट्स यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहते थे । परन्तु उसी दिन जान-बूझ कर आसू की ओर से भी एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी कोई पूर्व-सूचना नहीं थी । यह इसलिए किया गया कि माइनारिटी स्टुडेंट्स की मांगों और उनके प्रदर्शन को काउंटर किया जा सके । इतना ही नहीं, उस प्रोसैशन को दबाने के लिए जहां एक तरफ आसु के छात्र लगे हुए थे कि अल्पसंख्यक छात्र जो अपने तेरह प्वाइंट माँगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे वे प्रदर्शन न कर सकें, वहां पुलिस ने भी उनके खिलाफ साजिश करके उन पर गोलियां चलाई और करीब दो सौ छात्र और जवान मारे गए या अभी तक वे लापता हैं । उनकी कोई जानकारी नहीं है । जो वह प्रोसैशन निकल रहा था तो कुछ जो वहां के असमी अफसर थे उनको भी साजिश थी कि यह प्रोसैशन न निकले । उनकी मांगें जनता के बीच न आ सकें और वे अपनी भावनाओं को प्रकट न कर सकें । वहां के असमी अफसरों ने भी असम के छात्रों के साथ मिलकर इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की । इतना ही नहीं बल्कि इस बात की भी कोशिश हुई कि किसी तरह यह प्रोसैशन न निकले और वहाँ तक न पहुंचे । सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वहां के जो सर्किल अफसर थे जो प्रोसैशन के विरोध में थे, नहीं चाहते थे कि प्रोसैशन वहां तक पहुंचे उन्होंने लिखित रूप में यह दिया :

'प्रदर्शनकारियों को जब यह बताया गया आसाम के अल्पसंख्यकों को किसी सरकारी कार्यालय में प्रवेश का अधिकार नहीं है, तब वे वापस चले गये। उनकी टिप्पणी की एक लिखित प्रति संलग्न है।'

इस तरह की बात जब होती है, जब सरकारी अफसर यह लिख कर देते हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक अपना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता है, तो यह बहुत ही विचारणीय बात है और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिएं।

26 मई को माइनोरिटीज के छात्रों का प्रदर्शन निकला, उनके प्रोसैशन को हेड आफिस और सरकारी दफ्तर तक नहीं पहुंचने दिया गया। उन पर गोली बरसाई गई और जब वे लौटे तो घर पहुंचते समय भी रास्ते में आसु के लड़कों ने उनको मारा। उसमें 16 नौजवान घायल हुए। इसके बाद ताज्जुब तो इस बात का है कि एक नौजवान जिसके पैर में गोली लगी थी और जो घायल हो गया था उसको अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। उसके पैर से गोली निकाल दी गई और ऐसा लग रहा था कि वह बच जाएगा लेकिन वहां अस्पताल के और दूसरे लोगों की साजिश से उसको अस्पताल से उठाकर ले जाया गया और उसको जिस ढंग से मारा गया उससे इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न केवल उसकी आंख निकाल दी गई और उसके जोड़-जोड़ को काट डाला गया बल्कि इस तरह से उसको मारा गया और उसकी जान गई कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। यह जो आन्दोलन है यह इस बात का सबूत है कि किस ढंग से इंसानियत को वहां कुचला जा रहा है और मासूम लोगों को वहां कत्ल किया जा रहा है। इससे यह बात सिद्ध हो रही है कि इसके पीछे ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी लक्ष्य कार्यक्रम या नीति को लेकर चल रहे हैं बल्कि उनका लक्ष्य यह है कि इस देश में एनार्की पैदा की जाए और जो इस देश में आपस में मिल जुल कर रहते हैं, पिछले तीस सालों की कांग्रेस सरकार ने जो हमें हिन्दू मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को, पिछड़ी जाति और ऊंची जातियों को, हर प्रान्त और भाषा के बोलने वालों को एक साथ मिलकर चलना सिखाया था आज उनको टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटने की कोशिश हो रही है। कहीं भाषा, कहीं धर्म, कहीं प्रान्त के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश हो रही है।

मैं आप का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि सरकार को बहुत सोच समझकर जरूर कदम उठाना चाहिए लेकिन कब तक इस तरह से हाथों पर हाथ धरे रहेंगे? कब तक ऐसे लोगों के भरोसे पर वहां के लाखों लोगों को छोड़ देंगे? आखिर सरकार का यह फर्ज होता है कि चाहे वह अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, उनकी वह हिफाजत करे, उनके जान व माल की तथा उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। यह सरकार की ड्यूटी है। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं कि कोई भी कदम वह सोच-समझकर उठाए और ऐसा माहौल पैदा करे जिससे वहां के अल्पसंख्यक महसूस करें कि वे सुरक्षित हैं, उनकी इज्जत व आबरू सुरक्षित है, महफूज है।

इन शब्दों के साथ में आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमान, मैं अपने मित्र श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर द्वारा पुरः स्थापित संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्रीमान, आप स्वीकार करेंगे कि यह संकल्प न केवल विस्तृत है अपितु सामयिक और उचित भी है। इस संकल्प का उद्देश्य किसी पार्टी अथवा ग्रुप पर आरोप लगाना अथवा उनकी निन्दा करना नहीं है। अपितु इस संकल्प का उद्देश्य राष्ट्र के समक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। यह मामला मात्र आसाम के आन्दोलन से संबन्धित नहीं है। यह दुःखद बात है कि बहुत से सदस्यों ने इस मामले पर केवल आसाम की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चर्चा की है। संकल्प में पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसमें पांच राज्य तथा दो संघ राज्य क्षेत्र हैं, की विस्फोटक परिस्थिति का उल्लेख किया गया है। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में उपद्रव फैला हुआ है। इस विस्फोटक परिस्थिति से भारतीय राजनीति के बारे में कुछ मूलभूत प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। अब मैं पूरी सभा से आग्रह करता हूं कि इस समस्या पर व्यापक रूप में देखें तथा पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र की समस्या का समाधान खोजें। यह समाधान का न केवल वर्तमान समस्या के आधार पर अपितु राष्ट्रीय एकता अखंडता के हित में आवश्यक है।

श्रीमान, मैं आपका ध्यान आज उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विकसित परिस्थिति की सामान्य विशेषताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। तथाकथित विद्रोहियों की निकासी की एक मात्र मांग पूरे पांच राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों में फैल गई है। इस बारे में एक महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात आन्दोलन की समकालिकता के तथा आन्दोलन की नीति के बारे में एक समान नारे की है। यह आसाम त्रिपुरा तक सीमित नहीं है। मेरा प्रयत्न गृह मंत्री का ध्यान दिलाने का है कि सरकार इतनी देर के बाद भी उत्तर-पूर्व क्षेत्र की पूरी स्थिति को व्यापक रूप में समझे। आन्दोलनकरियों के क्रिया कलाप भली-प्रकार समन्वित रहे हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि छात्र इस आन्दोलन के अग्रणी हैं, छात्र केवल आसाम के ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र के इस आन्दोलन से थोड़े बहुत संबद्ध हैं तथा इन आन्दोलनों को समन्वित करने के निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं। एन. ई. आर. एस. यू. (उत्तर-पूर्व क्षेत्र छात्र संघ) का निर्माण यह संकेत करता है कि आन्दोलनकारियों का प्रयत्न मिलकर समन्वित कार्यवाही करने का है। श्रीमान, बगावत इस आन्दोलन का दूसरा पहलू है। मैं श्री चन्द्रजीत यादव से पूरी तरह सहमत हूं कि सभी विद्रोह से संबद्ध नहीं हैं, परन्तु विद्रोह विद्यमान है। एक विशेष बात ध्यान देने की है कि बगावत एक निश्चित स्वरूप धारण करती जा रही है। मणिपुर मे पी. एल. ए. है, मिजोरम में ऐम. एन. एफ. है, नागालैंड में नागा राष्ट्रीय परिषद् है। ए. ए. एस. यू. के नाम से सशस्त्र स्वयं सेवी बल संगठित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अमार बंगाली के नाम से एक और सैनिक संगठन गठित करने का प्रयत्न है; वे सभी प्रकार के नारे लगा रहे हैं तथा सभी प्रकार की विघटनकारी कार्यवाहियों में संलग्न हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री को सूचित किया गया है कि एस. एस. एल. ए. अर्थात "सेवन सिस्टर्स आर्मी" संगठन, जिसका एक मुख्यालय भी है, विघटनकारी कार्यवाहियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम यह भी देखते हैं कि इन विघटनकारी पृथकतावादी प्रवृतियों में आन्दोलनकारियों को विदेशी शक्तियों से समर्थन प्राप्त है।

और मंत्री महोदय ने कुछ दिन पूर्व स्वीकार किया था कि सरकार को आपरेशन ब्रह्मपुत्र के बारे में भली प्रकार जानकारी है। कुछ समय से यह बात विदित है कि वे लोग भारत से बिल्कुल अलग पृथक आसाम राज्य के लिए प्रयत्नशील हैं। श्रीमान, ये खतरे के संकेत हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जो भारतीय एकता चाहता है वह इन बातों को सहन नहीं करेगा। भारत की एकता एवं अखंडता हमारे लिए सर्वाधिक चिन्ता का सामला है।

इस बारे में मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वे इस महान खतरे को समझे। यह बंगालियों तथा असामियों के संघर्ष का मामला नहीं है। यह आदिम जातियों और गैरआदिम जातियों का प्रश्न नहीं है। इसका कारण सामाजिक तनाव एवं संघर्ष है जो कि जातीय ग्रुपों एवं भाषाई ग्रुपों के बीच पैदा हो गया है। सभा का प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि यह आन्दोलन शोषित जनता के एक वर्ग के लोगों का है जो दूसरे वर्ग के विरुद्ध संघर्ष है।

इसके पीछे ऐतिहासिक कारण हैं। राष्ट्र के विकास कार्यों को पिछले 30 वर्षों के दौरान पूरा नहीं किया जा सका। ये कार्य अधूरे ही रह गए। केन्द्र सरकार ने पर्याप्त विकास हेतु, जो इस विकृति को, असमानता को, सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर कर सकता था, कोई उपयुक्त नीति नहीं अपनाई। मेरे पास ऐसी असमानताओं और विकृतियों की एक लम्बी सूची है। परन्तु उन सभी बातों को मुझे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि इन असमानताओं, विकृतियों, पिछड़ेपन और क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत एक भी है और अनेक भी। यहां कई मानवजातीय समुदाय हैं, मानवजातिय संस्कृतियां हैं और अनेक भाषाएं हैं तथा अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं। भारत, विभिन्नता में एकता का भारत है। एकेश्वरबाद और बहुदेवतावाद सभी समाजिक रीतियां एक साथ विद्यमान हैं। राष्ट्रीय एकता के नाम पर केन्द्रीयकरण की शक्तियों को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति विद्यमान है। में अनुभव करता हूं कि आज राष्ट्रीय एकता का प्रश्न प्रमुख प्रश्न है और यदि परस्पर स्नेह और एकता उत्पन्न करने के लिए हम सतत और निश्चित प्रयास करें तो राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को पूर्णतया और सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है। यहां एकेश्वरवाद भी है और बहुदेवतावाद भी है। अनेकता में एकता है और यही भावना आज जो स्थिति में उत्पन्न हो गई है उसको स्थायी रूप से हल कर सकती है।

मैं सरकार और सभी दलों के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि यह ऐसा मामला नहीं हैं जिसे हमें दल अथवा पार्टी की दृष्टि से देखना चाहिए यह राष्ट्रीय हित का प्रश्न है, यह राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है और इसे सभी विचारों से ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं आन्दोलन ने जो आज रूप ग्रहण कर लिया है वह दमनकारी उपायों से नहीं दबाया जा सकता। यह एक राजनीतिक प्रश्न है, राजनीतिक समस्या है और इसके उत्पन्न होने का कारण सामाजिक-आर्थिक स्थितियां, विकृतियां, असमानताएं और क्षेत्रीय असन्तुलन हैं। इस समस्या को हल करने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि व्यापक संकल्प स्वीकार करके सरकार यह दिखा देगी कि वह अवसर के अनुसार कार्य कर सकती है और इस मामले में राष्ट्रीय सहमति बना सकती है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज्यादा है, फिर भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया गया है । जिन माननीय सदस्यों ने बोलने के लिए अपने नाम दिए थे उन्हें अगली बार अवसर मिलेगा ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में जिस रूप में संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह हमारे पक्ष को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सरकार के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से निन्दा प्रस्ताव है (**व्यवधान**)

महोदय, हम अपने ढ़ंग से इस क्षेत्र की समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं । भारत के सभी लोगों का श्रीमती इंदिरा गांधी में अत्यधिक विश्वास है और श्रीमती गांधी उन सभी व्यक्तियों की रक्षा करने में समर्थ हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों का श्रीमती इंदिरा गांधी में अटूट विश्वास है और वे इस समस्या को हल करेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली बार बोलना जारी रख सकते हैं ।

6-00 बजे म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शनिवार, 19 जुलाई, 1980/28 आषाढ़ 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-6